ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

सितम्बर 2026
वर्ष : 08 अंक : 09

इस अंक में ...

- मिशन समृद्ध गाँव
- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
- एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक, 2026
- कराधान तथा अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2026
- मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) 2026
- 'उद्योग' की अवधारणा पुनः परिभाषित
- अधिकरण सुधार विधेयक, 2026
- मक्का संयुक्त रक्षा समझौता
- भारत–जापान समुद्री सुरक्षा सहयोग
- जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल डील
- भारत-उज्बेकिस्तान संबंध
- मिशन क्लाउडेड लेपर्ड
- अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत यार्ड 3037 'श्रुति'
- आईएनएस निपुण
- इन्फ्लूएंजा H1N1 (स्वाइन फ्लू)
- स्मार्ट ड्रग आरके-251
- वन नेशन, वन टाइम
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025

और भी महत्वपूर्ण विषय ...

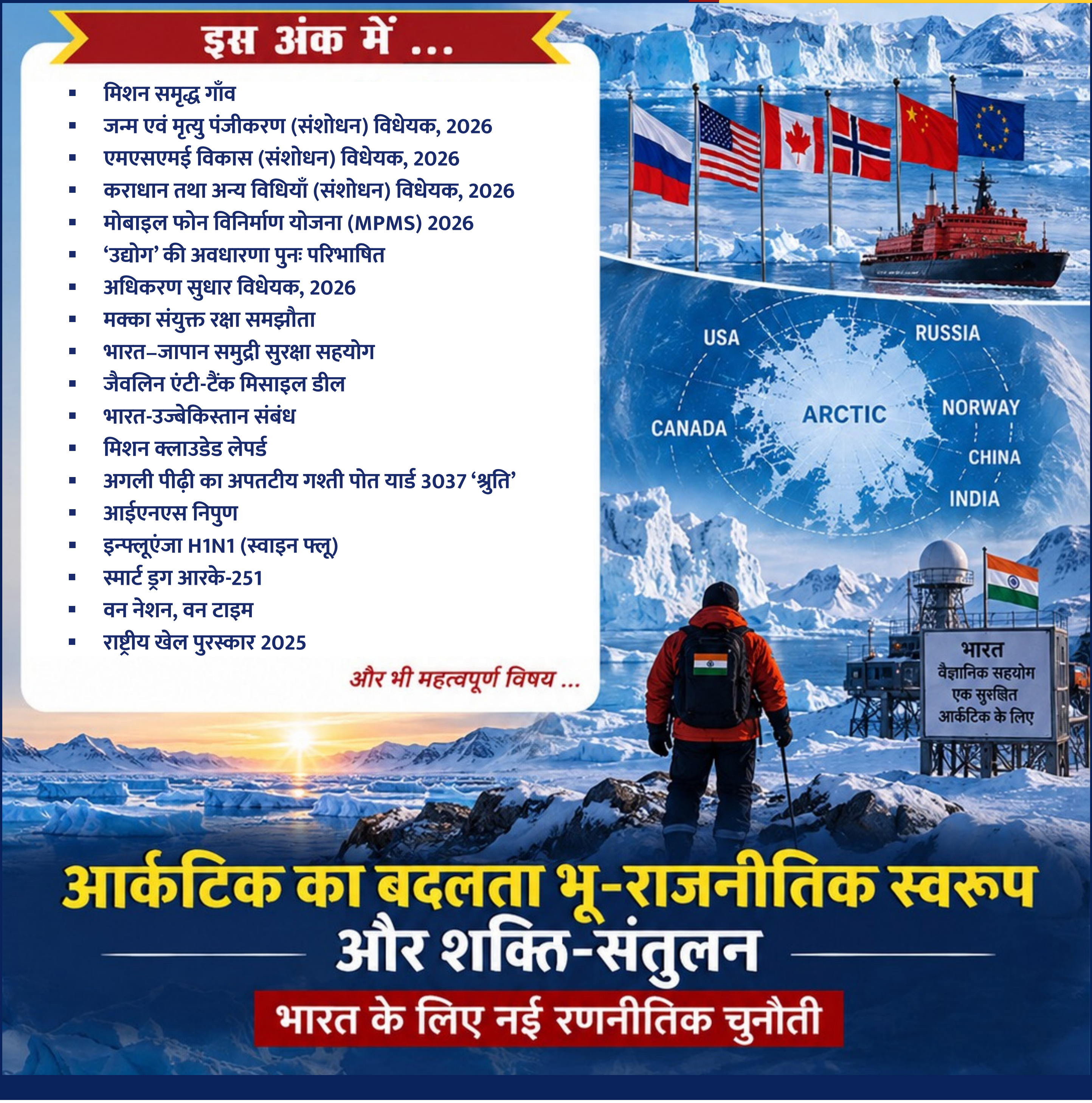
USA
RUSSIA
CANADA
ARCTIC
NORWAY
CHINA
INDIA
भारत
वैज्ञानिक सहयोग
एक सुरक्षित
आर्कटिक के लिए

आर्कटिक का बदलता भू-राजनीतिक स्वरूप और शक्ति-संतुलन

भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौती

» मुख्य विशेषताएं

पॉवर पैक्ड न्यूज़ | प्री बेस्ड एमसीक्यू | संपादकीय लेख

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास व्यापक ज्ञान हो, बल्कि उचित ज्ञान, संतुलित दृष्टिकोण और ज्ञान के प्रभावी क्रियान्वयन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी प्रभावी अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण होती है। यह अभ्यर्थी की विश्लेषणात्मक क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल और समसामयिक मुद्दों के प्रति उसकी संतुलित समझ का भी मूल्यांकन करती हैं। तैयारी की यह प्रक्रिया केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति को राष्ट्र और समाज के महत्त्वपूर्ण विषयों पर सार्थक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में भी प्रेरित करती है। निस्संदेह यह यात्रा चुनौतीपूर्ण है, किन्तु उतनी ही प्रेरणादायी और उद्देश्यपूर्ण भी।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई चयनित सिविल सेवकों की समसामयिकी स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न माध्यम रही है। बदलते परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं तथा समकालीन विषयों की प्रकृति के अनुरूप यह पत्रिका निरंतर स्वयं को परिष्कृत करती रही है।

मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक : विनय सिंह
प्रबंध संपादक : विजय सिंह
संपादक : आशुतोष मिश्र
उप-संपादक : भानू प्रताप
डिजाइनिंग : अरूण मिश्र

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-
+91 9369227134
perfect7magazine@gmail.com

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7
मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति 05-13

- **जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान: जीवंत विरासत का संरक्षण**
- विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए 'नशा मुक्त युवा'
- तमिलनाडु में आधिकारिक कार्यक्रमों में 'तमिल थाई वाज़्थु' अनिवार्य
- वैश्य टेकरी का पुनः उत्खनन
- लद्दाख ने 23 विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया
- मिशन समृद्ध गाँव

2. राजव्यवस्था एवं शासन 14-29

- **न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026: न्यायिक स्वतंत्रता और संस्थागत सुधार की ओर कदम**
- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
- पीएम-किसान योजना को अगले पाँच वर्षों का विस्तार
- लिव-इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और महिला सुरक्षा
- खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026
- क्रीमी लेयर और SC/ST के बीच उप-वर्गीकरण
- सीएए 2019: 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिकता देने के लिए ज़िला कलेक्टरों को अधिकार दिए गए
- मृत्युदंड की पद्धतियां: न्यायिक समीक्षा
- पीएम केयर्स फंड
- सर्वोच्च न्यायालय ने 'उद्योग' की अवधारणा को पुनः परिभाषित किया
- हिजाब पहनना 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' नहीं
- डिजिटल कृषि क्रांति: एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (iFMS) का नया चरण

3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 30-43

- **आर्कटिक का बदलता भू-राजनीतिक स्वरूप और शक्ति-संतुलन: भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौती**
- स्पेन के सेउटा में प्रवासन संकट
- पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) में विरोध प्रदर्शन
- मक्का संयुक्त रक्षा समझौता
- भारत–जापान समुद्री सुरक्षा सहयोग: हिंद-प्रशांत साझेदारी को मजबूत करना
- ईरान को 'मक्का रक्षा समझौते' में शामिल होने का निमंत्रण
- भारत-चीन सीमा निर्धारण: बातचीत, LAC विवाद और अहम समझौते
- भारत-अमेरिका जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल डील
- भारत-उज्बेकिस्तान संबंध

4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 44-59

- **घासभूमियों और खुले प्राकृतिक पारितंत्रों के संरक्षण के प्रति भारत का बदलता दृष्टिकोण**
- भारत वैश्विक लेपिडोप्टेरा हॉटस्पॉट के रूप में उभरा
- मेघालय ने 'मिशन क्लाउडेड लेपर्ड' की शुरुआत की

- कैद में प्रजनित लंबी-चोंच वाले गिद्धों को जंगल में छोड़ा गया
- जलविद्युत जलाशयों के घटते जल-स्तर और भारत की ऊर्जा सुरक्षा
- भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता में 300 गीगावाट का आँकड़ा पार किया
- पूर्वोत्तर भारत में कैस्केड मेंढक की तीन नई प्रजातियों की खोज
- ओडिशा में तटीय कटाव
- 16 नई स्वदेशी पशु नस्लों का पंजीकरण
- जोजरी नदी संकट: नदी प्रदूषण और पारिस्थितिक संरक्षण
- कार्बोसल्फान कीटनाशक पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 60-69

➢ **नासा का मून बेस कार्यक्रम और भारत: अंतरिक्ष क्षमता निर्माण की नई दिशा**
- स्वदेशी अफ़्रीकन स्वाइन फ़ीवर वैक्सीन
- रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन (RDE)
- इन्फ्लूएंजा H1N1 (स्वाइन फ्लू)
- स्मार्ट ड्रग आरके-251: भारत की नई कैंसर-रोधी प्रोड्रग
- सूर्य की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली
- 'वन नेशन, वन टाइम': भारत की समय-संप्रभुता की दिशा में कदम

6. आर्थिकी 70-85

➢ **गोबरधन: अपशिष्ट प्रबंधन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा**
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026
- समुद्र मंथन योजना 2026
- आरबीआई शहरी सहकारी बैंक को लाइसेंस देना फिर से शुरू करेगा
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर 5.25% पर अपरिवर्तित रखी
- भारत बन सकता है विश्व की किफायती देखभाल सेवाओं का हब
- कराधान तथा अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2026
- बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026
- भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों पर नीति आयोग की रिपोर्ट
- सरोगेट एडवरटाइज़िंग (छद्म विज्ञापन)
- मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) 2026

7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा 86-94

➢ **पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों का हस्तांतरण: रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम**
- अग्नि-IV मध्यम दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र (IRBM)
- यार्ड 3037 'श्रुति': भारत का अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत
- तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट 'मंगरोल'
- आईएनएस निपुण: भारत का स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल

प्रमुख चर्चित स्थल 95-98

पावर पैक्ड न्यूज 99-111

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 112-121

1

भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान: जीवंत विरासत का संरक्षण

सन्दर्भ:

जनजातीय संस्कृति का संरक्षण केवल अतीत को बचाना नहीं, बल्कि विविधता, पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की वैकल्पिक दृष्टि को भविष्य तक पहुँचाना है। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस (International Day of the World's Indigenous Peoples) मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 से 9 अगस्त को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया।

वर्ष 2026 की थीम "स्वदेशी दाइयों का सम्मान: जीवन और कल्याण की सुरक्षा" (Honouring Indigenous Midwives: Safeguarding Life and Well-being) जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य से जुड़े पारंपरिक ज्ञान, महिलाओं की भूमिका तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी ज्ञान के हस्तांतरण को रेखांकित करती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, Indigenous midwives केवल प्रसव-सहायता प्रदान करने वाली महिलाएँ नहीं हैं, बल्कि वे भाषा, सांस्कृतिक मूल्यों, पारंपरिक देखभाल और सामुदायिक ज्ञान की महत्वपूर्ण ज्ञान-धारक (knowledge holders) भी हैं।

भारत में जनजातीय संस्कृति का स्वरूप:

- भारत की जनजातीय संस्कृति अत्यंत विविधतापूर्ण है। अलग-अलग जनजातीय समुदायों की अपनी भाषाएँ, लोककथाएँ, मिथक, धार्मिक विश्वास, नृत्य, संगीत, चित्रकला, हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण तथा प्रकृति से संबंधित ज्ञान-परंपराएँ हैं।
- इन संस्कृतियों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कला और दैनिक जीवन के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं होता। उदाहरण के लिए:
  - » गोंड चित्रकला में प्रकृति, पशु-पक्षी और लोकविश्वासों का प्रतीकात्मक चित्रण मिलता है।
  - » वारली चित्रकला में ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से कृषि, विवाह, शिकार और सामुदायिक जीवन को अभिव्यक्त किया जाता है।
  - » सोहराय और कोहबर जैसी चित्र परंपराएँ प्रकृति, कृषि, उर्वरता और सामाजिक जीवन से जुड़ी हैं।
  - » पिथोरा चित्रकला में धार्मिक एवं अनुष्ठानिक अभिव्यक्तियाँ प्रमुख हैं।
  - » बाँस, बेंत, लकड़ी, धातु, मिट्टी और प्राकृतिक रेशों से निर्मित शिल्प जनजातीय भौतिक संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं।

मौखिक परंपरा और सांस्कृतिक स्मृति:

- जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा हिस्सा लिखित ग्रंथों की अपेक्षा मौखिक परंपरा (Oral Tradition) के माध्यम से संरक्षित रहा है।
- लोकगीत, लोककथाएँ, वीरगाथाएँ, कहावतें, पहेलियाँ और अनुष्ठानिक कथाएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती हैं। इनमें किसी समुदाय के इतिहास, सामाजिक संबंध, प्रकृति संबंधी ज्ञान, नैतिक मूल्य, धार्मिक विश्वास और सामुदायिक स्मृति का संरक्षण होता है।
- इसी कारण किसी जनजातीय भाषा का क्षरण केवल भाषा का

नुकसान नहीं है, इसके साथ उस समुदाय की सांस्कृतिक स्मृति और पारंपरिक ज्ञान के क्षरण होने का जोखिम भी जुड़ा है।

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में लगभग 7,000 भाषाएँ बोली जाती हैं और स्वदेशी लोग इन भाषाओं के बड़े हिस्से के संरक्षक हैं। अनेक स्वदेशी भाषाएँ संकटग्रस्त हैं क्योंकि उनका विद्यालयों और सार्वजनिक जीवन में सीमित उपयोग होता है। इसी संदर्भ में 2022–2032 को 'स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक' (International Decade of Indigenous Languages) घोषित किया गया है।

प्रकृति और संस्कृति का अंतर्संबंध:

- जनजातीय संस्कृति में प्रकृति केवल संसाधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है।
- कई समुदायों में निम्न धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़े होते हैं:
    - पवित्र उपवन (Sacred Groves),
    - पवित्र पर्वत,
    - नदियाँ,
    - वनस्पतियाँ,
    - पशु-पक्षी तथा
    - कृषि चक्र
- इस प्रकार जैव विविधता का संरक्षण कई बार सांस्कृतिक परंपराओं से भी जुड़ा रहता है। संयुक्त राष्ट्र भी स्वदेशी जनसमुदाय को महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में रेखांकित करता है।
- यह दृष्टिकोण वर्त्तमान सन्दर्भ में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के विमर्श में विशेष महत्व रखता है।

जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ:

- **भाषाई क्षरण:** शिक्षा, रोजगार और प्रशासन में प्रभुत्वशाली भाषाओं के बढ़ते प्रभाव से अनेक जनजातीय भाषाओं का दैनिक उपयोग घट रहा है। भाषा के साथ लोकगीत, कथाएँ और पारंपरिक ज्ञान भी कमजोर पड़ सकते हैं।
- **सांस्कृतिक समानीकरण:** आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के कारण पारंपरिक पहनावे, भोजन, संगीत, नृत्य और सामाजिक प्रथाओं में परिवर्तन स्वाभाविक है। चुनौती यह है कि आधुनिकता और सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन कायम किया जाए।
- **विस्थापन और सांस्कृतिक भू-दृश्य का विघटन:** खनन, बड़े बाँध, औद्योगिक परियोजनाओं तथा अन्य विकास परियोजनाओं से होने वाला विस्थापन केवल आर्थिक नुकसान नहीं करता; इससे पवित्र स्थलों, सामुदायिक स्मृति और पारंपरिक जीवन-क्षेत्रों से संबंध भी कमजोर हो सकता है।
- **पारंपरिक कला का व्यावसायीकरण:** जनजातीय कला के बाजार विस्तार से कलाकारों को आय के अवसर मिले हैं, लेकिन इसके साथ बौद्धिक संपदा, प्रामाणिकता और समुदाय की सहमति से जुड़े प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं।
- **पारंपरिक ज्ञान का क्षरण:** औषधीय पौधों, कृषि, मौसम, खाद्य संरक्षण, हस्तशिल्प और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़ा स्थानीय ज्ञान यदि युवा पीढ़ी तक हस्तांतरित नहीं होता, तो इसके स्थायी रूप से खोने का खतरा रहता है।

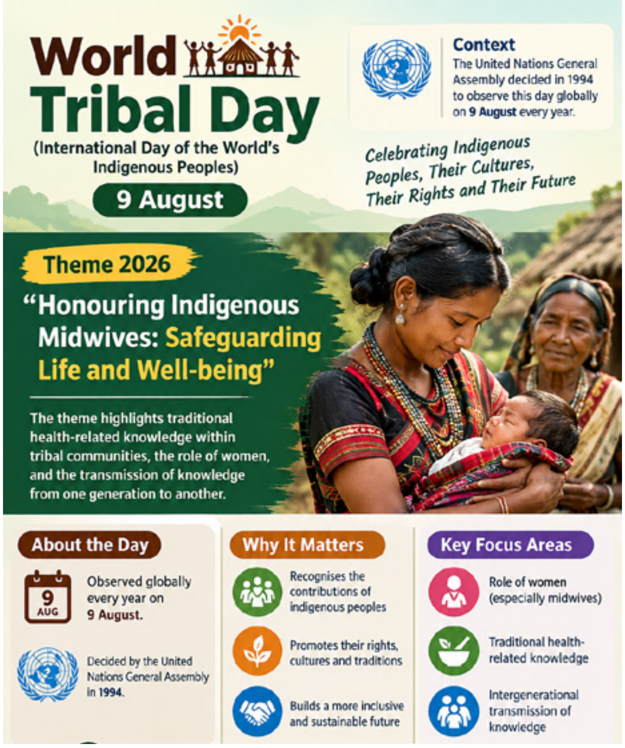

World Tribal Day

(International Day of the World's Indigenous Peoples)

9 August

Context

The United Nations General Assembly decided in 1994 to observe this day globally on **9 August** every year.

Celebrating Indigenous Peoples, Their Cultures, Their Rights and Their Future

Theme 2026

"Honouring Indigenous Midwives: Safeguarding Life and Well-being"

The theme highlights traditional health-related knowledge within tribal communities, the role of women, and the transmission of knowledge from one generation to another.

About the Day

Observed globally every year on **9 August.**

Decided by the United Nations General Assembly in **1994.**

Why It Matters

Recognises the contributions of indigenous peoples

Promotes their rights, cultures and traditions

Builds a more inclusive and sustainable future

Key Focus Areas

Role of women (especially midwives)

Traditional health-related knowledge

Intergenerational transmission of knowledge

संरक्षण के लिए भारत के प्रयास:

- भारत में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए विभिन्न संस्थागत प्रयास किए गए हैं:
    - भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) के माध्यम से जनजातीय उत्पादों और हस्तशिल्प

को बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। वन धन विकास केंद्र लघु वनोपज आधारित आजीविकाओं को बढ़ावा देते हैं।

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। इनके माध्यम से आधुनिक शिक्षा के साथ स्थानीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण पर भी अधिक ध्यान दिया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, जनजातीय शोध संस्थान (Tribal Research Institutes) जनजातीय इतिहास, संस्कृति, लोकसाहित्य और परंपराओं के दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) का मुख्य उद्देश्य PVTG समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ा है; यह बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच सांस्कृतिक समुदायों की सामाजिक स्थिरता और ज्ञान-परंपराओं की निरंतरता को समर्थन देती है।

आगे की राह:

- जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए केवल संग्रहालयों में कलाकृतियाँ सुरक्षित करना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता "जीवंत विरासत दृष्टिकोण" (Living Heritage Approach) की है।
  - **भाषा-आधारित शिक्षा:** प्रारंभिक शिक्षा में स्थानीय/जनजातीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
  - **डिजिटल अभिलेखीकरण:** लोकगीत, लोककथाएँ, भाषाएँ, नृत्य, शिल्प और पारंपरिक ज्ञान का समुदाय की सहमति से डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जाए।
  - **समुदाय-केंद्रित संरक्षण:** संरक्षण की प्रक्रिया में स्वयं जनजातीय समुदायों को निर्णयकारी भूमिका दी जाए।
  - **भौगोलिक संकेतक (GI) और बौद्धिक संपदा संरक्षण:** पारंपरिक कला और शिल्प के अनुचित व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था हो।
  - **कलाकारों को बाजार से जोड़ना:** ई-कॉमर्स और पर्यटन के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराया जाए, लेकिन कलाकारों को उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित हो।
  - **महिलाओं के ज्ञान का दस्तावेजीकरण:** दाइयों, वैद्यकीय परंपराओं, बुनकरों और अन्य महिला ज्ञान-धारकों की भूमिका को दर्ज किया जाए।
  - **सांस्कृतिक प्रभाव आकलन:** बड़े विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव के साथ आवश्यकतानुसार सांस्कृतिक प्रभाव को भी महत्व दिया जाए।

निष्कर्ष:

विश्व आदिवासी दिवस को केवल जनजातीय कल्याण से संबंधित दिवस के रूप में नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण के अवसर के रूप में देखना चाहिए। आदिवासी संस्कृति केवल नृत्य, संगीत, चित्रकला या शिल्प तक सीमित नहीं है। यह जीवन जीने की पद्धति, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, भाषा, प्रकृति-दृष्टि और पीढ़ियों के बीच ज्ञान के हस्तांतरण में भी मौजूद है।

संक्षिप्त मुद्दे

विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए 'नशा मुक्त युवा'

सन्दर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2026 को 'विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा' का शुभारंभ किया, जो नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत है।

मुख्य विशेषताएँ:

- इस अभियान का उद्देश्य स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त तथा नशामुक्त युवा आबादी का निर्माण करना है, क्योंकि विकसित भारत @2047 का लक्ष्य सशक्त एवं उत्पादक युवाओं पर निर्भर करता है।
- काशी में एक पायलट पहल के रूप में शुरू हुआ यह अभियान काशी घोषणा (Kashi Declaration) के अंतर्गत 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के सहयोग से एक राष्ट्रीय जनआंदोलन में विकसित हो गया है।
- अगले 100 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार को जन-जागरूकता अभियान, खेल गतिविधियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ध्यान तथा

सामुदायिक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि जनभागीदारी को सुदृढ़ किया जा सके।

भारत की मादक पदार्थ विरोधी रणनीति के बारे में:

- भारत 2029 तक नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शून्य-सहिष्णुता (Zero Tolerance) नीति पर आधारित समयबद्ध रणनीति लागू कर रहा है। यह रणनीति मानस (MANAS) पोर्टल, एनसीओआरडी (NCORD) विज़न दस्तावेज़ (2026–2029) तथा सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में गठित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTFs) पर आधारित है।
- सरकारी अनुमानों के अनुसार, लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, 3.1 करोड़ से अधिक लोग भांग (कैनाबिस) का उपयोग करते हैं, 1.18 करोड़ लोग शामक (Sedatives) दवाओं का सेवन करते हैं तथा 2.26 करोड़ लोग ओपिऑयड (Opioids) का उपयोग करते हैं, जिनमें से लगभग 28 लाख लोगों को तत्काल उपचार की आवश्यकता है।
- मानस (MANAS) हेल्पलाइन गोपनीय सूचना देने की सुविधा 1933 पर तथा नशामुक्ति परामर्श 14446 पर उपलब्ध कराती है। सरकार ने देशव्यापी मादक पदार्थ निस्तारण अभियानों तथा तस्करी नेटवर्कों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई के माध्यम से कानून प्रवर्तन को भी सशक्त बनाया है।

कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ बनाना:

- मादक पदार्थों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act, 1985) के अंतर्गत विशेष रूप से समर्पित (Exclusive) विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का निर्देश दिया है।
- वर्तमान में देशभर में लगभग 3.96 लाख NDPS मामले लंबित हैं, जबकि केवल 65 विशेष NDPS न्यायालय ही कार्यरत हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है तथा पंजाब, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश जैसे अधिक लंबित मामलों वाले राज्यों में अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश की है।

निष्कर्ष:

विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा भारत की व्यापक मादक पदार्थ विरोधी रणनीति का पूरक है, जो जन-जागरूकता, पुनर्वास, सामुदायिक भागीदारी तथा कड़े कानून प्रवर्तन को एकीकृत करता है। एनसीओआरडी विज़न दस्तावेज़, मानस पोर्टल तथा एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTFs) जैसी पहलों के माध्यम से सरकार मादक पदार्थों की मांग और आपूर्ति दोनों को कम करने का प्रयास कर रही है। सरकार और समाज के समग्र एवं सतत प्रयासों से भारत की मानव पूंजी को सशक्त बनाने तथा 2047 तक नशा मुक्त एवं विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की अपेक्षा की जा रही है।

तमिलनाडु में आधिकारिक कार्यक्रमों में 'तमिल थाई वाज़्थु' अनिवार्य

संदर्भ:

हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत 'तमिल थाई वाज़्थु', जो तमिलनाडु का राज्य गीत है, को शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और सार्वजनिक संस्थानों में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत में बजाना/गाना अनिवार्य कर दिया गया है।

'तमिल थाई वाज़्थु' क्या है?

- यह माता तमिल के प्रति एक वंदना/प्रार्थना है।
- यह मनोन्मणियम सुंदरनार की 1891 में रचित तमिल कृति मनोन्मणियम से लिया गया है।
- 1970 के दशक से तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों में इसका गायन एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा रही है।
- वर्ष 2021 में इसे आधिकारिक रूप से तमिलनाडु के राज्य गीत के रूप में मान्यता दी गई।
- इस प्रकार, यह गीत तमिल भाषाई विरासत और क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान, दोनों का प्रतिनिधित्व करता है।

गृह मंत्रालय (MHA) का निर्देश:

- यह विवाद 9 जुलाई 2026 को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा राष्ट्रीय और राज्य गीतों के औपचारिक क्रम से संबंधित जारी किए गए एक संचार से भी जुड़ा है।
- रिपोर्टों के अनुसार, जब तीनों गीत प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उनका क्रम इस प्रकार है:
  - » राज्य गीत ⟶ वंदे मातरम् ⟶ जन गण मन

- यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत 'तमिल थाई वाझ्थु' से करने का तमिलनाडु का निर्णय, गृह मंत्रालय द्वारा कथित रूप से दिए गए इस स्पष्टीकरण के व्यापक रूप से अनुरूप है।

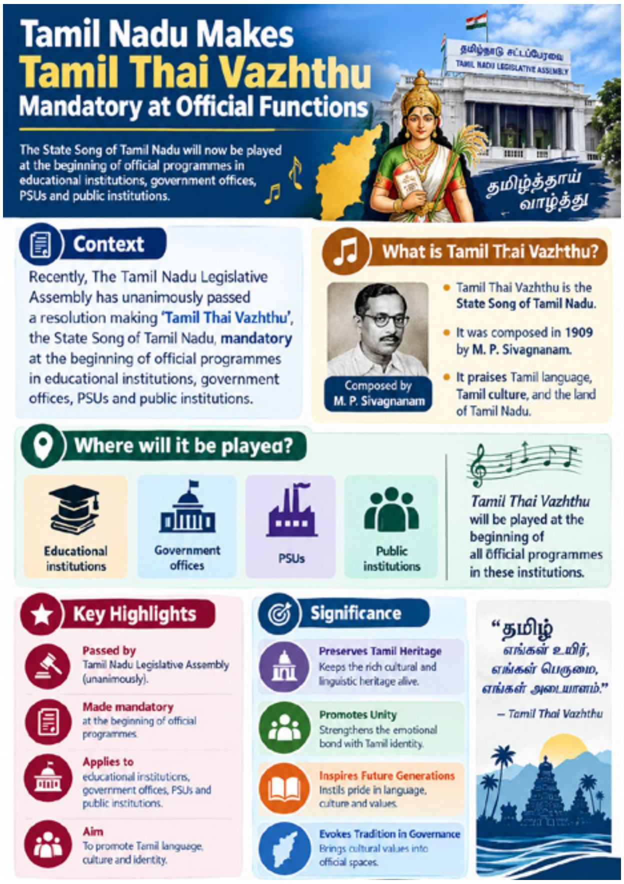

Tamil Nadu Makes Tamil Thai Vazhthu Mandatory at Official Functions

The State Song of Tamil Nadu will now be played at the beginning of official programmes in educational institutions, government offices, PSUs and public institutions.

Context

Recently, The Tamil Nadu Legislative Assembly has unanimously passed a resolution making 'Tamil Thai Vazhthu', the State Song of Tamil Nadu, **mandatory** at the beginning of official programmes in educational institutions, government offices, PSUs and public institutions.

What is Tamil Thai Vazhthu?

Composed by M. P. Sivagnanam

- Tamil Thai Vazhthu is the **State Song of Tamil Nadu.**
- It was composed in 1909 by **M. P. Sivagnanam.**
- **It praises** Tamil language, **Tamil culture**, and the land of Tamil Nadu.

Where will it be played?

Tamil Thai Vazhthu will be played at the beginning of all official programmes in these institutions.

Key Highlights

- **Passed by** Tamil Nadu Legislative Assembly (unanimously).
- **Made mandatory** at the beginning of official programmes.
- **Applies to** educational institutions, government offices, PSUs and public institutions.
- **Aim** To promote Tamil language, culture and identity.

Significance

- **Preserves Tamil Heritage** Keeps the rich cultural and linguistic heritage alive.
- **Promotes Unity** Strengthens the emotional bond with Tamil identity.
- **Inspires Future Generations** Instils pride in language, culture and values.
- **Evokes Tradition in Governance** Brings cultural values into official spaces.

"தமிழ் எங்கள் உயிர், எங்கள் பெருமை, எங்கள் அடையாளம்."

– *Tamil Thai Vazhthu*

संवैधानिक आयाम:

- **मौलिक कर्तव्य:**
  - अनुच्छेद 51A(a) नागरिकों से राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की अपेक्षा करता है।
  - हालाँकि, संविधान राज्य गीत को राष्ट्रीय गान के समान संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करता है।
- **राज्य की कार्यपालिका शक्ति:**
  - अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा निर्धारित करता है। इसलिए, राज्य के नियंत्रण वाले संस्थानों और कार्यक्रमों के लिए औपचारिक/सांस्कृतिक प्रोटोकॉल निर्धारित करना सामान्यतः राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आ सकता है, बशर्ते कि यह संवैधानिक और वैधानिक सीमाओं के अधीन हो।
- **शक्तियों का विभाजन:**
  - अनुच्छेद 246 तथा सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन को निर्धारित करते हैं।
  - इसलिए, यह मुद्दा इस व्यापक प्रश्न को भी उठाता है कि अपने संस्थानों और सांस्कृतिक प्रथाओं को विनियमित करने में राज्यों की स्वायत्तता की सीमा क्या है।

राज्य गीत बनाम राष्ट्रीय प्रतीक:

प्रतीक	स्थिति
जन गण मन	राष्ट्रीय गान
वंदे मातरम्	राष्ट्रीय गीत
तमिल थाई वाझ्थु	राज्य गीत

- राज्य गीत को संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय गान के समकक्ष नहीं माना जा सकता।
- साथ ही, ऐसा कोई सामान्य संवैधानिक नियम नहीं है जो किसी राज्य को अपने राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्वयं का औपचारिक प्रोटोकॉल निर्धारित करने से रोकता हो।

मौलिक अधिकार: संस्थागत दायित्व बनाम व्यक्तिगत बाध्यता

- यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अंतर है:
  - **संस्थागत दायित्व:** किसी संस्था के लिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत तमिल थाई वाज़थु से करना अनिवार्य किया गया है।
  - **व्यक्तिगत बाध्यता:** कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसे गाना अनिवार्य किया जाए।
- पहला मुख्य रूप से संस्थागत प्रोटोकॉल से संबंधित है, जबकि दूसरा निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रश्न उठा सकता है:
  - अनुच्छेद 19(1)(a) – वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  - अनुच्छेद 25 – अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म की स्वतंत्रता
- सर्वोच्च न्यायालय का बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) का निर्णय इस संदर्भ में प्रासंगिक है। न्यायालय ने माना था कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान का अर्थ यह स्वतः नहीं है कि किसी व्यक्ति को ऐसी अभिव्यक्ति के लिए बाध्य किया जा सकता है, जहाँ उसके वास्तविक अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रश्न जुड़ा हो।
- इसलिए, संस्थागत रूप से गीत का गायन अनिवार्य होना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसे गाना अनिवार्य होने के समान नहीं है।

निष्कर्ष:

तमिलनाडु का यह प्रस्ताव भारत के संविधान में निहित एकता और विविधता के बीच संतुलन को दर्शाता है। यह मुद्दा केवल गीतों के क्रम से संबंधित नहीं है; बल्कि यह राष्ट्रीय प्रतीकों, राज्य की स्वायत्तता, सांस्कृतिक पहचान और व्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रताओं के बीच व्यापक संबंध से जुड़ा हुआ है।

वैश्य टेकरी का पुनः उत्खनन

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और मध्य प्रदेश राज्य वैश्य टेकरी स्थल की नए सिरे से उत्खनन तथा संरक्षण पर विचार कर रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि इस टीले में एक विशाल बौद्ध स्तूप के अवशेष हो सकते हैं, जिसका संबंध संभवतः मौर्य काल से है। पहली खुदाई के लगभग 90 वर्ष बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित वैश्य टेकरी एक बार फिर पुरातात्त्विक ध्यान का केंद्र बन गई है।

वैश्य टेकरी का उत्खनन:

- वैश्य टेकरी की पहली व्यवस्थित खुदाई 1938–39 में तत्कालीन ग्वालियर रियासत के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी। खुदाई की रिपोर्ट में लगभग 350 फुट व्यास और कम से कम 100 फुट ऊँची संरचना का उल्लेख किया गया था। तुलना के लिए, साँची का महान स्तूप वर्तमान रूप में लगभग 54 फुट ऊँचा है।
- इस टीले के भीतर स्थानीय मुरम से बना अत्यंत विशाल और सघन भराव पाया गया था, जिसके ऊपर ईंटों की चुनाई की गई थी। खुदाई के दौरान मिली बड़ी आकार की ईंटों और सिक्कों को मौर्य काल से संबंधित होने के प्रमाण के रूप में देखा गया था।

अशोक से संभावित संबंध:

- उज्जैन मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और परंपरागत रूप से इसे अशोक के प्रारंभिक जीवन से भी जोड़ा जाता है। इसी कारण यह सिद्धांत सामने आया है कि वैश्य टेकरी उन स्तूपों में से एक हो सकती है, जिन्हें अशोक के बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रोत्साहन के अंतर्गत बनाया गया था।
- हालाँकि, अभी तक ऐसा कोई निश्चित अभिलेख नहीं मिला है, जिससे यह प्रमाणित हो कि इस स्मारक का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसलिए इसे अशोक कालीन स्तूप मानना अभी एक संभावित, लेकिन अप्रमाणित, निष्कर्ष है।

यह उत्खनन क्यों महत्वपूर्ण है?

- वैश्य टेकरी में नए सिरे से खुदाई होने पर इसके सटीक काल-निर्धारण, मूल स्थापत्य योजना और निर्माण के विभिन्न चरणों का पता लगाया जा सकता है।
- पुरातत्वविदों को प्राचीन उज्जैन के आसपास मठों, छोटे स्तूपों और बौद्ध गतिविधियों से जुड़े अन्य अवशेष भी मिल सकते हैं।
- यदि पुराने अभिलेखों में दिए गए माप और मौर्यकालीन होने का अनुमान सही साबित होता है, तो यह स्थल मध्य भारत में बौद्ध धर्म, मौर्य संरक्षण तथा विशाल स्मारकीय स्थापत्य को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

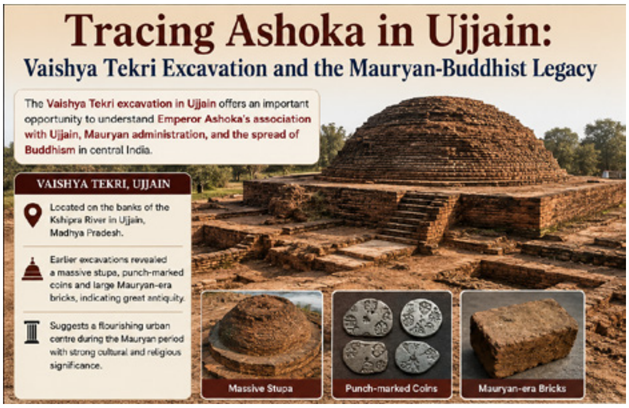

Tracing Ashoka in Ujjain:
Vaishya Tekri Excavation and the Mauryan-Buddhist Legacy

The Vaishya Tekri excavation in Ujjain offers an important opportunity to understand Emperor Ashoka's association with Ujjain, Mauryan administration, and the spread of Buddhism in central India.

VAISHYA TEKRI, UJJAIN

Located on the banks of the Kshipra River in Ujjain, Madhya Pradesh.

Earlier excavations revealed a massive stupa, punch-marked coins and large Mauryan-era bricks, indicating great antiquity.

Suggests a flourishing urban centre during the Mauryan period with strong cultural and religious significance.

अशोक कालीन स्तूपों के बारे में:

- अशोक कालीन स्तूपों ने भारत में बौद्ध स्थापत्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म और धम्म के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दिया। स्तूप पवित्र अवशेषों को सुरक्षित रखने तथा बौद्ध परंपराओं के प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए।
- प्रारंभिक स्तूप सामान्यतः ईंट और पलस्तर से बने अर्धगोलाकार ढाँचे होते थे। इनके प्रमुख अंगों में अंड, अर्थात गुंबद; हर्मिका; यष्टि; छत्र तथा धार्मिक परिक्रमा के लिए बना प्रदक्षिणा-पथ शामिल थे।

निष्कर्ष:

वैश्य टेकरी में एक प्रमुख बौद्ध पुरातात्त्विक स्थल बनने की पर्याप्त संभावना है। इसका बताया गया विशाल आकार साँची से तुलना को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। लगभग नौ दशकों के बाद होने वाली नए सिरे की जाँच और खुदाई से संभव है कि बौद्ध धर्म के प्रारंभिक इतिहास में उज्जैन की महत्वपूर्ण भूमिका को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिले।

लद्दाख ने 23 विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया

संदर्भ:

हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के 23 विरासत स्थलों को जम्मू-कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया। इनमें शैलचित्र, चट्टानों पर उत्कीर्ण चित्र, प्राचीन गुफाएँ, मठ, किले, महल और अभिलेख शामिल हैं।

संरक्षित स्मारक क्या हैं?

- संरक्षित स्मारक ऐसे स्थल, संरचना या पुरातात्त्विक अवशेष होते हैं जिन्हें उनके ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक या कलात्मक महत्व के कारण कानूनी संरक्षण दिया जाता है। इससे अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण और बदलाव को रोकने तथा वैज्ञानिक संरक्षण एवं पुनर्स्थापन में सहायता मिलती है।

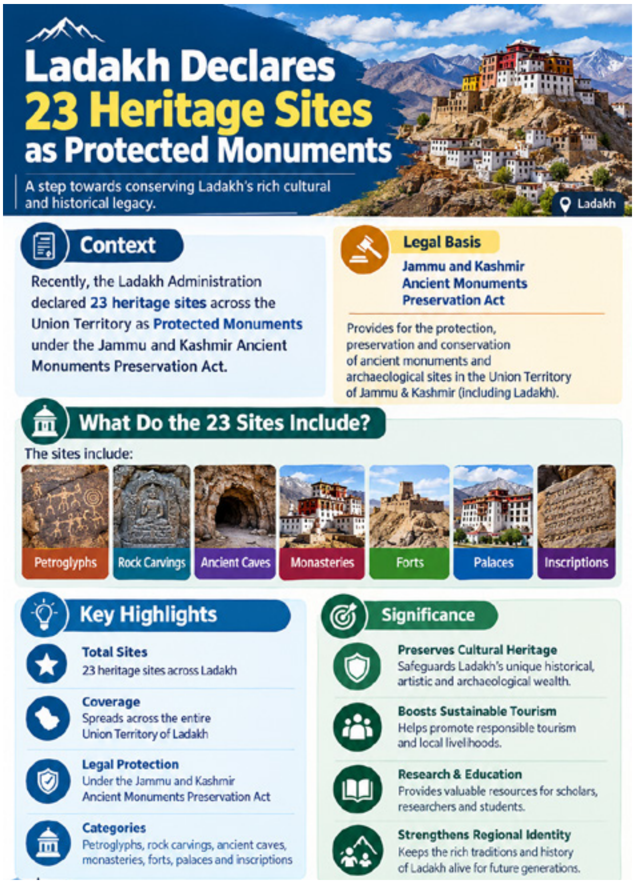

Ladakh Declares 23 Heritage Sites as Protected Monuments

A step towards conserving Ladakh's rich cultural and historical legacy.

Ladakh

Context

Recently, the Ladakh Administration declared **23 heritage sites** across the Union Territory as **Protected Monuments** under the Jammu and Kashmir Ancient Monuments Preservation Act.

Legal Basis

Jammu and Kashmir Ancient Monuments Preservation Act

Provides for the protection, preservation and conservation of ancient monuments and archaeological sites in the Union Territory of Jammu & Kashmir (including Ladakh).

What Do the 23 Sites Include?

The sites include:

Petroglyphs
Rock Carvings
Ancient Caves
Monasteries
Forts
Palaces
Inscriptions

Key Highlights

Total Sites
23 heritage sites across Ladakh

Coverage
Spreads across the entire Union Territory of Ladakh

Legal Protection
Under the Jammu and Kashmir Ancient Monuments Preservation Act

Categories
Petroglyphs, rock carvings, ancient caves, monasteries, forts, palaces and inscriptions

Significance

Preserves Cultural Heritage
Safeguards Ladakh's unique historical, artistic and archaeological wealth.

Boosts Sustainable Tourism
Helps promote responsible tourism and local livelihoods.

Research & Education
Provides valuable resources for scholars, researchers and students.

Strengthens Regional Identity
Keeps the rich traditions and history of Ladakh alive for future generations.

लद्दाख के विरासत स्थलों के बारे में:

- अधिसूचित स्थल लद्दाख के सांस्कृतिक इतिहास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। प्रमुख उदाहरण हैं:
  - » शार्नोस का शैलचित्र स्थल
  - » मैत्रेय बुद्ध की शैल-प्रतिमा
  - » तिंगमोसगांग किला
  - » सासपोल की प्राचीन गुफाएँ
  - » स्तोंगडे गोंपा
  - » सुमूर किला
  - » कारगिल के योरबाल्टक में शैल-अभिलेख
- शैलचित्र प्रागैतिहासिक या प्रारंभिक ऐतिहासिक समुदायों द्वारा चट्टानों पर बनाए गए उत्कीर्ण चित्र होते हैं, जबकि गोंपा हिमालयी और पार-हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले बौद्ध मठ हैं।

जम्मू-कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के बारे में:

- जम्मू-कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1920 ई. जम्मू-कश्मीर में प्राचीन स्मारकों, पुरातात्त्विक अवशेषों और पुरावशेषों के संरक्षण के लिए बनाया गया क्षेत्रीय कानून है।
- इसकी शुरुआत संवत 1977 के अधिनियम संख्या V के रूप में हुई, जो 1920 ई. के अनुरूप है, और यह 4 अगस्त 1925 को लागू हुआ।
- प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 का ढाँचा प्रारंभ में जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं था। बाद में जम्मू-कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण नियम, 2012 के माध्यम से विस्तृत कार्यान्वयन संबंधी प्रावधान किए गए।
- यह अधिनियम सामान्यतः 100 वर्ष या उससे अधिक पुराने स्मारकों पर लागू होता है। इसके तहत सरकार स्मारकों को संरक्षित घोषित कर सकती है, उनका संरक्षण अपने अधीन ले सकती है तथा निजी स्वामियों के साथ संरक्षण संबंधी समझौते कर सकती है।
- यह पुरातात्त्विक उत्खनन, पुरावशेषों के आवागमन और व्यापार को नियंत्रित करता है तथा पवित्र स्थलों को दुरुपयोग और अपवित्रीकरण से बचाता है।
- इसके कार्यान्वयन से जम्मू-कश्मीर अभिलेखागार, पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय जुड़ा है, जबकि कुछ स्मारक केंद्र सरकार के कानूनों के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा अलग से संरक्षित हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 49:** संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य को राष्ट्रीय महत्व

के घोषित स्मारकों, स्थानों और कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के संरक्षण का निर्देश देता है।

- **अनुच्छेद 51A(च):** यह नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वे भारत की समृद्ध मिश्रित सांस्कृतिक विरासत का सम्मान और संरक्षण करें।
- **सातवीं अनुसूची:**
  - **संघ सूची, प्रविष्टि 67:** राष्ट्रीय स्मारक और पुरातात्त्विक स्थल।
  - **राज्य सूची, प्रविष्टि 12:** राज्य द्वारा नियंत्रित स्मारक।
  - **समवर्ती सूची, प्रविष्टि 40:** राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्थलों को छोड़कर अन्य पुरातात्त्विक स्थल और अवशेष।

लद्दाख की 23
ऐतिहासिक धरोहरों
को मिली कानूनी सुरक्षा

- लद्दाख प्रशासन ने 23 ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और विरासत संपत्तियों को 'संरक्षित स्मारक' घोषित किया
- इस निर्णय से इन सभी महत्वपूर्ण स्थलों का संरक्षण, रखरखाव और मरम्मत व्यवस्थित तरीके से की जाएगी
- घोषित स्थलों में प्रागैतिहासिक शैल-चित्र, प्राचीन गुफाएं, बौद्ध प्रतिमाएं, मठ, किले, महल और शिलालेख शामिल हैं

महत्व:

- यह अधिसूचना लद्दाख की पुरातात्त्विक विरासत को अतिक्रमण, उपेक्षा और प्राकृतिक क्षरण से बचाने में मदद करेगी। ये स्थल प्राचीन व्यापार मार्गों, धार्मिक परंपराओं, बस्तियों तथा हिमालय और मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के प्रमाण प्रदान करते हैं।
- यह सतत विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने और लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक होगा।

निष्कर्ष:

23 विरासत स्थलों को संरक्षण प्रदान करने से लद्दाख की पुरातात्त्विक और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत सुरक्षा मिलेगी। यह भारत की विविध सभ्यतागत विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हुए विकास, विरासत संरक्षण और सतत पर्यटन के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मिशन समृद्ध गाँव

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में मिशन समृद्ध गाँव का शुभारंभ किया। इसका प्रायोगिक चरण मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी विकासखंड और देवास जिले के खातेगाँव विकासखंड में शुरू होगा।

मिशन समृद्ध गाँव क्या है?

- 'मिशन समृद्ध गाँव' ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के तहत ग्रामीण परिवर्तन और आजीविका के पूर्ण कवरेज के लिए एक एकीकृत ढांचा है। इसका उद्देश्य ऐसे आत्मनिर्भर, गरीबी-मुक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध गाँवों का निर्माण करना है, जहाँ प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास स्थायी आजीविका के अवसर तथा मूलभूत सुविधाओं तक पहुँच हो।
- यह निचले स्तर से ऊपर की ओर तथा परिवार-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है। इसके अंतर्गत परिवार, ग्राम पंचायत और विकासखंड स्तर पर योजनाएँ तैयार की जाती हैं। ग्राम पंचायतें योजनाओं के अभिसरण और अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुँच के लिए प्रमुख केंद्र-बिंदु हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **परिवार-स्तरीय संतृप्ति (Family-level saturation):** परिवारों की आवश्यकताओं की पहचान करना और पात्र परिवारों को संबंधित योजनाओं से जोड़ना।
- **एकीकृत कृषि:** आय के विविधीकरण के लिए फसलों को बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और मधुमक्खी पालन के साथ जोड़ना।
- **महिला किसान:** व्यापक लखपति दीदी रूपरेखा के माध्यम से ऋण, परामर्श सेवाओं और उद्यम के अवसरों को बढ़ावा देना।
- **बुनियादी ढाँचा एवं मूल्य संवर्धन:** फसल कटाई के बाद होने वाली क्षति को कम करने के लिए भंडारगृहों, शीत-शृंखलाओं और गाँव-स्तरीय प्रसंस्करण इकाइयों का विकास करना।
- **विभागों के बीच अभिसरण:** कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित

करना।

‘मिशन समृद्ध गाँव’
गरीबी-मुक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नई पहल
मिशन समृद्ध गाँव
सशक्त गाँव, समृद्ध भारत
हर गाँव बनेगा विकसित, भारत बनेगा आत्मनिर्भर
हर गाँव होगा विकसित
रोजगार के नए अवसर
सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण
शिक्षा और कौशल विकास
आत्मनिर्भर और सशक्त ग्रामीण भारत
कृषि और किसान समृद्धि
रोजगार और उद्यमिता
बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी
स्वास्थ्य और पोषण
सुविधाएं और सतत विकास

ग्रामीण परिवर्तन में सहायक प्रमुख योजनाएँ:

- **रोजगार एवं आजीविका**
    - **वीबी-जी राम जी अधिनियम:** पात्र ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 125 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करता है।
    - **डीएवाई-एनआरएलएम:** 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है, जिससे महिलाओं की आजीविका और लखपति दीदियों को सहायता मिल रही है।
    - **डीडीयू-जीकेवाई:** ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **बुनियादी ढाँचा एवं डिजिटल शासन**
    - **पीएमएवाई-जी:** इसके अंतर्गत 3.13 करोड़ से अधिक ग्रामीण आवास पूरे किए जा चुके हैं।
    - **पीएमजीएसवाई:** पात्र ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में उपयोग योग्य सड़क संपर्क प्रदान करता है।
    - **भारतनेट एवं ई-ग्रामस्वराज:** ग्रामीण व्यापकपट्टी संपर्क और डिजिटल पंचायत शासन को सहायता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत 2.19 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक व्यापकपट्टी संपर्क का विस्तार किया गया है।
- **मूलभूत सेवाएँ एवं सामाजिक संरक्षण**
    - **जल जीवन मिशन:** ग्रामीण नल-जल सुविधा का दायरा 15.91 करोड़ परिवारों को पार कर गया है।
    - **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:** 81.35 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करती है।
    - **आयुष्मान भारत:** ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र में 45 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
    - **स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण:** स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और खुले में शौच से मुक्त स्थिति को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **लक्षित विकास**
    - **पीएम-जनमन:** विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए आवश्यक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - **पीएम-अजय:** आदर्श ग्राम पहलों के माध्यम से अनुसूचित जाति-बहुल गाँवों के विकास को बढ़ावा देता है।

महत्व:

- यह मिशन ग्रामीण विकास को योजना-केंद्रित से परिवार एवं गाँव-केंद्रित मॉडल की ओर ले जा सकता है। इससे अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुँच में सुधार, स्थानीय रोजगार का सृजन, महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा, कृषि आय का विविधीकरण तथा मजबूरी के कारण होने वाले ग्रामीण-से-शहरी प्रवासन में कमी लाई जा सकती है।
- यह ग्राम पंचायतों के माध्यम से जमीनी स्तर की योजना-निर्माण प्रक्रिया को भी मजबूत करता है और विकसित भारत @2047 के व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

निष्कर्ष:

मिशन समृद्ध गाँव का उद्देश्य आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से समृद्ध गाँवों का निर्माण करना है। इसके लिए कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच को आजीविका, बुनियादी ढाँचे और जमीनी स्तर की योजना-निर्माण प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसकी सफलता प्रभावी अभिसरण, सशक्त ग्राम पंचायतों और ग्रामीण समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करेगी।

2

राजव्यवस्था एवं शासन

न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026: न्यायिक स्वतंत्रता और संस्थागत सुधार की ओर कदम

संदर्भः

भारत में न्याय तक त्वरित और विशेषज्ञतापूर्ण पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यायाधिकरणों (Tribunals) की स्थापना की गई है। कराधान, पर्यावरण, कंपनी कानून, सेवा संबंधी विवाद, ऋण वसूली और प्रतिभूति जैसे तकनीकी एवं विशिष्ट मामलों के निपटारे में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि, नियुक्तियों में कार्यपालिका का प्रभाव, सदस्यों की रिक्तियाँ, सीमित बुनियादी ढाँचा, कार्यकाल से जुड़ी अनिश्चितता और प्रशासनिक विखंडन जैसी समस्याओं ने न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता, दक्षता और विश्वसनीयता पर लगातार प्रश्न उठाए हैं।

इसी पृष्ठभूमि में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 का उद्देश्य एक अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी, कुशल और पेशेवर रूप से प्रबंधित न्यायाधिकरण प्रणाली स्थापित करना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव न्यायपालिका के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (National Tribunals Commission- NTC) का गठन है। यह सुधार संवैधानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विशिष्ट न्यायनिर्णयन को न्यायिक स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक पुनरावलोकन के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है।

न्यायाधिकरणों का संवैधानिक आधारः

- न्यायाधिकरण विशिष्ट न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जिनकी स्थापना त्वरित एवं विशेषज्ञ न्याय प्रदान करने तथा नियमित न्यायालयों के भार को कम करने के लिए की जाती है। इनका संवैधानिक आधार मुख्य रूप से अनुच्छेद 323A और 323B में निहित है, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था।
- अनुच्छेद 323A संसद को मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों से निपटने वाले प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
- अनुच्छेद 323B संबंधित विधायिका को कराधान, औद्योगिक विवाद, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार तथा अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों जैसे मामलों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने में सक्षम बनाता है।
- इस प्रकार, संविधान न्यायनिर्णयन के वैध संस्थानों के रूप में न्यायाधिकरणों को मान्यता देता है। हालांकि, उनकी शक्तियाँ व्यापक संवैधानिक ढाँचे, विशेष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के अधीन रहती हैं।

न्यायिक पुनरावलोकन और मूल संरचनाः

- एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) के ऐतिहासिक निर्णय ने न्यायाधिकरणीकरण की संवैधानिक सीमाएँ निर्धारित कीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों तथा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।
- परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण संवैधानिक न्यायालयों के पूरक हो सकते हैं, लेकिन उनका स्थान नहीं ले सकते। उनके निर्णय उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन बने रहेंगे।
- यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि विशिष्ट न्यायाधिकरणों के गठन

से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने तथा संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखने की न्यायालयों की संवैधानिक शक्ति कमजोर न हो।

शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता:

- न्यायाधिकरण सुधार का शक्तियों के पृथक्करण से घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि भारत शक्तियों के कठोर पृथक्करण का पालन नहीं करता, फिर भी न्यायिक कार्यों को संस्थागत रूप से कार्यपालिका से स्वतंत्र रहना चाहिए।
- जब कार्यपालिका न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा शर्तों, वित्त और प्रशासन पर पर्याप्त नियंत्रण रखती है, तो निष्पक्षता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं, विशेषकर तब जब न्यायाधिकरण स्वयं सरकार से जुड़े विवादों का निर्णय करते हैं।
- इसलिए, न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है; यह विधि के शासन और शक्तियों के पृथक्करण से जुड़ी एक संवैधानिक आवश्यकता है।

न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 की प्रमुख विशेषताएँ:

- विधेयक में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 को निरस्त करने और 16 न्यायाधिकरणों, अपीलीय न्यायाधिकरणों तथा प्राधिकरणों के लिए एक साझा ढाँचा बनाने का प्रस्ताव है। इनमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण, एनसीएलएटी, ऋण वसूली अधिकरण, सीईएसटीएटी और आईटीएटी शामिल हैं। इसका उद्देश्य न्यायाधिकरणों के प्रशासन में एकरूपता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग:

- प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC), विधेयक का केंद्रीय नवाचार है। इसमें एक अध्यक्ष जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हों; दो न्यायिक सदस्य जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश रहे हों तथा दो तकनीकी सदस्य, जिनके पास लोक प्रशासन, वित्त, विधि, लेखांकन, बैंकिंग, प्रबंधन या प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कम-से-कम 25 वर्ष का अनुभव हो।
- केंद्र सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की औपचारिक नियुक्ति करेगी।
- न्यायिक बहुमत का उद्देश्य कार्यपालिका के प्रभुत्व को कम करना और संस्थागत स्वतंत्रता को मजबूत करना है।

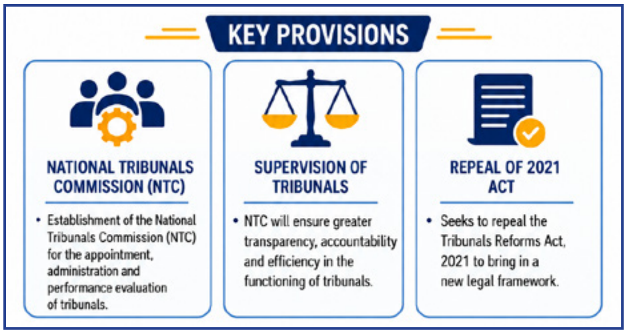

KEY PROVISIONS

NATIONAL TRIBUNALS COMMISSION (NTC)

- Establishment of the National Tribunals Commission (NTC) for the appointment, administration and performance evaluation of tribunals.

SUPERVISION OF TRIBUNALS

- NTC will ensure greater transparency, accountability and efficiency in the functioning of tribunals.

REPEAL OF 2021 ACT

- Seeks to repeal the Tribunals Reforms Act, 2021 to bring in a new legal framework.

राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) के कार्य:

- NTC न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए चयन प्रक्रिया संचालित करेगा, न्यायाधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी करेगा, सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच की देखरेख करेगा और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड का रखरखाव करेगा।
- डेटा ग्रिड रिक्तियों, लंबित मामलों, निपटान दर और मामलों की स्थिति की साक्ष्य-आधारित निगरानी में सहायता कर सकता है।
- इस प्रकार, आयोग का उद्देश्य बिखरे हुए प्रशासन के स्थान पर एक स्थायी और समन्वित संस्थागत तंत्र स्थापित करना है।

खोज-सह-चयन समितियाँ:

- विधेयक में नियुक्तियों के लिए खोज-सह-चयन समितियों (Search-cum-Selection Committees) का प्रावधान किया गया है।
- न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों के लिए समिति में वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि, एक तकनीकी सदस्य, एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सरकार का प्रतिनिधित्व तथा पैनल में शामिल विशेषज्ञ होंगे।
- न्यायाधिकरण सदस्यों के लिए समिति की अध्यक्षता NTC का एक न्यायिक सदस्य करेगा। अध्यक्ष के पास निर्णायक मत (casting vote) होगा, जबकि विशेषज्ञ सदस्यों और सदस्य-सचिव के पास मतदान का अधिकार नहीं होगा।
- समिति प्रत्येक रिक्ति के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार तथा प्रतीक्षा सूची के लिए एक अतिरिक्त उम्मीदवार की सिफारिश करेगी।
- सिफारिशों को तीन दिनों के भीतर भेजा जाना है, जबकि सरकार को तीन महीने के भीतर नियुक्तियाँ करनी होंगी। इसका उद्देश्य कार्यपालिका के विवेकाधिकार और प्रशासनिक विलंब, दोनों को कम करना है।

कार्यकाल और पद की सुरक्षा:

- विधेयक NTC के सदस्यों के लिए निर्धारित आयु सीमा के अधीन पाँच वर्ष का कार्यकाल प्रदान करता है।
- न्यायाधिकरण के सदस्य पाँच वर्ष या 67 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे।
- कार्यकाल की सुरक्षा न्यायिक स्वतंत्रता को समर्थन देती है, क्योंकि इससे सदस्यों को मनमाने ढंग से हटाए जाने या अत्यधिक प्रशासनिक अनिश्चितता से संरक्षण मिलता है।
- हालांकि, पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जानी चाहिए। पुनर्नियुक्ति के लिए कार्यपालिका के विवेक पर अत्यधिक निर्भरता संभावित रूप से स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है।

वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता:

- विधेयक न्यायाधिकरणों को धनराशि, कर्मचारियों और परिसरों से संबंधित अपनी आवश्यकताओं की पहचान करने की अनुमति देकर न्यायाधिकरण प्रशासन में सुधार करना चाहता है। NTC सचिवालय इन आवश्यकताओं को समेकित और उनका आकलन करेगा।
- केंद्र सरकार संसद द्वारा विनियोजन के अधीन अनुदान उपलब्ध कराती रहेगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) आयोग के खातों का लेखा-परीक्षण करेंगे और रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाएगी।
- यह संस्थागत स्वायत्तता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करता है।

महत्त्व:

- यह सुधार न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत कर सकता है, कार्यपालिका के विवेकाधिकार को कम कर सकता है, पेशेवर क्षमता में सुधार कर सकता है और रिक्तियों की समस्या का समाधान कर सकता है।
- एक साझा ढाँचा न्यायाधिकरण प्रशासन में एकरूपता ला सकता है, जबकि डेटा ग्रिड डेटा-आधारित निगरानी को बढ़ावा दे सकता है।
- यह कराधान, पर्यावरण, कंपनी कानून, प्रतिभूति, ऋण वसूली और लोक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत न्याय तक पहुँच को भी बेहतर बना सकता है।

चुनौतियाँ:

- केंद्र सरकार NTC के सदस्यों की नियुक्ति में औपचारिक भूमिका बनाए रखती है, जबकि सचिवालय का नेतृत्व एक सरकारी सचिव करता है। इससे प्रशासनिक स्वतंत्रता की वास्तविक सीमा को लेकर प्रश्न उठते हैं।
- पुनर्नियुक्ति के प्रावधान भी कार्यपालिका के प्रभाव की संभावित चिंताओं को जन्म दे सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, केवल संस्थागत पुनर्गठन से अपर्याप्त कर्मचारियों, बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।
- न्यायिक विशेषज्ञता और तकनीकी विशेषज्ञता के बीच संतुलन भी बनाए रखना आवश्यक होगा।

आगे की राह:

- NTC को वास्तविक कार्यात्मक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। चयन मानदंड पारदर्शी और योग्यता-आधारित होने चाहिए।
- एक स्थायी भर्ती तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि रिक्तियाँ लगातार जमा न होती रहें।
- राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड को लंबित मामलों, निपटान दर, रिक्तियों और मामलों की अवधि की निगरानी करनी चाहिए।
- संस्थागत सुधारों के साथ पर्याप्त बुनियादी ढाँचा और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- न्यायाधिकरणीकरण अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों तथा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के अनुरूप बना रहना चाहिए।

निष्कर्ष:

न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 न्यायपालिका के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के माध्यम से विशिष्ट न्यायनिर्णयन को न्यायिक स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण और जवाबदेही के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है। अंततः, न्यायाधिकरणों को संवैधानिक न्यायालयों का पूरक होना चाहिए, उनका विकल्प नहीं। इससे त्वरित, स्वतंत्र और सुलभ न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026

सदर्भ:

हाल ही में, संसद ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया। यह विधेयक प्रश्नपत्र लीक-रोधी कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच पारित हुआ। यह विधेयक लंबे समय के बाद जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीकरण के लिए किए जाने वाले आवेदनों की अधिक कठोर जाँच सुनिश्चित कर कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है।

पृष्ठभूमि:

- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 भारत में जन्म एवं मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण के लिए वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत नागरिक पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System- CRS) की स्थापना की गई, जो महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय आँकड़ों तथा कानूनी पहचान का प्रमुख स्रोत है।
- वर्ष 2023 में इस अधिनियम में संशोधन कर राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस की व्यवस्था की गई तथा जन्म प्रमाण-पत्र को आधार, पासपोर्ट, मतदाता सूची, शैक्षिक अभिलेख एवं ड्राइविंग लाइसेंस जैसे विभिन्न अभिलेखों के अद्यतन हेतु एकल दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- यह विधेयक अधिनियम की धारा 13(3) में संशोधन करते हुए विलंबित पंजीकरण के लिए द्वि-स्तरीय अनुमोदन व्यवस्था लागू करता है:
  - » **एक वर्ष से दो वर्ष के बीच विलंबित पंजीकरण:** वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी। अनुमोदन संबंधित जिलाधिकारी (DM), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) अथवा अधिकार-क्षेत्र वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा।
  - » **दो वर्ष से अधिक विलंबित पंजीकरण:** अब अनुमोदन के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। इससे पूर्व यह अधिकार कार्यपालिका के पास था। इस परिवर्तन का उद्देश्य अत्यधिक विलंब से किए गए पंजीकरणों की अधिक कठोर जाँच सुनिश्चित करना है।

विधेयक के उद्देश्य:

- फर्जी अथवा जाली जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्रों पर रोक लगाना।
- नागरिक पंजीकरण प्रणाली की विश्वसनीयता एवं अखंडता को सुदृढ़ करना।
- जनसांख्यिकीय एवं महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आँकड़ों की शुद्धता में सुधार करना।
- अत्यधिक विलंब वाले मामलों में न्यायिक निगरानी को बढ़ाना।
- सुशासन एवं सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्वसनीय पहचान अभिलेख सुनिश्चित करना।

महत्त्व:

- जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान स्थापित करने का आधार है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, उत्तराधिकार अधिकारों, पेंशन एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
- इसके अतिरिक्त, नागरिक पंजीकरण से प्राप्त सटीक आँकड़े जनसंख्या आकलन, सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना, आपदा प्रबंधन तथा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संशोधन आधिकारिक अभिलेखों की प्रामाणिकता बढ़ाने तथा पहचान संबंधी धोखाधड़ी को कम करने का प्रयास करता है।

निष्कर्ष:

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 विलंबित पंजीकरणों की अधिक कठोर जाँच की व्यवस्था करके भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाता है। सशक्त डिजिटल अवसंरचना तथा नागरिक-अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ इसका प्रभावी क्रियान्वयन सटीक अभिलेखों, पारदर्शी प्रशासन और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पीएम-किसान योजना को अगले पाँच वर्षों का विस्तार

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को अगले पाँच वर्षों (2026–27 से 2030–31) तक विस्तरित कर दिया है। इसके लिए ₹3.15 लाख करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer - DBT) के माध्यम से निरंतर आय

सहायता प्रदान करना है।

पीएम-किसान योजना के बारे में:

- पीएम-किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) योजना है।
- इसके तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों (प्रत्येक ₹2,000) में सीधे उनके बैंक खातों में आधार-सक्षम डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
- यह योजना पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि तथा कृषि निवेश को प्रोत्साहन देना है।

हाल के विकास:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना को 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
- योजना की शुरुआत से अब तक 23 किस्तों के माध्यम से ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक राशि किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है।
- 23वीं किस्त के तहत ₹18,984 करोड़ की राशि 9.49 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में भेजी गई।
- कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना के अंतर्गत ₹1.71 लाख करोड़ से अधिक की सहायता वितरित की गई।
- महिला किसानों को अब तक ₹1.06 लाख करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई है तथा कुल लाभार्थियों में लगभग एक-चौथाई महिलाएँ हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

- पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता।
- राशि तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है।
- बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण तथा अन्य कृषि आवश्यकताओं पर होने वाले व्यय में सहायता।
- लाभ प्राप्त करने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य।

प्रभाव:

- नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) के अनुसार:
  - » 92% से अधिक लाभार्थियों ने प्राप्त सहायता का उपयोग कृषि गतिविधियों और कृषि निवेश में किया।
  - » लगभग 85% किसानों ने कृषि आय में वृद्धि तथा अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमी की सूचना दी।
  - » योजना ने पारदर्शी एवं समयबद्ध डीबीटी के माध्यम से बिना किसी बिचौलिये के वित्तीय समावेशन को भी मजबूत किया है।

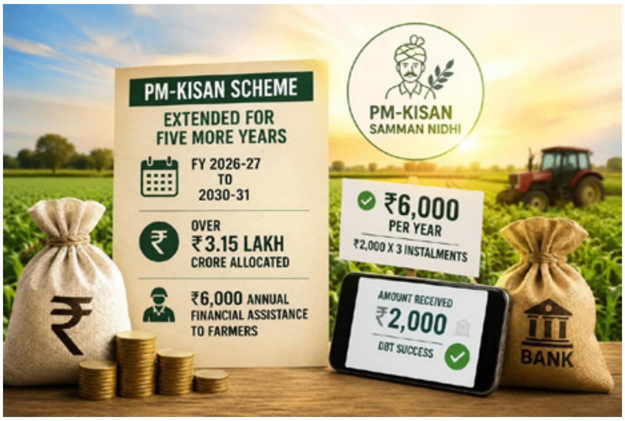
PM-KISAN SCHEME
EXTENDED FOR FIVE MORE YEARS
FY 2026-27 TO 2030-31
OVER ₹3.15 LAKH CRORE ALLOCATED
₹6,000 ANNUAL FINANCIAL ASSISTANCE TO FARMERS
PM-KISAN SAMMAN NIDHI
₹6,000 PER YEAR
₹2,000 X 3 INSTALMENTS
AMOUNT RECEIVED
₹2,000
DBT SUCCESS
BANK

चुनौतियाँ:

- योजना में बटाईदार किसानों, किरायेदार किसानों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को शामिल नहीं किया गया है।
- भूमि अभिलेखों की त्रुटियाँ, ई-केवाईसी में देरी, तथा कृषि लागत बढ़ने के कारण ₹6,000 की वास्तविक क्रय शक्ति में कमी योजना की प्रभावशीलता को सीमित करती है।

निष्कर्ष:

पीएम-किसान योजना का 2030–31 तक विस्तार किसानों की आजीविका को प्रत्यक्ष आय सहायता के माध्यम से सुदृढ़ करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि, योजना को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए भूमि अभिलेखों में सुधार, वास्तविक कृषकों को शामिल करना, डीबीटी प्रणाली को और सुचारु बनाना तथा इसे सिंचाई, बाजार तक पहुँच और जलवायु-अनुकूल कृषि सुधारों जैसी व्यापक कृषि नीतियों के साथ एकीकृत करना आवश्यक होगा। इससे पीएम-किसान योजना ग्रामीण विकास और कृषि समृद्धि का एक अधिक टिकाऊ एवं समावेशी साधन बन सकेगी।

लिव-इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और महिला सुरक्षा

सन्दर्भः

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि यदि दो वयस्कों के बीच संबंध “विवाह-सदृश संबंध” (Relationship in the Nature of Marriage) की श्रेणी में आता है तथा उसमें विवाह का स्पष्ट उद्देश्य निहित है, तो महिला को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85) के तहत क्रूरता से संरक्षण प्राप्त होगा।

इस प्रकार केवल विधिक विवाह ही नहीं, बल्कि कुछ परिस्थितियों में लिव-इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं को भी घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के विरुद्ध आपराधिक संरक्षण उपलब्ध होगा। अदालत ने ‘अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य’ मामले के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया ताकि इस धारा के तहत बिना प्रारंभिक जांच के मनमानी गिरफ्तारियां न हों।

मामले की पृष्ठभूमिः

- वर्तमान मामले में आरोपी ने यह तर्क दिया कि वह पहले से विवाहित था, इसलिए शिकायतकर्ता के साथ उसका विवाह वैध नहीं था और धारा 498A उसके विरुद्ध लागू नहीं हो सकती। न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि यदि कोई पुरुष किसी महिला को वैवाहिक संबंध का विश्वास दिलाकर उसके साथ रहता है और बाद में उसके साथ क्रूरता करता है, तो वह केवल विवाह की वैधता का हवाला देकर दायित्व से नहीं बच सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि क्रूरता का प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पीड़िता विवाहित है या लिव-इन संबंध में।

सार्थक व्याख्या और कानूनी दृष्टिकोणः

- सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A में प्रयुक्त “पति” शब्द की व्यापक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की है। अदालत के अनुसार, इस कानून का मूल उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा और क्रूरता से बचाना तथा समाज में सुधार लाना है।
- यदि कोई पुरुष किसी महिला को धोखा देकर या शादी के इरादे से साथ रखता है और फिर क्रूरता करता है, तो उसे केवल इसलिए सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनके पास विवाह का कोई पारंपरिक प्रमाण पत्र नहीं है।
- यह फैसला भारत में लिव-इन रिलेशनशिप के कानूनी दर्जे को और मजबूत करता है। इससे पहले भी न्यायपालिका ने ‘घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005’ के तहत लिव-इन पार्टनर्स को भरण-पोषण का अधिकार दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत सहमति से साथ रहने के अधिकार को मान्यता दी है।

महिलाओं के अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदमः

- यह निर्णय महिलाओं के अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे उन महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो लंबे समय तक विवाह-सदृश संबंधों में रहकर आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से अपने साथी पर निर्भर हो जाती हैं।
- यह निर्णय महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक न्याय तथा गरिमापूर्ण जीवन के संवैधानिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करता है।

चुनौतियाँः

- लिव-इन संबंधों को व्यापक कानूनी संरक्षण देने से ऐसे संबंधों की परिभाषा और दायरा विवाद का विषय बन सकता है तथा झूठे मामलों की आशंका भी बढ़ सकती है।
- इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है, ताकि बिना प्रारंभिक जाँच के किसी आरोपी या उसके परिजनों की मनमानी गिरफ्तारी न हो।

निष्कर्षः

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह स्पष्ट करता है कि कानून किसी भी महिला को केवल उसके विवाह के पारंपरिक मान्यता के अभाव में न्याय से वंचित नहीं कर सकता। अधिकार और सुरक्षा के मामले में कानूनी बारीकियों से ऊपर मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

सन्दर्भः

हाल ही में संसद ने खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन

विधेयक, 2026 पारित किया है। यह भारत में घरेलू खनिज खोज का विस्तार करने और महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को मजबूत करने के प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **अतिरिक्त खनिजों को शामिल करना:** यह विधेयक खनन पट्टाधारकों को मौजूदा खनन पट्टे में अतिरिक्त खनिजों को शामिल करने के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। निर्दिष्ट महत्त्वपूर्ण और सामरिक खनिजों, जैसे लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट, सोना और चाँदी, के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान आवश्यक नहीं होगा। इससे इन खनिजों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- **बंदी खनन से खनिज बिक्री की 50 प्रतिशत सीमा हटाना:** विधेयक में बंदी खानों से प्राप्त खनिजों की बिक्री पर वर्तमान 50 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर दी गई है। संबंधित अंतिम-उपयोग संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद खननकर्ता अपने शेष उत्पादन को लागू भुगतानों के अधीन बेच सकेंगे। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बाजार में खनिजों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।
- **खनन क्षेत्रों का विस्तार:** भूमि की सतह से 200 मीटर से अधिक गहराई में स्थित गहरे खनिज भंडारों के लिए विधेयक सन्निहित खनन क्षेत्रों के एक बार विस्तार की अनुमति देता है। खनन पट्टे के लिए मौजूदा क्षेत्रफल का अधिकतम 10 प्रतिशत तथा संयुक्त अनुज्ञप्ति के लिए 30 प्रतिशत तक विस्तार किया जा सकेगा।
- **राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास:** राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास का विस्तार करके उसका नाम राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास किया जा रहा है। इसके कार्यक्षेत्र में खानों और खनिजों की खोज तथा विकास के साथ-साथ समुद्रतटीय क्षेत्रों और भारत के बाहर की जाने वाली गतिविधियाँ भी शामिल होंगी।
- **खनिज विनिमय:** केंद्र सरकार को खनिजों, खनिज सांद्रणों और प्रसंस्कृत खनिज उत्पादों के व्यापार के लिए खनिज विनिमय को बढ़ावा देने की शक्ति मिलेगी। ऐसे विनिमय से पारदर्शिता, मूल्य निर्धारण और बाजार की कार्यकुशलता में सुधार हो सकता है।

महत्त्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान:

- लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज विद्युत वाहनों, बैटरियों, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण के लिए आवश्यक हैं। इन सुधारों का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करना है।

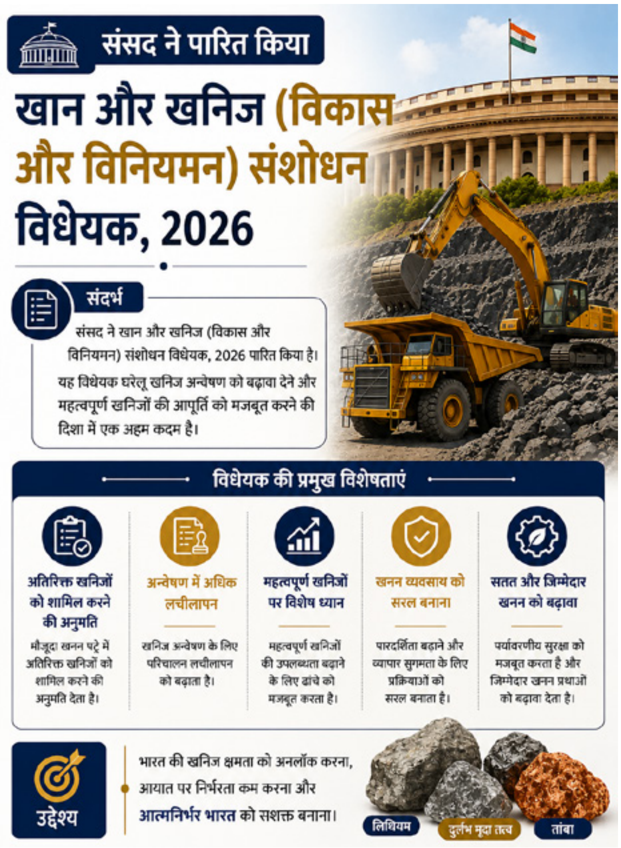

संसद ने पारित किया

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

संदर्भ

संसद ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया है। यह विधेयक घरेलू खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

अतिरिक्त खनिजों को शामिल करने की अनुमति
मौजूदा खनन पट्टे में अतिरिक्त खनिजों को शामिल करने की अनुमति देता है।

अन्वेषण में अधिक लचीलापन
खनिज अन्वेषण के लिए परिचालन लचीलापन को बढ़ाता है।

महत्वपूर्ण खनिजों पर विशेष ध्यान
महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ढांचे को मजबूत करता है।

खनन व्यवसाय को सरल बनाना
पारदर्शिता बढ़ाने और व्यापार सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।

सतत और जिम्मेदार खनन को बढ़ावा
पर्यावरणीय सुरक्षा को मजबूत करता है और जिम्मेदार खनन प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

उद्देश्य

भारत की खनिज क्षमता को अनलॉक करना, आयात पर निर्भरता कम करना और **आत्मनिर्भर भारत** को सशक्त बनाना।

भारत के लिए महत्त्व:

- यह संशोधन खनन क्षेत्र को अधिक लचीला और निवेश के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। घरेलू खनिज संसाधनों की तेज खोज और विकास से भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, औद्योगिक विकास और सामरिक आपूर्ति शृंखलाओं को समर्थन मिल सकता है।

चुनौतियाँ:

- इस विधेयक का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा। भारत को अधिक निजी निवेश, उन्नत खनिज खोज तकनीक, पर्याप्त प्रसंस्करण क्षमता और बेहतर आधारभूत संरचना की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, खनिजों पर कराधान से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों से जुड़े प्रश्नों का भी सावधानीपूर्वक समाधान करना होगा।

निष्कर्ष:

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 भारत के खनिज क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण सुधार है। महत्त्वपूर्ण खनिजों की

खोज को प्रोत्साहित करने, मौजूदा खनन पट्टों में अतिरिक्त खनिजों को शामिल करने, बंदी खनन से खनिजों की बिक्री की सीमा हटाने, खनिज खोज के लिए सहायता का विस्तार करने और खनिज विनिमय को सक्षम बनाने के माध्यम से यह विधेयक घरेलू खनिज उत्पादन को मजबूत करने तथा विदेशों से होने वाली आपूर्ति पर भारत की निर्भरता कम करने का प्रयास करता है।

क्रीमी लेयर और SC/ST के बीच उप-वर्गीकरण

संदर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए “क्रीमी लेयर” सिद्धांत लागू करने की मांग का विरोध किया है। यह मुद्दा एक जनहित याचिका (PIL) से उठा, जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत परिवारों को आरक्षण के लाभ से बाहर करने की मांग की गई थी।

क्रीमी लेयर क्या है?

- क्रीमी लेयर से आशय किसी पिछड़े वर्ग के अपेक्षाकृत उन्नत वर्गों से है, जिन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी मामले (1992) के फैसले में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया था।
- न्यायालय ने माना था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत OBCs पर लागू होता है और इसे SCs तथा STs तक विस्तारित नहीं किया जा सकता।

केंद्र SCs/STs के लिए इसका विरोध क्यों करता है?

- केंद्र का तर्क है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को होने वाली वंचना केवल आर्थिक पिछड़ेपन से अलग और अधिक व्यापक है।
  - » अनुसूचित जातियों को ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है।
  - » अनुसूचित जनजातियों को भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक पिछड़ेपन के कारण नुकसान उठाना पड़ा है।
- इसलिए, केवल आर्थिक रूप से आगे बढ़ जाना इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि जाति या समुदाय आधारित सामाजिक वंचना पूरी तरह समाप्त हो गई है।

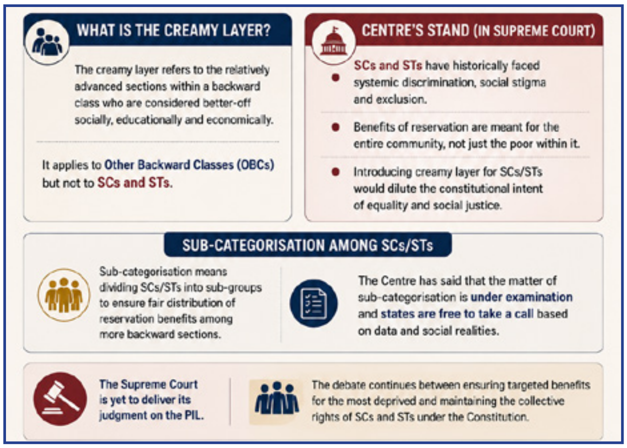

WHAT IS THE CREAMY LAYER?

The creamy layer refers to the relatively advanced sections within a backward class who are considered better-off socially, educationally and economically.

It applies to **Other Backward Classes (OBCs)** but not to **SCs and STs.**

CENTRE'S STAND (IN SUPREME COURT)

- **SCs and STs** have historically faced systemic discrimination, social stigma and exclusion.
- Benefits of reservation are meant for the entire community, not just the poor within it.
- Introducing creamy layer for SCs/STs would dilute the constitutional intent of equality and social justice.

SUB-CATEGORISATION AMONG SCs/STs

Sub-categorisation means dividing SCs/STs into sub-groups to ensure fair distribution of reservation benefits among more backward sections.

The Centre has said that the matter of sub-categorisation is **under examination** and **states are free to take a call** based on data and social realities.

The Supreme Court is yet to deliver its judgment on the PIL.

The debate continues between ensuring targeted benefits for the most deprived and maintaining the collective rights of SCs and STs under the Constitution.

SCs/STs का उप-वर्गीकरण:

- उप-वर्गीकरण का अर्थ है किसी व्यापक आरक्षित वर्ग को छोटे-छोटे समूहों में विभाजित करना, ताकि आरक्षण के लाभ का अधिक समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
- 2024 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में, सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों और ठोस अनुभवजन्य (empirical) प्रमाणों के अधीन SCs/STs के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व वाले और अधिक वंचित समुदाय आरक्षण के लाभ से वंचित न रह जाएं, जबकि लाभ का बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत बेहतर प्रतिनिधित्व वाले समूहों तक सीमित न हो।

उप-वर्गीकरण का विवादास्पद इतिहास:

- यह मुद्दा लंबे समय से विवादास्पद रहा है, क्योंकि कुछ राज्यों का तर्क रहा है कि कुछ SC समुदायों को आरक्षण के लाभ का अनुपातहीन रूप से बड़ा हिस्सा मिला है।
- हालांकि, आलोचकों को आशंका है कि आंतरिक वर्गीकरण से SC समुदायों में विभाजन बढ़ सकता है और इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है।
- इसके अलावा, अनुच्छेद 341 और 342 SCs और STs की पहचान के लिए संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करते हैं। अधिसूचित सूचियों में बदलाव करने की शक्ति संसद के पास है।

क्रीमी लेयर बनाम उप-वर्गीकरण:

क्रीमी लेयर	उप-वर्गीकरण
अपेक्षाकृत उन्नत व्यक्तियों/परिवारों को बाहर करता है।	विभिन्न उप-समूहों के बीच लाभ का वितरण करता है।
सामाजिक/आर्थिक उन्नति पर ध्यान देता है।	सापेक्ष पिछड़ेपन पर ध्यान देता है।
मुख्य रूप से OBCs से जुड़ा है।	SCs/STs के संदर्भ में तेजी से चर्चा में है।
आरक्षण के पात्र लाभार्थियों की संख्या कम करता है।	उसी आरक्षित वर्ग के भीतर लाभ का पुनर्वितरण करता है।

पक्ष और विपक्ष में तर्क:

- **क्रीमी लेयर के पक्ष में:** यह आरक्षण के लाभों पर अभिजात वर्ग के वर्चस्व को रोक सकता है, पीढ़ियों के बीच समानता को बढ़ावा दे सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आरक्षण का लाभ सबसे अधिक वंचित लोगों तक पहुंचे।
- **विरोध में:** आर्थिक रूप से उन्नत होने के बावजूद जातिगत भेदभाव जारी रह सकता है। आरक्षण केवल गरीबी दूर करने का साधन नहीं है और आय सामाजिक कलंक तथा जातिगत भेदभाव को पूरी तरह नहीं माप सकती।

आगे की राह:

- एक संतुलित दृष्टिकोण के लिए विश्वसनीय जाति एवं सामाजिक-आर्थिक आंकड़े, पारदर्शी मानदंड, समय-समय पर समीक्षा और संवैधानिक सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। आर्थिक स्थिति को जाति-आधारित वंचना का एकमात्र आधार नहीं माना जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

यह चर्चा वास्तविक/सार्थक समानता (Substantive Equality) हासिल करने की व्यापक चुनौती को दर्शाती है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो अब भी संरचनात्मक रूप से वंचित हैं, साथ ही सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता भी बनी रहे।

सीएए 2019: 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिकता देने के लिए ज़िला कलेक्टरों को अधिकार दिए गए

संदर्भ:

हाल ही में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 19 अगस्त 2026 को जारी एक आदेश के माध्यम से आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टरों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के तहत नागरिकता के आवेदनों पर कार्रवाई करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है। इस कदम के तहत लंबित आवेदनों को सशक्त समितियों से जिला अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है।

शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:

- इस आदेश के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कलेक्टर शामिल हैं:
    - गुजरात
    - राजस्थान
    - पंजाब
    - पश्चिम बंगाल
    - असम, जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर
    - त्रिपुरा, जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर
    - जम्मू और कश्मीर
    - लद्दाख
- पहले की सशक्त समितियों और जिला स्तरीय समितियों के समक्ष लंबित सभी आवेदनों को संबंधित कलेक्टरों को स्थानांतरित किया जाएगा।

कलेक्टरों के पास कौन-सी शक्तियाँ होंगी?

- नागरिकता (तृतीय संशोधन) नियम, 2026 के तहत कलेक्टर:
    - आवेदनों को प्राप्त और उनकी जाँच कर सकते हैं।
    - दस्तावेजों का सत्यापन और आवश्यक जाँच कर सकते हैं।
    - निष्ठा की शपथ दिला सकते हैं।
    - नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी के तहत पात्रता निर्धारित कर सकते हैं।
    - पात्र और योग्य पाए गए आवेदकों को नागरिकता प्रदान कर सकते हैं।
    - यदि कोई आवेदक उचित अवसर दिए जाने के बावजूद आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

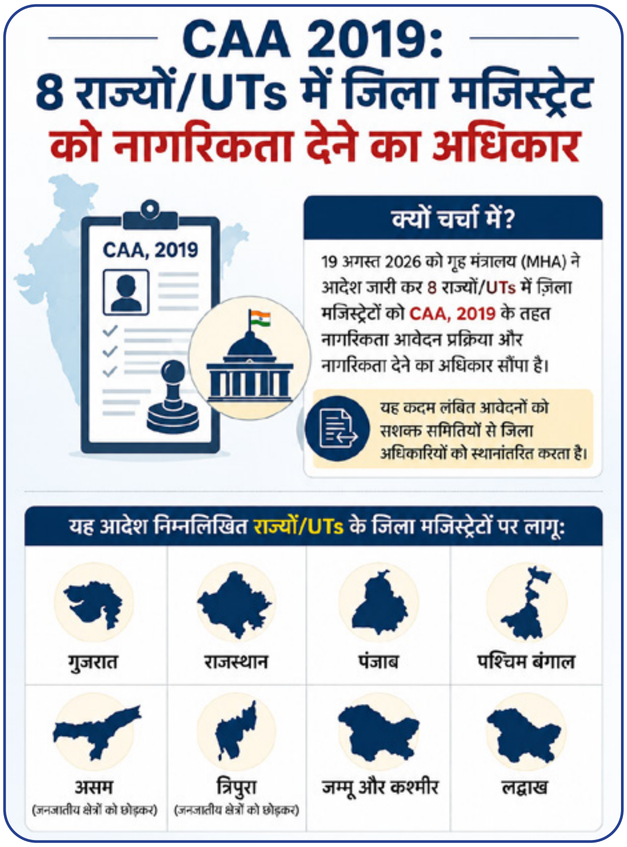

CAA 2019: 8 राज्यों/UTs में जिला मजिस्ट्रेट को नागरिकता देने का अधिकार

क्यों चर्चा में?

19 अगस्त 2026 को गृह मंत्रालय (MHA) ने आदेश जारी कर 8 राज्यों/UTs में ज़िला मजिस्ट्रेटों को CAA, 2019 के तहत नागरिकता आवेदन प्रक्रिया और नागरिकता देने का अधिकार सौंपा है।

यह कदम लंबित आवेदनों को सशक्त समितियों से जिला अधिकारियों को स्थानांतरित करता है।

यह आदेश निम्नलिखित राज्यों/UTs के जिला मजिस्ट्रेटों पर लागू:

- गुजरात
- राजस्थान
- पंजाब
- पश्चिम बंगाल
- असम (जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर)
- त्रिपुरा (जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर)
- जम्मू और कश्मीर
- लद्दाख

सीएए की पृष्ठभूमि:

- नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 ने नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया। यह छह गैर-मुस्लिम समुदायों "हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई" के उन लोगों को नागरिकता प्राप्त करने का विशेष मार्ग प्रदान करता है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं और 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं।
- पात्र आवेदकों के लिए, निर्धारित शर्तों के अधीन, देशीयकरण के लिए निवास की आवश्यकता 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई।
- **सीएए नियम, 2024:** सीएए नियमों को 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था, जिनमें आवेदनों को प्राप्त करने और उनकी प्रक्रिया के लिए व्यवस्था स्थापित की गई। नवीनतम 2026 का संशोधन प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करता है और जिला कलेक्टरों को अधिक अधिकार प्रदान करता है।

पश्चिम बंगाल क्यों महत्वपूर्ण है?

- इस निर्णय का पश्चिम बंगाल के लिए विशेष महत्व है, जहाँ सीएए राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय रहा है। मतुआ समुदाय, जिसमें मुख्य रूप से बांग्लादेश की जड़ों वाले हिंदू नमःशूद्र शामिल हैं, उन महत्वपूर्ण समुदायों में से एक है जिन्हें इससे लाभ मिलने की संभावना है।
- पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने सीएए का कड़ा विरोध किया था, जबकि केंद्र सरकार ने आवेदनों की प्रक्रिया के लिए सशक्त समितियों का गठन किया था।

संवैधानिक और कानूनी पहलू:

- नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची का विषय है। भाग II (अनुच्छेद 5–11) नागरिकता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 11 संसद को कानून बनाकर नागरिकता को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- सीएए को आलोचना और संवैधानिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 के संबंध में, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।

अपवर्जित क्षेत्र:

- सीएए कुछ संरक्षित क्षेत्रों में समान रूप से लागू नहीं होता है, जिनमें निर्दिष्ट इनर लाइन परमिट क्षेत्र और छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं। असम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों को विशेष रूप से नवीनतम आदेश से बाहर रखा गया है।

निष्कर्ष:

अगस्त 2026 का गृह मंत्रालय का आदेश सीएए को लागू करने में केंद्रीकृत समितियों से जिला-स्तरीय प्रशासन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यूपीएससी की तैयारी के लिए इस घटनाक्रम को अनुच्छेद 5–11, अनुच्छेद 14, संघवाद, प्रवासन और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों से जोड़कर समझना महत्वपूर्ण है।

मृत्युदंड की पद्धतियां: न्यायिक समीक्षा

संदर्भ:

हाल ही में अगस्त 2026 में, सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें मृत्युदंड के लिए 'फांसी की सजा' (Hanging) को अमानवीय बताते हुए इसे घातक सुई (Lethal Injection) जैसे विकल्पों से बदलने की मांग की गई थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर फांसी को पूरी तरह अमानवीय

नहीं माना जा सकता, लेकिन भविष्य में बेहतर वैज्ञानिक विकल्पों के लिए रास्ते बंद नहीं किए गए हैं।

प्रमुख कानूनी और संवैधानिक आयाम:

भारतीय न्यायशास्त्र में मृत्युदंड और उसे लागू करने की पद्धति को मुख्य रूप से दो संवैधानिक और विधिक पैमानों पर परखा जाता है:

- **अनुच्छेद 21 और सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों (जैसे ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य) में यह स्थापित किया है कि गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में 'गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार' (Right to Dignity in Death) भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि फांसी में होने वाला अत्यधिक दर्द इस गरिमा का उल्लंघन करता है।
- **न्यायिक मिसालें (Judicial Precedents):** सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक दीना बनाम भारत संघ (1983) मामले का हवाला दिया। इस मामले में न्यायालय ने माना था कि फांसी की आधुनिक पद्धति (लॉन्ग-ड्रॉप मेथड) त्वरित है, इसमें कम दर्द होता है, और यह शव को विकृत नहीं करती है। न्यायालय के अनुसार, बिजली की कुर्सी (Electrocution) या घातक सुई जैसे विकल्पों में फांसी की तुलना में कोई विशिष्ट या सिद्ध लाभ नहीं पाया गया है।
- **विधायी मंशा (Legislative Intent):** हाल ही में लागू की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 393(5) में भी संसद ने मृत्युदंड के लिए फांसी की पद्धति को ही बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना मुख्य रूप से विधायिका का कार्यक्षेत्र है।

न्यायालय का दृष्टिकोण:

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कोई ऐसी वैज्ञानिक पद्धति सामने आती है जो फांसी से कम दर्दनाक और अधिक मानवीय हो, तो उसकी संवैधानिक समीक्षा की जा सकती है।
- न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह कानूनी विशेषज्ञों, तंत्रिका विज्ञानियों (Neuroscientists) और फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर सकती है, जो विभिन्न देशों की पद्धतियों का डेटा एकत्र कर अधिक मानवीय विकल्पों पर विचार कर सके।
- सरकार का तर्क रहा है कि भारत के सुदूर क्षेत्रों की जेलों में जटिल चिकित्सा बुनियादी ढांचे और डॉक्टरों की कमी के कारण, फांसी एक प्रशासनिक रूप से पूर्वानुमानित (Predictable) और विश्वसनीय माध्यम है।

विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट:

- विधि आयोग (Law Commission) की 262वीं रिपोर्ट (2015) ने भारत में मृत्युदंड को लेकर एक क्रांतिकारी सिफारिश की थी। आयोग ने सुझाव दिया कि आतंकवाद और राज्य के खिलाफ युद्ध (Waging War) से जुड़े अपराधों को छोड़कर, अन्य सभी सामान्य अपराधों के लिए मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त (Abolish) कर दिया जाना चाहिए।
- आयोग के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे:
  - » **कोई निवारक प्रभाव नहीं:** मृत्युदंड से अपराधों में कमी आने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
  - » **अपरिवर्तनीय प्रकृति:** न्यायिक त्रुटि के कारण यदि किसी निर्दोष को फांसी दे दी जाए, तो उसे सुधारा नहीं जा सकता।
  - » **सुधारात्मक न्याय:** न्याय प्रणाली का ध्यान प्रतिशोध (Retribution) के बजाय अपराधी के सुधार पर होना चाहिए।
  - » **वैकल्पिक सजा:** आयोग ने मृत्युदंड की जगह बिना पैरोल के 'आजीवन कारावास' को एक मजबूत विकल्प माना।

निष्कर्ष:

एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, दुनिया के दो-तिहाई से अधिक देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। भारत में मृत्युदंड केवल 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों' (Rarest of Rare Cases) में ही दिया जाता है। जब तक देश में मृत्युदंड का अस्तित्व है, तब तक राज्य की संप्रभु शक्ति (State Power) और मानवीय गरिमा के बीच संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है।

पीएम केयर्स फंड

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (PM CARES Fund) एक बार फिर चर्चा में रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में इसमें प्राप्त कुल योगदान घटकर ₹479.96 करोड़ रह गया, जबकि इसी अवधि में इसका व्यय घटकर मात्र ₹87.85 लाख रह गया। इसके परिणामस्वरूप, कोष का क्लोजिंग बैलेंस बढ़कर रिकॉर्ड ₹8,452.06 करोड़ हो गया। इन आँकड़ों ने आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित वित्तीय प्रतिक्रिया और सार्वजनिक एवं लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच

संतुलन को लेकर बहस को फिर से तेज कर दिया है।

पीएम केयर्स फंड क्या है?

- प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) की स्थापना 27 मार्च 2020 को, कोविड-19 के प्रकोप के बाद, आपात स्थितियों और संकटपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए की गई थी। यह पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास के रूप में पंजीकृत है।
- प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री पदेन न्यासी हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

- यह कोष व्यक्तियों और संगठनों से स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करता है। इसे सरकार से कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती।
- दान पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत 100 प्रतिशत कटौती का लाभ, लागू प्रावधानों के अधीन, प्राप्त किया जा सकता है।
- योगदान को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त हो सकती है।
- यह विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत पात्र विदेशी योगदान प्राप्त कर सकता है।
- इसके खातों का लेखापरीक्षण एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा किया जाता है।

यह आपातकालीन प्रतिक्रिया को कैसे बेहतर बनाता है?

- बजट से इतर एक व्यवस्था के रूप में, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष सामान्य बजटीय चक्र पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना संसाधन जुटा सकता है। इससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
    - » **गति:** अचानक उत्पन्न संकटों के दौरान संसाधनों को तेजी से जुटाया जा सकता है।
    - » **लचीलापन:** संसाधनों को विभिन्न आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।
    - » **अतिरिक्त वित्तपोषण:** यह मौजूदा सरकारी व्यवस्थाओं को पूरक सहायता प्रदान करता है।
    - » **जनभागीदारी:** नागरिक और संगठन आपातकालीन राहत के लिए सीधे योगदान कर सकते हैं।
- इस प्रकार, जब पारंपरिक प्रशासनिक प्रक्रियाएँ तत्काल संकट के लिए बहुत धीमी हो सकती हैं, तब गैर-सांविधिक व्यवस्थाएँ उपयोगी हो सकती हैं।

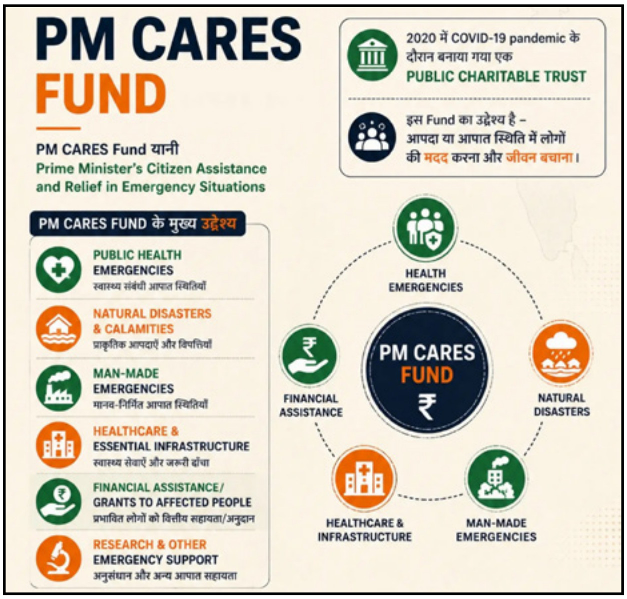
PM CARES FUND

PM CARES Fund यानी
Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations

2020 में COVID-19 pandemic के दौरान बनाया गया एक PUBLIC CHARITABLE TRUST

इस Fund का उद्देश्य है –
आपदा या आपात स्थिति में लोगों की मदद करना और जीवन बचाना।

PM CARES FUND के मुख्य उद्देश्य

- PUBLIC HEALTH EMERGENCIES
  स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियाँ
- NATURAL DISASTERS & CALAMITIES
  प्राकृतिक आपदाएँ और विपत्तियाँ
- MAN-MADE EMERGENCIES
  मानव-निर्मित आपात स्थितियाँ
- HEALTHCARE & ESSENTIAL INFRASTRUCTURE
  स्वास्थ्य सेवाएँ और जरूरी ढाँचा
- FINANCIAL ASSISTANCE/ GRANTS TO AFFECTED PEOPLE
  प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता/अनुदान
- RESEARCH & OTHER EMERGENCY SUPPORT
  अनुसंधान और अन्य आपात सहायता

जवाबदेही से जुड़ी चिंताएँ:

- हालाँकि, लचीलेपन के साथ पारदर्शिता भी होनी चाहिए। चूँकि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष को भारत की संचित निधि के माध्यम से वित्तपोषित नहीं किया जाता, इसलिए इसकी संसदीय जाँच से संबंधित प्रश्नों ने बहस को जन्म दिया है।
- प्रधानमंत्री कार्यालय की बताई गई स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा कोष से संबंधित प्रश्न निर्दिष्ट लोकसभा नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं।
- दूसरी चिंता लेखापरीक्षण से संबंधित है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष का लेखापरीक्षण एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष जैसे सांविधिक कोष एक अलग कानूनी और लेखापरीक्षण व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं।
- बहुत अधिक शेष राशि के साथ बहुत कम व्यय होने से कोष के उपयोग, प्रकटीकरण और परिणाम-आधारित जवाबदेही को लेकर भी प्रश्न उठते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:

- 2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष की राशि को राष्ट्रीय आपदा

प्रतिक्रिया कोष में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।

- न्यायालय ने कहा कि दोनों अलग-अलग कोष हैं और उनके उद्देश्य भी अलग-अलग हैं। न्यायालय ने उनके अलग-अलग कानूनी और लेखापरीक्षण ढाँचे का भी उल्लेख किया।

पीएम केयर्स फंड बनाम राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष:

पीएम केयर्स फंड	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष
सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास	सांविधिक कोष
2020 में स्थापित	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत
स्वैच्छिक योगदान	सरकारी संसाधन
स्वतंत्र लेखापरीक्षण	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षण व्यवस्था

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष आपात स्थितियों के दौरान त्वरित और लचीली सहायता प्रदान करता है। अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और कोष के उचित उपयोग से इसकी विश्वसनीयता को और मजबूत किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 'उद्योग' की अवधारणा को पुनः परिभाषित किया

संदर्भ:

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने श्रम कानून के तहत 'उद्योग' (Industry) शब्द के अर्थ पर 5:4 के बहुमत से फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि बैंगलोर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम आर. राजप्पा (1978) मामले में दी गई 'उद्योग' की व्यापक व्याख्या भविष्य में औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code-IRC), 2020 के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों को नियंत्रित नहीं करेगी।

बेंगलुरु जल आपूर्ति मामला, 1978:

- वर्ष 1978 में सात-न्यायाधीशों की पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j) के तहत 'उद्योग' शब्द की व्यापक व्याख्या की थी। इस मामले में न्यायालय ने 'ट्रिपल टेस्ट' (Triple Test) विकसित किया, जिसके अनुसार किसी गतिविधि को उद्योग माने जाने के लिए तीन प्रमुख तत्व आवश्यक थे:
  - » व्यवस्थित गतिविधि
  - » नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सहयोग
  - » मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन अथवा वितरण।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लाभ कमाना (Profit Motive) किसी गतिविधि को 'उद्योग' मानने के लिए आवश्यक नहीं है। इसके परिणामस्वरूप अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, नगरपालिकाएँ और क्लब जैसी संस्थाएँ भी श्रम कानून के दायरे में आ सकती थीं।
- न्यायालय ने ऐसी संस्थाओं के लिए 'प्रमुख प्रकृति परीक्षण' (Dominant Nature Test) भी विकसित किया, जो एक से अधिक प्रकार की गतिविधियाँ संचालित करती थीं।

'उद्योग' की परिभाषा महत्वपूर्ण क्यों है?

- किसी प्रतिष्ठान या संस्था को 'उद्योग' के रूप में वर्गीकृत किया जाना यह निर्धारित करता है कि उस पर श्रमिक संरक्षण और औद्योगिक विवादों के समाधान से संबंधित प्रावधान लागू होंगे या नहीं।
- 1978 की व्यापक व्याख्या ने श्रमिकों को वेतन, कार्य परिस्थितियों, ट्रेड यूनियन बनाने, हड़ताल, सामूहिक सौदेबाजी तथा बर्खास्तगी जैसे मामलों में कानूनी उपचार प्राप्त करने का अवसर दिया।
- हालाँकि, इस व्यापक व्याख्या के कारण व्यापक स्तर पर मुकदमेबाजी भी हुई। विशेष रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) के बाद निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से उन गतिविधियों को लेकर विवाद बढ़े, जिन्हें पहले मुख्यतः राज्य द्वारा संचालित किया जाता था।

Justice Alok Aradhe
Justice Satish Chandra Sharma
Justice Dipankar Datta
Justice B.V. Nagarathna
CJI Surya Kant
Justice P.S. Narasimha
Justice Ujjal Bhuyan
Justice Joymalya Bagchi
Justice Vipul Pancholi

सर्वोच्च न्यायालय का बहुमत:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की

धारा 2(p) की व्याख्या 'स्वतंत्र आधार' (Clean Slate) पर की जानी चाहिए। अर्थात, इसे निरस्त किए जा चुके औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j) की पूर्ववर्ती न्यायिक व्याख्याओं से बाध्य नहीं किया जा सकता।

- इस प्रकार, 1978 का निर्णय 1947 के अधिनियम के तहत उत्पन्न पुराने या लंबित विवादों पर लागू रहेगा, लेकिन यह भविष्य में औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्धारण नहीं करेगा।
- न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि पूर्व में विकसित 'ट्रिपल टेस्ट' को नए वैधानिक ढाँचे के अनुरूप पुनर्गठित करने की आवश्यकता हो सकती है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2(p):

- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2(p) में 'उद्योग' को ऐसी व्यवस्थित गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सहयोग के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति अथवा वितरण के लिए संचालित की जाती है।
- यह परिभाषा पूंजी निवेश या लाभ के उद्देश्य की परवाह किए बिना लागू होती है। हालाँकि, संहिता में कुछ गतिविधियों को स्पष्ट रूप से इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
- इनमें कुछ धार्मिक, धर्मार्थ, सामाजिक और परोपकारी गतिविधियाँ, तथा सरकार की रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित कुछ गतिविधियाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार को कुछ अन्य श्रेणियों को भी बाहर रखने का अधिकार दिया गया है।
- इस प्रकार, धारा 2(p) एक नया वैधानिक ढाँचा प्रस्तुत करती है और इसकी व्याख्या करते समय धारा 2(j) के तहत विकसित पुराने न्यायशास्त्र को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

महत्व:

- यह निर्णय कानूनी स्पष्टता बढ़ाने, मुकदमेबाजी कम करने तथा पुराने और नए श्रम कानूनों के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करने का प्रयास करता है। हालाँकि, इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि न्यायालय भविष्य में 'उद्योग' की अवधारणा के लिए नया और स्पष्ट परीक्षण किस प्रकार विकसित करता है।
- भारत के लिए आवश्यकता ऐसे संतुलित श्रम ढाँचे की है, जो श्रमिकों की गरिमा, सामाजिक सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों की रक्षा करे, साथ ही उद्यमों और सार्वजनिक संस्थानों को आवश्यक प्रशासनिक एवं परिचालनिक लचीलापन भी प्रदान करे।

हिजाब पहनना 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' नहीं

संदर्भ:

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर सिर ढकने या हिजाब पहनने को इस्लाम की "आवश्यक धार्मिक प्रथा" (Essential Religious Practice- ERP) के रूप में मानने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कक्षा 11 की एक मुस्लिम छात्रा द्वारा दायर याचिका पर दी गई, जिसमें उसने स्कूल की वर्दी के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी।

न्यायालय की टिप्पणी के बारे में:

- छात्रा ने तर्क दिया था कि सिर पर स्कार्फ या हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है और उसके मौलिक अधिकारों, विशेषकर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इसकी संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है।
- छात्रा कक्षा 6 से ही विद्यालय में सिर पर स्कार्फ या हिजाब पहनती आ रही थी, लेकिन न्यायालय ने कहा कि पूर्व अनुमति से ड्रेस कोड में छूट का कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं बनता।
- पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में हिजाब को आवश्यक धार्मिक प्रथा भी सिद्ध नहीं किया जा सका। न्यायालय ने माना कि मामला मुख्यतः विद्यालय के ड्रेस कोड और संस्थागत अनुशासन से जुड़ा है।

आवश्यक धार्मिक प्रथा का सिद्धांत क्या है?

- आवश्यक धार्मिक प्रथा (Essential Religious Practices—ERP) सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा विकसित एक सिद्धांत है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कौन-सी धार्मिक प्रथाएं अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करती हैं।
- अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि, यह स्वतंत्रता संविधान में निर्धारित सीमाओं के अधीन है।
- अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार भी लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
- इस सिद्धांत की उत्पत्ति सामान्यतः शिरूर मठ मामले (1954) से

मानी जाती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी धर्म से अभिन्न और आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो सकता है।

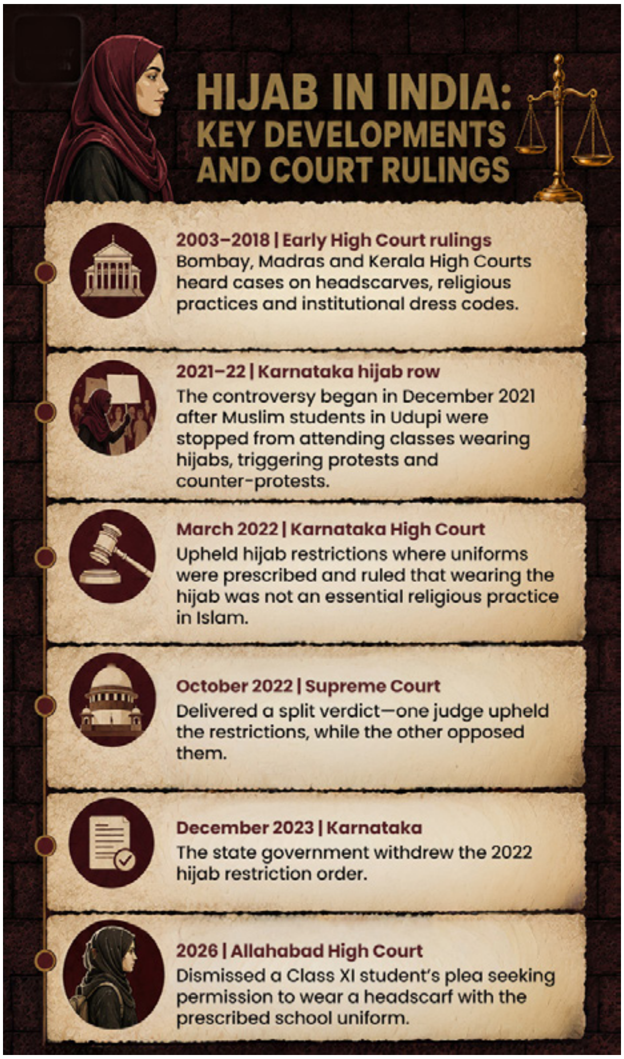

HIJAB IN INDIA: KEY DEVELOPMENTS AND COURT RULINGS

2003–2018 | Early High Court rulings
Bombay, Madras and Kerala High Courts heard cases on headscarves, religious practices and institutional dress codes.

2021–22 | Karnataka hijab row
The controversy began in December 2021 after Muslim students in Udupi were stopped from attending classes wearing hijabs, triggering protests and counter-protests.

March 2022 | Karnataka High Court
Upheld hijab restrictions where uniforms were prescribed and ruled that wearing the hijab was not an essential religious practice in Islam.

October 2022 | Supreme Court
Delivered a split verdict—one judge upheld the restrictions, while the other opposed them.

December 2023 | Karnataka
The state government withdrew the 2022 hijab restriction order.

2026 | Allahabad High Court
Dismissed a Class XI student's plea seeking permission to wear a headscarf with the prescribed school uniform.

न्यायिक हस्तक्षेप:

- आवश्यक धार्मिक प्रथा (ERP) सिद्धांत का विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में प्रयोग किया गया है:
  - » **सबरीमाला मामला (2018):** धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के संदर्भ में महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया।
  - » **तीन तलाक मामला (2017):** सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा कि यह इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।
  - » **कर्नाटक हिजाब मामला:** न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या इस्लाम में हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है।
- न्यायालयों ने धार्मिक संप्रदायों तथा पशु बलि जैसी विभिन्न धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मामलों में भी इस सिद्धांत की जांच की है।

प्रमुख आलोचनाएं:

- **न्यायिक धार्मिक-शास्त्रीय हस्तक्षेप:** न्यायालयों के पास यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक धार्मिक या धर्मशास्त्रीय विशेषज्ञता न होने की संभावना रहती है कि किसी धर्म में कौन-सी प्रथा वास्तव में आवश्यक है।
- **व्यक्तिपरकता:** यह निर्धारित करने के लिए कोई पूरी तरह एकरूप और निश्चित कसौटी नहीं है कि किसी धार्मिक प्रथा को आवश्यक धार्मिक प्रथा माना जाए या नहीं।
- **धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सामाजिक सुधार:** यह सिद्धांत इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देता है कि समानता और गरिमा की रक्षा के लिए राज्य तथा न्यायपालिका को धार्मिक प्रथाओं में कितनी सीमा तक हस्तक्षेप करना चाहिए।

संवैधानिक महत्व:

- हिजाब का मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत गरिमा और संस्थागत अनुशासन के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- इसमें अनुच्छेद 14, 19 और 25 से जुड़े संवैधानिक प्रश्न शामिल हैं तथा यह संवैधानिक नैतिकता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की व्यापक अवधारणा पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।

निष्कर्ष:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आवश्यक धार्मिक प्रथा सिद्धांत की निरंतर प्रासंगिकता और उससे जुड़े विवादों को रेखांकित करता है। व्यापक संवैधानिक चुनौती यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, सामाजिक सुधार और संवैधानिक नैतिकता के बीच ऐसा संतुलन स्थापित किया जाए, जो व्यक्तिगत अधिकारों के साथ-साथ संस्थागत अनुशासन और संवैधानिक मूल्यों की भी रक्षा करे।

डिजिटल कृषि क्रांति: एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (iFMS) का नया चरण

संदर्भ:

हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग (DoF) ने एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (iFMS) को एक डेटा-संचालित (Data-Driven) आधुनिक चरण में स्थानांतरित कर दिया है। इस नए ढांचे के तहत iFMS को हरियाणा के 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' (MFMB) पोर्टल और राष्ट्रीय स्तर पर 'एग्रीस्टैक' (AgriStack) जैसी पहलों के साथ एकीकृत किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड और वास्तविक फसल आवश्यकताओं के आधार पर उर्वरकों का सटीक वितरण सुनिश्चित करना है।

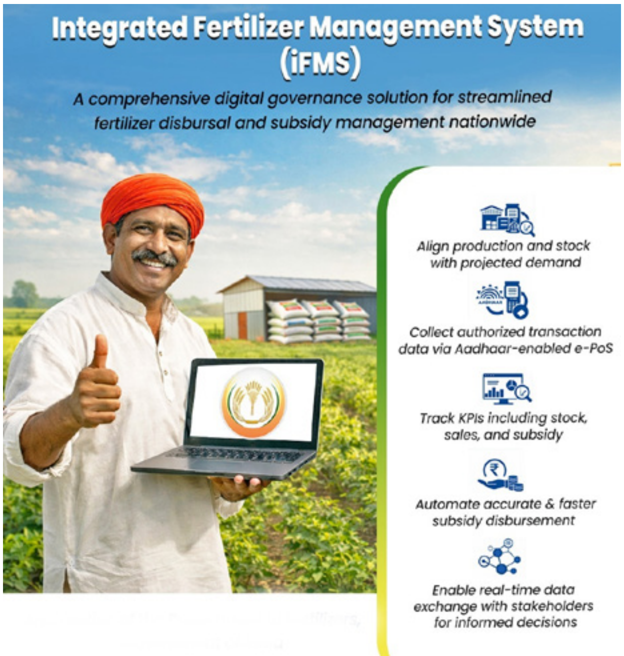
Integrated Fertilizer Management System (iFMS)
A comprehensive digital governance solution for streamlined fertilizer disbursal and subsidy management nationwide
Align production and stock with projected demand
Collect authorized transaction data via Aadhaar-enabled e-PoS
Track KPIs including stock, sales, and subsidy
Automate accurate & faster subsidy disbursement
Enable real-time data exchange with stakeholders for informed decisions

एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (iFMS):

- एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (iFMS) भारत सरकार का एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो उर्वरकों के उत्पादन, आयात, परिवहन, स्टॉक की उपलब्धता, खुदरा बिक्री और सब्सिडी के वितरण की पूरी श्रृंखला की निगरानी करता है।
- इसके जरिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उर्वरक आपूर्ति और स्टॉक की रियल-टाइम (वास्तविक समय) निगरानी की जाती है।
- यह देश की सबसे बड़ी डिजिटल प्रणालियों में से एक है, जो उर्वरक उत्पादन से लेकर अंतिम छोर तक वितरण की निगरानी करती है।

एकीकरण के प्रमुख लाभ:

- भूमि और फसल डेटा का सत्यापन (Crop & Land Mapping): iFMS को 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' (MFMB) के साथ जोड़ने से अब किसी भी किसान द्वारा खरीदे जाने वाले उर्वरक की मात्रा को उसके स्वामित्व वाली भूमि और बोई गई फसल के रकबे से मिलाया जा सकेगा। इससे उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी और गैर-कृषि कार्यों (जैसे उद्योगों में उपयोग) के लिए होने वाले अवैध डायवर्जन पर पूरी तरह रोक लगेगी।
- उन्नत निर्णय सहायता डैशबोर्ड (Decision Support System): नीति निर्माताओं के लिए एक केंद्रीकृत विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड विकसित किया गया है। यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर स्टॉक की उपलब्धता की रीयल-टाइम निगरानी करता है, जिससे किसी भी क्षेत्र में संभावित कमी या असामान्य खरीद का तुरंत पता लगाकर आपूर्ति को सुचारू बनाया जा सकता है।
- मोबाइल-ऐप आधारित प्री-बुकिंग प्रणाली: 'फर्टिलाइजर सेल फ्रेमवर्क' (FFS) के तहत किसान अब 'एग्रीस्टैक' (AgriStack) पहचान पत्र का उपयोग करके मोबाइल ऐप के माध्यम से उर्वरक की प्री-बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद डीलर के पास जाकर केवल क्यूआर (QR) कोड स्कैन करके तुरंत उर्वरक प्राप्त किया जा सकता है, जिससे लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी।
- आपूर्ति श्रृंखला और वित्तीय सुरक्षा: उर्वरक ले जाने वाले वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (VLTS) लगाया गया है ताकि पारगमन (Transit) के दौरान होने वाली चोरी को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, ई-सब्सिडी बिलिंग को सीधे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) से जोड़ा गया है, जिससे कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान तेजी से और सीधे होता है।

निष्कर्ष:

यह कदम भारत में 'सटीक कृषि' (Precision Farming) और 'डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे' (DPI) को मजबूत करने की दिशा में उपलब्ध है। यह उर्वरक सब्सिडी के अधिक लक्षित एवं पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से राजकोषीय संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग में योगदान दे सकता है। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देकर मृदा स्वास्थ्य (Soil Health) की भी रक्षा करेगा। हालांकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए देश के में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना और छोटे किसानों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना अनिवार्य होगा।

0
2500 km
NORTH AMERICA
EUROPE
ASIA
ATLANTIC OCEAN
SOUTHERN OCEAN
SOUTHERN OCEAN
STRALIA

3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

आर्कटिक का बदलता भू-राजनीतिक स्वरूप और शक्ति-संतुलन: भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौती

संदर्भ:

हाल ही में विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने 'ध्रुवीय क्षेत्रों (आर्कटिक और अंटार्कटिक) में भारत की भूमिका और उपस्थिति' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट वर्ष 2022 में जारी भारत की राष्ट्रीय आर्कटिक नीति के बाद देश की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं, भू-राजनीतिक रणनीतियों, रणनीतिक कमियों और बजटीय वास्तविकताओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तटस्थ मूल्यांकन पेश करती है। परंपरागत रूप से भारत ध्रुवीय क्षेत्रों को केवल दूरस्थ, जमे हुए महाद्वीपों और वैज्ञानिक अन्वेषण के मंच के रूप में देखता रहा है। हालांकि, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में ये क्षेत्र केवल विज्ञान तक सीमित नहीं हैं; ये अब जलवायु परिवर्तन, संसाधन सुरक्षा और वैश्विक भू-राजनीति के बड़े केंद्र बिंदु बन चुके हैं। समिति ने भारत के लिए पोलर एंबेसडर की नियुक्ति, आर्कटिक मामलों में संस्थागत क्षमता बढ़ाने, उत्तरी समुद्री मार्ग (Northern Sea Route- NSR) के विकास तथा आर्कटिक देशों के साथ व्यापक कूटनीतिक सहयोग जैसे कदम सुझाए हैं।

आर्कटिक का बदलता भू-राजनीतिक स्वरूप:

- आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री बर्फ में कमी आ रही है। इसके परिणामस्वरूप ऐसे समुद्री मार्ग अधिक समय तक नौवहन योग्य हो रहे हैं, जो पहले अत्यधिक कठिन थे। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण उत्तरी समुद्री मार्ग है, जो रूस के उत्तरी तट के साथ प्रशांत और यूरोपीय समुद्री क्षेत्र को जोड़ता है।
- इस परिवर्तन का प्रभाव वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। भारत जैसे व्यापार-निर्भर देश के लिए वैकल्पिक समुद्री मार्गों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वे पारंपरिक समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम कर सकते हैं। संसदीय समिति के अनुसार उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) भारत के लिए स्वेज़ कैनाल (Suez Canal) का संभावित वैकल्पिक मार्ग हो सकता है और भारत-रूस ने इस दिशा में एक संयुक्त कार्य समूह भी बनाया है, जिसके माध्यम से 2030 तक इस मार्ग से 5 मिलियन टन कार्गो का लक्ष्य रखा गया है।

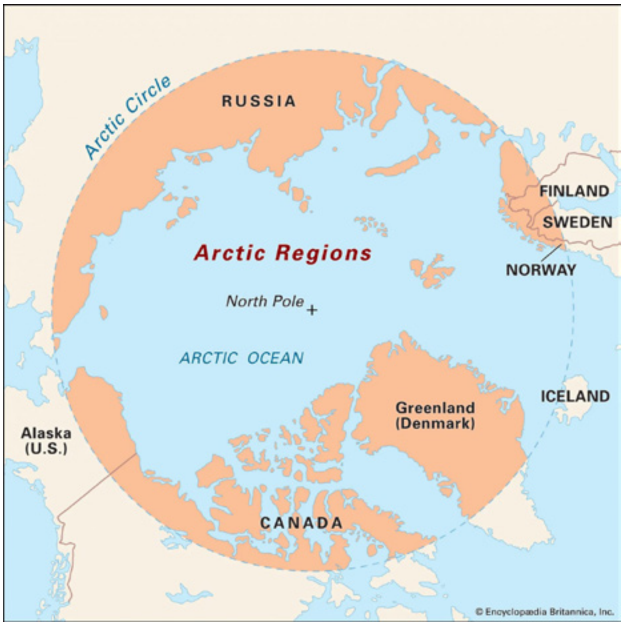
Arctic Circle
RUSSIA
FINLAND
SWEDEN
NORWAY
Arctic Regions
North Pole
ARCTIC OCEAN
ICELAND
Greenland (Denmark)
Alaska (U.S.)
CANADA
© Encyclopædia Britannica, Inc.

- आर्कटिक में समुद्री बर्फ में कमी केवल अवसर नहीं, बल्कि नई भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का भी संकेत है। समुद्री मार्ग खुलने के साथ बंदरगाह, ऊर्जा संसाधन, जहाजरानी, सैन्य तैनाती और डिजिटल अवसंरचना का महत्व बढ़ेगा। अतः आने वाले वर्षों में आर्कटिक भू-

राजनीति (Arctic geopolitics) हिंद-प्रशांत की तरह ही वैश्विक शक्ति-संतुलन को प्रभावित कर सकती है।

भारत के लिए आर्कटिक क्यों महत्वपूर्ण है?

- भारत के हित आर्कटिक से सीधे जुड़े हुए हैं। इसका पहला कारण जलवायु सुरक्षा है। आर्कटिक की जलवायु व्यवस्था में परिवर्तन वैश्विक मौसम प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम भारतीय मानसून, कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए हो सकते हैं। इसलिए भारत के लिए आर्कटिक कूटनीति का अर्थ केवल उत्तरी ध्रुव में उपस्थिति बनाना नहीं, बल्कि अपनी घरेलू जलवायु और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करना भी है।
- दूसरा आयाम ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों का है। आर्कटिक प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। संसदीय समिति ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि ऐसे महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध हैं जिनका उपयोग फार्मास्युटिकल और एयर-कंडीशनर जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में होता है। भारत की बढ़ती औद्योगिक अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण के संदर्भ में आर्कटिक देशों के साथ खनिज कूटनीति महत्वपूर्ण हो सकती है।
- तीसरा आयाम समुद्री संपर्क और व्यापार का है। भारत की एक्ट ईस्ट तथा एक्ट फ़ार ईस्ट नीतियों को यदि व्यापक समुद्री रणनीति से जोड़ा जाए, तो चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री संपर्क (Chennai–Vladivostok maritime connectivity) और उसके आगे आर्कटिक मार्ग भारत को हिंद महासागर, रूसी सुदूर पूर्व (Russian Far East) और आर्कटिक के बीच एक व्यापक संपर्क संरचना विकसित करने में मदद कर सकते हैं। भारत की रूस के साथ आर्कटिक सहयोग इसी व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है।

अंटार्कटिका में भारत की उपस्थिति:

- वर्ष 1920 की स्वालबार्ड संधि (Svalbard Treaty) पर ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में भारत ने भी एक मूल हस्ताक्षरकर्ता (signatory) के रूप में हस्ताक्षर किए थे। भारत ने अपना पहला अंटार्कटिका अभियान 1981 में शुरू किया था। भारत ने वहां तीन स्थायी अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए:
    - **दक्षिण गंगोत्री (1983):** यह भारत का पहला स्टेशन था, जो अब बर्फ में दब चुका है और आपूर्ति बेस के रूप में उपयोग होता है।
    - **मैत्री (1989):** यह स्टेशन वर्तमान में क्रियाशील है लेकिन अपनी निर्धारित 10 वर्ष की जीवन अवधि को काफी पहले पार कर चुका है।
    - **भारती (2012):** यह भारत का सबसे आधुनिक, अत्याधुनिक और पूरी तरह से क्रियाशील स्टेशन है।
- भारत ने 2008 में स्वालबार्ड संधि के आधार पर नॉर्वे के स्वालबार्ड (Ny-Ålesund) में अपने स्थायी अनुसंधान स्टेशन 'हिमाद्रि' की स्थापना की। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा विकासशील देशों में शामिल हो गया जिनकी दोनों ध्रुवों पर स्थायी वैज्ञानिक उपस्थिति है। 2014 में भारत ने आर्कटिक की कांग्सफजॉर्डन फजॉर्ड में 'इंडआर्क' (IndARC) नामक एक बहु-सेंसर वेधशाला भी तैनात की थी।

भारत की आर्कटिक कूटनीति:

- भारत ने आर्कटिक में अपनी उपस्थिति अपेक्षाकृत जल्दी स्थापित की थी। 2013 से भारत आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर स्टेट है। मार्च 2022 में भारत ने अपनी आर्कटिक नीति जारी की। इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, परिवहन एवं संपर्क, आर्कटिक शासन और संस्थागत क्षमता निर्माण शामिल हैं। फिर भी भारत की सबसे बड़ी समस्या नीति और क्षमता के बीच का अंतर है। भारत को अपनी आर्कटिक नीति के साथ एक स्पष्ट और प्रभावी आर्कटिक रणनीतिक नैरेटिव विकसित करने की आवश्यकता है।
- संसदीय समिति ने भी कई संरचनात्मक कमियों की पहचान की है- सीमित समुद्री पहुंच, लॉजिस्टिक कठिनाइयाँ, कम बजटीय आवंटन तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानव संसाधन की कमी। समिति ने पोलर रिसर्च स्कीम के तहत 30 प्रतिशत बढ़ोतरी और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च में अतिरिक्त स्थायी पदों की सिफारिश की है।

रूस और चीनी कारक:

- भारत की आर्कटिक रणनीति में रूस का महत्व सबसे अधिक है। रूस के पास विशाल आर्कटिक तटरेखा, बंदरगाह, ऊर्जा संसाधन तथा उत्तरी समुद्री मार्ग का बड़ा हिस्सा है। यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों और रूस के संबंधों में तनाव बढ़ने से आर्कटिक सहयोग का राजनीतिक स्वरूप भी बदल गया है। भारत के लिए यह स्थिति एक

जटिल कूटनीतिक संतुलन प्रस्तुत करती है।

- एक ओर रूस भारत को NSR, ऊर्जा, जहाजरानी और आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अवसर प्रदान कर सकता है। दूसरी ओर, आर्कटिक में रूस के साथ अत्यधिक निर्भरता भारत की अन्य आर्कटिक साझेदार, विशेषकर नार्डिक देशों, जापान और दक्षिण कोरिया, के साथ रणनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है।
- आर्कटिक राजनीति में चीन की बढ़ती सक्रियता भारत के लिए विशेष महत्व रखती है। चीन स्वयं को "आर्कटिक-निकटवर्ती देश" (Near-Arctic State) के रूप में प्रस्तुत करता है और आर्कटिक में रिसर्च, शिपिंग तथा आर्थिक सहयोग के माध्यम से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।
- संसदीय समिति ने भी कहा है कि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित कई एशियाई देशों के आर्कटिक देशों के साथ संबंध भारत की तुलना में अधिक मजबूत हैं। भारत को चीन से प्रतिस्पर्धा के नाम पर आर्कटिक को केवल रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखना चाहिए। भारत को विज्ञान, समुद्री कनेक्टिविटी, महत्वपूर्ण खनिज और नियम-आधारित व्यवस्था में अपनी उपयोगी भूमिका विकसित करनी चाहिए।

भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

- सीमित ध्रुवीय अनुसंधान अवसंरचना
- उच्च रसद एवं परिचालन लागत
- आइस-क्लास शिपिंग और ध्रुवीय प्रौद्योगिकी में सीमित क्षमता
- सीमित बजटीय विस्थापन
- प्रशिक्षित वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानव संसाधन की कमी
- रूस पर अत्यधिक निर्भरता का जोखिम
- चीन की बढ़ती आर्कटिक उपस्थिति
- आर्कटिक शासन में भारत की सीमित संस्थागत क्षमता
- जलवायु परिवर्तन और वाणिज्यिक दोहन के बीच संतुलन

आगे की राह:

- भारत को अपनी आर्कटिक रणनीति को प्रमुख स्तरों पर मजबूत करना चाहिए:
    - » संस्थागत क्षमता बढ़ाने के लिए पोलर एंबेसडर या एक सशक्त आर्कटिक मामलों का संस्थागत तंत्र बनाया जाना चाहिए। इससे विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बेहतर होगा।
    - » भारत को एक समर्पित ध्रुवीय अनुसंधान पोत और अत्याधुनिक आइस-क्लास समुद्री क्षमता विकसित करनी चाहिए। इससे विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम होगी और भारत वर्षभर वैज्ञानिक एवं रणनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रह सकेगा।
    - » नार्डिक देशों, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य ऑब्जर्वर स्टेट्स के साथ मुद्दा आधारित गठबंधन विकसित की जानी चाहिए। संसदीय समिति द्वारा भारत-जापान-सिंगापुर-दक्षिण कोरिया सहयोग का सुझाव इसी दिशा में महत्वपूर्ण है।
    - » भारत को आर्कटिक नीति को केवल जलवायु नीति न करके व्यापक विदेश-नीति साधन बनाना चाहिए, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री संपर्क, आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन, वैज्ञानिक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को एकजुट किया जाए।
    - » भारत को UNCLOS, आर्कटिक काउंसिल तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के माध्यम से नेविगेशन की स्वतंत्रता, पर्यावरणीय स्थिरता, वैज्ञानिक सहयोग और जिम्मेदार संसाधनों के उपयोग के सिद्धांतों को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष:

आर्कटिक का पिघलता हिम केवल जलवायु संकट का संकेत नहीं है; यह विश्व व्यवस्था के बदलते स्वरूप का भी संकेत है। जिस प्रकार 21वीं सदी में हिंद-प्रशांत वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख केंद्र बना है उसी प्रकार भविष्य में आर्कटिक भी व्यापार, संसाधन, समुद्री मार्ग और शक्ति-संतुलन का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन सकता है। भारत के सामने अवसर स्पष्ट है, लेकिन अवसर तभी रणनीतिक लाभ में बदल सकता है जब उसके पास दृष्टि के साथ क्षमता, कूटनीति के साथ निवेश और रणनीतिक स्वायत्तता के साथ संस्थागत तैयारी हो। भारत को आर्कटिक की दौड़ में किसी एक शक्ति के साथ खड़े होने की अपेक्षा ऐसी भूमिका विकसित करनी चाहिए जो उसे साझेदार, नियम-निर्माता और विश्वसनीय वैज्ञानिक शक्ति के रूप में स्थापित करे।

संक्षिप्त मुद्दे

स्पेन के सेउटा में प्रवासन संकट

सन्दर्भ:

हाल ही में मोरक्को से एक ही दिन में लगभग 50,000–60,000 प्रवासियों के स्पेन के स्यूटा (Ceuta) क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद स्पेन हाल के वर्षों के सबसे बड़े प्रवासन संकटों में से एक का सामना कर रहा है। इस प्रवासी प्रवाह से स्थानीय प्रशासन पर अत्यधिक दबाव पड़ा तथा कम-से-कम 41 लोगों की मृत्यु हुई, जिससे यूरोप में अनियमित प्रवासन से जुड़े मानवीय एवं सुरक्षा संबंधी गंभीर प्रश्न उजागर हुए हैं।

पृष्ठभूमि:

- स्यूटा (Ceuta) और मेलिला (Melilla) अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित स्पेन के दो स्वायत्त नगर हैं। ये यूरोपीय संघ (EU) की अफ्रीका के साथ एकमात्र स्थलीय सीमाएँ हैं, जिससे ये यूरोप पहुँचने की इच्छा रखने वाले प्रवासियों के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार बन गए हैं। प्रवासी प्रायः सीमा अवरोधों के चारों ओर तैरकर या अत्यधिक सुदृढ़ सीमा बाड़ों को पार कर स्यूटा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं।

प्रवासन में अचानक वृद्धि के कारण:

स्पेन सरकार ने इस अचानक बढ़ी प्रवासी संख्या के लिए निम्नलिखित कारण बताए हैं:

- मानव तस्करी गिरोहों द्वारा हालिया निर्णय जिसमें स्पेनिश सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि “समरी रिटर्न” (Hot Return) का प्रावधान केवल सीमा-बाड़ पार करने वाले प्रवासियों पर लागू होता है। सेउटा और मेलिला में समुद्र के रास्ते पहुँचने वाले प्रवासियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के वापस नहीं भेजा जा सकता। उन्हें सामान्य आव्रजन प्रक्रिया से गुजरना होगा, के संबंध में भ्रामक जानकारी फैलाना तथा यह झूठा दावा करना कि समुद्री मार्ग से आने वाले प्रवासियों को स्पेन में रहने की अनुमति मिल जाएगी।
- उत्तरी अफ्रीका के अनेक क्षेत्रों में आर्थिक कठिनाइयाँ, बेरोज़गारी और गरीबी का बने रहना।
- स्यूटा और मेलिला की मोरक्को से भौगोलिक निकटता, जिससे वे यूरोपीय संघ में प्रवेश के आकर्षक मार्ग बन जाते हैं।
- हालाँकि, कुछ मानवाधिकार संगठनों का तर्क है कि केवल कानूनी भ्रम नहीं, बल्कि संरचनात्मक सामाजिक-आर्थिक कारण इस बड़े पैमाने पर प्रवासन के प्रमुख कारण हैं।

स्पेन की प्रतिक्रिया:

- प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने स्यूटा का दौरा किया और इस बड़े पैमाने पर हुए प्रवेश को “स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन” बताया।
- व्यवस्था बहाल करने के लिए अतिरिक्त सैन्य बल तथा सिविल गार्ड की तैनाती की गई।
- स्पेन ने सीमा नियंत्रण सुदृढ़ करने और प्रवासियों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए मोरक्को के साथ समन्वय किया।
- अधिकारियों ने खतरनाक सीमा पार करने को बढ़ावा देने वाले मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने पर विशेष बल दिया।

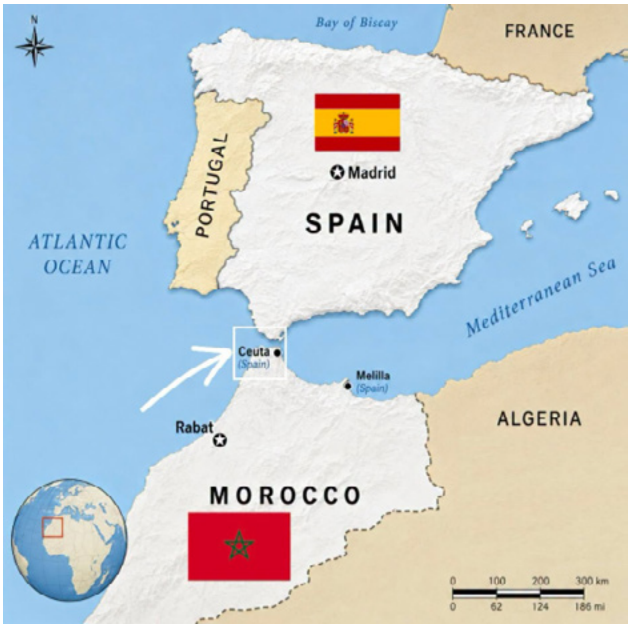

यूरोपीय प्रतिक्रिया:

- यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अवैध प्रवासन एवं प्रवासी तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही यूरोपीय संघ के प्रवासन नियमों के पालन की भी बात कही।
- कई यूरोपीय देशों ने सीमा निगरानी को और सुदृढ़ करने की घोषणा की, जिससे शेंगेन क्षेत्र में अनियमित प्रवासन को लेकर बढ़ती चिंता स्पष्ट हुई।
- इस संकट ने यूरोपीय संघ में दायित्व-साझाकरण, सीमा प्रबंधन और शरण नीति पर पुनः बहस को जन्म दिया है।

चुनौतियाँ:

- सीमा सुरक्षा बनाए रखते हुए बड़े पैमाने पर उत्पन्न मानवीय संकट

का प्रबंधन करना।

- विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों सहित प्रवासियों के अधिकारों एवं सुरक्षा की रक्षा करना।
- संगठित मानव तस्करी नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी एवं मानवाधिकार दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखना।
- भविष्य में ऐसे संकटों की रोकथाम हेतु स्पेन, मोरक्को और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना।

आगे की राह:

यह संकट इस बात को रेखांकित करता है कि प्रवासन प्रबंधन के लिए एक समग्र रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें सीमा सहयोग को मजबूत करना, मानव तस्करी नेटवर्क का उन्मूलन, वैध प्रवासन के बेहतर मार्ग विकसित करना तथा आर्थिक विकास एवं क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से प्रवासन के मूल कारणों का समाधान करना शामिल हो। स्थायी समाधान के लिए स्पेन, मोरक्को, यूरोपीय संघ तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच घनिष्ठ समन्वय आवश्यक होगा, ताकि मानवीय संरक्षण और प्रभावी सीमा प्रशासन दोनों सुनिश्चित किए जा सकें।

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) में विरोध प्रदर्शन

संदर्भ:

हाल ही में, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) के रावलाकोट, मुज़फ्फराबाद और कोटली सहित कई क्षेत्रों में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। ये प्रदर्शन मुख्यतः तीन चरणों में आयोजित विधानसभा चुनावों, कथित चुनावी धांधली, बढ़ती महँगाई, तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी के विरोध में किए जा रहे हैं।

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं?

- इन प्रदर्शनों की शुरुआत कोविड-19 महामारी के बाद बढ़ती महँगाई, बिजली दरों में वृद्धि तथा खराब शासन व्यवस्था के विरोध के रूप में हुई थी। समय के साथ यह आंदोलन व्यापक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर चुका है, जिसमें लोकतांत्रिक अधिकारों, स्थानीय प्रतिनिधित्व तथा निष्पक्ष चुनावों की मांग की जा रही है।
- प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 27 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक होने वाले तीन चरणों के विधानसभा चुनाव पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान (Establishment) के प्रभाव में कराए जा रहे हैं और ये स्थानीय जनता की वास्तविक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करते।
- एक प्रमुख विवाद 53 सदस्यीय विधानसभा की संरचना को लेकर है। इसमें 45 सदस्य निर्वाचित तथा 8 सदस्य नामित होते हैं। निर्वाचित 45 सीटों में से 12 सीटें 1947 के बाद जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान गए शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। चूँकि ये मतदाता PoJK में नहीं रहते, स्थानीय संगठनों का आरोप है कि इससे क्षेत्र के वास्तविक निवासियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर होता है और इस्लामाबाद को क्षेत्र की राजनीति पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है।

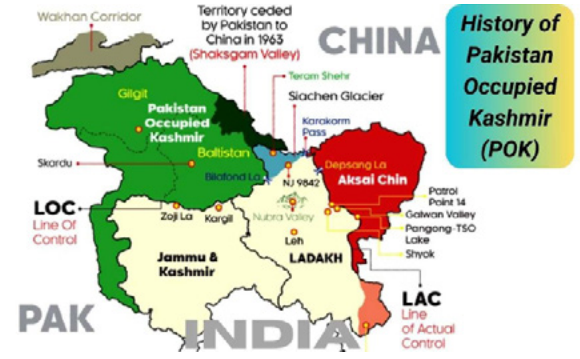
Wakhan Corridor
Territory ceded by Pakistan to China in 1963 (Shaksgam Valley)
CHINA
History of Pakistan Occupied Kashmir (POK)
Teram Shehr
Siachen Glacier
Karakorm Pass
Gilgit
Pakistan Occupied Kashmir
Baltistan
Skardu
Bilafond La
NJ 9842
Depsang La
Aksai Chin
Patrol Point 14
Galwan Valley
Pangong-TSO Lake
Shyok
LOC Line Of Control
Zoji La
Kargil
Nubra Valley
Leh
Jammu & Kashmir
LADAKH
LAC Line of Actual Control
PAK
INDIA

PoJK पर भारत का दृष्टिकोण:

- भारत का स्पष्ट और निरंतर रुख रहा है कि संपूर्ण जम्मू-कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) भी शामिल है, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। इस स्थिति की पुष्टि संसद के प्रस्तावों तथा भारत सरकार के आधिकारिक वक्तव्यों में कई बार की जा चुकी है।
- विदेश मंत्रालय (MEA) ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की निंदा की है। भारत ने PoJK में लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के लगातार हनन पर भी चिंता व्यक्त की है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ इस अवैध रूप से अधिकृत क्षेत्र के लोगों के कल्याण और उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की उपेक्षा को दर्शाती हैं।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व:

- पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर भारत की सुरक्षा और विदेश नीति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह जम्मू-कश्मीर केंद्र

शासित प्रदेश के साथ नियंत्रण रेखा (LoC) साझा करता है।

- यह क्षेत्र पाकिस्तान को गिलगित-बाल्टिस्तान तक रणनीतिक पहुँच प्रदान करता है, जहाँ से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) गुजरता है। भारत इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है।
- मुज़फ्फराबाद, कोटली और रावलाकोट जैसे क्षेत्र अतीत में सीमा पार आतंकवाद तथा घुसपैठ के प्रमुख केंद्र रहे हैं।
- PoJK में जारी अस्थिरता का सीधा प्रभाव भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन तथा क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। इसी कारण PoJK से जुड़े घटनाक्रम भारत के सुरक्षा, कूटनीतिक तथा भू-राजनीतिक हितों से सीधे जुड़े हुए हैं।

भारत की प्रमुख चिंताएँ:

- भारत के दृष्टिकोण से PoJK की वर्तमान स्थिति कई महत्वपूर्ण चिंताएँ उत्पन्न करती है:
    - » **मानवाधिकार उल्लंघन:** शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियाँ, मीडिया पर प्रतिबंध तथा संचार सेवाओं पर रोक मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती है।
    - » **सीमा पार आतंकवाद:** राजनीतिक अस्थिरता से एक ओर आतंकी ढाँचा कमजोर हो सकता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ बढ़ाकर ध्यान भटकाने का प्रयास कर सकते हैं।
    - » **चीन की बढ़ती भूमिका:** CPEC के माध्यम से चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति PoJK के भू-राजनीतिक महत्व को और बढ़ाती है।
    - » **क्षेत्रीय स्थिरता:** PoJK में लगातार जारी अशांति दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है।

निष्कर्ष:

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के प्रशासन के अंतर्गत शासन व्यवस्था की विफलता, लोकतांत्रिक अधिकारों की कमी तथा जन असंतोष को उजागर करते हैं। भारत के दृष्टिकोण से ये घटनाएँ उसके उस लंबे समय से चले आ रहे रुख को और मजबूत करती हैं कि PoJK भारत का अभिन्न अंग है। साथ ही, यह क्षेत्र के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों, मानवाधिकारों तथा विकास संबंधी आकांक्षाओं की रक्षा के महत्व को भी रेखांकित करता है।

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता

सन्दर्भ:

7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने मक्का में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में सामूहिक रक्षा का प्रावधान है, जिसके अनुसार किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। यह समझौता 2025 के सऊदी-अरब–पाकिस्तान रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर आधारित है और पश्चिम एशिया की बदलती सुरक्षा व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

त्रिपक्षीय गठबंधन का सामरिक विश्लेषण:

- तीनों देश एक-दूसरे की पूरक सामरिक क्षमताएँ लेकर आते हैं:
    - » **सऊदी अरब – वित्तीय शक्ति:** रियाद पर्याप्त वित्तीय संसाधन, ऊर्जा संपदा और रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर व्यय उपलब्ध कराता है। साथ ही, वह अपने सुरक्षा संबंधों में अधिक विविधता लाने का प्रयास भी कर रहा है।
    - » **तुर्किये – रक्षा-औद्योगिक शक्ति:** अंकारा उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध कराता है, जिनमें ड्रोन, नौसैनिक मंच और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएँ प्रमुख हैं।
    - » **पाकिस्तान – सैन्य शक्ति:** इस्लामाबाद एक बड़ी पारंपरिक सैन्य शक्ति, युद्ध संचालन का अनुभव और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, सऊदी अरब के साथ उसके लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंध भी इस साझेदारी को मजबूती प्रदान करते हैं।

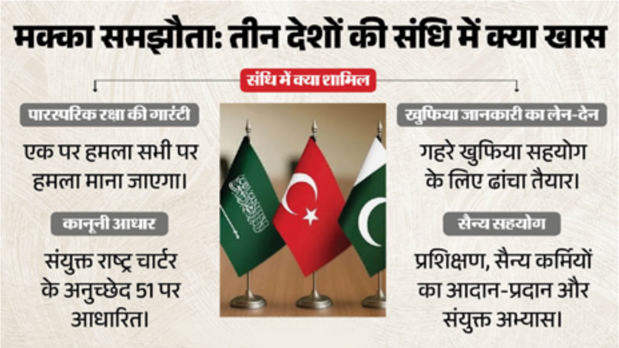

मक्का समझौता: तीन देशों की संधि में क्या खास

संधि में क्या शामिल

पारस्परिक रक्षा की गारंटी
एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा।

कानूनी आधार
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 पर आधारित।

खुफिया जानकारी का लेन-देन
गहरे खुफिया सहयोग के लिए ढांचा तैयार।

सैन्य सहयोग
प्रशिक्षण, सैन्य कर्मियों का आदान-प्रदान और संयुक्त अभ्यास।

भारत के लिए निहितार्थ:

- इस त्रिपक्षीय सुरक्षा धुरी का उभरना भारत के मूल राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति हितों से कई स्तरों पर सीधे जुड़ता है।

- **भारत-सऊदी संबंधों के लिए चुनौती:** नई दिल्ली ने पिछले एक दशक में रियाद के साथ मजबूत रणनीतिक और ऊर्जा साझेदारी विकसित की है। पाकिस्तान का खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्थाओं में औपचारिक समावेश एक जटिल परिस्थिति उत्पन्न करता है, जिससे क्षेत्र में भारत के कूटनीतिक प्रभाव को कुछ हद तक कमजोर किए जाने की संभावना बन सकती है।
- **पाकिस्तान-तुर्किये धुरी को बढ़ावा:** तुर्किये लगातार कश्मीर के मुद्दे पर भारत के रुख का विरोध करता रहा है। यह समझौता सऊदी वित्तीय संसाधनों के माध्यम से तुर्किये और पाकिस्तान के संयुक्त हथियार विकास को गति दे सकता है, जिससे भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की पारंपरिक सैन्य क्षमताओं में तेजी से वृद्धि हो सकती है।
- **परमाणु अस्पष्टता की चिंता:** यद्यपि पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मुख्यतः भारत-केंद्रित है, फिर भी पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा अपने रणनीतिक संसाधनों को सहयोगी देशों के लिए उपलब्ध कराने से संबंधित अस्पष्ट बयानों ने व्यापक एशियाई सुरक्षा व्यवस्था में अप्रत्याशित परिस्थितियों की संभावना को जन्म दिया है।
- **संपर्क एवं बुनियादी ढाँचे के लिए खतरा:** पश्चिम एशिया में बढ़ता सैन्य ध्रुवीकरण भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के विकास के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, क्योंकि यह परियोजना क्षेत्रीय स्थिरता पर काफी हद तक निर्भर करती है।

भारत के लिए आगे की रणनीति

- **आर्थिक परस्पर निर्भरता को मजबूत करना:** भारत को खाड़ी देशों के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और गहरा करना चाहिए।
- **रक्षा कूटनीति को सुदृढ़ करना:** नई दिल्ली को क्षेत्रीय साझेदारों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्री सहयोग, आतंकवाद-रोधी समन्वय और संयुक्त रक्षा अभ्यासों का विस्तार करना चाहिए।
- **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को गति देना:** भारत को ड्रोन, ड्रोन-रोधी प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सटीक मारक हथियारों और वायु रक्षा प्रणालियों में अपनी घरेलू क्षमताओं को और मजबूत करना चाहिए।
- **रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना:** भारत को सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इज़राइल, तुर्किये और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखने चाहिए तथा कठोर गुटीय राजनीति से बचना चाहिए।

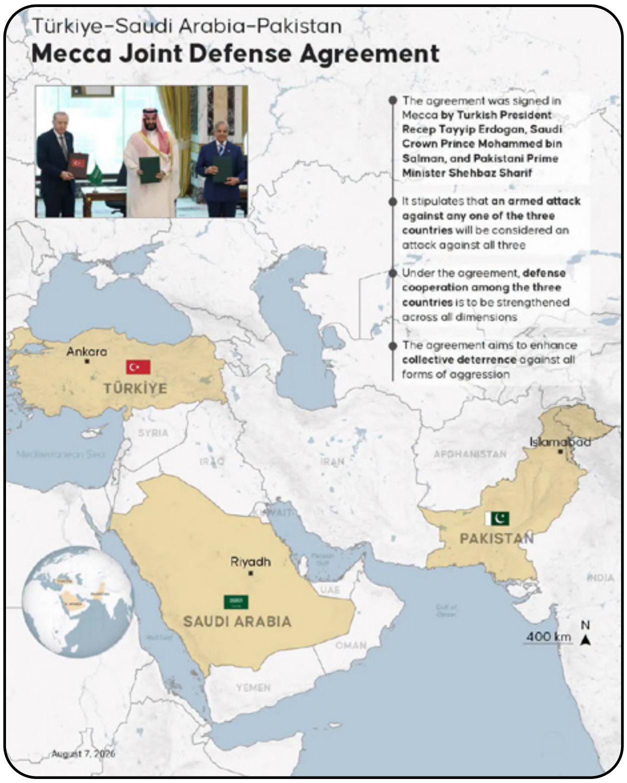
Türkiye-Saudi Arabia-Pakistan

Mecca Joint Defense Agreement

- The agreement was signed in Mecca **by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif**
- It stipulates that **an armed attack against any one of the three countries** will be considered an attack against all three
- Under the agreement, **defense cooperation among the three countries** is to be strengthened across all dimensions
- The agreement aims to enhance **collective deterrence** against all forms of aggression

August 7, 2026

भारत के लिए आगे की रणनीति

- **आर्थिक परस्पर निर्भरता को मजबूत करना:** भारत को खाड़ी देशों के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और गहरा करना चाहिए।
- **रक्षा कूटनीति को सुदृढ़ करना:** नई दिल्ली को क्षेत्रीय साझेदारों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्री सहयोग, आतंकवाद-रोधी समन्वय और संयुक्त रक्षा अभ्यासों का विस्तार करना चाहिए।
- **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को गति देना:** भारत को ड्रोन, ड्रोन-रोधी प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सटीक मारक हथियारों और वायु रक्षा प्रणालियों में अपनी घरेलू क्षमताओं को और मजबूत करना चाहिए।
- **रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना:** भारत को सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इज़राइल, तुर्किये और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखने चाहिए तथा कठोर गुटीय राजनीति से बचना चाहिए।

निष्कर्ष:

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पश्चिम एशिया में एक अधिक बहुध्रुवीय और परस्पर-जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था के उभरने को दर्शाता है। भारत के लिए यह समझौता चुनौतियों के साथ-साथ नए अवसर भी प्रस्तुत करता है। भारत के लिए उचित प्रतिक्रिया किसी प्रतिगुट के निर्माण की नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता, विविधीकृत साझेदारियों, मजबूत रक्षा क्षमताओं और पश्चिम एशिया के साथ गहरे आर्थिक जुड़ाव की होनी चाहिए।

भारत–जापान समुद्री सुरक्षा सहयोग: हिंद-प्रशांत साझेदारी को मजबूत करना

संदर्भ:

हाल ही में, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने नई दिल्ली में जापान–भारत रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन(MoA) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में परिचालन समन्वय को मजबूत करना और महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा करना है।

समुद्री सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

- यह MoA भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स(JMSDF) के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, विशेष रूप से:
    - समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) और सूचना साझा करना।
    - खोज एवं बचाव (SAR) अभियान।
    - मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR)।
    - नौसैनिक यात्राओं, संयुक्त अभ्यासों, कार्मिकों और विषय विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के माध्यम से SLOCs की सुरक्षा।
    - बंदरगाहों तथा रखरखाव और मरम्मत सुविधाओं तक पहुँच सहित रसद सहयोग।

रक्षा प्रौद्योगिकी और जहाज निर्माण:

- भारत और जापान ने नौसैनिक जहाज निर्माण और डिजाइन में संयुक्त विकास की संभावनाएँ तलाशने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की उत्पादन क्षमताओं को मेक इन इंडिया के तहत संयोजित किया जाएगा।
- दोनों देशों ने माइन-काउंटरमेजर क्षमताओं को मजबूत करने और जहाजों की मरम्मत सुविधाओं तक पारस्परिक पहुँच की दिशा में काम करने पर भी सहमति जताई।
- UNICORN एकीकृत संचार एंटीना प्रणाली को दोनों देशों के बीच पहली रक्षा उपकरण हस्तांतरण परियोजना के रूप में रेखांकित किया गया, जो उनकी बढ़ती रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारी का प्रतीक है।

सैन्य अभ्यास:

- दोनों देशों ने प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यासों में हुई प्रगति का स्वागत किया:
    - **धर्म गार्जियन** – थल सेना अभ्यास।
    - **JAIMEX** – समुद्री अभ्यास।
    - **वीर गार्जियन 26** – वायु सेना अभ्यास।
- वीर गार्जियन 26 के लिए जापानी लड़ाकू विमानों के पहली बार भारत आने की योजना है। दोनों पक्षों ने अभ्यासों की जटिलता बढ़ाने और मानवरहित प्रणालियों को एकीकृत करने पर भी सहमति व्यक्त की।

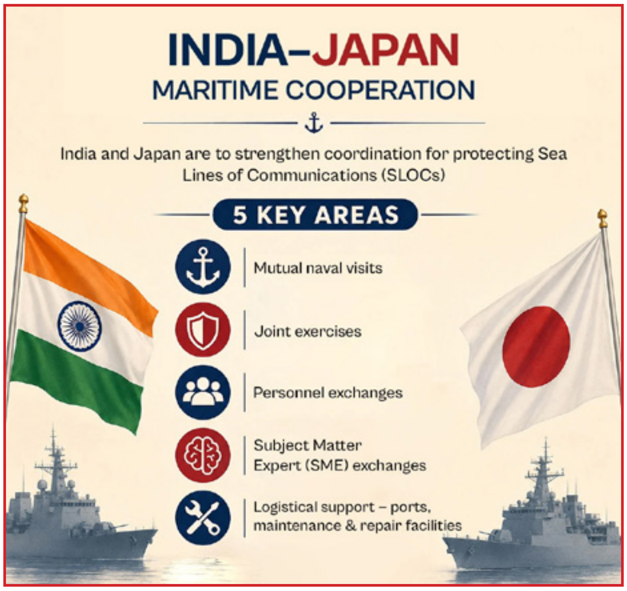
INDIA–JAPAN
MARITIME COOPERATION
5 KEY AREAS
Mutual naval visits
Joint exercises
Personnel exchanges
Subject Matter Expert (SME) exchanges
Logistical support – ports, maintenance & repair facilities

India and Japan are to strengthen coordination for protecting Sea Lines of Communications (SLOCs)

संस्थागत तंत्र:

- एक महानिदेशक/संयुक्त सचिव स्तर का कार्य समूह परिचालन, खुफिया, उपकरण, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग का समन्वय करेगा। इस तंत्र का उद्देश्य कार्यान्वयन में तेजी लाना और अधिकतम तालमेल स्थापित करना है।

व्यापक हिंद-प्रशांत सहयोग:

- भारत और जापान ने फरवरी 2026 में आयोजित पहले भारत–जापान–इंडोनेशिया त्रिपक्षीय नौसैनिक PASSEX का स्वागत

किया। दोनों देशों ने कार्मिकों और आपूर्ति की आपदा राहत परिवहन के लिए हिंद-प्रशांत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (IPLN) के माध्यम से सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमति व्यक्त की।

रणनीतिक महत्व:

- यह साझेदारी निम्नलिखित को मजबूत करती है:
  - » समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता।
  - » महत्वपूर्ण व्यापार और ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा।
  - » रक्षा औद्योगिक सहयोग और आत्मनिर्भरता।
  - » हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति।
  - » स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत की स्थापना।

निष्कर्ष:

अगस्त 2026 का यह समझौता भारत–जापान रक्षा सहयोग को पारंपरिक सैन्य अभ्यासों से आगे बढ़ाकर परिचालन, तकनीकी और औद्योगिक एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण विस्तार दर्शाता है। समुद्री जागरूकता, SLOCs की सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करके यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा में योगदान देता है।

ईरान को 'मक्का रक्षा समझौते' में शामिल होने का निमंत्रण

संदर्भ:

हाल ही में, ईरान को कथित रूप से मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में शामिल होने के लिए आधिकारिक निमंत्रण मिला है। यह समझौता सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान द्वारा किया गया है। पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक और सुरक्षा समीकरणों के बीच यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है।

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता क्या है?

- सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने 7 अगस्त 2026 को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें सामूहिक रक्षा का प्रावधान है, जिसके अनुसार किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा।
- यह समझौता 2025 के सऊदी अरब-पाकिस्तान रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर आधारित है और पश्चिम एशिया की उभरती सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

ईरान का संभावित समावेश क्यों महत्वपूर्ण है?

- ईरान का संभावित प्रवेश महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सऊदी अरब के साथ उसके संबंध ऐतिहासिक रूप से प्रतिस्पर्धापूर्ण रहे हैं। इससे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता से आगे बढ़कर व्यापक सुरक्षा सहयोग की दिशा में बदलाव का संकेत मिल सकता है।
- इससे यह समझौता तीन देशों के बीच सीमित व्यवस्था से बदलकर एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे का रूप भी ले सकता है। हालांकि, ईरान की वास्तविक भागीदारी अभी अनिश्चित है।

भू-राजनीतिक चुनौतियाँ और अंतर्विरोध:

- कथित राजनयिक पहल के बावजूद कई संरचनात्मक बाधाएँ हैं, जिनके कारण ईरान का इसमें शामिल होना अभी अत्यधिक अनिश्चित माना जा रहा है।
  - » **सक्रिय शत्रुता:** यह ऐसे समय आया जब क्षेत्र में तनाव जारी है। 18 अगस्त 2026 को सऊदी अरब द्वारा ईरान के साथ व्यापार रोकने की खबरें जारी तनाव और संभावित रक्षा गठबंधन के बीच मौजूद विरोधाभास को दर्शाती हैं।
  - » **प्रतिनिधि युद्ध:** ईरान समर्थित समूह, जिनमें हूती भी शामिल हैं, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रमुख चिंता बने हुए हैं। ऐसे समूहों के साथ ईरान के संबंधों को सामूहिक रक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं के साथ समायोजित करना चुनौतीपूर्ण होगा।
  - » **रणनीतिक अविश्वास:** पश्चिमी देशों की सैन्य उपस्थिति, क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर ईरान तथा खाड़ी देशों के बीच मतभेद हैं। ये मतभेद एकीकृत सामूहिक कूटनीति के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं।

IRAN INVITED TO JOIN
MECCA
DEFENCE PACT?
MECCA JOINT DEFENCE AGREEMENT
SAUDI ARABIA • PAKISTAN • TÜRKIYE
INVITATION EXTENDED TO
IRAN!
ONE ATTACK ON ONE = ATTACK ON ALL

रणनीतिक महत्व:

- **सऊदी अरब:** आर्थिक शक्ति, ऊर्जा संसाधन और व्यापक रक्षा व्यय।

- **तुर्किये:** उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी, ड्रोन तथा नौसैनिक क्षमताएँ।
- **पाकिस्तान:** पारंपरिक सैन्य शक्ति और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता।
- **ईरान:** व्यापक भू-राजनीतिक प्रभाव, सैन्य क्षमताएँ और महत्वपूर्ण रणनीतिक भौगोलिक स्थिति।

भारत की विदेश नीति पर प्रभाव:

- **'पश्चिम की ओर देखो' नीति में संतुलन:** भारत के सऊदी अरब के साथ ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संबंध हैं। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से सहयोग है, जबकि तुर्किये के साथ आर्थिक संबंध हैं। ऐसे में व्यापक क्षेत्रीय समूह के उभरने पर भारत को अधिक सक्रिय बहुपक्षीय कूटनीति की आवश्यकता होगी।
- **पाकिस्तान का कारक:** संसाधन-संपन्न इस्लामी रक्षा व्यवस्था में पाकिस्तान की केंद्रीय भूमिका दक्षिण एशिया के सुरक्षा संतुलन और भारत की रणनीतिक गणनाओं को प्रभावित कर सकती है।
- **ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा:** ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिए भारत पश्चिम एशिया की स्थिरता पर काफी निर्भर है। यदि कोई सफल क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था विकसित होती है और वह समावेशी रहती है, तो संघर्षों में कमी के माध्यम से भारत को लाभ मिल सकता है।

भारत के सामने चुनौतियाँ:

- बढ़ते क्षेत्रीय सैन्य गुट।
- पाकिस्तान-तुर्किये रक्षा सहयोग में वृद्धि।
- परमाणु सुरक्षा संबंधी चिंताएँ।
- ऊर्जा और समुद्री मार्गों के लिए खतरे।
- ईरान, सऊदी अरब, तुर्किये और अमेरिका के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना।

आगे की राह:

- भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए और कठोर गुटीय राजनीति से बचना चाहिए। उसे रक्षा कूटनीति, समुद्री सहयोग और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के साथ-साथ ड्रोन, ड्रोन-रोधी प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और वायु रक्षा के क्षेत्र में रक्षा स्वदेशीकरण को तेज करना चाहिए।
- नई दिल्ली को खाड़ी देशों के साथ आर्थिक और ऊर्जा साझेदारी को और मजबूत करना चाहिए तथा साथ ही ईरान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखने चाहिए।

निष्कर्ष:

ईरान को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में शामिल होने के लिए दिया गया कथित निमंत्रण पश्चिम एशिया की तेजी से बदलती सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाता है। भारत के लिए प्राथमिकता रणनीतिक स्वायत्तता, विविधीकृत साझेदारियाँ, ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत रक्षा क्षमताएँ होनी चाहिए। साथ ही, भारत को क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने तथा अपने संपर्क एवं परिवहन संबंधी हितों की रक्षा करने पर ध्यान देना चाहिए।

भारत-चीन सीमा निर्धारण: बातचीत, LAC विवाद और अहम समझौते

संदर्भ:

हाल ही में भारत और चीन के मध्य बीजिंग में विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता आयोजित हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सीमा पर शांति बनाए रखने तथा सीमा परिसीमन वार्ता को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।

हालिया प्रगति:

- दोनों पक्षों ने परिसीमन वार्ता को आगे बढ़ाने, सीमा प्रबंधन को मजबूत करने, संस्थागत तंत्र में सुधार करने तथा सीमा-पार सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की।
- इससे पहले, भारत और चीन ने सीमा के अपेक्षाकृत कम विवादित हिस्सों के समाधान के लिए "अर्ली हार्वेस्ट" दृष्टिकोण अपनाने की संभावना तलाशने पर सहमति जताई थी। हालांकि, हालिया वार्ता में उन क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया, जहां ऐसा परिसीमन किया जा सकता है।
- परिसीमन (Delimitation) का अर्थ सीमा की रेखा के निर्धारण पर समझौता करना है, जबकि सीमांकन (Demarcation) का अर्थ सहमत सीमा को जमीन पर भौतिक रूप से चिह्नित करना है।
- 2005 का राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों संबंधी समझौता अंतिम सीमा समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा बना हुआ है। इसमें दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य और पैकेज-आधारित समाधान की परिकल्पना की गई है।

भारत–चीन सीमा विवाद क्या है?

- भारत–चीन सीमा विवाद को तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया

जाता है:

- **पश्चिमी क्षेत्र:** इसमें लद्दाख और अक्साई चिन शामिल हैं। भारत अक्साई चिन पर अपना दावा करता है, जबकि वर्तमान में चीन का इस क्षेत्र पर नियंत्रण है।
- **मध्य क्षेत्र:** इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं तथा बारा होती जैसे विवादित क्षेत्र भी आते हैं।
- **पूर्वी क्षेत्र:** इसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं। चीन मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता और अरुणाचल प्रदेश, विशेषकर तवांग, पर दावा करता है।

- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) वास्तविक नियंत्रण की एक रेखा है, न कि दोनों देशों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत और कानूनी रूप से सीमांकित अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसके निर्धारण को लेकर दोनों देशों की अलग-अलग धारणाएं रही हैं, जिसके कारण बार-बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है।

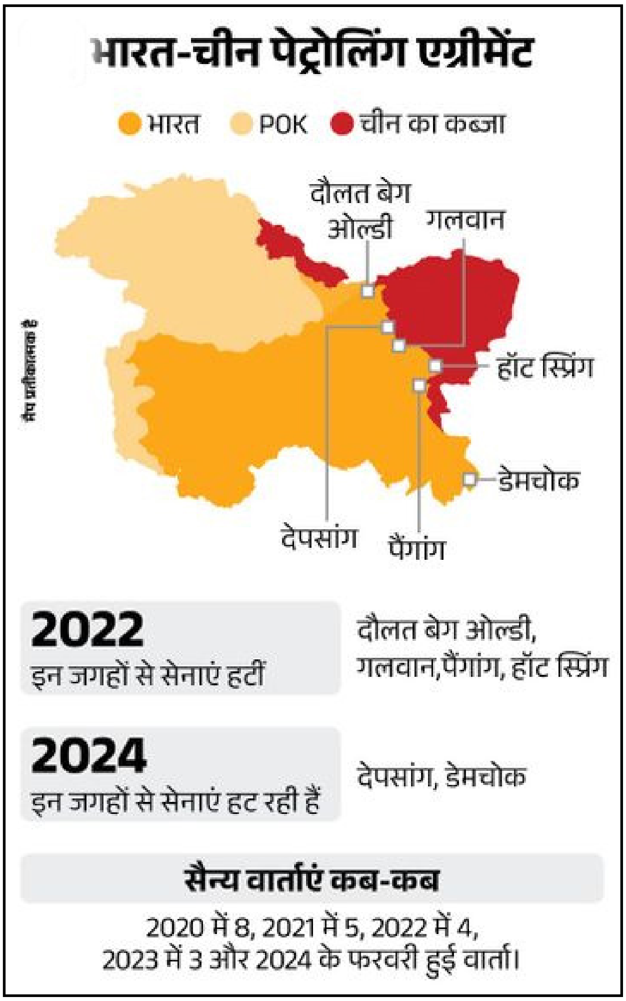
भारत-चीन पेट्रोलिंग एग्रीमेंट
● भारत ● POK ● चीन का कब्जा
दौलत बेग ओल्डी
गलवान
हॉट स्प्रिंग
डेमचोक
देपसांग
पैंगांग
मैप प्रतीकात्मक है
2022
इन जगहों से सेनाएं हटीं
दौलत बेग ओल्डी, गलवान, पैंगांग, हॉट स्प्रिंग
2024
इन जगहों से सेनाएं हट रही हैं
देपसांग, डेमचोक
सैन्य वार्ताएं कब-कब
2020 में 8, 2021 में 5, 2022 में 4, 2023 में 3 और 2024 के फरवरी हुई वार्ता।

सीमा विवाद से निपटने के तंत्र:

- भारत और चीन ने सीमा विवाद के प्रबंधन के लिए कई तंत्र स्थापित किए हैं:
  - **1993 का समझौता:** LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रावधान करता है।
  - **1996 का समझौता:** विश्वास-निर्माण उपायों तथा सैन्य गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंधों का प्रावधान करता है।
  - **2005 का समझौता:** सीमा विवाद के समाधान के लिए राजनीतिक मापदंड निर्धारित करता है।
  - **WMCC (2012):** सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए राजनयिक स्तर का तंत्र है।
  - **विशेष प्रतिनिधियों का तंत्र:** वार्ता के लिए उच्च-स्तरीय राजनीतिक ढांचा प्रदान करता है।
  - **सैन्य-स्तरीय वार्ता:** सैनिकों की डिसएंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है।
- इसके आगे, दोनों पक्षों को LAC की धारणाओं को स्पष्ट करने, संकट-प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने और क्षेत्रवार परिसीमन की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारत और चीन को सीमा परिसीमन के लिए क्रमिक, पारस्परिक रूप से स्वीकार्य और समझौते पर आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कम विवादित क्षेत्रों में शुरुआती प्रगति से आपसी विश्वास बढ़ सकता है और अंतिम सीमा समाधान के लिए सकारात्मक गति तैयार हो सकती है।

भारत-अमेरिका जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल डील

संदर्भ:

हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय सेना के लिए 292 करोड़ रुपये ($45 मिलियन) के 'जैवलिन' एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) समझौते को अंतिम रूप दिया है। भारतीय सेना ने अमेरिकी विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र (LOA) पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने इस समझौते को दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है तथा इसे भविष्य में सह-उत्पादन (Co-production) और रक्षा औद्योगिक सहयोग के अवसरों से जोड़ा है।

जावेलिन मिसाइल क्या है?

- FGM-148 जैवलिन, अमेरिका द्वारा विकसित एक मैन-पोर्टेबल, शोल्डर-लॉन्च्ड, फायर-एंड-फॉरगेट एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली है। इसे मुख्य रूप से टैंक, बख्तरबंद वाहनों तथा अन्य संरक्षित लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इसका प्रमुख गुण यह है कि प्रक्षेपण के बाद ऑपरेटर को लगातार लक्ष्य पर मिसाइल निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती।
- जावेलिन में इन्फ्रारेड सीकर का उपयोग होता है और यह टॉप-अटैक और डायरेक्ट-अटैक दोनों मोड में लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है। टॉप-अटैक मोड में मिसाइल बख्तरबंद वाहन के अपेक्षाकृत कमजोर ऊपरी हिस्से को निशाना बनाती है, जिससे आधुनिक टैंकों के विरुद्ध इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं के संदर्भ में जावेलिन की खरीद विशेष महत्व रखती है। पर्वतीय और दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में हल्की तथा पोर्टेबल एंटी-टैंक प्रणाली पैदल सैनिकों की युद्धक क्षमता बढ़ा सकती है।
- विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर बदलती सैन्य परिस्थितियों के बीच आधुनिक कवच-रोधी क्षमता (anti-armour capability) भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण है।
- पिछले वर्ष हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पैदा हुई रणनीतिक परिस्थितियों और उत्तरी सीमाओं पर बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए इस आपातकालीन सौदे को अंतिम रूप दिया गया है।
- समझौते के शुरुआती चरण में भारतीय सेना को लगभग 60 जैवलिन मिसाइल राउंड और 16 से 25 लाइटवेट लॉन्च यूनिट्स प्राप्त होंगी। इन हथियारों की पहली खेप वर्ष 2026-27 के अंत तक भारत पहुंचने की उम्मीद है, जिससे अग्रिम मोर्चे पर तैनात इन्फैंट्री (पैदल सेना) की मारक क्षमता में वृद्धि होगी।

भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों में नया चरण:

- जावेलिन समझौता केवल हथियार खरीद तक सीमित नहीं है। इससे दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भविष्य के सहयोग और सह-उत्पादन के अवसर खुल सकते हैं।
- यह भारत की 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की प्राथमिकताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण संभावना है। हालाँकि, वास्तविक सह-उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विशेषकर मिसाइल के अत्याधुनिक सीकर टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण चुनौती रहेगा।
- पूर्व में जावेलिन के भारत में सह-उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा हुई थी, लेकिन तकनीकी हस्तांतरण से संबंधित मुद्दों के कारण इसे आगे बढ़ाने में बाधाएँ रही हैं।

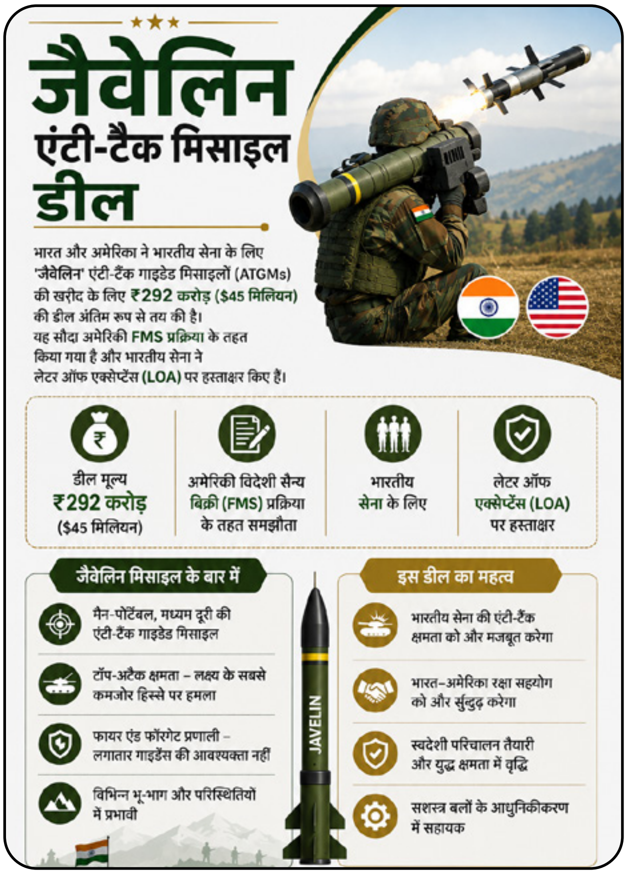

जैवेलिन
एंटी-टैंक मिसाइल
डील

भारत और अमेरिका ने भारतीय सेना के लिए 'जैवेलिन' एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों (ATGMs) की खरीद के लिए ₹292 करोड़ ($45 मिलियन) की डील अंतिम रूप से तय की है।
यह सौदा अमेरिकी FMS प्रक्रिया के तहत किया गया है और भारतीय सेना ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) पर हस्ताक्षर किए हैं।

डील मूल्य ₹292 करोड़ ($45 मिलियन)

अमेरिकी विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) प्रक्रिया के तहत समझौता

भारतीय सेना के लिए

लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) पर हस्ताक्षर

जैवेलिन मिसाइल के बार में

- मैन-पोर्टेबल, मध्यम दूरी की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल
- टॉप-अटैक क्षमता – लक्ष्य के सबसे कमजोर हिस्से पर हमला
- फायर एंड फॉरगेट प्रणाली – लगातार गाइडेंस की आवश्यक्ता नहीं
- विभिन्न भू-भाग और परिस्थितियों में प्रभावी

इस डील का महत्व

- भारतीय सेना की एंटी-टैंक क्षमता को और मजबूत करेगा
- भारत–अमेरिका रक्षा सहयोग को और सुन्दुढ़ करेगा
- स्वदेशी परिचालन तैयारी और युद्ध क्षमता में वृद्धि
- सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में सहायक

रणनीतिक महत्व:

- अमेरिकी जैवलिन मिसाइल तकनीक का भारतीय सेना में शामिल होना न केवल भारत की रक्षा तैयारियों को अभेद्य बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होगा।
- यह रणनीतिक रक्षा सौदा ऐसे समय में हुआ है जब हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता बन चुका है।
- जावेलिन सौदा भारत की बहु-स्रोत रक्षा खरीद नीति को भी दर्शाता है। भारत एक ओर स्वदेशी प्रणालियों के विकास पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर तात्कालिक परिचालन आवश्यकताओं के लिए उन्नत विदेशी प्रणालियों की खरीद भी कर रहा है। इससे तत्काल क्षमता वृद्धि और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन बनाने

की चुनौती सामने आती है।

निष्कर्ष:

भारत अब जैवलिन का उपयोग करने वाले चुनिंदा वैश्विक देशों के क्लब में शामिल हो गया है, जो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती सैन्य और कूटनीतिक शक्ति को दर्शाता है। जावेलिन की खरीद भारतीय सेना की एंटी-आर्मर क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को 'क्रेता-विक्रेता संबंध' से आगे बढ़ाकर टेक्नोलॉजी, औद्योगिक सहयोग और सह-उत्पादन की दिशा में ले जाने का अवसर प्रदान करती है।

भारत-उज्बेकिस्तान संबंध

संदर्भ:

अगस्त 2026 में भारत के प्रधानमंत्री की ताशकंद (उज्बेकिस्तान) की आधिकारिक यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) में अपग्रेड किया है। इस शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 2026 के मुख्य बिंदु:

- **ऊर्जा सुरक्षा (दीर्घकालिक यूरेनियम समझौता):** भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह उज्बेकिस्तान से भारत को मिलने वाली यूरेनियम आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करेगा।
- **कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन (UPI और UZQR एकीकरण):** डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के क्षेत्र में भारत की बड़ी सफलता के तहत, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और उज्बेकिस्तान के HUMO नेटवर्क के बीच समझौता हुआ। इसके तहत भारतीय UPI अब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय UZQR कोड के साथ एकीकृत होगा, जिससे डिजिटल व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- **व्यापार और निवेश:** वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 33% बढ़कर 1.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। दोनों देशों ने 2030 तक 5 बिलियन डॉलर का व्यापार लक्ष्य रखा है। इसके लिए एक अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) पर बातचीत तेज की जा रही है।
- **पर्यटन और संस्कृति:** उज्बेकिस्तान ने भारतीय नागरिकों के लिए 30 दिनों तक वीज़ा-मुक्त यात्रा की घोषणा की है। साथ ही, भारत ने अरल सागर बेसिन के पारिस्थितिकी सुधार के लिए 1 मिलियन डॉलर की सहायता और तर्मेज़ (Termez) में बौद्ध पुरातात्विक स्थलों (फयाज तेपा और कारा तेपा) के संरक्षण के लिए तकनीकी सहायता की घोषणा की है।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध:

- भारत और उज्बेकिस्तान के संबंध सदियों पुराने सिल्क रोड (Silk Road) संस्कृति से जुड़े हैं।
    - **बौद्ध विरासत:** उज्बेकिस्तान के टर्मेज़ (Termez) में स्थित 'फायाज़ तेपा' (Fayaz Tepa) और 'कारा तेपा' (Kara Tepa) जैसे प्राचीन बौद्ध स्थल दोनों देशों के गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते हैं।
    - **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** हालिया शिखर सम्मेलन में भारत ने इन प्राचीन बौद्ध स्थलों के संरक्षण के लिए तकनीकी सहायता देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, सूफीवाद और मुग़ल इतिहास ने भी दोनों देशों के जन-दर-जन (People-to-People) संबंधों को मजबूत किया है।

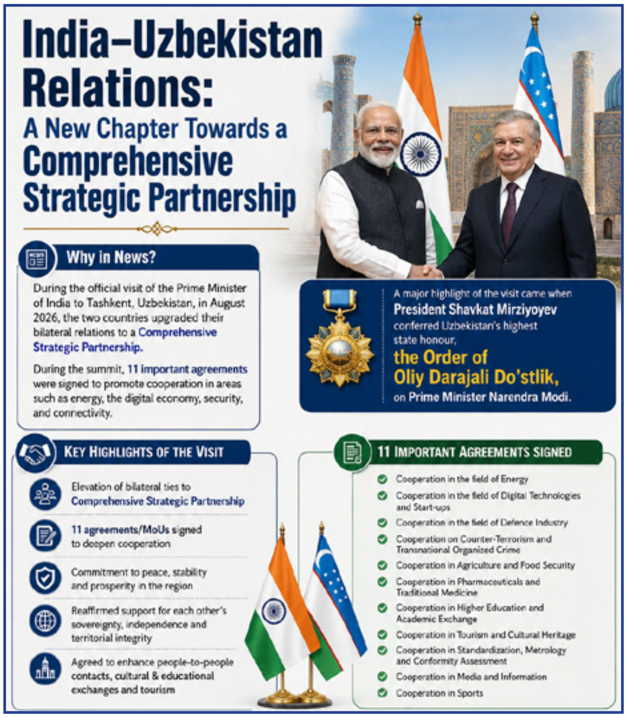

India–Uzbekistan Relations:
A New Chapter Towards a
Comprehensive Strategic Partnership

Why in News?

During the official visit of the Prime Minister of India to Tashkent, Uzbekistan, in August 2026, the two countries upgraded their bilateral relations to a **Comprehensive Strategic Partnership.**

During the summit, **11 important agreements** were signed to promote cooperation in areas such as energy, the digital economy, security, and connectivity.

A major highlight of the visit came when **President Shavkat Mirziyoyev** conferred Uzbekistan's highest state honour, **the Order of Oliy Darajali Do'stlik,** on **Prime Minister Narendra Modi.**

KEY HIGHLIGHTS OF THE VISIT

- Elevation of bilateral ties to **Comprehensive Strategic Partnership**
- **11 agreements/MoUs** signed to deepen cooperation
- Commitment to peace, stability and prosperity in the region
- Reaffirmed support for each other's sovereignty, independence and territorial integrity
- Agreed to enhance people-to-people contacts, cultural & educational exchanges and tourism

11 IMPORTANT AGREEMENTS SIGNED

- ✓ Cooperation in the field of Energy
- ✓ Cooperation in the field of Digital Technologies and Start-ups
- ✓ Cooperation in the field of Defence Industry
- ✓ Cooperation on Counter-Terrorism and Transnational Organized Crime
- ✓ Cooperation in Agriculture and Food Security
- ✓ Cooperation in Pharmaceuticals and Traditional Medicine
- ✓ Cooperation in Higher Education and Academic Exchange
- ✓ Cooperation in Tourism and Cultural Heritage
- ✓ Cooperation in Standardization, Metrology and Conformity Assessment
- ✓ Cooperation in Media and Information
- ✓ Cooperation in Sports

भारत के लिए उज्बेकिस्तान का रणनीतिक महत्व:

- **मध्य एशिया का प्रवेश द्वार:** उज्बेकिस्तान भू-राजनीतिक रूप से मध्य एशिया के केंद्र में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं अन्य सभी चार मध्य एशियाई देशों और अफगानिस्तान से मिलती हैं। भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी' (Connect Central Asia Policy) की सफलता के लिए उज्बेकिस्तान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।
- **सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग:** अफगानिस्तान में स्थिरता और धार्मिक कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करते हैं। दोनों सेनाओं के बीच 'डस्टलिक' (Exercise Dustlik) सैन्य अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किया जाता है (7वां संस्करण अप्रैल 2026 में संपन्न हुआ)।
- **यूरेशियाई एकीकरण:** शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर उज्बेकिस्तान, भारत का एक मजबूत सहयोगी है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **भौगोलिक बाधा:** पाकिस्तान द्वारा पारगमन (Transit) मार्ग की अनुमति न देने के कारण भारत की मध्य एशिया तक सीधी पहुंच नहीं है।
- **चाबहार बंदरगाह और INSTC की धीमी गति:** ईरान के चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के माध्यम से कनेक्टिविटी विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भू-राजनीतिक तनावों के कारण इसकी गति धीमी रही है।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) के माध्यम से मध्य एशिया में बीजिंग का आर्थिक और ढांचागत प्रभुत्व भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है।

आगे की राह:

भारत को उज्बेकिस्तान के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए चाबहार बंदरगाह के माध्यम से परिवहन संपर्क को जल्द से जल्द क्रियान्वित करना होगा। इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा उत्पादन और डिजिटल अर्थव्यवस्था (FinTech) जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर भारत, चीन के आर्थिक प्रभाव को संतुलित कर सकता है। 2026 का यह शिखर सम्मेलन न केवल दोनों देशों के आर्थिक हितों को साधेगा, बल्कि यूरेशियाई क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को भी सुदृढ़ करेगा।

ध्येयIAS most trusted since 2003

UDAAN A journey to success

UDAAN

— FOUNDATION PROGRAM FOR UPSC/PCS —

COLLEGE SE COLLECTOR TAK

COMPREHENSIVE FOUNDATION NCERT + Standard Books Coverage

EXPERT GUIDANCE from Experienced Faculty

REGULAR TESTS & ASSESSMENTS to Track Your Progress

PERSONALIZED MENTORSHIP for Individual Attention

VALUE ADDED SESSIONS Current Affairs, CSAT, Essay & More

20 SEPTEMBER 2026

UDAAN IAS OLYMPIAD 2026

SCHOLARSHIP BENEFITS

1 100% FEE WAIVER RANK 1

2 ₹2,50,000 SCHOLARSHIP RANK 2

3 ₹2,00,000 SCHOLARSHIP RANK 3

REGISTER NOW LIMITED SEATS!

APPLY TODAY

DHYEYA IAS, LUCKNOW ☎ 9506256789 | 7570009003 www.dhyeyaias.com

4

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

घासभूमियों और खुले प्राकृतिक पारितंत्रों के संरक्षण के प्रति भारत का बदलता दृष्टिकोण

सन्दर्भ:

अगस्त 2026 में मंगोलिया की राजधानी उलानबातर (Ulaanbaatar) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) के 17वें पक्षकारों के सम्मेलन (COP17) के दौरान भारत सरकार द्वारा भारत के घास के मैदान और खुले प्राकृतिक पारितंत्रों (ONEs) पर पहली व्यापक मार्गदर्शिका (Guidelines) जारी की गई। यह दस्तावेज़ भारत की पर्यावरण नीति में एक प्रतिमान विस्थापन (Paradigm Shift) को दर्शाता है।

दशकों से, भारत में नीतिगत स्तर पर केवल वनों (Forests) को ही संरक्षण के योग्य माना जाता रहा, जबकि घासभूमियों, सवाना और मरुस्थलीय क्षेत्रों को औपनिवेशिक विरासत के तहत 'बंजर भूमि' (Wastelands) के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह नई गाइडलाइंस न केवल इन 'खुले प्राकृतिक पारितंत्रों' (ONEs) को वैज्ञानिक पहचान प्रदान करती हैं, बल्कि इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करते हुए एक व्यापक संरक्षण रोडमैप प्रस्तुत करती हैं।

खुले प्राकृतिक पारितंत्र (ONEs) और भारत में प्रसार:

- खुले प्राकृतिक पारितंत्र (Open Natural Ecosystems - ONEs) उन भूभागों को संदर्भित करते हैं जहां पेड़ों का घनत्व बहुत कम (सामान्यतः 10% से कम) होता है और मुख्य रूप से घास, झाड़ियाँ और अल्पविकसित वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये कोई नष्ट हुए वन (Degraded Forests) नहीं हैं, बल्कि हज़ारों वर्षों के विकासवादी अनुकूलन का परिणाम हैं।

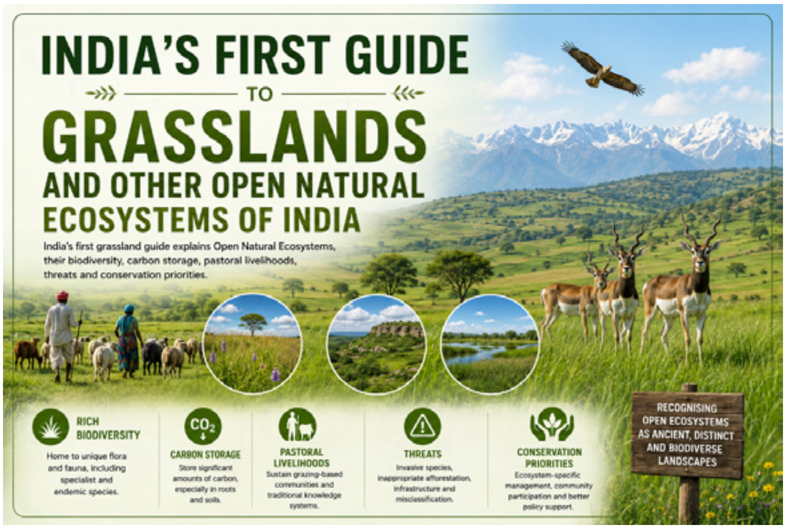
INDIA'S FIRST GUIDE
TO
GRASSLANDS
AND OTHER OPEN NATURAL ECOSYSTEMS OF INDIA
India's first grassland guide explains Open Natural Ecosystems, their biodiversity, carbon storage, pastoral livelihoods, threats and conservation priorities.
RICH BIODIVERSITY
Home to unique flora and fauna, including specialist and endemic species.
CO₂
CARBON STORAGE
Store significant amounts of carbon, especially in roots and soils.
PASTORAL LIVELIHOODS
Sustain grazing-based communities and traditional knowledge systems.
THREATS
Invasive species, inappropriate afforestation, infrastructure and misclassification.
CONSERVATION PRIORITIES
Ecosystem-specific management, community participation and better policy support.
RECOGNISING OPEN ECOSYSTEMS AS ANCIENT, DISTINCT AND BIODIVERSE LANDSCAPES

- बेंगलुरु स्थित शोध संस्थान 'अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट' (ATREE), इसरो (ISRO) और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) के सहयोग से तैयार की गई इस मार्गदर्शिका के अनुसार, भारत में खुले प्राकृतिक पारितंत्र के तहत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
- **24 विशिष्ट पारिस्थितिक श्रेणियाँ:** इसके अंतर्गत भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% (लगभग 3.2 लाख वर्ग

किलोमीटर) हिस्सा आता है।

- **प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र:**
    - » **शीत मरुस्थल और अल्पाइन घासभूमियां:** लद्दाख और उच्च हिमालयी क्षेत्र (बुग्याल)।
    - » **तराई की घासभूमियां:** भारत-गंगा के मैदानों का दलदली घास क्षेत्र।
    - » **बन्नी और थार सवाना:** गुजरात और राजस्थान के अत्यधिक शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र।
    - » **दक्कन के पठार की अर्ध-शुष्क झाड़ीभूमियां:** मध्य और दक्षिण भारत का शुष्क आंतरिक भाग।
    - » **चंबल के बीहड़ (Ravines):** मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विच्छेदित खड्ड क्षेत्र।
    - » **पश्चिमी घाट के चट्टानी पठार और 'शोला' घासभूमियां:** उच्च ऊंचाई वाले अद्वितीय पारितंत्र।

खुले प्राकृतिक पारितंत्र (ONEs) का बहुआयामी महत्व:

इस व्यापक मार्गदर्शिका के माध्यम से भारत ने स्पष्ट किया है कि खुले प्राकृतिक पारितंत्र देश की पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

- **पारिस्थितिक और जैव विविधता महत्व:**
    - » **विशिष्ट प्रजातियों का आवास:** खुले प्राकृतिक पारितंत्र (ONEs) कई ऐसी विशिष्ट प्रजातियों के घर हैं जो घने जंगलों में जीवित नहीं रह सकतीं। उदाहरण के लिए, अत्यंत लुप्तप्राय 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' (सोनाचाँथ), लेसर फ्लोरिकन, भारतीय भेड़िया (Indian Wolf), ब्लैकबक (काला हिरण), चीतल और कैराकल (स्याहगोश)।
    - » **जल विज्ञान चक्र (Hydrological Cycle):** घासभूमियों की व्यापक जड़ प्रणालियाँ स्पंज की तरह कार्य करती हैं। ये मानसून के अत्यधिक पानी को अवशोषित कर भूजल (Groundwater) को पुनर्भरण (Recharge) करती हैं और मृदा अपरदन को रोकती हैं।
- **जलवायु परिवर्तन और कार्बन पृथक्करण:**
    - » **भूमिगत कार्बन सिंक:** जंगलों के विपरीत, घासभूमियाँ अपना अधिकांश कार्बन मिट्टी के नीचे (जड़ों और कार्बनिक पदार्थों के रूप में) संग्रहीत करती हैं।
    - » **स्थायित्व (Permanence):** दावानल (Forest Fires) या सूखे की स्थिति में जंगलों का कार्बन तुरंत वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, जबकि घासभूमियों का भूमिगत कार्बन आग से अप्रभावित रहता है, जिससे यह अधिक स्थायी कार्बन सिंक बनता है।
- **सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व:**
    - » **पशुपालन और आजीविका:** भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन (Livestock) आबादी है। खुले प्राकृतिक पारितंत्र (ONEs) देश के करोड़ों चरवाहों, गडरियों और खानाबदोश समुदायों (जैसे राजस्थान के रबारी, महाराष्ट्र के धनगर, कर्नाटक के कुरुबा) के लिए चारे का प्राथमिक स्रोत हैं।
    - » **पारंपरिक संरक्षण प्रणालियाँ:** भारत में 'ओरण' (Orans), 'गौचर' (Gauchars) और 'देवबनी' जैसे सामुदायिक और पवित्र उपवनों (Sacred Groves) के रूप में ONEs के संरक्षण का एक लंबा सांस्कृतिक इतिहास रहा है।

भारत में खुले प्राकृतिक पारितंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

- मार्गदर्शिका को जारी करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये पारितंत्र वर्तमान में अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं:
    - » **'बंजर भूमि' का औपनिवेशिक वर्गीकरण:** ब्रिटिश काल के 'वेस्टलैंड एटलस' के कारण इन क्षेत्रों को उत्पादकता विहीन माना गया। इसके परिणामस्वरूप सरकारों ने इन्हें उद्योग, सौर पार्क या पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आसानी से आवंटित कर दिया।
    - » **त्रुटिपूर्ण वनीकरण नीतियां (Misguided Afforestation):** 'हरित भारत मिशन' (Green India Mission) या प्रतिपूरक वनीकरण (CAMPA) के तहत अक्सर घासभूमियों और सवाना क्षेत्रों में विदेशी प्रजातियों (जैसे, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या यूकेलिप्टस) के पेड़ लगा दिए जाते हैं। यह इन पारितंत्रों की जल तालिका को नष्ट करता है और स्थानीय जैव विविधता को समाप्त कर देता है।
    - » **अतिक्रमण और कृषि विस्तार:** सिंचाई सुविधाओं (जैसे इंदिरा गांधी नहर) के विस्तार के कारण शुष्क ONEs को जबरन कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है।
    - » **जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण:** वर्षा के बदलते पैटर्न और अत्यधिक चराई (Overgrazing) के कारण ये क्षेत्र

तेजी से मरुस्थल में बदल रहे हैं, जिससे इनकी वहन क्षमता (Carrying Capacity) प्रभावित हो रही है।

भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताएँ:

- मंगोलिया के उलानबातर में इस गाइड को जारी करना भारत की वैश्विक पर्यावरण कूटनीति के लिए अत्यधिक रणनीतिक है:
  - **भूमि क्षरण तटस्थता (LDN):** भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षरण भूमि को बहाल करने का संकल्प लिया है। ONEs का वैज्ञानिक प्रबंधन इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है।
  - **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा (GBF):** इसके तहत 2030 तक 30% पृथ्वी और महासागरों को संरक्षित करने का लक्ष्य (30x30 Target) है। भारत अपने ONEs को 'अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों' (OECMs) के रूप में वर्गीकृत कर इस लक्ष्य में योगदान दे रहा है।

आगे की राह:

- घास के मैदान और खुले प्राकृतिक पारितंत्रों के उद्देश्यों को धरातल पर उतारने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कदमों की आवश्यकता है:
  - **'वेस्टलैंड एटलस' का पुनरीक्षण:** भारत सरकार को अपने भूमि उपयोग वर्गीकरण (Land Use Classification) से 'बंजर भूमि' शब्द को हटाना चाहिए या इसे वैज्ञानिक रूप से पुनर्गठित करना चाहिए ताकि ONEs को कानूनी सुरक्षा मिल सके।
  - **पारिस्थितिकी-केंद्रित बहाली (Eco-centric Restoration):** वनीकरण (Tree Planting) की जगह 'घासभूमि बहाली' (Grassland Restoration) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहाँ केवल स्थानीय घासों और झाड़ियों को ही उगाया जाए।
  - **चरवाहा समुदायों का अधिकार-संपन्न बनाना:** वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के तहत चरवाहों के सामुदायिक वन संसाधनों (CFR) पर पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए, ताकि वे 'ओरण' और 'गौचर' का प्रबंधन स्वयं कर सकें।
  - **हरित ऊर्जा अवसंरचना का नियमन:** सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को संवेदनशील ONEs से दूर, वास्तविक रूप से निम्नीकृत और औद्योगिक बंजर भूमियों पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

मंगोलिया में भारत द्वारा जारी की गई यह मार्गदर्शिका इस बात की स्वीकारोक्ति है कि 'हरित आवरण' (Green Cover) का अर्थ केवल 'वृक्ष आवरण' (Tree Cover) नहीं होता। घासभूमियाँ, सवाना और बीहड़ प्रकृति के अनमोल उपहार हैं, जो न केवल कार्बन सोखते हैं बल्कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वन्यजीवों को जीवन प्रदान करते हैं। यह दस्तावेज़ भारत के पर्यावरण एजेंडे को अधिक समावेशी, वैज्ञानिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।

भारत वैश्विक लेपिडोप्टेरा हॉटस्पॉट के रूप में उभरा

सन्दर्भ:

हाल ही में, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) ने ज़ूटैक्सा (Zootaxa) पत्रिका में "कैटलॉग ऑफ लेपिडोप्टेरा (तितलियाँ एवं पतंगे) ऑफ इंडिया" प्रकाशित किया है।

मुख्य निष्कर्ष:

- भारत में लेपिडोप्टेरा की 13,703 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो विश्व में ज्ञात तितलियों एवं पतंगों की कुल विविधता का 8.25% प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें 1,417 तितलियाँ तथा 12,286 पतंगे शामिल हैं।
- इस कैटलॉग में 3,705 वंश (Genera), 240 उपकुल (Subfamilies), 102 कुल (Families) और 31 अधिपरिवार (Superfamilies) का दस्तावेजीकरण किया गया है, जो जैव विविधता अनुसंधान एवं संरक्षण के लिए एक प्रामाणिक आधार प्रदान करता है।
- इसमें जियोमेट्रोइडिया (Geometroidea) अधिपरिवार की 2,205 प्रजातियाँ भी दर्ज की गई हैं, जो इस अधिपरिवार की विश्व में ज्ञात प्रजातियों का 8.8% हैं।

लेपिडोप्टेरा क्या है?

- लेपिडोप्टेरा वह कीट गण (Order) है जिसमें तितलियाँ और पतंगे शामिल होते हैं। इनमें कुछ समान विशेषताएँ होती हैं, जैसे पूर्ण कायांतरण (अंडा–लार्वा–प्यूपा–वयस्क), सूक्ष्म शल्कों (Scales) से ढके पंख तथा सूंड (Proboscis) कहलाने वाली कुंडलित भोजन नली। इन समानताओं के बावजूद, इनके व्यवहार एवं शारीरिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर होते हैं:
  - » **सक्रियता:** तितलियाँ दिन में सक्रिय (दिवाचर) होती हैं, जबकि अधिकांश पतंगे रात में सक्रिय (निशाचर) होते हैं।
  - » **स्पर्शक (Antennae):** तितलियों के स्पर्शक गदा (Club) के आकार के होते हैं, जबकि पतंगों के स्पर्शक पंखदार या कंघी जैसे होते हैं।
  - » **विश्राम की अवस्था में पंख:** तितलियाँ अपने पंखों को सीधा ऊपर की ओर रखती हैं, जबकि पतंगे अपने पंखों को सपाट या तंबू के आकार में फैलाकर रखते हैं।
  - » **प्यूपा अवस्था:** तितलियाँ क्रिसेलिस (Chrysalis) बनाती हैं, जबकि पतंगे सामान्यतः रेशमी कोकून (Silk Cocoon) बनाते हैं।
  - » **शरीर:** तितलियों का शरीर पतला और चिकना होता है, जबकि पतंगों का शरीर सामान्यतः अधिक मोटा और रोयेंदार होता है।

Caulocera hollowayi S. Singh, N. Singh & Bhattacharya, 2026
Asura baca Bhattacharya, S. Singh & N. Singh, 2026

पारिस्थितिक महत्व:

- लेपिडोप्टेरा पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तितलियाँ दिन में फूलों का परागण करती हैं, जबकि पतंगे रात्रि में परागण करते हैं, जिससे निरंतर परागण सेवाएँ सुनिश्चित होती हैं।
- ये शाकाहारी, अपघट्य पदार्थों का उपभोग करने वाले (Detritivores) तथा पक्षियों, चमगादड़ों, सरीसृपों एवं अन्य कीटभक्षी जीवों के लिए महत्वपूर्ण भोजन स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं।
- आवास क्षरण, प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति इनकी संवेदनशीलता इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के उत्कृष्ट जैव-संकेतक (Bioindicators) बनाती है।

लेपिडोप्टेरा के लिए खतरे:

- लेपिडोप्टेरा (तितलियाँ और पतंगे) वनों की कटाई, शहरीकरण तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण होने वाले आवास विनाश से बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं, जिससे उनके प्रजनन एवं भोजन के स्थान कम हो रहे हैं।
- जलवायु परिवर्तन उनके वितरण, जीवन चक्र तथा आश्रयी पौधों के साथ उनकी अंतःक्रियाओं को बदल देता है, जबकि कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग सीधे लार्वा एवं वयस्कों को मार देता है।
- इसके अतिरिक्त, प्रकाश प्रदूषण निशाचर पतंगों के व्यवहार एवं दिशा-निर्धारण को बाधित करता है तथा आक्रामक पौधों की

प्रजातियाँ देशज आश्रयी पौधों का स्थान ले लेती हैं, जिससे उनके अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

संरक्षण उपाय:

- लेपिडोप्टेरा के संरक्षण के लिए वनों, घासभूमियों तथा अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का पुनर्स्थापन एवं संरक्षण आवश्यक है, जो उनके जीवन चक्र का समर्थन करते हैं।
- परागणकर्ता-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना, कीटनाशकों के उपयोग को कम करना तथा देशज वनस्पतियों का संरक्षण उनकी आबादी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
- जैव विविधता सूचीकरण के माध्यम से वैज्ञानिक निगरानी के साथ-साथ जन-जागरूकता एवं नागरिक विज्ञान (Citizen Science) पहलों से संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ किया जा सकता है तथा इन पारिस्थितिकीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कीटों के बारे में समझ को बेहतर बनाया जा सकता है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के बारे में:

पहलू	विवरण
स्थापना	1916
मुख्यालय	कोलकाता
मंत्रालय	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भूमिका	भारत में जीव-जंतुओं के अन्वेषण, वर्गिकी (Taxonomy) तथा जैव विविधता आकलन के लिए प्रमुख संस्थान

निष्कर्ष:

ZSI के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि हिमालय में बढ़ते तापमान के कारण तितलियों एवं पतंगों की कई प्रजातियाँ अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो रही हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दर्शाता है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जारी अन्वेषणों के दौरान इस्ट्रियानिस लद्दाखेंसिस (Istrianis ladakhensis) जैसी नई स्थानिक (Endemic) प्रजातियों की खोज जारी है, जो भारत की समृद्ध, किंतु अभी भी कम अन्वेषित, लेपिडोप्टेरा विविधता को रेखांकित करती है।

मेघालय ने 'मिशन क्लाउडेड लेपर्ड' की शुरुआत की

संदर्भ:

हाल ही में, मेघालय सरकार ने मुख्यभूमि क्लाउडेड लेपर्ड (मेघालय का राजकीय पशु) के संरक्षण के लिए 'मिशन क्लाउडेड लेपर्ड' नामक एक समर्पित संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। यह मिशन मेघालय क्लाउडेड लेपर्ड कार्ययोजना के अंतर्गत लागू किया जाएगा, जिसे राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है।

मिशन क्यों शुरू किया गया?

- इस मिशन का उद्देश्य क्लाउडेड लेपर्ड तथा उसके प्राकृतिक आवास के समक्ष बढ़ते खतरों का समाधान करना है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
  - » झूम कृषि, वनों की कटाई, खनन तथा आधारभूत संरचना के विकास के कारण प्राकृतिक आवास का नष्ट होना और उसका विखंडन।
  - » इसकी विशिष्ट बादलनुमा खाल तथा शरीर के अन्य अंगों के लिए अवैध शिकार।
  - » वन क्षेत्रों के बीच संपर्क में कमी, जिससे इनके आवागमन तथा आनुवंशिक विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- यह मिशन प्राकृतिक आवास के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन, वैज्ञानिक अनुसंधान, दीर्घकालिक निगरानी, अवैध शिकार रोकने के लिए सशक्त उपाय, वन क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने, अग्रिम पंक्ति के वनकर्मियों की क्षमता निर्माण, जन-जागरूकता तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर विशेष बल देता है।

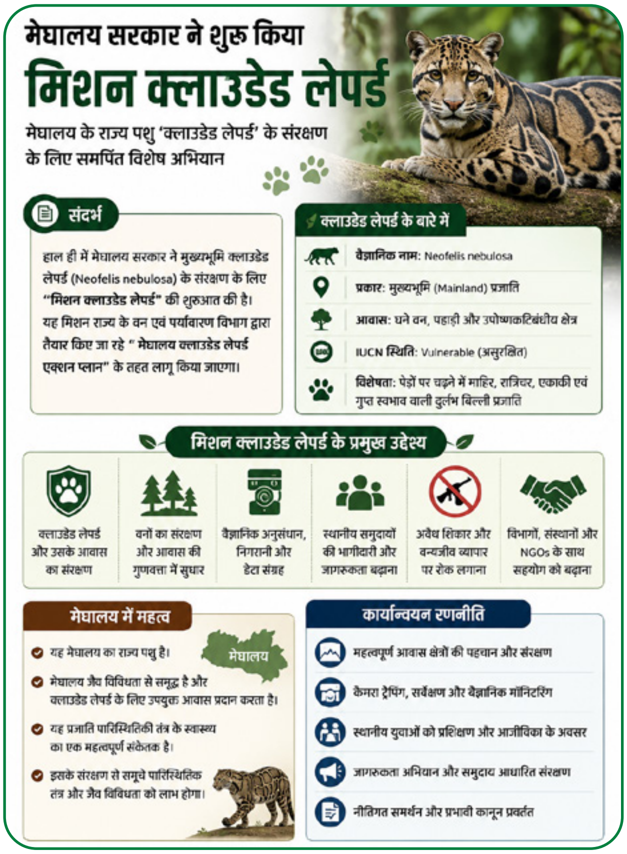

मेघालय सरकार ने शुरू किया

मिशन क्लाउडेड लेपर्ड

मेघालय के राज्य पशु 'क्लाउडेड लेपर्ड' के संरक्षण के लिए समर्पित विशेष अभियान

संदर्भ

हाल ही में मेघालय सरकार ने मुख्यभूमि क्लाउडेड लेपर्ड (Neofelis nebulosa) के संरक्षण के लिए **"मिशन क्लाउडेड लेपर्ड"** की शुरुआत की है। यह मिशन राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे **" मेघालय क्लाउडेड लेपर्ड एक्शन प्लान"** के तहत लागू किया जाएगा।

क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में

- **वैज्ञानिक नाम:** Neofelis nebulosa
- **प्रकार:** मुख्यभूमि (Mainland) प्रजाति
- **आवास:** घने वन, पहाड़ी और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र
- **IUCN स्थिति:** Vulnerable (असुरक्षित)
- **विशेषता:** पेड़ों पर चढ़ने में माहिर, रात्रिचर, एकाकी एवं गुप्त स्वभाव वाली दुर्लभ बिल्ली प्रजाति

मिशन क्लाउडेड लेपर्ड के प्रमुख उद्देश्य

- क्लाउडेड लेपर्ड और उसके आवास का संरक्षण
- वनों का संरक्षण और आवास की गुणवत्ता में सुधार
- वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी और डेटा संग्रह
- स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाना
- अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार पर रोक लगाना
- विभागों, संस्थानों और NGOs के साथ सहयोग को बढ़ाना

मेघालय में महत्व

- ✓ यह मेघालय का राज्य पशु है।
- ✓ मेघालय जैव विविधता से समृद्ध है और क्लाउडेड लेपर्ड के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करता है।
- ✓ यह प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
- ✓ इसके संरक्षण से समूचे पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को लाभ होगा।

कार्यान्वयन रणनीति

- महत्वपूर्ण आवास क्षेत्रों की पहचान और संरक्षण
- कैमरा ट्रैपिंग, सर्वेक्षण और वैज्ञानिक मॉनिटरिंग
- स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर
- जागरूकता अभियान और समुदाय आधारित संरक्षण
- नीतिगत समर्थन और प्रभावी कानून प्रवर्तन

क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में:

- क्लाउडेड लेपर्ड एक मध्यम आकार की, विकास की दृष्टि से अत्यंत प्राचीन जंगली बिल्ली है, जो बड़ी बिल्लियों और छोटी बिल्लियों के बीच एक महत्वपूर्ण विकासवादी कड़ी मानी जाती है। इसे संकेतक प्रजाति माना जाता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र के अच्छे स्वास्थ्य का संकेत देती है।
- **वितरण एवं आवास:**
  - » **वैश्विक वितरण:** हिमालय की तराई, मुख्यभूमि दक्षिण-पूर्व एशिया तथा दक्षिणी चीन।
  - » **भारत में वितरण:** अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा तथा उत्तरी पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्य।
  - » **प्राकृतिक आवास:** घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्णकटिबंधीय वन तथा लगभग 7,000 फीट की ऊँचाई तक के शुष्क वन क्षेत्र।
  - » **महत्वपूर्ण आवास:** अरुणाचल प्रदेश का नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान तथा मिजोरम का डंपा बाघ अभयारण्य इस प्रजाति के प्रमुख आवासों में शामिल हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

- यह मुख्यतः पेड़ों पर रहने वाला तथा रात्रिचर वन्यजीव है।
- इसके पिछले टखने विशेष रूप से घूम सकते हैं, जिससे यह पेड़ों से सिर के बल नीचे उतर सकता है।
- जीवित बिल्ली प्रजातियों में इसके ऊपरी दाँत खोपड़ी के आकार की तुलना में सबसे लंबे होते हैं, इसलिए इसे आधुनिक कृपाण-दंती बिल्ली (modern saber-toothed cat) भी कहा जाता है।
- इसकी लंबी पूँछ पेड़ों की शाखाओं पर चलते समय संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। यह मेघालय का राजकीय पशु है।

संरक्षण स्थिति:

- अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची: संकटग्रस्त
- वन्य जीव एवं वनस्पति की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय: परिशिष्ट–1
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची–1 (सर्वोच्च कानूनी संरक्षण)

निष्कर्ष:

'मिशन क्लाउडेड लेपर्ड' भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान, प्राकृतिक आवास के पुनर्स्थापन तथा स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को एक साथ जोड़ता है। चूँकि क्लाउडेड लेपर्ड स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, इसलिए इसका संरक्षण पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध जैव-विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

कैद में प्रजनित लंबी-चोंच वाले गिद्धों को जंगल में छोड़ा गया

संदर्भ:

हाल ही में, कैद में प्रजनित पाँच लंबी-चोंच वाले गिद्ध (Slender-billed Vultures, Gyps tenuirostris) को असम में जंगल में छोड़ा गया। यह दुनिया में कैद में प्रजनित लंबी-चोंच वाले गिद्धों को जंगल में छोड़े जाने की पहली ज्ञात घटना है। इन गिद्धों को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व के बिश्वनाथ डिवीजन स्थित जटायु सॉफ्ट रिलीज सेंटर में छोड़ा गया।

लंबी-चोंच वाले गिद्ध के बारे में:

विशेषता	लंबी-चोंच वाला गिद्ध
वैज्ञानिक नाम	जिप्स टेन्यूइरोस्ट्रिस (Gyps tenuirostris)
IUCN स्थिति	अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered)
भारत में कानूनी संरक्षण	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I
वितरण	भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ भाग
भारत में आवास	हिमालय की तलहटी के मैदान, असम और गंगा के मैदानी क्षेत्र
घोंसला बनाना	मुख्यतः ऊँचे पेड़ों पर
प्रमुख खतरा	पशु चिकित्सा में प्रयुक्त डाइक्लोफेनाक विषाक्तता

छोड़ा जाना महत्वपूर्ण क्यों है?

- लंबी-चोंच वाला गिद्ध उन जिप्स (Gyps) प्रजाति के गिद्धों में से एक है, जिनकी आबादी में पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनाक के व्यापक उपयोग के कारण भारी गिरावट आई।
- डाइक्लोफेनाक से उपचारित पशुओं के शव खाने वाले गिद्धों में गुर्दे की विफलता (Kidney Failure) और आंतरिक गाउट/विसरल गाउट (Visceral Gout) विकसित हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर उनकी मृत्यु हो जाती है।
- इसलिए, कैद में प्रजनन और उसके बाद गिद्धों को जंगल में छोड़ना, जंगली गिद्धों की आबादी को पुनः बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपाय हैं।

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) के बारे में:

- बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) भारत की प्रमुख गैर-सरकारी संस्थाओं में से एक है, जो वन्यजीव अनुसंधान, जैव-विविधता संरक्षण और प्रकृति शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है।
  - **स्थापना:** 15 सितंबर 1883
  - **मुख्यालय:** हॉर्नबिल हाउस, मुंबई
  - **प्रतीक:** ग्रेट हॉर्नबिल
  - **अंतरराष्ट्रीय संबद्धता:** बर्डलाइफ़ इंटरनेशनल की साझेदार संस्था

BNHS की भूमिका:

- बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) संकटग्रस्त गिद्धों के संरक्षण-प्रजनन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल रही है।
- असम में छोड़े गए गिद्धों का प्रजनन गुवाहाटी के निकट रानी स्थित वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में किया गया था।
- जंगल में छोड़ने से पहले इन गिद्धों को लगभग तीन महीने तक अनुकूलन (Acclimatisation) के लिए एक एवियरी में रखा गया।
- सॉफ्ट-रिलीज (Soft Release) पद्धति के तहत कैद में प्रजनित पक्षियों को पूरी तरह से जंगल में स्वतंत्र करने से पहले प्राकृतिक पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल धीरे-धीरे होने का अवसर दिया जाता है।

गिद्धों के लिए प्रमुख खतरे:

- **पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनाक**
  - जिप्स (Gyps) प्रजाति के गिद्धों की आबादी में गिरावट का ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण कारण।
  - डाइक्लोफेनाक से उपचारित पशुओं के दूषित शव खाने से गिद्ध इस दवा के संपर्क में आते हैं।
  - इससे गुर्दे की विफलता और विसरल गाउट हो सकता है।
- **आवास का क्षरण**
  - घोंसला बनाने के लिए आवश्यक बड़े पेड़ों की कमी।
  - कृषि विस्तार तथा अन्य भूमि-उपयोग में परिवर्तन से उपयुक्त घोंसले और भोजन के क्षेत्रों में कमी आ सकती है।
- **भोजन की उपलब्धता और प्रदूषण**
  - पशुओं के शवों के निपटान की बदलती प्रक्रियाएँ गिद्धों के लिए भोजन की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती हैं।
  - अन्य पशु चिकित्सा दवाएँ भी गिद्धों के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं।

भारत में संरक्षण के उपाय:

- भारत ने गिद्धों के संरक्षण के लिए कई उपाय अपनाए हैं:

- » गिद्धों में विषाक्तता को कम करने के लिए पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध/नियंत्रण।
- » गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्रों की स्थापना।
- » कैद में प्रजनन के बाद उपयुक्त आवासों में गिद्धों को छोड़ना।
- » जंगली गिद्धों की आबादी की निगरानी।
- » वल्चर एक्शन प्लान (Vulture Action Plan) भारत की गिद्ध प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।

जलविद्युत जलाशयों के घटते जल-स्तर और भारत की ऊर्जा सुरक्षा

सन्दर्भ:

हाल के समय में भारत के प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं के जलाशयों का जल-स्तर अप्रैल–जुलाई अवधि में वर्ष 2023 के बाद के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है। इसका प्रमुख कारण एल-नीनो (El Niño) से संबंधित अनियमित मौसमीय परिस्थितियाँ हैं। विद्युत मंत्रालय के अनुसार, जल की उपलब्धता में कमी के कारण जलविद्युत उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है, जिससे विशेषकर उच्चतम विद्युत मांग (Peak Demand) के समय विद्युत आपूर्ति को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

पृष्ठभूमि:

- जलविद्युत भारत के ऊर्जा मिश्रण का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जो स्वच्छ, नवीकरणीय एवं लचीले विद्युत स्रोत के रूप में कार्य करता है। विशेष रूप से सूर्यास्त के पश्चात, जब सौर ऊर्जा उत्पादन में कमी आती है, तब यह सायंकालीन उच्चतम विद्युत मांग की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, मानसून वर्षा की कमी तथा वर्षा के असमान वितरण के कारण देशभर के जलाशयों में जल-संग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय कमी आई है।

प्रमुख तथ्य:

- देश के 30 प्रमुख जलविद्युत जलाशयों में से 23 जलाशयों में 1 अप्रैल से 30 जुलाई, 2026 के दौरान जल-स्तर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम दर्ज किया गया।
- बड़े जलविद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में 10.75 प्रतिशत की कमी आई, जो 60,522.95 मिलियन यूनिट (MU) से घटकर 54,019.42 मिलियन यूनिट रह गया।
- जलाशयों की ऊर्जा-सामर्थ्य (Energy Content), जो संग्रहित जल से संभावित विद्युत उत्पादन को दर्शाती है, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 43 प्रतिशत, वर्ष 2024 की तुलना में 39 प्रतिशत तथा वर्ष 2023 की तुलना में 17 प्रतिशत घट गई।
- दक्षिणी क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई, जहाँ जलाशयों की ऊर्जा-सामर्थ्य में 63 प्रतिशत की कमी आई। इसके बाद पूर्वी (28 प्रतिशत), उत्तरी (25 प्रतिशत), उत्तर-पूर्वी (22 प्रतिशत) तथा पश्चिमी (13 प्रतिशत) क्षेत्रों का स्थान रहा।

एल-नीनो की भूमिका:

- एल-नीनो मध्य एवं पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर के समुद्री सतही तापमान में होने वाली असामान्य वृद्धि की घटना है, जो वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करती है।
- भारत में सामान्यतः एल-नीनो का संबंध दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमजोर वर्षा से होता है। इसके परिणामस्वरूप जलाशयों में जल की आवक कम हो जाती है, जलविद्युत उत्पादन घटता है, सिंचाई हेतु जल की मांग बढ़ती है तथा शीतलन (Cooling) की आवश्यकता के कारण विद्युत की खपत में वृद्धि होती है।

प्रभाव:

- जलविद्युत उत्पादन में कमी के कारण भारत की कोयला-आधारित तापीय विद्युत पर निर्भरता बढ़ गई है।
- अप्रैल–जुलाई 2026 के दौरान कोयला-आधारित विद्युत उत्पादन में 9.49 प्रतिशत तथा केवल जुलाई 2026 में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, ताकि जलविद्युत उत्पादन में आई कमी की भरपाई की जा सके।
- कोयले पर बढ़ती निर्भरता से हरितगृह गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होती है, ईंधन लागत बढ़ती है तथा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु संबंधी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की पूर्ति चुनौतीपूर्ण हो जाती है।
- जलाशयों में जल-संग्रहण घटने से सिंचाई, पेयजल उपलब्धता तथा समग्र जल सुरक्षा भी प्रभावित होती है।

आगे की राह:

- भारत को समेकित जल संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करना चाहिए तथा उन्नत पूर्वानुमान प्रणालियों के माध्यम से जलाशयों के संचालन को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, पंप्ड-स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं का विस्तार, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देकर उच्चतम विद्युत मांग को

कम करना, जल, ऊर्जा तथा मौसम संबंधी संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा जलवायु-अनुकूल अवसंरचना का विकास करना आवश्यक होगा।

निष्कर्ष:

जलविद्युत जलाशयों के जल-स्तर में तीव्र गिरावट भारत के ऊर्जा क्षेत्र की जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। विविधीकृत ऊर्जा स्रोतों, प्रभावी जल प्रबंधन तथा जलवायु-अनुकूल योजना पर आधारित सुदृढ़ एवं लचीली विद्युत प्रणाली का निर्माण विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता में 300 गीगावाट का आँकड़ा पार किया

संदर्भ:

हाल ही में, भारत ने स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के 300 गीगावाट के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है और 31 जुलाई, 2026 तक यह क्षमता 300.50 गीगावाट हो गई है। यह वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के भारत के लक्ष्य का 60% से अधिक है। भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 552 गीगावाट है, जिसका अर्थ है कि गैर-जीवाश्म स्रोत अब कुल स्थापित क्षमता का 54% से अधिक हिस्सा हैं।

गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता क्या है?

- गैर-जीवाश्म स्रोतों में नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, दोनों शामिल हैं। इनमें शामिल हैं:
    - » सौर ऊर्जा – 164.59 गीगावाट
    - » पवन ऊर्जा – 58.14 गीगावाट
    - » जलविद्युत – 57.24 गीगावाट
    - » जैव ऊर्जा – 11.75 गीगावाट
    - » परमाणु ऊर्जा – 8.78 गीगावाट
- सौर ऊर्जा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरी है और भारत की गैर-जीवाश्म क्षमता में इसका हिस्सा आधे से अधिक है।

नवीकरणीय ऊर्जा में प्रमुख वृद्धि:

- भारत की सौर ऊर्जा क्षमता वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट से बढ़कर वर्ष 2026 में लगभग 165 गीगावाट हो गई है, जबकि इसी अवधि में पवन ऊर्जा क्षमता 21 गीगावाट से बढ़कर 58.14 गीगावाट हो गई।
- भारत ने वर्ष 2025-26 के दौरान रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता जोड़ी, जिसमें 44.6 गीगावाट सौर ऊर्जा और 6 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता शामिल थी।

भारत का 500 गीगावाट लक्ष्य:

- भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता हासिल करना है। वर्तमान क्षमता 300.50 गीगावाट होने के साथ लगभग 199.5 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की आवश्यकता है।
- यह लक्ष्य COP26 में घोषित भारत की पंचामृत प्रतिबद्धताओं का हिस्सा है, जिसमें वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना तथा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना शामिल है।
- भारत ने गैर-जीवाश्म स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता का कम से कम 40% प्राप्त करने की अपनी पूर्व पेरिस समझौता प्रतिबद्धता को निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया है।

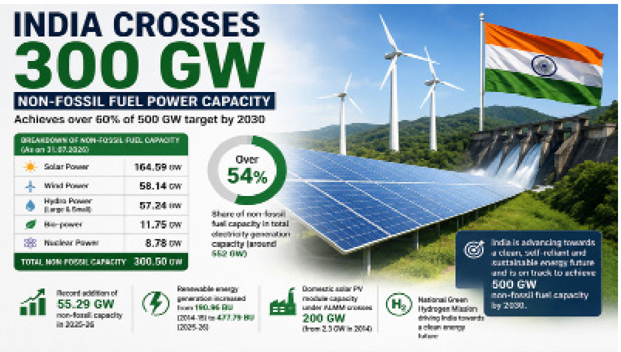

अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताएँ:

- **पेरिस समझौता, 2015:** अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के तहत भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- **COP26 और पंचामृत:** ग्लासगो में आयोजित COP26 में भारत ने पाँच प्रमुख जलवायु प्रतिबद्धताओं की घोषणा की, जिनमें शामिल हैं:
    - » वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना।

- वर्ष 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना।
- वर्ष 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना।
- वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% की कमी करना।
- वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना।

सरकारी पहल:

- इस विस्तार को कई उपायों द्वारा समर्थन दिया गया है:
    - पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
    - पीएम-कुसुम
    - उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना।
    - राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
    - पात्र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क में छूट।
    - बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) और पंप्ड स्टोरेज संयंत्रों (PSPs) का विकास।
    - घरेलू सौर विनिर्माण में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। अनुमोदित मॉडल और विनिर्माताओं की सूची (ALMM) के अंतर्गत क्षमता 200 गीगावाट को पार कर गई है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

प्रगति के बावजूद, भारत के ऊर्जा संक्रमण के सामने कई चुनौतियाँ हैं:

- **कोयले पर निर्भरता:** वास्तविक विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान अभी भी सबसे अधिक है।
- **अनिरंतरता:** सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन मौसम और दिन के समय के अनुसार बदलता रहता है।
- **ऊर्जा भंडारण:** विद्युत ग्रिड की स्थिरता के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण आवश्यक है।
- **पारेषण संबंधी बाधाएँ:** नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध क्षेत्रों में अधिक मजबूत पारेषण अवसंरचना की आवश्यकता है।
- **भूमि एवं पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि अधिग्रहण और पारिस्थितिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- **वित्तपोषण:** बड़े पैमाने की नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है।

आगे की राह:

भारत को ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट ग्रिड, पारेषण अवसंरचना, घरेलू विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन और लचीले विद्युत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक संतुलित ऊर्जा संक्रमण में ग्रिड स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती विद्युत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा का तीव्र विस्तार शामिल होना चाहिए।

निष्कर्ष:

300 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता को पार करना भारत के ऊर्जा संक्रमण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालाँकि, वास्तविक चुनौती स्थापित क्षमता को विश्वसनीय स्वच्छ विद्युत में परिवर्तित करने तथा कोयले पर निर्भरता कम करने में है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए तकनीकी नवाचार, बड़े पैमाने पर निवेश, मजबूत पारेषण अवसंरचना तथा एक न्यायसंगत, सस्ती और सतत ऊर्जा संक्रमण की आवश्यकता होगी।

पूर्वोत्तर भारत में कैस्केड मेंढक की तीन नई प्रजातियों की खोज

संदर्भ:

हाल ही में वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर भारत में कैस्केड मेंढक (Cascade Frogs) की तीन नई प्रजातियों की खोज की है और भारत में पहली बार पाँच अन्य प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की है। ये निष्कर्ष 15 वर्षों से अधिक समय तक किए गए क्षेत्रीय अनुसंधान के बाद तुलनात्मक प्राणी-विज्ञान संग्रहालय का बुलेटिन में प्रकाशित हुए।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- इस अध्ययन का नेतृत्व दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. एस. डी. बीजू ने किया।
- शोधकर्ताओं ने तेज़ बहाव वाली वन धाराओं में रहने वाले मेंढकों की 300 से अधिक भौगोलिक आबादियों का अध्ययन किया।
- वयस्क मेंढकों और टैडपोल के आकृति-विज्ञान संबंधी अध्ययन के साथ DNA विश्लेषण से तीन नई प्रजातियों की पुष्टि हुई:
    - अम्माची कैस्केड मेंढक (Amolops ammachi) – त्रिपुरा
    - सेंदेन्यु कैस्केड मेंढक (Amolops sendenyu) – नागालैंड
    - ब्यूटीफुल कैस्केड मेंढक (Amolops bella) – पश्चिम बंगाल

नई प्रजातियों के नामकरण:

- अम्माची कैस्केड मेंढक का नाम दिवंगत केरल की समाजसेवी और परोपकारी पद्मिनी वार्की के सम्मान में रखा गया, जिन्हें लोकप्रिय रूप से 'अम्माची' कहा जाता था। यह नाम उनके मानवीय कार्यों के सम्मान में दिया गया है।
- सेंदेन्यु कैस्केड मेंढक का नाम नागालैंड के सेंदेन्यु गाँव के नाम पर रखा गया है।
- ब्यूटीफुल कैस्केड मेंढक का अर्थ 'सुंदर' है। इसका नाम इसके आकर्षक हरे और मोज़ेक जैसी बनावट वाले रूप को दर्शाता है।

Amolops ammachi

Amolops bella

Amolops sendenyu

भारत में पहली बार दर्ज की गई पाँच प्रजातियाँ:

- अध्ययन में कैस्केड मेंढक की निम्नलिखित पाँच प्रजातियों को भारत में पहली बार दर्ज किया गया:
    - » अमोलॉप्स अफगानस
    - » अमोलॉप्स नेपालिकस
    - » अमोलॉप्स वांग्याली
    - » एमोलॉप्स मेडोजेन्सिस
    - » अमोलॉप्स बेलुलस
- इस प्रकार, इस अध्ययन से भारत में Amolops वंश की ज्ञात जैव-विविधता और भौगोलिक वितरण में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है।

पारिस्थितिक महत्व:

- कैस्केड मेंढक तेज़ बहाव वाली धाराओं, झरनों और चट्टानी जलप्रपातों में रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। इनमें:
    - » अशांत और तेज़ बहते पानी में चलने के लिए मजबूत पैर होते हैं।
    - » गीली चट्टानों पर पकड़ बनाने के लिए चिपकने वाले पैर के पंजे (Adhesive Toe Pads) होते हैं।
    - » जलीय आवास के अनुकूल सुव्यवस्थित शरीर होता है।
- स्वच्छ और ऑक्सीजन से भरपूर जलधाराओं पर उनकी निर्भरता के कारण ये मेंढक मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के उपयोगी जैव-संकेतक माने जा सकते हैं।

संरक्षण संबंधी चिंताएँ:

- पारिस्थितिक महत्व के बावजूद कैस्केड मेंढकों को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे:
    - » जल प्रदूषण
    - » वनों की कटाई
    - » जलविद्युत परियोजनाएँ
    - » आवास में बदलाव और उसका विखंडन
    - » जलवायु परिवर्तन
    - » वन एवं नदी-धारा वाले पारिस्थितिकी तंत्र में मानवीय हस्तक्षेप

भारत के लिए महत्व:

- पूर्वोत्तर भारत इंडो-बर्मा जैव-विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है और यहाँ उभयचर प्रजातियों की असाधारण विविधता पाई जाती है। यह खोज निम्नलिखित के महत्व को उजागर करती है:
    - » जैव-विविधता का दस्तावेजीकरण और वर्गीकरण संबंधी अनुसंधान (Taxonomic Research)
    - » वन धाराओं और नदी-तटीय आवासों का संरक्षण
    - » मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिक निगरानी
    - » पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सतत विकास
    - » कम ज्ञात उभयचर प्रजातियों का संरक्षण

ओडिशा में तटीय कटाव

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) के 1990–2022 के आकलन के आधार पर ओडिशा की 564 किमी लंबी तटरेखा का 28.3% हिस्सा कटाव का सामना कर रहा है।

कटाव क्या है?

- कटाव एक भूवैज्ञानिक और भू-आकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें मिट्टी, चट्टान और पृथ्वी की अन्य सामग्रियाँ बहते पानी, हवा, हिमनदों और लहरों जैसे प्राकृतिक कारकों द्वारा घिसकर हटाई और परिवहन की जाती हैं।

- कटाव को अपक्षय से अलग समझना महत्वपूर्ण है:
  - **अपक्षय:** चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटना, जिसमें उनका परिवहन नहीं होता।
  - **कटाव:** अपक्षयित पदार्थ को किसी सक्रिय कारक द्वारा हटाना और उसका परिवहन करना।
- कटाव निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है:
  - **भूवैज्ञानिक कटाव:** धीमा, प्राकृतिक कटाव, जो सामान्यतः मिट्टी के निर्माण की दर के अनुरूप होता है।
  - **त्वरित कटाव:** वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और गलत कृषि पद्धतियों जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाला या तेज हुआ कटाव।

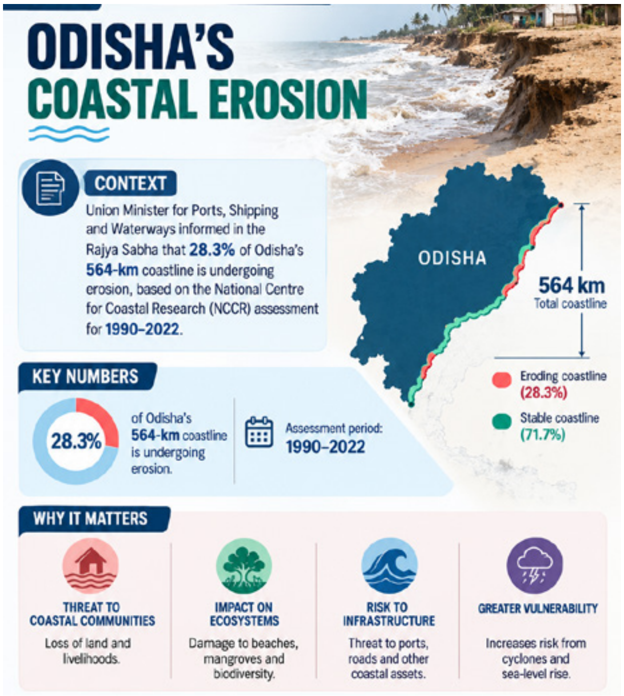
ODISHA'S COASTAL EROSION

CONTEXT

Union Minister for Ports, Shipping and Waterways informed in the Rajya Sabha that 28.3% of Odisha's 564-km coastline is undergoing erosion, based on the National Centre for Coastal Research (NCCR) assessment for 1990–2022.

KEY NUMBERS

28.3% of Odisha's 564-km coastline is undergoing erosion.

Assessment period: 1990–2022

WHY IT MATTERS

THREAT TO COASTAL COMMUNITIES: Loss of land and livelihoods.

IMPACT ON ECOSYSTEMS: Damage to beaches, mangroves and biodiversity.

RISK TO INFRASTRUCTURE: Threat to ports, roads and other coastal assets.

GREATER VULNERABILITY: Increases risk from cyclones and sea-level rise.

मृदा और जल कटाव के प्रकार:

- **छींटा/वर्षाबूंद कटाव:** वर्षा की बूंदें खुली सतह से मिट्टी के कणों को अलग कर देती हैं।
- **परत कटाव:** सतही बहाव द्वारा ऊपरी मिट्टी की अपेक्षाकृत समान परत हटा दी जाती है।
- **रिल कटाव:** केंद्रित बहाव से छोटी और उथली नालियाँ बनती हैं।
- **गली कटाव:** रिल गहरी नालियों में विकसित हो जाते हैं, जिससे भूमि पर खेती करना कठिन हो जाता है। चंबल की बीहड़ भूमि इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
- **तटीय कटाव:** लहरें, धाराएँ, ज्वार और तूफानी लहरें तटीय तलछट को हटा देती हैं, जिससे तटरेखा पीछे की ओर खिसकती है।

तटीय कटाव का विस्तार:

- NCCR के आकलन से पता चलता है कि ओडिशा की 17.6% तटरेखा स्थिर है, जबकि 54.1% में अभिवृद्धि हो रही है। तटीय जिलों में जगतसिंहपुर सबसे अधिक कटाव-प्रवण है, जहाँ इसकी 47.6% तटरेखा प्रभावित है, इसके बाद गंजाम (45.7%) और केंद्रापड़ा (45%) हैं।
- अन्य प्रभावित जिलों में बालासोर, पुरी और भद्रक शामिल हैं।

प्रमुख कारण:

- तटीय कटाव प्राकृतिक और मानवजनित, दोनों कारकों से होता है:
  - जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र-स्तर में वृद्धि
  - चक्रवात, तूफानी लहरें, समुद्री लहरें और ज्वारीय गतिविधियाँ
  - बंदरगाहों, हार्बर, समुद्री दीवारों और ब्रेकवाटर का निर्माण, जो तलछट के प्रवाह को बदल सकता है
  - रेत खनन और अनियोजित तटीय बुनियादी ढाँचा
  - तटीय तलछट की गतिशीलता में बदलाव
  - बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों और तूफानी लहरों के संपर्क में होने के कारण ओडिशा विशेष रूप से संवेदनशील है।

लोगों पर प्रभाव:

- तटीय कटाव आजीविका और विस्थापन की एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि समुद्र-स्तर में वृद्धि और कटाव के कारण केंद्रापड़ा के 16 गाँव पहले ही समुद्र में डूब चुके हैं, जिससे कई सौ लोग विस्थापित हुए हैं।
- गंजाम में पोडमपेटा, जहाँ कभी लगभग 500 परिवार रहते थे, समुद्र के अंदर बढ़ने के कारण वीरान हो गया है। इस तरह का विस्थापन केवल आवास को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि मछली पकड़ने, कृषि और आजीविका के अन्य साधनों को भी प्रभावित करता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- **जियोटेक्सटाइल ट्यूब तटबंध:** केंद्रापड़ा के पेंथा में रेत की घोल से भरी जियोटेक्सटाइल ट्यूबों का उपयोग तटीय सुरक्षा संरचनाओं के रूप में किया जा रहा है, ताकि लहरों की ऊर्जा को अवशोषित किया जा सके और कटाव को कम किया जा सके।
- **समुद्री दीवार-सह-सर्विस रोड:** बालासोर और गंजाम के संवेदनशील हिस्सों में ऐसी संरचनाएँ विकसित की जा रही हैं। इनमें

तटीय सुरक्षा के साथ परिवहन और सार्वजनिक आवागमन की सुविधा भी शामिल है।

- **जलवायु-आधारित पुनर्वास:** ओडिशा ने केंद्रापड़ा में तटीय कटाव से विस्थापित लोगों के लिए एक पुनर्वास कॉलोनी स्थापित की है, जो नियोजित जलवायु अनुकूलन के महत्व को दर्शाती है।

आगे की राह:

दीर्घकालिक रणनीति में मैंग्रोव पुनर्स्थापन, रेत के टीलों का संरक्षण और प्राकृतिक तलछट प्रवाह की सुरक्षा जैसे पारिस्थितिकी-आधारित उपायों के साथ कठोर इंजीनियरिंग उपायों को शामिल किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक तटरेखा निगरानी, रेत खनन का नियमन, जलवायु-लचीला बुनियादी ढाँचा, पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ और सहभागी तटीय क्षेत्र प्रबंधन भी आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:

ओडिशा का तटीय कटाव दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन तेजी से मानव सुरक्षा और आजीविका का मुद्दा बनता जा रहा है। इसलिए प्रभावी तटीय प्रबंधन में विकास और पारिस्थितिक लचीलेपन के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, साथ ही कमजोर समुदायों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक अनुकूलन सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

16 नई स्वदेशी पशु नस्लों का पंजीकरण

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 16 नई स्वदेशी नस्लों का पंजीकरण किया है। इससे भारत के पशु आनुवंशिक संसाधनों के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और सतत उपयोग के प्रयासों को बल मिला है। इन नस्लों के पंजीकरण की संस्तुति 7 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित आईसीएआर की नस्ल पंजीकरण समिति की 14वीं बैठक में की गई।

16 नव-पंजीकृत स्वदेशी नस्लें कौन-सी हैं?

- इन 16 नस्लों में 9 पशु प्रजातियाँ शामिल हैं, जो 13 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित हैं:
    - **गाय:** कोप्पल (कर्नाटक), महाकौशली (मध्य प्रदेश), पेरियार (केरल), उमरदा (महाराष्ट्र)
    - **भैंस:** गोमांचली (गोवा)
    - **बकरी:** बत्तीसी (राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश), तोतापुरी (राजस्थान)
    - **भेड़:** असोमी (असम), कोव देबार (उत्तराखंड), माडग्याल (महाराष्ट्र एवं कर्नाटक), सीमांचली (बिहार)
    - **गधा:** ब्रज (उत्तर प्रदेश)
    - **घोड़ा/टट्टू:** कश्मीरी (जम्मू-कश्मीर)
    - **सूअर:** नागाल (नागालैंड)
    - **याक:** सिक्किमी (सिक्किम)
    - **कुत्ता:** कोम्बाई (तमिलनाडु)
- प्रत्येक नस्ल को आईसीएआर-एनबीएजीआर द्वारा एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान की गई है, जिससे उसका आधिकारिक वैज्ञानिक अभिलेख तैयार हो गया है।

आईसीएआर द्वारा नस्लों का पंजीकरण क्यों महत्वपूर्ण है?

- नस्ल पंजीकरण से स्वदेशी पशु आनुवंशिक संसाधनों के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और सतत उपयोग में सहायता मिलती है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नस्लों में जलवायु के अनुरूप ढलने की क्षमता, रोगों के प्रति सहनशीलता और कम संसाधनों वाली कृषि व्यवस्था में उपयोगिता जैसे महत्वपूर्ण गुण हो सकते हैं।
- यह आनुवंशिक विविधता ग्रामीण आजीविका, चयनात्मक प्रजनन, जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता तथा भविष्य में पशुधन सुधार के लिए भी उपयोगी हो सकती है।

आईसीएआर क्या है?

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन तथा पशु विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के नियोजन, मार्गदर्शन एवं प्रबंधन के लिए देश की सर्वोच्च संस्था है।
- **आईसीएआर के प्रमुख कार्य:** आईसीएआर की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
    - **अनुसंधान एवं प्रसार:** देशभर में फैले नेटवर्क, जिसमें 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) शामिल हैं, के माध्यम से नवाचार और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना।
    - **प्रौद्योगिकी विकास:** खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अधिक उत्पादक तथा जलवायु-सहिष्णु कृषि तकनीकों और फसल किस्मों का विकास करना।

- **शिक्षा:** उच्च कृषि शिक्षा के मानक निर्धारित करना तथा शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना।
- **क्षमता निर्माण:** वैज्ञानिक अनुसंधान को किसानों से जोड़ना तथा खेत-स्तर पर कृषि संबंधी ज्ञान को मजबूत करना।

आईसीएआर-एनबीएजीआर की भूमिका:

- आईसीएआर–राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर), करनाल भारत में पशु नस्लों के पंजीकरण के लिए प्रमुख नोडल संस्था है। यह विभिन्न पशु आबादियों का वैज्ञानिक रूप से लक्षण-वर्णन करता है तथा नस्लों से संबंधित आधिकारिक अभिलेखों का रखरखाव करता है।

भारत में पंजीकृत नस्लों की संख्या में वृद्धि:

- इन नई नस्लों के पंजीकरण के साथ आईसीएआर-एनबीएजीआर के पंजीकृत नस्ल आधार की संख्या बढ़कर 262 हो गई है। इनमें 258 स्वदेशी और 4 संश्लिष्ट नस्लें शामिल हैं।
- यह भारत में पाई जाने वाली विविध पशु आबादियों की पहचान और उनके वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

जलवायु सहनशीलता और संरक्षण:

- बदलती जलवायु परिस्थितियों में स्वदेशी नस्लें अत्यंत उपयोगी हो सकती हैं, क्योंकि इनमें से कई नस्लें स्थानीय गर्मी, रोगों तथा पर्यावरणीय दबावों के अनुकूल विकसित हुई हैं।
- इन नस्लों का संरक्षण भविष्य में नई नस्लों के विकास और प्रजनन के लिए आनुवंशिक विकल्पों को सुरक्षित रखने तथा सतत पशुधन उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

निष्कर्ष:

16 नई स्वदेशी पशु नस्लों का पंजीकरण भारत की पशु आनुवंशिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोप्पल गाय और माडग्याल भेड़ से लेकर सिक्किमी याक, नागाल सूअर, कश्मीरी टट्टू और कोम्बाई कुत्ते तक, ये नई नस्लें भारत की असाधारण जैव-विविधता को प्रदर्शित करती हैं। इन नस्लों का संरक्षण जैव-विविधता, जलवायु सहनशीलता, सतत कृषि, ग्रामीण आजीविका और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

जोजरी नदी संकट: नदी प्रदूषण और पारिस्थितिक संरक्षण

संदर्भ:

हाल ही में, 24 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान की जोजरी नदी के किनारे उसके तट से 100 मीटर के दायरे में निर्माण एवं विकास गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश जोजरी नदी तंत्र में प्रदूषण और पारिस्थितिक क्षरण से संबंधित स्वतः संज्ञान (Suo Motu) मामले में दिया। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक नदी की उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line-HFL) तथा आवश्यक पारिस्थितिक बफर जोन का वैज्ञानिक निर्धारण और सीमांकन नहीं हो जाता। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 को होगी।

जोजरी नदी का पारिस्थितिक महत्व:

- जोजरी नदी, लूणी नदी तंत्र से जुड़ी एक महत्त्वपूर्ण मौसमी नदी है। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्र में मौसमी नदियाँ स्थानीय जल-निकासी, भूजल पुनर्भरण, कृषि तथा पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- शुष्क क्षेत्रों में नदियों का महत्व केवल उनके स्थायी जल प्रवाह से निर्धारित नहीं होता। वर्षा के दौरान इनका प्रवाह स्थानीय जल संचयन, आर्द्रभूमि निर्माण, मिट्टी में नमी तथा भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करता है। इसलिए ऐसी नदी प्रणालियों का क्षरण दीर्घकाल में क्षेत्र की जल-सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

जोजरी नदी में प्रदूषण की समस्या:

- जोजरी नदी का संकट मुख्यतः औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज और अनुपयुक्त अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ा है। विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला अपशिष्ट जल यदि पर्याप्त उपचार के बिना नदी तंत्र में पहुँचता है, तो जल की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती है।
- राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न रिपोर्टों में जोजरी नदी क्षेत्र में जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD), रासायनिक ऑक्सीजन मांग (COD), निलंबित ठोस पदार्थ तथा अन्य प्रदूषकों से संबंधित चिंताओं को दर्ज किया गया है। कुछ क्षेत्रों में प्रदूषित जल के कृषि में उपयोग से मृदा की गुणवत्ता, फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

उच्च बाढ़ रेखा (HFL) का महत्व:

- उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line-HFL) उस सीमा को दर्शाती है, जहाँ तक किसी नदी का जल बाढ़ की स्थिति में फैल सकता है।

HFL का वैज्ञानिक निर्धारण नदी के बाढ़-मैदान की पहचान और भूमि-उपयोग नियमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- शहरीकरण तथा औद्योगिक विस्तार के कारण जब बाढ़-मैदानों में निर्माण होता है, तो नदी की जल-वहन क्षमता प्रभावित होती है और बाढ़ का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए HFL आधारित योजना आपदा जोखिम न्यूनीकरण और नदी संरक्षण दोनों के लिए आवश्यक है।

भारत में नदी संरक्षण की व्यापक चुनौतियाँ:

- जोजरी नदी का मामला भारत की नदी प्रणालियों के सामने मौजूद कई संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करता है:
  - » **नदी तटों पर अतिक्रमण:** अनियोजित शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार से प्राकृतिक फ्लडप्लेन प्रभावित होते हैं।
  - » **अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन:** अनुपचारित या अपर्याप्त रूप से उपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट नदी जल की गुणवत्ता को खराब करते हैं।
  - » **विखंडित प्रशासन:** नदी संरक्षण से जुड़े विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी से प्रयास प्रभावी नहीं हो पाते।
  - » **वैज्ञानिक सीमांकन का अभाव:** कई नदी तंत्रों में HFL, बाढ़ क्षेत्र और पारिस्थितिक बफर जोन का पर्याप्त वैज्ञानिक निर्धारण नहीं हुआ है।
  - » **कैचमेंट आधारित योजना की कमी:** नदी को केवल शहर या जिला सीमा के भीतर देखने के बजाय पूरे कैचमेंट–नदी–फ्लडप्लेन तंत्र के रूप में प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

जोजरी नदी पर सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश भारत में नदी संरक्षण और बाढ़-मैदान प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह स्पष्ट करता है कि विकास की प्रक्रिया में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, पारिस्थितिक सीमाओं और बाढ़-मैदानों की अनदेखी दीर्घकाल में जल-सुरक्षा तथा आजीविका के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए जोजरी नदी का संरक्षण केवल एक न्यायिक आदेश के अनुपालन तक सीमित न रहकर वैज्ञानिक नदी-प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, जल के पुन: उपयोग, फ्लडप्लेन संरक्षण और जनभागीदारी पर आधारित दीर्घकालिक मॉडल का रूप लेना चाहिए। यही दृष्टिकोण भारत की अन्य प्रदूषित एवं संकटग्रस्त नदी प्रणालियों के पुनर्जीवन के लिए भी उपयोगी हो सकता है।

कार्बोसल्फान कीटनाशक पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्र सरकार ने कार्बोसल्फान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह कीटनाशक धान, कपास और बागवानी फसलों में उपयोग किया जाता है। सरकार ने इसके विषाक्तता, मानव स्वास्थ्य पर जोखिम और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की है। यह प्रस्ताव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रारूप राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

कार्बोसल्फान क्या है?

- कार्बोसल्फान कार्बामेट समूह का एक कीटनाशक है, जिसका उपयोग विभिन्न कृषि कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से धान, कपास और बागवानी फसलों में किया जाता रहा है।
- प्रस्तावित प्रतिबंध के तहत भारत में इसके आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग पर रोक लग जाएगी।

सरकार ने प्रतिबंध का प्रस्ताव क्यों दिया है?

- सरकार ने जनवरी 2026 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, ताकि यह जाँच की जा सके कि कार्बोसुल्फान के उपयोग की अनुमति जारी रखी जानी चाहिए, उस पर अधिक कड़े नियम लगाए जाने चाहिए या उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट जून 2026 में प्रस्तुत की।
- इसके बाद पंजीकरण समिति (RC) ने प्रतिबंध की सिफारिश की। समिति ने चिंता व्यक्त की कि कार्बोसल्फान विघटित होकर कार्बोफ्यूरान में बदल सकता है, जो अत्यधिक खतरनाक पदार्थ है और मानव स्वास्थ्य, पक्षियों, जलीय जीवों तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- प्रस्तावित कार्रवाई कृषि रसायनों के अधिक सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के भारत के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

किसानों पर प्रभाव:

- यह प्रतिबंध उन किसानों को प्रभावित कर सकता है जो वर्तमान में कीट प्रबंधन के लिए कार्बोसल्फान पर निर्भर हैं। इसलिए संक्रमण की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करना आवश्यक होगा:

  - सुरक्षित और किफायती विकल्पों की उपलब्धता।
  - एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) को अधिक व्यापक रूप से अपनाना।
  - कीटनाशकों के उचित उपयोग और मात्रा के संबंध में प्रशिक्षण।
  - जैविक तथा अन्य टिकाऊ कीट-नियंत्रण विधियों को बढ़ावा देना।

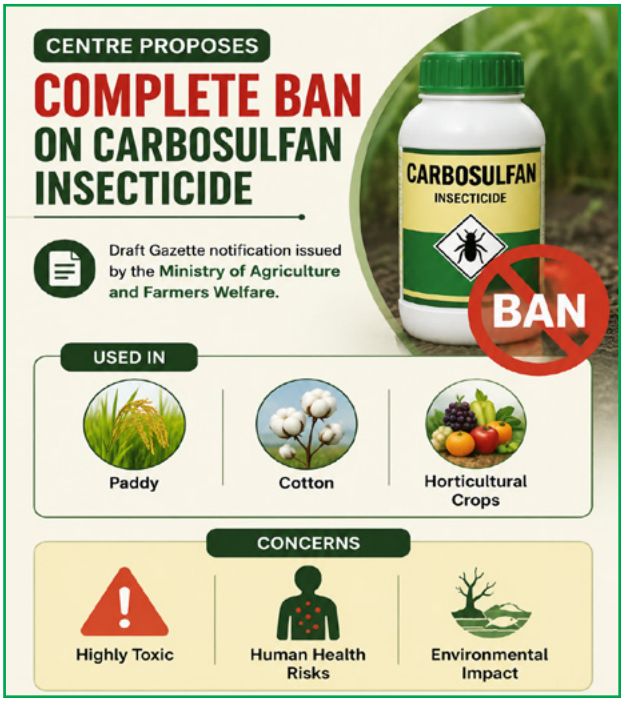
CENTRE PROPOSES
COMPLETE BAN ON CARBOSULFAN INSECTICIDE
Draft Gazette notification issued by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
CARBOSULFAN
INSECTICIDE
BAN
USED IN
Paddy
Cotton
Horticultural Crops
CONCERNS
Highly Toxic
Human Health Risks
Environmental Impact

भारत में कीटनाशक विनियमन के बारे में:

- भारत में कीटनाशकों का विनियमन मुख्य रूप से कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अंतर्गत किया जाता है।
  - **केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CIB):** तकनीकी मामलों में सरकारों को सलाह देता है।
  - **पंजीकरण समिति (RC):** पंजीकरण से पहले कीटनाशकों की प्रभावशीलता और सुरक्षा की जाँच करती है।
  - **राज्य सरकारें:** कीटनाशक निरीक्षकों और अनुज्ञप्ति प्राधिकरणों के माध्यम से नियमों को लागू करती हैं।

कीटनाशक विनियमन क्यों महत्वपूर्ण है?

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य:** कीटनाशकों का असुरक्षित उपयोग किसानों और उपभोक्ताओं को हानिकारक अवशेषों के संपर्क में ला सकता है।
- **पर्यावरण संरक्षण:** कीटनाशक मधुमक्खियों, पक्षियों, केंचुओं और जलीय जीवों जैसे गैर-लक्षित जीवों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- **किसान कल्याण:** मजबूत विनियमन नकली, मिलावटी और असुरक्षित कृषि रसायनों के प्रचलन को रोक सकता है।
- **टिकाऊ कृषि:** रासायनिक पदार्थों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने से दीर्घकालिक मृदा और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता मिलती है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **पुराना कानूनी ढाँचा:** कीटनाशक अधिनियम, 1968 को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अद्यतन करने की आवश्यकता है।
- **प्रवर्तन में कमियाँ:** निरीक्षकों, प्रयोगशालाओं और तकनीकी क्षमता की कमी से नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन कमजोर होता है।
- **नकली कीटनाशक:** नकली और मिलावटी उत्पाद फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं तथा किसानों के लिए आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकते हैं।
- **रसायनों पर निर्भरता:** कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग कीटों में प्रतिरोधक क्षमता और पारिस्थितिक क्षति को बढ़ावा दे सकता है।
- **लंबित सुधार:** प्रस्तावित कीटनाशक प्रबंधन विधेयक का उद्देश्य अधिक मजबूत विनियमन और दंड का प्रावधान करना है, लेकिन इसमें देरी हुई है।

आगे की राह:

- भारत को विज्ञान-आधारित और किसान-संवेदनशील कीटनाशक नीति अपनानी चाहिए, जिसमें कठोर जोखिम आकलन के साथ किफायती विकल्प उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाए।
- प्रयोगशालाओं, कीटनाशक-अवशेषों की निगरानी, राज्य स्तरीय प्रवर्तन और एकीकृत कीट प्रबंधन को मजबूत करने से कृषि उत्पादकता को प्रभावित किए बिना जोखिमों को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

कार्बोसुल्फान पर प्रस्तावित प्रतिबंध भारत के लिए अधिक सुरक्षित और टिकाऊ कीट प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता को दर्शाता है। एक सफल नीति में विनियमन के साथ किसानों में जागरूकता, किफायती विकल्पों की उपलब्धता और प्रभावी प्रवर्तन का समन्वय होना आवश्यक है।

5

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

नासा का मून बेस कार्यक्रम और भारत: अंतरिक्ष क्षमता निर्माण की नई दिशा

संदर्भ:

हाल ही में, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव एवं रोबोटिक उपस्थिति स्थापित करने की अपनी योजनाओं में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्र अन्वेषण और भारत अंतरिक्ष स्टेशन (Bharat Antariksh Station) से संबंधित क्षमताओं का विकास कर रहा है।

भारत ने 2023 में आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) पर हस्ताक्षर किए थे। हालाँकि, आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करना अपने-आप में नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में किसी देश की मिशन-भागीदारी निश्चित नहीं करता। इस संदर्भ में प्रमुख प्रश्न यह है कि यदि भारत को भविष्य के चंद्र अभियानों और संभावित मून-बेस से जुड़ी गतिविधियों में अधिक सक्रिय भागीदारी मिलती है, तो इससे भारत वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता के सन्दर्भ में कैसे और किस प्रकार लाभान्वित हो सकता है?

नासा की चंद्र अन्वेषण योजना क्या है?

- नासा का व्यापक आर्टेमिस योजना, चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव एवं रोबोटिक उपस्थिति विकसित करने की दिशा में केंद्रित है। इसका उद्देश्य केवल मानव को चंद्रमा पर भेजना नहीं, बल्कि वहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी परीक्षण और भविष्य की सतत गतिविधियों के लिए आवश्यक आधारभूत क्षमताएँ विकसित करना है।

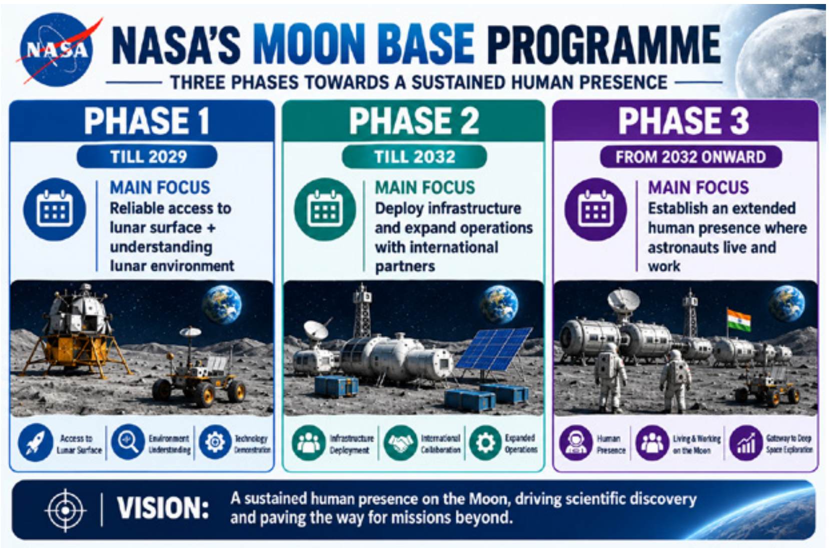

NASA'S MOON BASE PROGRAMME

THREE PHASES TOWARDS A SUSTAINED HUMAN PRESENCE

PHASE 1	PHASE 2	PHASE 3
TILL 2029	TILL 2032	FROM 2032 ONWARD
MAIN FOCUS Reliable access to lunar surface + understanding lunar environment	MAIN FOCUS Deploy infrastructure and expand operations with international partners	MAIN FOCUS Establish an extended human presence where astronauts live and work
Access to Lunar Surface Environment Understanding Technology Demonstration	Infrastructure Deployment International Collaboration Expanded Operations	Human Presence Living & Working on the Moon Gateway to Deep Space Exploration

VISION: A sustained human presence on the Moon, driving scientific discovery and paving the way for missions beyond.

- इसमें चंद्र कक्षा में प्रवेश, मानव लैंडिंग प्रणालियाँ, रोबोटिक मिशन तथा सतह पर ऊर्जा, आवास और परिवहन जैसी क्षमताओं का विकास शामिल है। नासा के अनुसार, भविष्य की दीर्घकालिक चंद्र गतिविधियों में इन-सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन (In-Situ Resource Utilisation- ISRU) और उन्नत रोबोटिक्स जैसी तकनीकों का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।

चंद्र दक्षिणी ध्रुव क्यों महत्वपूर्ण है?

- चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। यहाँ ऐसे स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र (Permanently Shadowed Regions) पाए जाते हैं, जहाँ जल और बर्फ की मौजूदगी के संकेत मिले हैं।
- यदि भविष्य के मिशनों में इन संसाधनों को पर्याप्त मात्रा में पहचानना, निकालना और उपयोग करना तकनीकी एवं आर्थिक रूप से संभव होता है, तो जल का उपयोग जीवन-समर्थन प्रणालियों में किया जा सकता है। हालाँकि, संसाधनों की मात्रा, वितरण, निष्कर्षण की लागत और ऊर्जा आवश्यकताओं का व्यावहारिक परीक्षण अभी महत्वपूर्ण चुनौती है।
- भारत के लिए यह क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रयान-3 ने चंद्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत की लैंडिंग और रोबोटिक अन्वेषण क्षमता को प्रदर्शित किया।

मून बेस के लिए कौन-सी तकनीकें आवश्यक होंगी?

- **इन-सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन (ISRU):** भविष्य के चंद्र अभियानों की लागत कम करने के लिए स्थानीय संसाधनों के उपयोग की क्षमता महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें चंद्रमा की मिट्टी या रेगोलिथ से ऑक्सीजन निकालना तथा उपलब्ध जल-बर्फ का उपयोग शामिल हो सकता है। इसके लिए भारत को संसाधन पहचान, निष्कर्षण, प्रसंस्करण और भंडारण से जुड़ी तकनीकों में अनुसंधान का अवसर मिल सकता है।
- **स्वायत्त रोबोटिक्स और एआई:** चंद्रमा पर संचार में विलंब, कठिन भू-भाग और सीमित मानव उपस्थिति के कारण रोवर तथा अन्य प्रणालियों को अधिक स्वायत्त बनाना आवश्यक होगा। एआई आधारित नेविगेशन, मशीन विजन, स्वायत्त निर्णय क्षमता और रोबोटिक मैनिपुलेशन जैसी तकनीकों में सहयोग भारत की रोबोटिक्स क्षमता को मजबूत कर सकता है।
- **सटीक लैंडिंग और नेविगेशन:** दक्षिणी ध्रुव का भू-भाग कठिन है। इसलिए सुरक्षित लैंडिंग के लिए खतरे का पता लगाना, भूभाग-सापेक्ष नेविगेशन और स्वायत्त लैंडिंग (hazard detection, terrain-relative navigation, autonomous landing) जैसी तकनीकों की आवश्यकता होगी। चंद्रयान-3 से प्राप्त अनुभव इस क्षेत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है, लेकिन अधिक जटिल और मानव-संबंधी मिशनों के लिए अतिरिक्त परीक्षण एवं सत्यापन आवश्यक होंगे।
- **ऊर्जा और जीवन-समर्थन प्रणालियाँ:** दीर्घकालिक चंद्र उपस्थिति के लिए विश्वसनीय ऊर्जा, ताप नियंत्रण, विकिरण सुरक्षा, ऑक्सीजन आपूर्ति, जल पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यक होंगे। इस क्षेत्र में विकसित तकनीकों का उद्देश्य ऐसी प्रणालियाँ बनाना होगा जो लंबे समय तक पृथ्वी से सीमित आपूर्ति पर काम कर सकें।
- **चंद्रमा की धूल और संचार:** चंद्र रेगोलिथ की महीन धूल उपकरणों, स्पेससूट और सीलिंग प्रणालियों के लिए चुनौती बन सकती है। इसलिए धूलरोधी, सुरक्षात्मक सामग्री और उपकरण सीलिंग (dust mitigation, protective materials, equipment sealing) जैसी तकनीकें महत्वपूर्ण होंगी। इसी प्रकार चंद्र सतह से पृथ्वी या चंद्र कक्षा तक विश्वसनीय संचार और डेटा ट्रांसमिशन के लिए उन्नत संचार प्रणालियों की आवश्यकता होगी।

भारत को क्या लाभ हो सकता है?

- **तकनीकी क्षमता में तेजी:** अंतरराष्ट्रीय मिशनों में वास्तविक तकनीकी भागीदारी भारत को केवल तैयार तकनीक का उपयोगकर्ता बनाने की अपेक्षा साझा विकास, परीक्षण और संचालन का अनुभव प्रदान कर सकती है। इससे मानव अंतरिक्ष उड़ान, रोबोटिक्स, जीवन-समर्थन, नेविगेशन और संचार जैसी क्षमताओं के विकास में तेजी आ सकती है। हालाँकि, तकनीकी लाभ अपने-आप नहीं मिलेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत को मिशन में किस स्तर की तकनीकी जिम्मेदारी, डेटा तक पहुँच और अनुसंधान सहयोग प्राप्त होता है।
- **गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन:** चंद्र अभियानों में मानव-संबंधी प्रणालियों का अनुभव भारत के अपने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उपयोगी हो सकता है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में जीवन-समर्थन, संचालन, आपातकालीन प्रबंधन और मानव-मशीन सहयोग जैसे क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव भविष्य में भारत अंतरिक्ष स्टेशन (Bharat Antariksh Station—BAS) जैसी परियोजनाओं के लिए प्रासंगिक हो सकता है।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान:** चंद्र दक्षिणी ध्रुव से प्राप्त भूवैज्ञानिक, खनिज और जल-बर्फ संबंधी डेटा चंद्रमा की उत्पत्ति तथा प्रारंभिक सौरमंडल को समझने में योगदान दे सकता है। भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से अधिक व्यापक डेटा और सहयोग का अवसर मिल सकता है।

- **निजी अंतरिक्ष क्षेत्र:** चंद्र अभियानों में संचार, रोबोटिक्स, सेंसर, सॉफ्टवेयर, प्रणोदन और वैज्ञानिक उपकरणों की माँग भारतीय निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए नए R&D और वाणिज्यिक अवसर पैदा कर सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ देश में परीक्षण सुविधाओं, निवेश, कौशल और उद्योग-अकादमिक सहयोग को मजबूत करने पर निर्भर करेगा।

भारत स्वयं क्या योगदान दे सकता है?

- भारत को केवल तकनीक प्राप्त करने वाले देश के रूप में नहीं, बल्कि तकनीकी योगदानकर्ता के रूप में अपनी भूमिका विकसित करनी चाहिए।
- भारत की संभावित विशेषज्ञता में कम लागत वाले अंतरिक्ष मिशन, सटीक लैंडिंग, रोबोटिक अन्वेषण, वैज्ञानिक उपकरण, स्वायत्त नेविगेशन, सॉफ्टवेयर, संचार प्रणालियाँ और संसाधन मानचित्रण शामिल हो सकते हैं। चंद्रयान मिशनों से अर्जित अनुभव को भविष्य के अंतरराष्ट्रीय मिशनों में उपयोग किया जा सकता है।

चुनौतियाँ:

- सबसे बड़ी चुनौती रणनीतिक स्वायत्तता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बीच संतुलन की होगी। अत्यधिक निर्भरता भारत की स्वतंत्र अंतरिक्ष क्षमता को सीमित कर सकती है। इसलिए प्रक्षेपण यान, प्रणोदन, नेविगेशन, संचार और अंतरिक्षयान प्रणालियों में स्वदेशी क्षमता को समानांतर रूप से मजबूत करना आवश्यक है।
- इसके अतिरिक्त, चंद्र संसाधनों के उपयोग से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कानून और मानदंड अभी विकसित हो रहे हैं। इसलिए संसाधन उपयोग, वैज्ञानिक डेटा, गतिविधियों के समन्वय और संभावित प्रतिस्पर्धा के संबंध में पारदर्शी एवं नियम-आधारित व्यवस्था आवश्यक होगी। आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) इसी प्रकार के जिम्मेदार और शांतिपूर्ण अंतरिक्ष सहयोग के लिए सिद्धांतों का ढाँचा प्रदान करते हैं।

आगे की राह:

- भारत को आर्टेमिस से जुड़े सहयोग को अपनी स्वतंत्र अंतरिक्ष रणनीति का विकल्प नहीं, बल्कि क्षमता निर्माण का अवसर मानना चाहिए। इसके लिए गगनयान और BAS से जुड़ी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को मजबूत किया जाए; ISRU, रोबोटिक्स, AI और स्वायत्त नेविगेशन पर विशेष R&D बढ़ाया जाए; चंद्र धूल, ऊर्जा, जीवन-समर्थन और आवास तकनीकों पर परीक्षण किए जाएँ; भारतीय निजी कंपनियों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भागीदारी बढ़ाई जाए तथा अमेरिका के साथ सहयोग के साथ-साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को भी बनाए रखा जाए।

निष्कर्ष:

चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति की दिशा में बढ़ता वैश्विक प्रयास भारत के लिए केवल अंतरिक्ष कूटनीति का विषय नहीं, बल्कि उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने का अवसर है। यदि भारत को भविष्य के चंद्र अभियानों में सार्थक तकनीकी भूमिका मिलती है, तो स्थानीय संसाधन उपयोग (In-Situ Resource Utilisation—ISRU), रोबोटिक्स, मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्वायत्त प्रणालियों और जीवन-समर्थन तकनीकों में उसकी क्षमता मजबूत हो सकती है। हालांकि, वास्तविक लाभ सहयोग की प्रकृति, भारत की भागीदारी के स्तर और देश की घरेलू तकनीकी क्षमता को आत्मसात करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। अतः भारत को स्वायत्तता बनाए रखते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से तकनीकी क्षमता को तीव्र करने की रणनीति होनी चाहिए।

स्वदेशी अफ़्रीकन स्वाइन फ़ीवर वैक्सीन

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर (African Swine Fever-ASF) वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित की। यह वैक्सीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (ICAR-NIHSAD), भोपाल द्वारा विकसित की गई है। यह भारत में पशुधन स्वास्थ्य, जैव-सुरक्षा तथा स्वदेशी वैक्सीन अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF) क्या है?

- अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक एवं घातक वायरल रोग है, जो घरेलू तथा जंगली सूअरों को प्रभावित करता है। यह रोग अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस (ASFV) के कारण होता है तथा इसकी मृत्यु दर लगभग 100 प्रतिशत तक हो सकती है।
- यह रोग मनुष्यों में नहीं फैलता और न ही खाद्य सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न करता है, किंतु सूअर पालन उद्योग को गंभीर आर्थिक क्षति पहुँचाता है। भारत में वर्ष 2020 से ASF के कई प्रकोप दर्ज किए गए हैं, जिनका सर्वाधिक प्रभाव पूर्वोत्तर राज्यों में देखा गया है।

स्वदेशी वैक्सीन की प्रमुख विशेषताएँ:

- यह भारत की पहली MA-104 सेल लाइन आधारित जीवित-क्षीणीकृत (Live-Attenuated) वैक्सीन है, जिसे ASFV जीनोटाइप-II के विरुद्ध विकसित किया गया है।
- इसमें लक्षित जीन विलोपन (Targeted Gene Deletions) तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे वायरस की रोग उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती है, जबकि शरीर में प्रभावी प्रतिरक्षा विकसित होती है।
- यह वैक्सीन 8 सप्ताह से अधिक आयु के स्वस्थ सूअरों के लिए विकसित की गई है। इसे 1 मिलीलीटर इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है तथा 14 दिनों बाद एक बूस्टर डोज़ की अनुशंसा की गई है।
- इसका निर्माण गैर-स्वामित्व (Non-Proprietary) MA-104 सेल लाइन पर आधारित है, जिससे महंगे विदेशी उत्पादन प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम होगी और बड़े पैमाने पर कम लागत में उत्पादन संभव होगा।

महत्व:

- इस वैक्सीन का उद्देश्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण होने वाली व्यापक पशु मृत्यु को कम करना, संक्रमित पशुओं के बड़े पैमाने पर वध (Mass Culling) की आवश्यकता को घटाना तथा सूअर पालकों की आजीविका की सुरक्षा करना है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत, जहाँ सूअर पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, वहाँ यह वैक्सीन अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी।
- यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी वैक्सीन अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ करती है तथा पशुधन जैव-सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करती है। कम लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता के कारण यह वैक्सीन देश में व्यापक टीकाकरण कार्यक्रमों को गति दे सकती है। साथ ही, भविष्य में भारत एशिया और अफ्रीका के देशों को किफायती ASF वैक्सीन उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

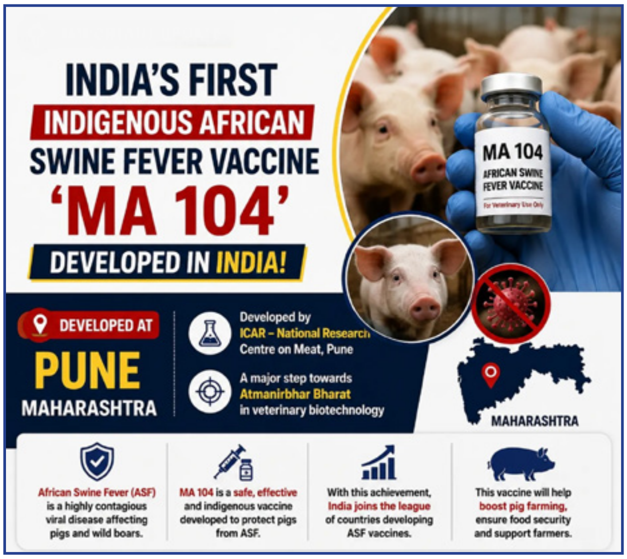
INDIA'S FIRST
INDIGENOUS AFRICAN
SWINE FEVER VACCINE
'MA 104'
DEVELOPED IN INDIA!
MA 104
AFRICAN SWINE FEVER VACCINE
For Veterinary Use Only
DEVELOPED AT
PUNE
MAHARASHTRA
Developed by ICAR – National Research Centre on Meat, Pune
A major step towards Atmanirbhar Bharat in veterinary biotechnology
MAHARASHTRA
African Swine Fever (ASF) is a highly contagious viral disease affecting pigs and wild boars.
MA 104 is a safe, effective and indigenous vaccine developed to protect pigs from ASF.
With this achievement, India joins the league of countries developing ASF vaccines.
This vaccine will help boost pig farming, ensure food security and support farmers.

निष्कर्ष:

स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन का विकास भारत के पशु स्वास्थ्य एवं जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह न केवल ASF के प्रभावी नियंत्रण में सहायक होगी, बल्कि पशुपालन क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय की सुरक्षा करने तथा देश की जैव-सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन (RDE)

संदर्भ:

भारत स्थित रक्षा स्टार्ट-अप डी-प्रोपल्स ने हाल ही में हैदराबाद स्थित DRDO की एक सुविधा में रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन (Rotating Detonation Engines- RDE) का सफल प्रदर्शन किए जाने की घोषणा की है। वैश्विक स्तर पर RDE का परीक्षण रॉकेट, हाइपरसोनिक मिसाइलों और अंतरिक्ष यानों के लिए किया जा रहा है।

रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन क्या है?

- रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन एक उन्नत प्रणोदन प्रणाली है, जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को मुक्त करने के लिए पारंपरिक दहन के बजाय डेटोनेशन (विस्फोटन) का उपयोग करती है।
- पारंपरिक इंजनों में दहन मुख्य रूप से डिफ्लैग्रेशन (Deflagration) के माध्यम से होता है, जिसमें लौ ध्वनि की गति से कम गति पर आगे बढ़ती है। इसके विपरीत, डेटोनेशन में एक अतिध्वनिक आघात तरंग (Supersonic Shock Wave) ईंधन-वायु मिश्रण को तेजी से संपीड़ित और गर्म करती है, जिससे अत्यंत तीव्र दहन होता है।

RDE कैसे काम करता है?

- एक रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन में सामान्यतः एक वलयाकार दहन कक्ष (Annular Combustion Chamber) होता है। इसमें दो संकेंद्रित बेलनाकार संरचनाएँ होती हैं, जिनके बीच एक संकीर्ण वलयाकार स्थान होता है।
- ईंधन और ऑक्सीडाइज़र को लगातार इस कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। एक या एक से अधिक डेटोनेशन तरंगें बहुत तेज गति से इस वलयाकार कक्ष के चारों ओर घूमती रहती हैं। ये तरंगें ताजे ईंधन-वायु मिश्रण को तेजी से दहन करती हैं और उच्च-दाब वाली गैसें उत्पन्न करती हैं। ये गैसें नोजल के माध्यम से फैलती हैं और थ्रस्ट (प्रणोद) उत्पन्न करती हैं।
- स्पंदित विस्फोट इंजन (Pulsed Detonation Engine -PDE) के विपरीत, RDE में डेटोनेशन को लगातार बनाए रखा जा सकता है। इससे निरंतर प्रणोद उत्पन्न करना संभव होता है।

यह अधिक दक्ष क्यों है?

- रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन अधिक दक्ष माने जाते हैं क्योंकि इनमें दहन से पहले अतिध्वनिक आघात तरंग के माध्यम से ईंधन-वायु मिश्रण को अत्यधिक संपीड़ित किया जाता है।
- इससे अधिक दाब उत्पन्न होता है और ईंधन की रासायनिक ऊर्जा का अधिक हिस्सा उपयोगी प्रणोद में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का नुकसान कम होता है। इसलिए रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन पारंपरिक दहन प्रणालियों की तुलना में लगभग 10–25% अधिक ऊष्मागतिक दक्षता (Thermodynamic Efficiency) प्रदान कर सकते हैं।

अनुप्रयोग:

- अधिक दक्षता का अर्थ है कि समान उत्पादन प्राप्त करने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता हो सकती है:
  - **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:** रॉकेटों में कम प्रणोदक की खपत से पेलोड क्षमता, मिशन की दक्षता बढ़ सकती है और संभावित रूप से प्रक्षेपण की लागत को कम किया जा सकता है।
  - **रक्षा क्षेत्र:** RDE भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइलों और उन्नत प्रणोदन प्रणालियों में उपयोगी हो सकते हैं। इससे उनकी मारक क्षमता, गति या पेलोड दक्षता में सुधार की संभावना है।

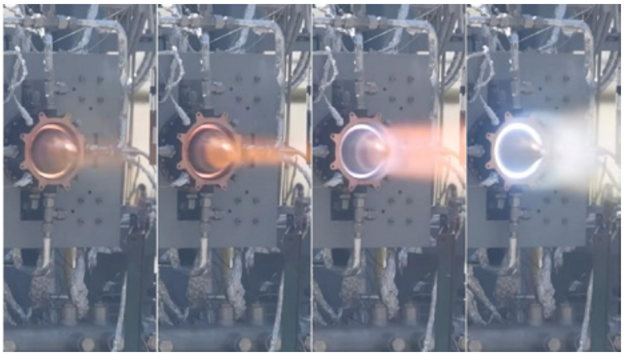

RDE तकनीक कठिन क्यों है?

- अपनी संभावनाओं के बावजूद RDE का व्यावहारिक उपयोग काफी चुनौतीपूर्ण है। RDE के दहन कक्ष में तापमान 2,000°C से अधिक, दाब 10–100 वायुमंडलीय दाब या उससे अधिक तथा डेटोनेशन की गति 1,500 मीटर/सेकंड से अधिक हो सकती है।
- ईंधन और वायु के मिश्रण में छोटे बदलाव भी डेटोनेशन तरंग को अस्थिर कर सकते हैं। इसलिए इस तकनीक के विकास के लिए उन्नत सामग्री, ईंधन इंजेक्शन प्रणालियों, उच्च गति वाली कंप्यूटिंग, उन्नत निदान तकनीकों और सटीक विनिर्माण की आवश्यकता होती है।

रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन और पल्स्ड डेटोनेशन इंजन में अंतर:

- पल्स्ड डेटोनेशन इंजन (PDE) में एक ट्यूब का उपयोग किया जाता है, जिसमें डेटोनेशन बार-बार चक्रों के रूप में होता है। प्रत्येक चक्र

के बाद कक्ष को खाली करके फिर से ईंधन और ऑक्सीडाइज़र से भरना पड़ता है।

- इसके विपरीत, रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन में एक वलयाकार कक्ष होता है, जिसमें डेटोनेशन तरंगें लगातार घूमती रहती हैं। इससे ईंधन का निरंतर प्रवाह और लगातार प्रणोद उत्पन्न करना संभव होता है।

भारत के लिए महत्व:

- स्वदेशी रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन तकनीक का विकास भारत की रक्षा, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रणोदन क्षमताओं को मजबूत कर सकता है। साथ ही, इससे विदेशी प्रणोदन तकनीकों पर निर्भरता कम करने और उन्नत प्रणोदन प्रणालियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष:

रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन अगली पीढ़ी की एक महत्वपूर्ण प्रणोदन तकनीक के रूप में उभर रहे हैं, जिनमें पारंपरिक दहन प्रणालियों की तुलना में 10–25% अधिक ऊष्मागतिक दक्षता की संभावना है। हालांकि, अत्यधिक तापमान और दाब जैसी परिस्थितियों तथा स्थिर डेटोनेशन तरंग बनाए रखने की कठिनाइयों के कारण यह तकनीक अभी भी प्रायोगिक अवस्था में है। निरंतर अनुसंधान, उन्नत तकनीकी क्षमताओं और स्वदेशी नवाचार के माध्यम से ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन के सैद्धांतिक लाभ भविष्य में वास्तविक और परिचालन प्रणालियों में परिवर्तित हो सकें।

इन्फ्लूएंजा H1N1 (स्वाइन फ्लू)

संदर्भ:

हाल ही में दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ए (एच1एन1) के मामलों में तेज़ वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के आँकड़ों के अनुसार, 12 अगस्त तक 1,449 मामले सामने आए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 229 मामले दर्ज किए गए थे।

इन्फ्लुएंजा एच1एन1 क्या है?

- इन्फ्लुएंजा विषाणु ऑर्थोमाइक्सोविरिडी कुल से संबंधित होते हैं। एच1एन1, इन्फ्लुएंजा ए का एक उपप्रकार है। इसका नाम इसकी सतह पर पाए जाने वाले दो प्रोटीनों, हीमैग्लूटिनिन (एच) और न्यूरामिनिडेज़ (एन) के आधार पर रखा गया है।
- एच1एन1 में इन प्रोटीनों के एच1 और एन1 उपप्रकार पाए जाते हैं। ये प्रोटीन विषाणु को मेज़बान कोशिकाओं में प्रवेश करने तथा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ परस्पर क्रिया करने में सहायता करते हैं।
- "स्वाइन फ्लू" शब्द इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि 2009 की महामारी के लिए उत्तरदायी विषाणु में मनुष्यों, सूअरों और पक्षियों से संबंधित इन्फ्लुएंजा विषाणुओं से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री मौजूद थी।

2009 की एच1एन1 महामारी:

- भारत में एच1एन1 का पहला मामला मई 2009 में हैदराबाद में सामने आया। जून 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एच1एन1 को वैश्विक महामारी घोषित किया। इसके बाद यह विषाणु मनुष्यों में फैलने वाले मौसमी इन्फ्लुएंजा विषाणुओं में से एक के रूप में स्थापित हो गया।

एच1एन1 क्यों फैल रहा है?

- इन्फ्लुएंजा एक मौसमी बीमारी है। भारत में इसके प्रकोप पर मौसम की परिस्थितियों, विशेषकर मानसून के समय, का प्रभाव पड़ता है। लोगों के बीच बढ़ता संपर्क, अधिक जनसंख्या घनत्व और स्थानीय मौसम की परिस्थितियाँ इसके प्रसार को बढ़ावा दे सकती हैं।
- हालाँकि, मामलों में अचानक वृद्धि का वास्तविक कारण जानने के लिए आनुवंशिक और महामारी-विज्ञान संबंधी अध्ययन आवश्यक हैं। विषाणु में होने वाले परिवर्तन भी उसके प्रसार तथा पहले से मौजूद प्रतिरक्षा से बच निकलने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

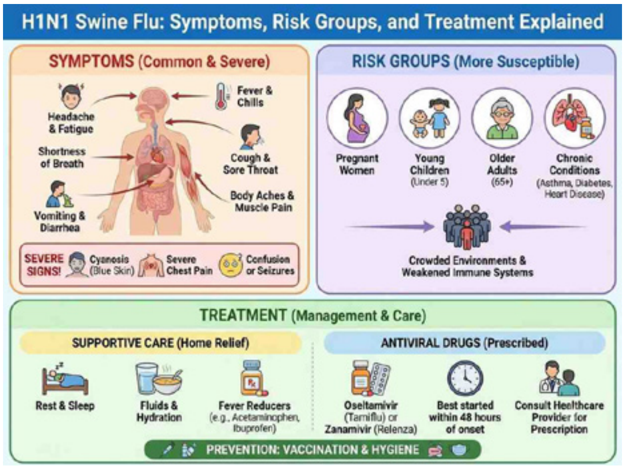
H1N1 Swine Flu: Symptoms, Risk Groups, and Treatment Explained
SYMPTOMS (Common & Severe)
Headache & Fatigue
Fever & Chills
Shortness of Breath
Cough & Sore Throat
Body Aches & Muscle Pain
Vomiting & Diarrhea
SEVERE SIGNS!
Cyanosis (Blue Skin)
Severe Chest Pain
Confusion or Seizures
RISK GROUPS (More Susceptible)
Pregnant Women
Young Children (Under 5)
Older Adults (65+)
Chronic Conditions (Asthma, Diabetes, Heart Disease)
Crowded Environments & Weakened Immune Systems
TREATMENT (Management & Care)
SUPPORTIVE CARE (Home Relief)
Rest & Sleep
Fluids & Hydration
Fever Reducers (e.g. Acetaminophen, Ibuprofen)
ANTIVIRAL DRUGS (Prescribed)
Oseltamivir (Tamiflu) or Zanamivir (Relenza)
Best started within 48 hours of onset
Consult Healthcare Provider for Prescription
PREVENTION: VACCINATION & HYGIENE

प्रतिजनिक विचलन और प्रतिजनिक परिवर्तन:

- **प्रतिजनिक विचलन:** प्रतिजनिक विचलन (Antigenic drift) इन्फ्लुएंजा विषाणुओं में होने वाले छोटे और धीरे-धीरे होने वाले आनुवंशिक परिवर्तनों को कहा जाता है। इन परिवर्तनों से एचए और एनए प्रोटीनों की संरचना में बदलाव हो सकता है, जिससे पहले से मौजूद प्रतिरक्षी कम प्रभावी हो सकते हैं। प्रतिजनिक विचलन मौसमी प्रकोपों में योगदान देता है और यही एक कारण है कि इन्फ्लुएंजा के टीकों को समय-समय पर अद्यतन करना पड़ता है।
- **प्रतिजनिक परिवर्तन:** प्रतिजनिक परिवर्तन (Antigenic Shift) इन्फ्लुएंजा ए विषाणु में होने वाला अचानक और बड़ा परिवर्तन है। इससे इन्फ्लुएंजा का ऐसा नया उपप्रकार उत्पन्न हो सकता है, जिसके विरुद्ध मनुष्यों में बहुत कम या बिल्कुल भी प्रतिरक्षा न हो। ऐसे परिवर्तन इन्फ्लुएंजा महामारी का कारण बन सकते हैं, जैसा कि 2009 में हुआ था।

लक्षण और अधिक जोखिम वाले समूह:

- सामान्य लक्षणों में बुखार, खाँसी, सिरदर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना और पसीना आना शामिल हैं। गंभीर संक्रमण के कारण निमोनिया या श्वसन विफलता हो सकती है।
- वृद्धजन, बच्चे, गर्भवती महिलाएँ तथा मधुमेह, दमा, हृदय रोग या कमजोर प्रतिरक्षा जैसी स्थितियों वाले लोगों में गंभीर बीमारी का जोखिम अधिक होता है।

उपचार और बचाव:

- उपचार मुख्यतः सहायक चिकित्सा पर आधारित होता है। ओसेल्टामिविर, एक विषाणुरोधी औषधि, उचित मामलों में विशेष रूप से बीमारी की शुरुआत में देने पर प्रभावी हो सकती है। प्रतिजैविक औषधियाँ विषाणुजनित इन्फ्लुएंजा का उपचार नहीं करती हैं।
- बचाव के उपायों में हर वर्ष टीकाकरण, हाथों की स्वच्छता बनाए रखना, खाँसते और छींकते समय उचित श्वसन शिष्टाचार अपनाना, पर्याप्त वायु-संचार रखना तथा लक्षण होने पर निकट संपर्क से बचना शामिल हैं।

निष्कर्ष:

एच1एन1 के दोबारा बढ़ते मामलों से आनुवंशिक निगरानी, टीकाकरण, शीघ्र निदान और 'वन हेल्थ' आधारित तैयारी के महत्त्व का पता चलता है। प्रतिजनिक विचलन और प्रतिजनिक परिवर्तन को समझना मौसमी प्रकोपों को रोकने तथा भविष्य में संभावित इन्फ्लुएंजा महामारियों के लिए तैयार रहने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

स्मार्ट ड्रग आरके-251: भारत की नई कैंसर-रोधी प्रोड्रग

संदर्भ:

हाल ही में, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IASST), गुवाहाटी और आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने RK-251 नामक एक प्रयोगात्मक कैंसर दवा विकसित की है। इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह शरीर में अधिकांशतः निष्क्रिय रहे और मुख्य रूप से कैंसर कोशिकाओं के अंदर सक्रिय हो। इस शोध को 2026 में जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में प्रकाशित किया गया।

RK-251 क्या है?

- RK-251 एक प्रोड्रग है, जिसका अर्थ है ऐसी दवा का कम-सक्रिय रूप, जो किसी विशेष रासायनिक संकेत प्राप्त करने के बाद ही सक्रिय होती है।
- यह दवा कैंसर कोशिकाओं और सामान्य कोशिकाओं के बीच मौजूद अंतर का उपयोग करती है। कई कैंसर कोशिकाओं में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ (ROS) की मात्रा अधिक होती है। ये ऐसे अणु हैं, जो अधिक मात्रा में मौजूद होने पर कोशिकाओं को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

यह कैसे काम करती है?

- इसमें जब RK-251 उच्च ROS स्तर वाली कैंसर कोशिका में प्रवेश करती है, तो ROS दवा को सक्रिय करके NBDHEX को मुक्त करता है।
- NBDHEX, GSTP1 नामक एक एंजाइम को अवरुद्ध करता है, जो कुछ कैंसर कोशिकाओं को जीवित रहने और उपचार के प्रति प्रतिरोध करने में सहायता करता है।
- इस प्रकार, RK-251 का उद्देश्य अपनी कैंसर-विरोधी कार्रवाई मुख्य रूप से उसी स्थान पर पहुँचाना है, जहाँ इसकी आवश्यकता होती है।
- **थेरानोस्टिक दृष्टिकोण:** RK-251 में QCy7 नामक एक प्रतिदीप्त घटक भी शामिल है। जब दवा सक्रिय होती है, तो यह निकट-अवरक्त प्रकाश का संकेत उत्पन्न करती है।
- इसलिए, यह दवा संभावित रूप से दो कार्य कर सकती है:
  - **उपचार:** कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने के लिए NBDHEX को मुक्त करती है।
  - **पहचान:** प्रतिदीप्ति उत्पन्न करके यह दर्शाती है कि दवा

सक्रिय हो गई है।

- उपचार और पहचान को एक साथ जोड़ने वाले इस दृष्टिकोण को थेरानोस्टिक दृष्टिकोण कहा जाता है।

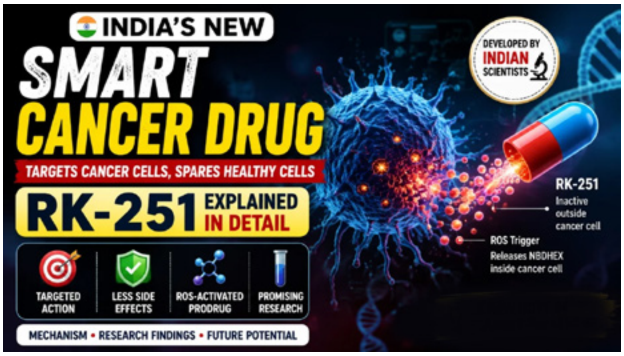
INDIA'S NEW
SMART
CANCER DRUG
TARGETS CANCER CELLS, SPARES HEALTHY CELLS
RK-251 EXPLAINED IN DETAIL
DEVELOPED BY INDIAN SCIENTISTS
RK-251
Inactive outside cancer cell
ROS Trigger
Releases NBDHEX inside cancer cell
TARGETED ACTION
LESS SIDE EFFECTS
ROS-ACTIVATED PRODRUG
PROMISING RESEARCH
MECHANISM • RESEARCH FINDINGS • FUTURE POTENTIAL

लक्ष्य: ट्रिपल-नेगेटिव स्तन कैंसर

- प्रयोगशाला अध्ययनों में इस दवा ने ट्रिपल-नेगेटिव स्तन कैंसर (TNBC) के विरुद्ध आशाजनक गतिविधि दिखाई।
- TNBC का उपचार कठिन होता है क्योंकि इसकी कैंसर कोशिकाओं में तीन सामान्य लक्ष्य मौजूद नहीं होते हैं: एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2।

क्या यह कीमोथेरेपी का स्थान ले सकती है?

- यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि RK-251 कीमोथेरेपी का स्थान ले सकती है। पारंपरिक कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं के साथ कुछ स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुँचा सकती है, जबकि RK-251 का उद्देश्य अधिक चयनात्मक होना है।
- मनुष्यों में उपयोग से पहले शोधकर्ताओं को इसकी सुरक्षा, सही खुराक, मानव शरीर में व्यवहार और ट्यूमर के विरुद्ध प्रभावशीलता स्थापित करनी होगी।
- यदि यह सफल होती है, तब भी यह कीमोथेरेपी को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय एक अन्य उपचार विकल्प बन सकती है।

भारत के लिए महत्व:

- RK-251 भारत में जैव-प्रौद्योगिकी, औषधि खोज, कैंसर अनुसंधान और सटीक चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही प्रगति को दर्शाती है। यह अनुसंधान संस्थानों और IITs के बीच सहयोग के महत्व को भी दर्शाती है।

स्तन कैंसर के बारे में:

- स्तन कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है। WHO के अनुमान के अनुसार, 2024 में लगभग 24 लाख महिलाओं में स्तन कैंसर का निदान हुआ और 6,94,000 महिलाओं की इससे मृत्यु हुई। मृत्यु दर को कम करने के लिए शीघ्र पहचान और समय पर उपचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- भारत में भी स्तन कैंसर देश में होने वाले सबसे आम कैंसरों में शामिल है। इसके साथ ही गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) और मुख के कैंसर भी प्रमुख हैं, जो स्क्रीनिंग और शीघ्र निदान के महत्व को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष:

RK-251 एक आशाजनक प्रयोगात्मक स्मार्ट दवा है, जो कैंसर कोशिकाओं के अंदर मौजूद उच्च ROS स्तर को सक्रियण के संकेत के रूप में उपयोग करती है। लक्षित उपचार को कैंसर कोशिकाओं की पहचान के साथ जोड़कर यह आधुनिक कैंसर अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण विकास प्रस्तुत करती है। हालाँकि, इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता स्थापित करने के लिए अभी मानव नैदानिक परीक्षण आवश्यक हैं।

सूर्य की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), मणिपुर प्राकृतिक विज्ञान केंद्र और मणिपुर उच्च शिक्षा अकादमी के वैज्ञानिकों ने एक संयुक्त अध्ययन में सौर ज्वालाओं (Solar Flares) के विस्फोट से पहले सूर्य के वायुमंडल में उत्पन्न होने वाले शुरुआती संकेतों को सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किया है। इस अध्ययन में भारत के पहले सौर मिशन, आदित्य-एल1 से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

शोध के मुख्य बिंदु:

- इस शोध में आदित्य-L1 पर मौजूद तीन प्रमुख पेलोड्स द्वारा एक ही समय में (Simultaneous) लिए गए अल्ट्रावायलेट (UV) और एक्स-रे (X-ray) आकलनों का उपयोग किया गया:
  - » **प्री-फ्लेयर ट्रांजिएंट इवेंट्स (Pre-flare Transient Events):** वैज्ञानिकों ने पाया कि किसी बड़ी सौर ज्वाला (Solar Flare) के उत्पन्न होने से कुछ घंटे पहले सूर्य के वायुमंडल में छोटे और कम समय के लिए चमकने वाले 'अल्पकालिक बिंदु' दिखाई देते हैं।
  - » **चुंबकीय ऊर्जा का निकलना:** SUIT द्वारा खोजे गए इन चमकीले बिंदुओं में से कई के साथ एक्स-रे सिग्नेचर भी

देखे गए, जो यह दर्शाते हैं कि इस प्रक्रिया में चुंबकीय ऊर्जा (Magnetic Energy) का संकुचन और विमोचन हो रहा था।

- » **चुंबकीय क्षेत्र का अस्थिर होना:** ये छोटे-छोटे चमकीले बिंदु ठीक उसी स्थान के आसपास केंद्रित (Cluster) थे, जहां बाद में बड़ी सौर ज्वाला फूटी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लगातार होने वाले ये छोटे पैमाने के ऊर्जा उत्सर्जन अंततः उस सक्रिय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र को अस्थिर कर देते हैं, जिससे एक बड़ा विस्फोट (Solar Flare) होता है।

अंतरिक्ष मौसम और वैश्विक प्रौद्योगिकी पर प्रभाव:

- ▪ सौर ज्वालाएं अत्यधिक ऊर्जावान कणों और विकिरणों को अंतरिक्ष में छोड़ती हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष निम्नलिखित कारणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं:
    - » **सटीक अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान (Space Weather Prediction):** यह अध्ययन वैज्ञानिकों को सौर ज्वालाओं की सटीक भविष्यवाणी (Forecasting) करने के एक कदम और करीब ले जाता है।
    - » **सैटेलाइट और संचार सुरक्षा:** सौर तूफान पृथ्वी के आयनमंडल को प्रभावित कर जीपीएस (GPS), रेडियो संचार और पावर ग्रिड को ठप कर सकते हैं। समय रहते चेतावनी मिलने से उपग्रहों को 'सेफ मोड' में डाला जा सकता है।
    - » **अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा:** अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों और भविष्य के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों (जैसे भारत का गगनयान) को घातक सौर विकिरण से बचाना संभव हो सकेगा।

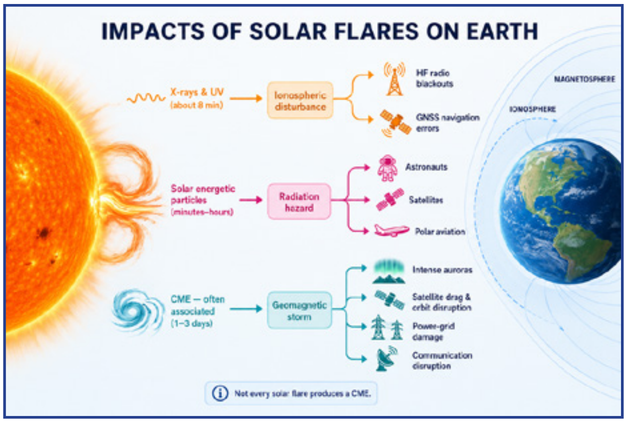
IMPACTS OF SOLAR FLARES ON EARTH
X-rays & UV (about 8 min)
Ionospheric disturbance
HF radio blackouts
GNSS navigation errors
Solar energetic particles (minutes–hours)
Radiation hazard
Astronauts
Satellites
Polar aviation
CME — often associated (1–3 days)
Geomagnetic storm
Intense auroras
Satellite drag & orbit disruption
Power-grid damage
Communication disruption
MAGNETOSPHERE
IONOSPHERE
Not every solar flare produces a CME.

निष्कर्ष:

आदित्य-L1 मिशन के माध्यम से सौर ज्वालाओं (Solar Flares) के शुरुआती संकेतों की खोज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह अध्ययन न केवल सूर्य की जटिल चुंबकीय गतिकी को समझने में मदद करता है, बल्कि 'स्पेस वेदर फोरकास्टिंग' (Space Weather Forecasting) को अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तेजी से बढ़ती डिजिटल निर्भरता और उपग्रह-आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस दौर में, सौर तूफानों से संवेदनशील तकनीकी प्रणालियों, संचार नेटवर्क और भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों की रक्षा करने के लिए भारत का यह स्वदेशी प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी साबित होगा।

'वन नेशन, वन टाइम': भारत की समय-संप्रभुता की दिशा में कदम

संदर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में भारतीय मानक समय (Indian Standard Time-IST) को एक समान और विश्वसनीय राष्ट्रीय समय-संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस पहल को 'वन नेशन, वन टाइम' के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल देशभर की घड़ियों को एक समय पर लाना नहीं, बल्कि बैंकिंग, दूरसंचार, डिजिटल भुगतान, विद्युत ग्रिड, रेलवे, शेयर बाजार और अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों को एक सटीक एवं विश्वसनीय समय-स्रोत से सिंक्रनाइज़ करना है।

'वन नेशन, वन टाइम' क्या है?

- ▪ भारत में पहले से ही एक ही आधिकारिक समय क्षेत्र है और IST, UTC से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए इस पहल का उद्देश्य कोई नया टाइम ज़ोन (Time Zone) लागू करना नहीं है।
- ▪ इसके तहत IST को देश में आधिकारिक एवं कानूनी कार्यों के लिए एकमात्र संदर्भ समय बनाने तथा इसके प्रसार की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
- ▪ आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में समय एक महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना (Critical Digital Infrastructure) बन चुका है। इसलिए अलग-अलग प्रणालियों द्वारा अलग-अलग समय-स्रोतों पर निर्भरता को कम करना आवश्यक है।

यह कैसे काम करेगा?

- ▪ भारत का आधिकारिक समय सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक

प्रयोगशाला (CSIR-NPL) द्वारा अत्यधिक सटीक एटॉमिक क्लॉक की सहायता से निर्धारित और बनाए रखा जाता है।

- इस समय को देशभर में उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल (PTP) और व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी (WRT) जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।
- व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी (WRT) मुख्यतः फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क के माध्यम से अत्यंत उच्च सटीकता के साथ अलग-अलग प्रणालियों को एक ही समय-स्रोत से सिंक्रनाइज़ करने में सहायता करती है।
- इसके साथ ही, भारत अपनी स्वदेशी उपग्रह-आधारित क्षमताओं, विशेषकर नाविक (NavIC), का उपयोग करके बाहरी समय-स्रोतों पर निर्भरता को कम कर सकता है।

भारत के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है?

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता:** डिजिटल भुगतान, बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन में प्रत्येक लेन-देन (Transaction) का सटीक टाइमस्टाम्प आवश्यक होता है। समय में मामूली अंतर भी लेनदेन के क्रम को प्रभावित कर सकता है।
- **वित्तीय बाजारों की दक्षता:** शेयर बाजार और हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में अत्यंत छोटे समय-अंतराल में हजारों लेनदेन होते हैं। एक समान और सटीक समय-संदर्भ पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बढ़ा सकता है।
- **महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का सिंक्रोनाइज़ेशन:** विद्युत ग्रिड, दूरसंचार नेटवर्क, रेलवे सिग्नलिंग और विमानन जैसी प्रणालियों में विभिन्न उपकरणों के बीच सटीक समय-सामंजस्य आवश्यक है।
- **साइबर सुरक्षा:** साइबर घटनाओं की जाँच में विभिन्न सर्वरों और नेटवर्क उपकरणों के लॉग्स के टाइमस्टाम्प को आपस में मिलाना पड़ता है। सटीक समय-संदर्भ Digital Forensics को अधिक प्रभावी बनाता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** वर्तमान में कई प्रणालियाँ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) से प्राप्त समय-संकेतों पर निर्भर हैं। बाहरी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता से सिग्नल व्यवधान, स्पूफिंग और हेरफेर का जोखिम पैदा हो सकता है। इसलिए स्वदेशी और सुरक्षित समय-संदर्भ विकसित करना डिजिटल संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है।

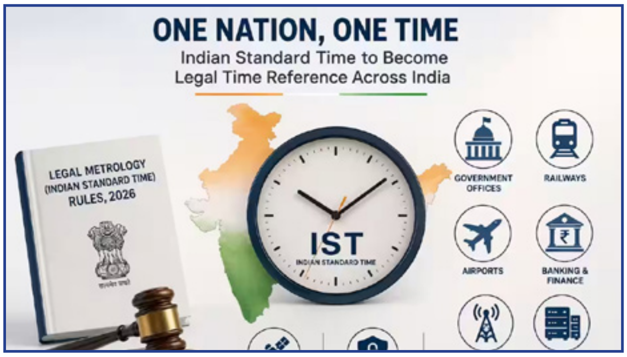
ONE NATION, ONE TIME
Indian Standard Time to Become
Legal Time Reference Across India
LEGAL METROLOGY (INDIAN STANDARD TIME) RULES, 2026
IST
INDIAN STANDARD TIME
GOVERNMENT OFFICES
RAILWAYS
AIRPORTS
BANKING & FINANCE

प्रमुख चुनौतियाँ:

- देशभर में उच्च-सटीकता वाले समय प्रसार नेटवर्क (Time Dissemination Network) का विस्तार।
- पुराने डिजिटल एवं औद्योगिक उपकरणों को नए मानकों के अनुरूप बनाना।
- विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों के बीच समन्वय।
- छोटे संस्थानों के लिए तकनीकी उन्नयन की लागत।
- GNSS आधारित प्रणालियों से राष्ट्रीय समय-स्रोत की ओर संक्रमण।
- टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना।

आगे की राह:

- भारत को एक बहु-स्तरीय और सुरक्षित राष्ट्रीय समय प्रसारण नेटवर्क विकसित करना चाहिए। इसके लिए फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क, एटॉमिक क्लॉक, उपग्रह-आधारित प्रणालियों और NavIC जैसी स्वदेशी क्षमताओं का एकीकृत उपयोग किया जा सकता है।
- इसके साथ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैकअप टाइम सोर्स, रेगुलर कैलिब्रेशन और मजबूत साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विकसित करना जरूरी है।

निष्कर्ष:

'वन नेशन, वन टाइम' भारत में समय की एकरूपता से कहीं अधिक व्यापक पहल है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। भविष्य की डेटा-संचालित अर्थव्यवस्था में सटीक समय केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि डिजिटल शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा की आधारभूत अवसंरचना बन जाएगा।

6

आर्थिक मुद्दे

गोबरधन (GOBARdhan): अपशिष्ट प्रबंधन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोबरधन (GOBARdhan- Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan) राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएनर्जी योजना को मंजूरी दी। इसके लिए वित्त वर्ष 2026-36 तक 10 वर्षों के लिए ₹23,731 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली इस योजना का उद्देश्य घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाना और बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करना है। इसका लक्ष्य उन प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है, जिन्होंने कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) के व्यावसायिक विकास को सीमित किया है, जिनमें अनिश्चित मांग, उच्च पूंजी लागत, कमजोर फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखला और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा शामिल हैं।

गोबरधन (GOBARdhan): अपशिष्ट प्रबंधन से ऊर्जा सुरक्षा:

- गोबरधन (GOBARdhan) को मूल रूप से 2018 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन पहल के रूप में शुरू किया गया था। इसका प्रारंभिक उद्देश्य पशुओं के गोबर और जैविक कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना तथा उन्हें बायोगैस और खाद जैसे उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करना था।
- समय के साथ इस कार्यक्रम का महत्व काफी व्यापक हो गया। कृषि अवशेष, पशुओं का गोबर, प्रेसमड, खाद्य अपशिष्ट और अन्य जैविक पदार्थों को केवल कचरे के रूप में नहीं, बल्कि अक्षय ऊर्जा और कृषि उपयोगी संसाधनों के संभावित स्रोत के रूप में देखा जाने लगा।
- नवीनतम योजना इस विकास के अगले चरण का प्रतिनिधित्व करती है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन को ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण आय, स्वच्छ ईंधन उत्पादन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है।

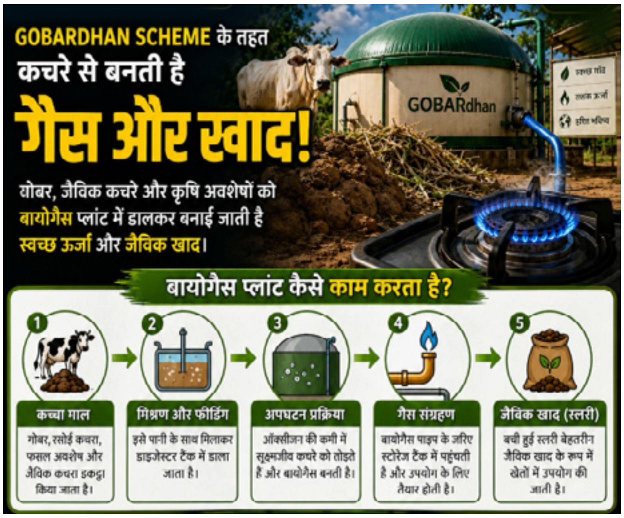
GOBARDHAN SCHEME के तहत
कचरे से बनती है
गैस और खाद!
गोबर, जैविक कचरे और कृषि अवशेषों को
बायोगैस प्लांट में डालकर बनाई जाती है
स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खाद।
GOBARdhan
बायोगैस प्लांट कैसे काम करता है?
1
कच्चा माल
गोबर, रसोई कचरा, फसल अवशेष और जैविक कचरा इकट्ठा किया जाता है।
2
मिश्रण और फीडिंग
इसे पानी के साथ मिलाकर डाइजेस्टर टैंक में डाला जाता है।
3
अपघटन प्रक्रिया
ऑक्सीजन की कमी में सूक्ष्मजीव कचरे को तोड़ते हैं और बायोगैस बनती है।
4
गैस संग्रहण
बायोगैस पाइप के जरिए स्टोरेज टैंक में पहुंचती है और उपयोग के लिए तैयार होती है।
5
जैविक खाद (स्लरी)
बची हुई स्लरी बेहतरीन जैविक खाद के रूप में खेतों में उपयोग की जाती है।

कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) बायोगैस कैसे अलग है?

- बायोगैस तब उत्पन्न होती है जब जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होते हैं। इसमें सामान्यतः लगभग 55-65% मीथेन होती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन तथा अमोनिया जैसी अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा होती है।
- अपने कच्चे रूप में बायोगैस का उपयोग खाना पकाने, प्रकाश

व्यवस्था, बिजली उत्पादन और कुछ यांत्रिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, जब बायोगैस को शुद्ध और अपग्रेड करके उसमें मीथेन की मात्रा को काफी बढ़ाया जाता है तथा फिर उच्च दबाव पर संपीड़ित किया जाता है, तो यह कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) बन जाती है। CBG के गुण और ऊर्जा क्षमता कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) के समान होते हैं।

- इससे इसका उपयोग परिवहन, उद्योग और वाणिज्यिक क्षेत्रों में किया जा सकता है तथा इसे मौजूदा गैस बुनियादी ढाँचे में भी शामिल किया जा सकता है। बायोगैस कच्चा उत्पाद है, जबकि CBG शुद्ध और संपीड़ित बायोगैस है, जिसे व्यापक वाणिज्यिक ईंधन उपयोग के लिए तैयार किया जाता है।

CBG संयंत्र की क्रियाविधि:

- CBG संयंत्र का आधार अवायवीय पाचन (Anaerobic Digestion) है, जिसमें सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन के बिना एक बंद वातावरण में जैविक पदार्थों को विघटित करते हैं।
- यह प्रक्रिया व्यापक रूप से चार चरणों में होती है। हाइड्रोलिसिस में जटिल जैविक पदार्थ सरल अणुओं में टूटते हैं। एसिडोजेनेसिस के दौरान ये अणु वाष्पशील वसीय अम्लों में परिवर्तित होते हैं। इसके बाद एसीटोजेनेसिस में एसिटिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसे यौगिक बनते हैं। अंत में, मेथेनोजेनेसिस के माध्यम से मीथेन-समृद्ध बायोगैस का उत्पादन होता है।
- इसके बाद कच्ची बायोगैस को अशुद्धियों को हटाने और मीथेन की मात्रा बढ़ाने के लिए शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इसे संपीड़ित करके CBG के रूप में आपूर्ति की जा सकती है। इस प्रक्रिया से डाइजेस्टेट भी उत्पन्न होता है, जिसे फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM) में संसाधित किया जा सकता है। इस प्रकार, एक CBG संयंत्र स्वच्छ ईंधन और कृषि पोषक तत्व, दोनों का उत्पादन कर सकता है।

भारत के लिए CBG का रणनीतिक महत्व:

- CBG का रणनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि भारत अभी भी प्राकृतिक गैस के आयात पर काफी हद तक निर्भर है। घरेलू CBG उत्पादन का विस्तार आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने और अंतरराष्ट्रीय कीमतों तथा आपूर्ति में होने वाले व्यवधानों के प्रति ऊर्जा प्रणाली को अधिक लचीला बनाने में मदद कर सकता है।
- CBG परिवहन, घरेलू उपयोग, उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए नवीकरणीय गैस का एक घरेलू स्रोत भी उपलब्ध कराता है। चूँकि शुद्ध CBG रासायनिक रूप से प्राकृतिक गैस के समान है, इसलिए इसे देश के विस्तारित हो रहे गैस बुनियादी ढाँचे में संभावित रूप से उपयोग किया जा सकता है। इसलिए इसका महत्व केवल जलवायु नीति तक सीमित नहीं है। CBG एक साथ ऊर्जा सुरक्षा, आयात में कमी, अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है।

वास्तविक चुनौती: CBG को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाना:

- भारत के पास पर्याप्त मात्रा में बायोमास संसाधन हैं, लेकिन CBG क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से कई व्यावसायिक बाधाओं का सामना करना पड़ा है। फीडस्टॉक अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरा हुआ होता है और इसकी उपलब्धता मौसमी हो सकती है। इसलिए कृषि अवशेषों और पशुओं के गोबर को एकत्र करना और उनका परिवहन महँगा हो सकता है। CBG संयंत्रों के लिए पर्याप्त प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि अनिश्चित ऑफटेक ने निवेशकों को सतर्क बनाए रखा है।
- नया गोबरधन ढाँचा फीडस्टॉक, उत्पादन, वित्तपोषण, मूल्य निर्धारण, ऑफटेक और बुनियादी ढाँचे को शामिल करने वाली एक एकीकृत व्यवस्था के माध्यम से इन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है। यह CBG को केवल एक तकनीक या पायलट परियोजना के रूप में देखने से आगे बढ़कर इसे एक बैंक योग्य ऊर्जा उद्योग के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है।

नई योजना के विकास के छह प्रमुख आधार:

बायोएनर्जी परियोजनाओं से जुड़े बाजार और परिचालन जोखिमों को कम करने के लिए गोबरधन योजना छह आपस में जुड़े हुए नीतिगत आधारों पर निर्मित है:

- **सुनिश्चित CBG ऑफटेक ढाँचा:** वाणिज्यिक CBG उत्पादन के सामने सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक बाजार में अनिश्चितता रही है। इसे दूर करने के लिए योजना में एक अनिवार्य ब्लेंडिंग व्यवस्था शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2026-27 से 3% अनिवार्य ब्लेंडिंग दायित्व शुरू होकर वित्त वर्ष 2028-29 तक 5% हो जाएगा। इसके तहत प्राकृतिक गैस विपणन कंपनियों के लिए घरेलू CBG खरीदना अनिवार्य होगा, जिससे उत्पादित गैस के प्रत्येक अणु के लिए एक सुनिश्चित आधारभूत मांग तैयार होगी।

- **स्थिर प्रशासित मूल्य निर्धारण:** पूंजी-गहन बायोएनर्जी संयंत्रों के लिए राजस्व की पूर्वानुमेयता महत्वपूर्ण है। नीति के तहत सरकार समर्थित दीर्घकालिक प्रशासित मूल्य निर्धारण ढाँचा लागू किया गया है, जिसमें CBG की कीमत ₹2,110 प्रति MMBTU (लगभग ₹105 प्रति किलोग्राम) निर्धारित की गई है और यह मूल्य 10 वर्षों तक रहेगा। इससे उत्पादकों को वैश्विक जीवाश्म ईंधन बाजारों की अत्यधिक अस्थिरता से सुरक्षा मिलेगी और स्थिर नकदी प्रवाह सुनिश्चित होगा।
- **लक्षित पूंजी सहायता:** इन संयंत्रों की स्थापना की उच्च प्रारंभिक लागत को कम करने के लिए सरकार व्यापक प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उत्पादन क्षमता के आधार पर सब्सिडी को बढ़ाकर ₹2 करोड़ प्रति टन प्रति दिन (TPD) तक किया गया है। पूंजी सहायता के इस बड़े प्रावधान से उद्यमियों की इक्विटी आवश्यकता सीधे कम होती है और परियोजनाओं की आंतरिक प्रतिफल दर (IRR) में सुधार होता है।
- **बुनियादी ढाँचा और ग्रिड कनेक्टिविटी:** यह योजना ग्रामीण उत्पादन केंद्रों और शहरी उपभोग केंद्रों के बीच मौजूद भौतिक दूरी को कम करने के लिए समर्पित धनराशि उपलब्ध कराती है। CBG संयंत्रों को मौजूदा सिटी गैस वितरण नेटवर्क से सीधे जोड़ने वाली पाइपलाइनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे गैस को निर्बाध रूप से ग्रिड में डाला जा सके। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक ऋणदाताओं के लिए ब्याज दरों को कम करने और जोखिमों को कम करने हेतु एक मजबूत क्रेडिट गारंटी व्यवस्था स्थापित की गई है।
- **फीडस्टॉक और बायोमास मैपिंग:** यह समझते हुए कि बायोएनर्जी संयंत्र की विश्वसनीयता उसकी आपूर्ति श्रृंखला जितनी ही मजबूत होती है, नीति के तहत कृषि क्षेत्रों में व्यापक और तकनीक-आधारित बायोमास मैपिंग को अनिवार्य किया गया है। एक समर्पित कोष फसल अवशेषों की पहचान, संग्रहण और स्थानीय भंडारण को समर्थन प्रदान करता है, जिससे मौसमी कमी को रोका जा सके और कच्चे माल की कीमतों में स्थिरता लाई जा सके।
- **फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM) में मूल्य संवर्धन:** अंतिम आधार बायोगैस के साथ उत्पन्न होने वाले ठोस और तरल डाइजेस्टेट का व्यावसायीकरण करने पर केंद्रित है। विशेष मूल्य संवर्धन सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके यह योजना कच्चे FOM को मानकीकृत और पोषक तत्वों से भरपूर जैविक उर्वरक में बदलने में मदद करती है। इससे संयंत्र संचालकों के लिए अतिरिक्त राजस्व का स्रोत तैयार होता है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलता है।

गोबरधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था:

- गोबरधन, CBG से आगे बढ़कर चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जिसमें जैविक कचरे को CBG और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM) में परिवर्तित किया जाता है तथा स्वच्छ ऊर्जा और कृषि पोषक तत्व उत्पन्न होते हैं। इससे लैंडफिल पर दबाव कम किया जा सकता है, फसल अवशेष जलाने की समस्या को कम किया जा सकता है और पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में पहुँचाया जा सकता है। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक विकास के साथ जोड़ा जाता है।

निष्कर्ष :

CBG भारत की व्यापक अपशिष्ट-से-ऊर्जा (Waste-to-Energy) क्षमता का हिस्सा है। जहाँ अवायवीय पाचन जैव-अवक्रमणीय कचरे के लिए उपयुक्त है, वहीं इंसीनरेशन, पायरोलिसिस और गैसीफिकेशन जैसी तकनीकों के माध्यम से अन्य प्रकार के कचरे का प्रसंस्करण किया जा सकता है। गोबरधन सतत (SATAT), बाजार विकास सहायता (Market Development Assistance), बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी (Biomass Aggregation Machinery), पाइपलाइन अवसंरचना विकास और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम जैसी पहलों पर भी आधारित है तथा इस क्षेत्र में अधिक एकीकरण और बड़े पैमाने पर विस्तार को बढ़ावा देता है।

आगे की राह:

गोबरधन की सफलता प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी, जिसमें बायोमास मैपिंग, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, बुनियादी ढाँचा और स्थिर मूल्य निर्धारण शामिल हैं। सरकारों, किसानों, सहकारी समितियों और उद्योगों के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक है। इसके साथ ही CBG के साथ-साथ जैविक खाद के बाजार का भी विकास होना चाहिए। क्षेत्र-विशिष्ट और विकेंद्रीकृत मॉडलों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो गोबरधन पशुओं के गोबर, फसल अवशेषों और जैविक कचरे को ईंधन, उर्वरक, रोजगार और आय में परिवर्तित कर सकता है तथा कचरे को एक नए चक्रीय आर्थिक तंत्र की शुरुआत में बदल सकता है।

संक्षिप्त मुद्दे

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

सन्दर्भ:

हाल ही में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को अगस्त 2026 में संसद द्वारा पारित किया गया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन करके नियामक व्यवस्था को आधुनिक बनाना, विलंबित भुगतानों को कम करना, विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देना है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का महत्व:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, इनका सकल घरेलू उत्पाद में 31.1 प्रतिशत, विनिर्माण उत्पादन में 35.4 प्रतिशत तथा निर्यात में 48.58 प्रतिशत योगदान है।
- अगस्त 2026 तक लगभग 9.16 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्यम मंच पर पंजीकृत हैं, जिनमें 40 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं। ये रोजगार सृजन, उद्यमिता, निर्यात तथा समावेशी क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

MSME
DEVELOPMENT
(AMENDMENT) BILL, 2026
TO TACKLE
DELAYED
PAYMENTS
TIMELY PAYMENTS
BETTER CASH FLOW
STRONGER MSMEs
ATMANIRBHAR BHARAT

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण:** संशोधन के अंतर्गत उद्यमों का वर्गीकरण संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण में निवेश तथा वार्षिक कारोबार के आधार पर किया जाएगा। इससे उद्यम के आकार का अधिक व्यापक और प्रभावी आकलन संभव होगा।
- **निःशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण:** सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पंजीकरण निःशुल्क और स्वैच्छिक होगा। केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच अधिसूचित किया जा सकता है, जबकि राज्य सरकारें अपने स्वयं के डिजिटल मंच स्थापित कर सकती हैं।
- **व्यापार प्राप्य बट्टाकरण प्रणाली (TReDS) को सुदृढ़ करना:** सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के चालानों का निपटान व्यापार प्राप्य बट्टाकरण प्रणाली (TReDS) के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। इससे विलंबित भुगतान के कारण उत्पन्न कार्यशील पूंजी के दबाव को कम किया जा सकेगा।
- **विवादों का शीघ्र समाधान:** राज्य सरकारें पर्याप्त आधारभूत संरचना और डिजिटल प्रणालियों से युक्त एक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदें (MSEFCs) स्थापित कर सकेंगी। विधेयक में विवाद समाधान के लिए समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं:
  - » मध्यस्थता के लिए 90 दिन,
  - » मध्यस्थता विफल होने के बाद पंचाट को संदर्भित करने के लिए 30 दिन, तथा
  - » पक्षकारों की दलीलें पूरी होने के बाद पंचाट निर्णय देने के लिए 90 दिन।

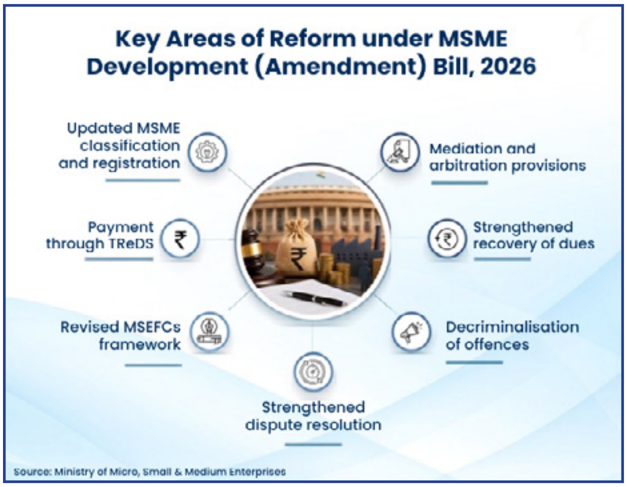
Key Areas of Reform under MSME Development (Amendment) Bill, 2026
Updated MSME classification and registration
Mediation and arbitration provisions
Payment through TReDS
Strengthened recovery of dues
Revised MSEFCs framework
Decriminalisation of offences
Strengthened dispute resolution

Source: Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises

- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आपूर्तिकर्ताओं की सुरक्षा:** न्यायालय कार्यवाही के दौरान जमा की गई पंचाट राशि के उचित हिस्से का भुगतान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आपूर्तिकर्ताओं को करने का निर्देश दे सकते हैं। यदि कोई मामला छह महीने से अधिक समय तक लंबित रहता है, तो पंचाट द्वारा निर्धारित राशि का कम से कम 50 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- **बकाया राशि की वसूली:** मध्यस्थता से हुए समझौते तथा पंचाट

के निर्णयों के अंतर्गत देय राशि की वसूली भूमि राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी। इसके लिए जिला कलेक्टर, उपायुक्त अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकारी के माध्यम से वसूली की जा सकेगी।

- **अपराधों का गैर-अपराधीकरण:** अनुपालन से संबंधित कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। नई व्यवस्था में अनावश्यक आपराधिक कार्रवाई को कम करते हुए चेतावनी, दंड और जुर्माने पर अधिक जोर दिया गया है, जबकि कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए निवारक प्रभाव बनाए रखा गया है।

सहायक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र:

- ये सुधार उद्यम पंजीकरण, उद्यम सहायता, TReDS तथा ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) मंच जैसी व्यवस्थाओं के पूरक हैं। ऑनलाइन विवाद समाधान मंच जून 2025 में शुरू किया गया था, जबकि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 161 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदें (MSEFCs) स्थापित की जा चुकी हैं।

महत्व:

- यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की तरलता, नियामकीय अनुपालन, विवाद समाधान तथा व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार कर सकता है। शीघ्र भुगतान और मजबूत वसूली तंत्र से इन उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और आर्थिक दृढ़ता बढ़ सकती है।

निष्कर्ष:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 एक सरल, डिजिटल और समयबद्ध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विलंबित भुगतानों, नियामकीय बोझ और विवाद समाधान से जुड़ी समस्याओं का समाधान करके यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को रोजगार, निर्यात, नवाचार और समावेशी आर्थिक विकास के प्रमुख वाहक के रूप में और अधिक सशक्त बनाने में सहायक हो सकता है।

समुद्र मंथन योजना 2026

संदर्भ:

हाल ही में, 31 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन – राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना (National Offshore Exploration Scheme) को वित्त वर्ष 2030–31 तक प्रथम चरण (Phase-I) के लिए ₹84,084 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य अपतटीय तेल एवं गैस अन्वेषण में तेजी लाना, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना है।

समुद्र मंथन योजना के बारे में:

- समुद्र मंथन भारत सरकार की एक प्रमुख (Flagship) पहल है, जिसका उद्देश्य देश के विशाल अपतटीय हाइड्रोकार्बन संसाधनों का दोहन करना है।
- यह योजना आधुनिक तकनीक, बेहतर भू-वैज्ञानिक डेटा, साझा अवसंरचना तथा सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों की अधिक भागीदारी के माध्यम से कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है।
- यह योजना आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) तथा मेक इन इंडिया (Make in India) के दृष्टिकोण को भी समर्थन प्रदान करती है।

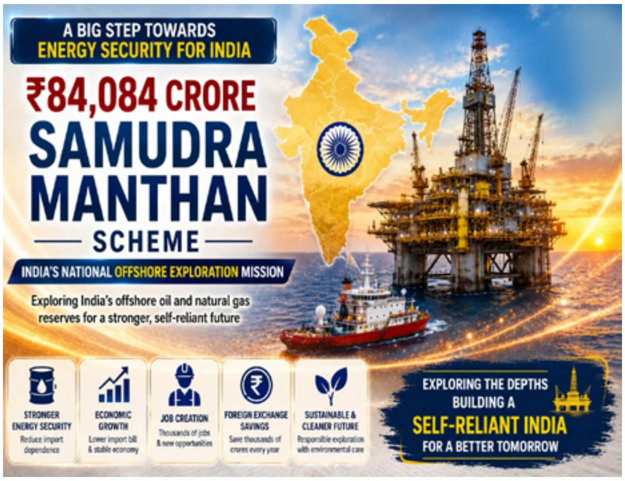
A BIG STEP TOWARDS
ENERGY SECURITY FOR INDIA
₹84,084 CRORE
SAMUDRA
MANTHAN
SCHEME
INDIA'S NATIONAL OFFSHORE EXPLORATION MISSION
Exploring India's offshore oil and natural gas reserves for a stronger, self-reliant future
STRONGER ENERGY SECURITY
Reduce import dependence
ECONOMIC GROWTH
Lower import bill & stable economy
JOB CREATION
Thousands of jobs & new opportunities
FOREIGN EXCHANGE SAVINGS
Save thousands of crores every year
SUSTAINABLE & CLEANER FUTURE
Responsible exploration with environmental care
EXPLORING THE DEPTHS
BUILDING A
SELF-RELIANT INDIA
FOR A BETTER TOMORROW

योजना की आवश्यकता:

- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। देश का वार्षिक कच्चे तेल का आयात बिल लगभग 144 अरब अमेरिकी डॉलर (₹13 लाख करोड़) है।
- भारत के अपतटीय बेसिनों में 5,600 मिलियन मीट्रिक टन तेल समतुल्य (MMTOE) से अधिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों का अनुमान है। इसलिए, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अपतटीय अन्वेषण का विस्तार आवश्यक है।

प्रमुख घटक:

- **भूकंपीय (Seismic) डेटा संग्रहण:** ₹28,534 करोड़ का आवंटन 2D एवं 3D भूकंपीय सर्वेक्षण, AI-आधारित डेटा विश्लेषण तथा पुराने भू-वैज्ञानिक डेटा के पुनः प्रसंस्करण (Reprocessing) के लिए किया गया है, ताकि नए हाइड्रोकार्बन भंडारों की पहचान की जा सके।
- **अपतटीय अन्वेषण:** ₹43,200 करोड़ की राशि 60 गहरे समुद्र (Deepwater) एवं अति-गहरे समुद्र (Ultra-Deepwater) के कुओं की ड्रिलिंग के लिए प्रदान की जाएगी। सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों को अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ड्रिलिंग लागत का 50% तक या प्रति कुआँ ₹675 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- **साझा अपतटीय अवसंरचना:** ₹10,000 करोड़ का उपयोग महानदी एवं कच्छ जैसे अपतटीय बेसिनों में साझा उत्पादन एवं परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा।
- **विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र:** ₹2,000 करोड़ का आवंटन तेल एवं गैस विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र (Oil and Gas Manufacturing and Services Zone) की स्थापना के लिए किया गया है, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा मेक इन इंडिया पहल को मजबूती मिलेगी।

अपेक्षित लाभ:

- इस योजना का उद्देश्य 600 MMTOE से अधिक हाइड्रोकार्बन भंडार जोड़ना तथा घरेलू उत्पादन को 62 MMTOE से बढ़ाकर लगभग 80 MMTOE प्रति वर्ष करना है।
- इससे प्रतिवर्ष कच्चे तेल के आयात में लगभग ₹1 लाख करोड़ की कमी आने की उम्मीद है। साथ ही, यह योजना रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अपतटीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में भी सहायक होगी।

निष्कर्ष:

समुद्र मंथन भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तथा सतत आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपतटीय अन्वेषण को बढ़ावा देकर, अवसंरचना को सुदृढ़ बनाकर तथा घरेलू क्षमताओं को मजबूत करके यह योजना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और आयातित ऊर्जा पर भारत की निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

आरबीआई शहरी सहकारी बैंक को लाइसेंस देना फिर से शुरू करेगा

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि जनवरी 2026 के चर्चा-पत्र (Discussion Paper) पर हितधारकों (Stakeholders) से प्राप्त सुझावों को शामिल करने के बाद जल्द ही नए शहरी सहकारी बैंकों (Urban Cooperative Banks-UCBs) के लाइसेंस जारी करने संबंधी मसौदा दिशानिर्देश (Draft Guidelines) जारी करेगा। वर्ष 2004 में लगाए गए लाइसेंसिंग प्रतिबंध (Licensing Freeze) के बाद पहली बार नए UCB लाइसेंस जारी करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

शहरी सहकारी बैंक क्या हैं?

- शहरी सहकारी बैंक (UCBs) प्राथमिक सहकारी वित्तीय संस्थान (Primary Cooperative Financial Institutions) हैं, जो शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इनका स्वामित्व एवं प्रबंधन इनके सदस्यों द्वारा "एक सदस्य, एक वोट (One Member, One Vote)" के सिद्धांत पर किया जाता है, चाहे उनकी शेयरधारिता (Shareholding) कितनी भी हो।
- ये मुख्यतः छोटे उधारकर्ताओं, स्थानीय व्यवसायों, व्यापारियों, स्वरोज़गार (Self-employed) पेशेवरों, वेतनभोगी व्यक्तियों तथा मध्यम आय वर्ग के परिवारों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- वाणिज्यिक बैंकों (Commercial Banks) द्वारा अपेक्षाकृत कम सेवाएँ प्राप्त समुदायों तक सुलभ बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाकर UCBs वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कानूनी पंजीकरण एवं नियामकीय ढाँचा:

- यदि कोई शहरी सहकारी बैंक केवल एक राज्य में कार्य करता है, तो उसका पंजीकरण राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। यदि वह एक से अधिक राज्यों में कार्य करता है, तो उसका पंजीकरण बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के अंतर्गत होता है।
- इनके प्रशासनिक कार्यों की निगरानी सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अथवा केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (Central Registrar of Cooperative Societies-CRCS) द्वारा की जाती है, जबकि इनके बैंकिंग कार्यों का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 [सहकारी समितियों पर लागू] (Banking Regulation Act, 1949) तथा

बैंकिंग विधि (सहकारी समितियाँ) अधिनियम, 1955 [Banking Laws (Co-operative Societies) Act, 1955] के अंतर्गत किया जाता है।

द्वैध (Dual) नियंत्रण एवं RBI की बढ़ी हुई शक्तियाँ:

- ऐतिहासिक रूप से UCBs द्वैध नियामकीय व्यवस्था (Dual Regulatory Framework) के अंतर्गत कार्य करते थे। इनके प्रबंधन, चुनाव एवं पंजीकरण का संचालन सहकारी कानूनों के अंतर्गत होता था, जबकि लाइसेंसिंग, पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) तथा बैंकिंग संचालन का नियमन RBI द्वारा किया जाता था। इससे नियामकीय कमियाँ उत्पन्न होती थीं तथा सुधारात्मक कार्रवाइयों में देरी होती थी।
- वर्ष 2020 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act) में संशोधन के बाद RBI को शासन सुधार (Governance Reforms), निदेशक मंडल (Board) को भंग करने तथा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action-PCA) ढाँचे को लागू करने की अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की गईं।
- इसके अतिरिक्त, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 एवं 23 के अंतर्गत RBI को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने तथा नई शाखाओं के विस्तार की स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त है।

2004 में लाइसेंसिंग क्यों रोक दी गई थी?

- वर्ष 2004 में कई सहकारी बैंकों के विफल होने के बाद RBI ने नए UCB लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया था। इन विफलताओं ने कमजोर शासन व्यवस्था, बढ़ते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets-NPAs), वित्तीय धोखाधड़ी तथा पेशेवर प्रबंधन की कमी जैसी समस्याओं को उजागर किया।
- माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक तथा बाद में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (PMC) बैंक के पतन ने इस क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरियों को सामने ला दिया।
- द्वैध नियामकीय व्यवस्था से उत्पन्न चुनौतियों के साथ इन समस्याओं के कारण RBI ने मजबूत नियामकीय ढाँचा विकसित होने तक नए लाइसेंस जारी करना स्थगित कर दिया।

अब RBI लाइसेंसिंग दोबारा क्यों शुरू कर रहा है?

- पिछले दो दशकों में इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिनमें बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020, चार-स्तरीय नियामकीय ढाँचा तथा राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (NUCFDC), 2024 की स्थापना शामिल है।
- बेहतर शासन व्यवस्था, घटते NPAs, मजबूत पूंजी पर्याप्तता तथा बढ़ी हुई लाभप्रदता (Profitability) ने UCBs की वित्तीय मजबूती (Resilience) को बढ़ाया है। प्रस्तावित ढाँचे के अनुसार केवल वे सहकारी ऋण समितियाँ, जिनकी न्यूनतम पूंजी ₹300 करोड़, 12% पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) तथा शुद्ध NPA (Net NPA) 3% से कम होगा, उन्हें UCB में परिवर्तित होने की पात्रता मिलेगी।

महत्त्व:

- शहरी सहकारी बैंक लाइसेंसिंग को पुनः प्रारंभ करने से वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा मिलेगा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) तथा स्थानीय व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्धता में सुधार होगा, बैंकिंग क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा तथा सुशासित एवं पेशेवर रूप से प्रबंधित संस्थानों के माध्यम से सहकारी बैंकिंग का विस्तार होगा। साथ ही, इससे देश की वित्तीय स्थिरता (Financial Stability) भी और अधिक मजबूत होगी।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर 5.25% पर अपरिवर्तित रखी

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility - LAF) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर (Policy Repo Rate) को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया, जबकि अपनी तटस्थ (Neutral) मौद्रिक नीति की स्थिति को भी बरकरार रखा। परिणामस्वरूप, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) की दर 5% पर बनी रहेगी तथा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) और बैंक दर (Bank Rate) 5.5% पर जारी रहेंगी।

तरलता समायोजन सुविधा के बारे में:

- तरलता समायोजन सुविधा (LAF) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख मात्रात्मक मौद्रिक नीति (Quantitative Monetary Policy) उपकरण है, जिसके माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities)

को संपार्श्विक (Collateral) के रूप में रखकर बैंकिंग प्रणाली में अल्पकालिक तरलता (Short-term Liquidity) का प्रवाह किया जाता है या अतिरिक्त तरलता को अवशोषित किया जाता है। इसकी शुरुआत जून 2000 में नरसिम्हम समिति-II (Narasimham Committee II) की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

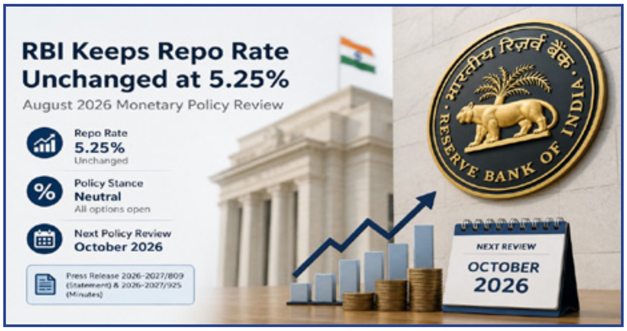
RBI Keeps Repo Rate Unchanged at 5.25%
August 2026 Monetary Policy Review
Repo Rate 5.25% Unchanged
Policy Stance Neutral All options open
Next Policy Review October 2026
Press Release 2026-2027/809 (Statement) & 2026-2027/925 (Minutes)
भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA
NEXT REVIEW OCTOBER 2026

तरलता समायोजन सुविधा के प्रमुख घटक:

- **रेपो दर:** वह ब्याज दर जिस पर RBI, सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। इसके माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रवाह (Liquidity Injection) किया जाता है।
- **रिवर्स रेपो दर:** वह ब्याज दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में मौजूद अधिशेष तरलता (Excess Liquidity) को अवशोषित किया जाता है।
- **स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF):** RBI द्वारा शुरू किया गया बिना संपार्श्विक (Collateral-Free) अतिरिक्त तरलता अवशोषण का एक साधन। यह वर्तमान में LAF कॉरिडोर की निचली सीमा (Floor) के रूप में कार्य करता है तथा निश्चित दर वाली रिवर्स रेपो (Fixed-Rate Reverse Repo) की जगह अधिशेष तरलता को अवशोषित करने का प्रमुख साधन बन चुका है।

निर्णय के पीछे के कारण:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित कारणों से रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया:

- **घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूत वृद्धि:** उच्च-आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतक निजी उपभोग, स्थिर निवेश तथा मजबूत घरेलू मांग को दर्शाते हैं।
- **वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता:** जारी भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान तथा वैश्विक आर्थिक वृद्धि को लेकर अनिश्चितता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बनी हुई है।
- **मानसून से जुड़े जोखिम:** एल-नीनो की परिस्थितियों के कारण असमान दक्षिण-पश्चिम मानसून कृषि उत्पादन, ग्रामीण मांग तथा खाद्य मुद्रास्फीति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- **नीतिगत लचीलापन:** तटस्थ मौद्रिक नीति की स्थिति बनाए रखने से भारतीय रिज़र्व बैंक को भविष्य में मुद्रास्फीति तथा आर्थिक वृद्धि की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक नीतिगत परिवर्तन करने का अवसर मिलता है।

मौद्रिक नीति क्या है?

- मौद्रिक नीति से तात्पर्य उन उपायों से है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों तथा ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए अपनाता है।
- इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
  - मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
  - मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना।
  - सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
  - वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
  - अर्थव्यवस्था में पर्याप्त ऋण प्रवाह उपलब्ध कराना।

मौद्रिक नीति समिति के बारे में:

- मौद्रिक नीति समिति एक छह सदस्यीय वैधानिक निकाय है, जिसका गठन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया।
- **संरचना:**
  - भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर - अध्यक्ष
  - मौद्रिक नीति के प्रभारी भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर
  - भारतीय रिज़र्व बैंक का एक अधिकारी
  - भारत सरकार द्वारा नामित तीन बाह्य सदस्य

प्रमुख विशेषताएँ:

- समिति की बैठक वर्ष में कम-से-कम चार बार आयोजित की जाती है।
- निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं।
- मतों की समानता होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।
- समिति का मुख्य कार्य मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रेपो दर निर्धारित करना है।

निष्कर्ष:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय एक संतुलित तथा दूरदर्शी मौद्रिक नीति को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य सीमा के भीतर रखना है। वैश्विक अनिश्चितताओं तथा घरेलू जोखिमों के बीच तटस्थ नीति अपनाकर मौद्रिक नीति समिति व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने तथा बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार भविष्य में आवश्यक कदम उठाने के लिए पर्याप्त लचीलापन बनाए रखना चाहती है।

भारत बन सकता है विश्व की किफायती देखभाल सेवाओं का हब

सन्दर्भ:

हाल ही में, नीति आयोग (NITI Aayog) के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत एक कुशल देखभालकर्ता (Caregiver) कार्यबल विकसित करके विश्व की किफायती देखभाल सेवाओं की राजधानी के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। रिपोर्ट में घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर देखभाल सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, संस्थागत समर्थन तथा नीतिगत सुधारों के माध्यम से देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया है।

देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) क्या है?

- देखभाल अर्थव्यवस्था में बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा बीमार लोगों की देखभाल से संबंधित सभी वेतनभोगी (Paid) एवं अवैतनिक (Unpaid) गतिविधियाँ शामिल होती हैं।
- इसमें नर्सिंग, बाल देखभाल, वृद्ध देखभाल, थेरेपी, शिक्षण तथा घरेलू सहायता जैसी सेवाएँ सम्मिलित हैं। विश्वभर में बढ़ती वृद्ध आबादी तथा परिवारों की बदलती संरचना के कारण देखभाल सेवाओं की मांग बढ़ रही है, जिससे देखभाल अर्थव्यवस्था रोजगार सृजन एवं सामाजिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण आधार बन गई है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- देखभालकर्ताओं (Caregivers) को कुशल पेशेवरों (Skilled Professionals) के रूप में स्थापित करने तथा गुणवत्तापूर्ण, किफायती एवं सुलभ देखभाल सेवाएँ सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है।
- प्रशिक्षण, प्रमाणन (Certification) तथा सेवा वितरण के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय देखभाल नीति (National Policy on Caregiving) एवं राष्ट्रीय देखभालकर्ता परिषद (National Caregiver Council) के गठन का प्रस्ताव दिया गया है।
- कौशल प्रशिक्षण, पेशेवर मान्यता तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों के माध्यम से कार्यबल के विकास की वकालत की गई है।
- संस्थागत समर्थन के साथ-साथ परिवार एवं समुदाय आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।
- भारतीय देखभालकर्ताओं को वैश्विक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है।

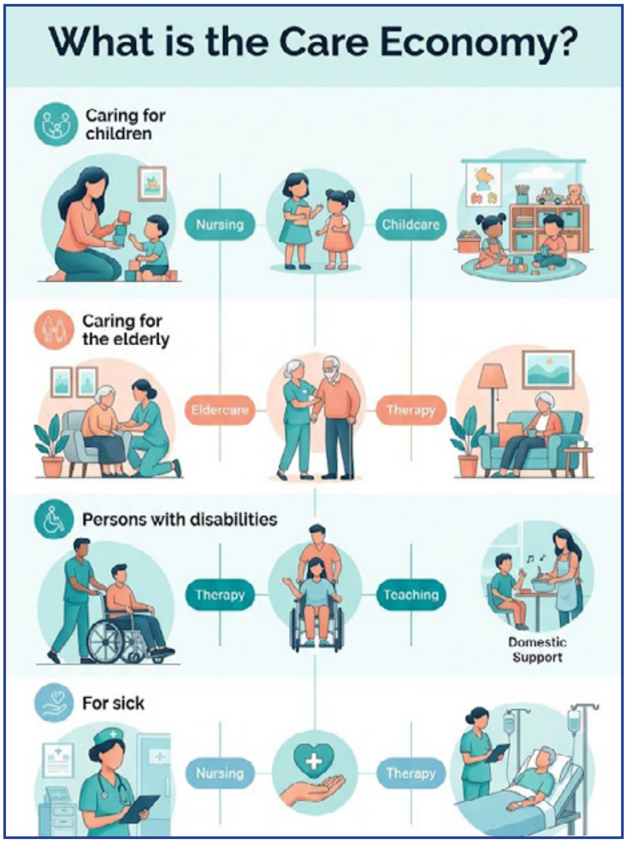
What is the Care Economy?
Caring for children
Nursing
Childcare
Caring for the elderly
Eldercare
Therapy
Persons with disabilities
Therapy
Teaching
Domestic Support
For sick
Nursing
Therapy

भारत के लिए महत्त्व:

- भारत की युवा कार्यशक्ति, सेवा (Seva) और संवेदना (Samvedana) की परंपरा के साथ मिलकर, देखभाल सेवाओं के क्षेत्र में उसे तुलनात्मक बढ़त (Comparative Advantage) प्रदान करती है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जापान, जर्मनी और इटली जैसे देशों में वृद्ध होती जनसंख्या के कारण प्रशिक्षित

देखभालकर्ताओं की भारी कमी है।

- वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी देखभालकर्ता कार्यबल का निर्माण करके भारत रोजगार सृजन, विदेशी प्रेषण (Remittances) में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, महिलाओं के सशक्तिकरण तथा अपनी सॉफ्ट पावर (Soft Power) को बढ़ाने में सफल हो सकता है। एक सुदृढ़ देखभाल अर्थव्यवस्था "विकसित भारत @2047" के लक्ष्य को साकार करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देगी।

देखभाल अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ:

- प्रशिक्षित एवं प्रमाणित देखभालकर्ताओं (Caregivers) की कमी।
- देखभाल कर्मियों के लिए कम वेतन तथा अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा।
- महिलाओं पर अवैतनिक (Unpaid) देखभाल कार्य का अत्यधिक बोझ, जिससे उनकी कार्यबल में भागीदारी सीमित होती है।
- मानकीकृत प्रशिक्षण, विनियमन (Regulation) तथा गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance) का अभाव।
- देखभाल (Caregiving) को एक पेशेवर करियर के रूप में सीमित जागरूकता।

नीति आयोग (NITI Aayog) के बारे में:

1 जनवरी 2015 को स्थापित नीति आयोग (NITI Aayog) ने योजना आयोग (Planning Commission) का स्थान लेकर भारत सरकार के सर्वोच्च सार्वजनिक नीति (Public Policy) थिंक टैंक (Think Tank) के रूप में कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करने वाला यह संस्थान सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद (Cooperative and Competitive Federalism) को बढ़ावा देता है, रणनीतिक नीतिगत परामर्श प्रदान करता है, सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals–SDGs) की निगरानी करता है तथा अटल नवाचार मिशन (Atal Innovation Mission) और विकसित भारत 2047 (Viksit Bharat 2047) जैसी पहलों का समर्थन करता है। योजना आयोग के विपरीत, यह राज्यों को वित्तीय आवंटन नहीं करता, बल्कि एक ज्ञान एवं नीतिगत परामर्शदाता संस्था (Knowledge and Policy Advisory Institution) के रूप में कार्य करता है।

आगे की राह:

- भारत को एक व्यापक राष्ट्रीय देखभाल नीति (National Caregiving Policy) स्थापित करनी चाहिए, कौशल विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना चाहिए, प्रमाणन (Certification) तथा सम्मानजनक कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करनी चाहिए और देखभालकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnerships), डिजिटल प्रौद्योगिकियों तथा देखभालकर्ताओं की योग्यताओं की मान्यता हेतु अंतरराष्ट्रीय समझौतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य अवसंरचना तथा समुदाय-आधारित देखभाल प्रणालियों में निवेश इस क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ करेगा तथा सेवाओं की पहुँच (Accessibility) में सुधार करेगा।

कराधान तथा अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2026

संदर्भ:

हाल ही में कराधान तथा अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2026 संसद द्वारा पारित किया गया है। यह विधेयक आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 का स्थान लेता है, जिसे 5 जून, 2026 को प्रख्यापित किया गया था।

विधेयक के उद्देश्य:

- इस विधेयक का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना, भारत को वैश्विक वित्तीय एवं विनिर्माण केंद्र के रूप में सुदृढ़ बनाना तथा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और रुपे (RuPay) लेन-देन से संबंधित शून्य व्यापारी छूट दर (Zero Merchant Discount Rate - Zero-MDR) व्यवस्था में भविष्य में किए जाने वाले परिवर्तनों को वैधानिक आधार प्रदान करना है।

प्रमुख प्रावधान:

- **विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) तथा अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) को कर छूट:** विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) तथा अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (Bank for International Settlements - BIS) को 1 अप्रैल, 2026 से सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities – G-Secs) में निवेश से प्राप्त ब्याज एवं पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य भारत के ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को बढ़ावा देना है।

- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को प्रोत्साहन:** भारतीय अनुबंधित विनिर्माताओं (Contract Manufacturers) को मोबाइल फोन, लैपटॉप, सर्वर तथा अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण हेतु सीमा-शुल्क बंधित गोदामों (Customs-Bonded Warehouses) में इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का भंडारण करने वाली विदेशी कंपनियों को कर छूट प्रदान की गई है। यह सुविधा 31 मार्च, 2041 तक उपलब्ध रहेगी।
- **हीरा क्षेत्र को प्रोत्साहन:** विदेशी हीरा खनन कंपनियों, अधिकृत क्रेताओं (Sightholders), दलालों तथा नीलामी संस्थाओं को अधिसूचित विशेष क्षेत्रों में अपरिष्कृत हीरों (Rough Diamonds) की बिक्री से अर्जित आय पर कर से छूट प्रदान की गई है।
- **निवेश कोषों के लिए नियमों में शिथिलता:** भारत से संचालित अपतटीय (Offshore) निवेश कोषों के लिए न्यूनतम निवेशकों की संख्या, कोष के न्यूनतम आकार तथा निवेश सीमा जैसी शर्तों को समाप्त कर दिया गया है, जिससे भारत को वैश्विक कोष प्रबंधन केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता मिलेगी।
- **व्यावसायिक न्यास तथा डेटा केंद्र:** इस विधेयक के माध्यम से रियल एस्टेट निवेश न्यास (REIT) तथा अवसंरचना निवेश न्यास (InvIT) के कराधान को अधिक तर्कसंगत बनाया गया है। साथ ही, भारतीय कंपनियों द्वारा संचालित पट्टे (लीज़) पर लिए गए डेटा केंद्रों को भी कर संबंधी लाभ प्रदान किए गए हैं।
- **शून्य व्यापारी छूट दर (Zero-MDR) व्यवस्था:** इस विधेयक द्वारा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 को आयकर अधिनियम से पृथक कर दिया गया है, जिससे भविष्य में सरकार को UPI तथा RuPay लेन-देन के लिए शून्य-MDR नीति में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होगा।

महत्त्व:

- यह विधेयक मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया तथा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के उद्देश्यों को सुदृढ़ करता है।
- यह विदेशी पूंजी को आकर्षित करने, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने, डिजिटल अवसंरचना को सशक्त बनाने तथा वित्तीय बाजारों को गहरा करने में सहायक होगा। साथ ही, यह नीतिगत स्थिरता को बढ़ाकर भारत के निवेश वातावरण को अधिक अनुकूल बनाता है।

चुनौतियाँ:

- कर छूटों के कारण अल्पकाल में सरकार के राजस्व में कमी आ सकती है तथा विदेशी कंपनियों को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- इसके अतिरिक्त, शून्य-MDR व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते समय भुगतान सेवा प्रदाताओं की वित्तीय स्थिरता तथा व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान की वहनीयता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।

आगे की राह:

- इस विधेयक की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कर प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप वास्तविक निवेश, रोजगार सृजन तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित हो।
- इसके साथ ही, पारदर्शी नियामकीय व्यवस्था, संतुलित कर नीति तथा शून्य-MDR प्रणाली में किसी भी परिवर्तन का सावधानीपूर्वक क्रियान्वयन निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने तथा भारत के तीव्र गति से विकसित हो रहे डिजिटल भुगतान तंत्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होगा।

निष्कर्ष:

कराधान तथा अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2026 एक दूरदर्शी सुधार है, जिसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण, निवेश तथा डिजिटल नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है। कराधान के युक्तिकरण तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्षित प्रोत्साहनों के माध्यम से यह विधेयक भारत की दीर्घकालिक आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करता है तथा समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है।

बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026

संदर्भ:

हाल ही में संसद ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026 पारित किया। इसका उद्देश्य बैंकरों की बहियों के साक्ष्य अधिनियम, 1891 को निरस्त करके उसके स्थान पर नया कानून लागू करना है। यह विधेयक न्यायालयों में बैंकिंग अभिलेखों के साक्ष्य के रूप में उपयोग को नियंत्रित करने वाले विधिक ढाँचे को आधुनिक बनाने का प्रयास करता है।

पृष्ठभूमि:

- बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 1891 उस समय बनाया गया था, जब बैंकिंग अभिलेख मुख्य रूप से कागजी बहियों में रखे जाते थे। डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और

क्लाउड-आधारित डाटा स्टोरेज के तीव्र विस्तार के कारण वर्तमान विधिक व्यवस्था पुरानी हो गई थी। नया विधेयक साक्ष्य संबंधी कानून को भारत के बदलते हुए डिजिटल वित्तीय तंत्र के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है।

नए विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **डिजिटल अभिलेखों को मान्यता:** विधेयक बैंकरों की बही के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों को निर्धारित शर्तों के अधीन न्यायालय में स्वीकार्य तथा विधिक रूप से मान्य साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है।
- **बैंकरों की बहियों की व्यापक परिभाषा:** इसमें कागजी, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और आभासी रूप में रखे गए अभिलेखों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत मेघ-आधारित भंडारण, सुरक्षित प्रतिलिपि तथा आपदा-पुनर्प्राप्ति स्थानों पर संग्रहीत अभिलेख भी आते हैं।
- **अभिलेखों का प्रमाणीकरण:** डिजिटल अभिलेखों को शुद्धता, प्रामाणिकता और अखंडता से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। विधेयक हस्तलिखित, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अभिलेखों के प्रमाणीकरण की अनुमति देता है।
- **बैंक अधिकारियों का संरक्षण:** जब बैंक स्वयं किसी मामले में पक्षकार न हो, तब सामान्यतः बैंक कर्मचारियों को केवल बैंकिंग अभिलेख प्रस्तुत करने या उन्हें प्रमाणित करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यदि कोई विशेष कारण हो, जैसे अभिलेखों की शुद्धता या प्रामाणिकता पर संदेह, तो न्यायालय अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।
- **वित्तीय क्षेत्र का व्यापक दायरा:** केंद्र सरकार निर्धारित शर्तों के अधीन इस व्यवस्था का विस्तार वित्तीय क्षेत्र की अन्य संस्थाओं तक भी कर सकती है।

महत्व:

- यह विधेयक औपनिवेशिक काल की कागज-आधारित व्यवस्था को आधुनिक बैंकिंग के अनुरूप प्रौद्योगिकी-तटस्थ व्यवस्था से प्रतिस्थापित करता है। इससे:
  - न्यायालयों में डिजिटल साक्ष्य के उपयोग को सुगम बनाया जा सकता है;
  - बैंक अधिकारियों पर मुकदमे से संबंधित अनावश्यक भार कम किया जा सकता है;
  - डिजिटल अभिलेखों के प्रमाणीकरण के संबंध में अधिक निश्चितता प्राप्त हो सकती है;
  - मेघ-आधारित बैंकिंग अवसंरचना को विधिक व्यवस्था में समायोजित किया जा सकता है;
  - वित्तीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में एक समान साक्ष्य संबंधी व्यवस्था स्थापित करने की संभावना बन सकती है।

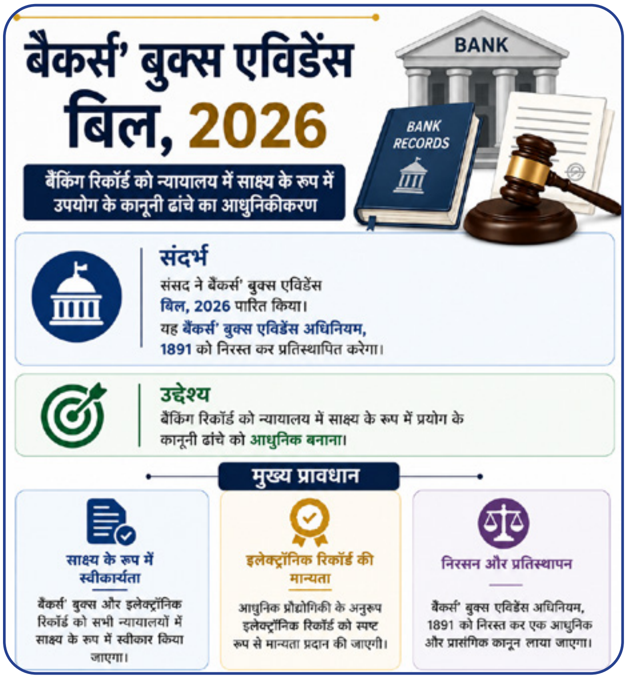

बैंकर्स' बुक्स एविडेंस बिल, 2026

बैंकिंग रिकॉर्ड को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग के कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण

संदर्भ

संसद ने बैंकर्स' बुक्स एविडेंस **बिल, 2026** पारित किया। यह **बैंकर्स' बुक्स एविडेंस अधिनियम, 1891** को निरस्त कर प्रतिस्थापित करेगा।

उद्देश्य

बैंकिंग रिकॉर्ड को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रयोग के कानूनी ढांचे को **आधुनिक बनाना**।

मुख्य प्रावधान

साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता

बैंकर्स' बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सभी न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मान्यता

आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान की जाएगी।

निरसन और प्रतिस्थापन

बैंकर्स' बुक्स एविडेंस अधिनियम, 1891 को निरस्त कर एक आधुनिक और प्रासंगिक कानून लाया जाएगा।

चिंताएँ:

- डिजिटल वित्तीय अभिलेखों के बढ़ते उपयोग से आँकड़ा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, अनधिकृत पहुँच तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में छेड़छाड़ जैसी चिंताएँ भी उत्पन्न होती हैं।
- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अभिलेखों की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय, लेखा-परीक्षण के क्रमिक अभिलेख तथा प्रभावी प्रमाणीकरण तंत्र विकसित करने होंगे।

निष्कर्ष:

बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026 कागज-आधारित साक्ष्य व्यवस्था से डिजिटल साक्ष्य व्यवस्था की ओर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि डिजिटल साक्ष्य के सरल उपयोग के साथ गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, प्रामाणिकता और जवाबदेही के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जाता है। इस प्रकार यह विधेयक डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए भारत के विधिक ढाँचे को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायक हो सकता है।

भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों पर नीति आयोग की रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में नीति आयोग ने क्रिसिल इंटेलिजेंस के सहयोग से “भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रमुख क्षेत्र – खंड-1” नामक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारत को उपभोग-आधारित अर्थव्यवस्था से बदलकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण शक्ति बनाने तथा विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए तथ्यों एवं प्रमाणों पर आधारित मार्गदर्शिका प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ:

- **विनिर्माण और जनसांख्यिकीय लाभांश:** भारत के सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 17.5 प्रतिशत है। रिपोर्ट का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ाना है, जिससे भारत को 2047 तक 30 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिल सके। लगभग 28 वर्ष की मध्यिका आयु के साथ भारत के पास विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश उपलब्ध है। औपचारिक तथा उत्पादक औद्योगिक रोजगार के अवसर सृजित करके भारत इस जनसांख्यिकीय क्षमता का प्रभावी उपयोग कर सकता है।
- **उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान:** 62 क्षेत्रों के चार-चरणीय मूल्यांकन के आधार पर 12 उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। प्रथम खंड में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है:
    - रसायन
    - वस्त्र एवं परिधान
    - दूरसंचार एवं संचार-जाल उपकरण
    - सौर प्रकाशवोल्टीय विनिर्माण
- अन्य प्रमुख क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर वाहन, औषधि, पूंजीगत वस्तुएँ, रक्षा एवं मानव रहित विमान, इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण तथा चमड़ा एवं जूते-चप्पल उद्योग शामिल हैं।

क्षेत्र-विशिष्ट प्राथमिकताएँ:

- **रसायन क्षेत्र**
    - रिपोर्ट में घरेलू रसायन बाजार को वित्त वर्ष 2024-25 में 200–220 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2029-30 तक 290–310 अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है।
    - इसमें विशेष रसायनों के विस्तार तथा मेथनॉल और एसिटिक अम्ल जैसे आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम करने पर विशेष जोर दिया गया है।
- **वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र**
    - भारत का लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर का वस्त्र उद्योग और 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात प्राप्त करना है।
    - इसके लिए मानव-निर्मित रेशों, तकनीकी वस्त्रों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आधुनिकीकरण तथा कपास की उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **दूरसंचार एवं संचार-जाल क्षेत्र**
    - रिपोर्ट में पाँचवीं और छठी पीढ़ी के दूरसंचार उपकरणों, मार्ग-संचालकों, जीपीओएन तथा प्रकाशीय प्रणालियों में घरेलू उत्पादन को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता बताई गई है।
    - इसका उद्देश्य केवल उपकरणों को जोड़ने तक सीमित न रहकर उनके विभिन्न घटकों का घरेलू स्तर पर निर्माण करना तथा देश में होने वाले कुल मूल्यवर्धन को बढ़ाना है।
- **सौर प्रकाशवोल्टीय विनिर्माण**
    - भारत ऐसी एकीकृत सौर मूल्य श्रृंखला विकसित करना चाहता है, जिसमें बहुसिलिकॉन, सिल्लियाँ, वेफर, सौर-कोशिकाएँ और सौर-मॉड्यूल का देश में ही उत्पादन हो।
    - इससे आयात पर निर्भरता कम करने और वर्ष 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **आयात पर निर्भरता:** महत्वपूर्ण रासायनिक कच्चे माल, सौर वेफर तथा दूरसंचार उपकरणों के घटकों के लिए भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है।
- **रिवर्स शुल्क संरचना:** कच्चे माल और अन्य आवश्यक आदानों पर अधिक शुल्क होने से घरेलू उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विखंडन:** छोटे उद्योगों में पुरानी तकनीक, सीमित वित्तीय संसाधन और आधुनिक सुविधाओं तक कम पहुँच जैसी समस्याएँ हैं।
- **परिवहन एवं रसद संबंधी बाधाएँ:** बंदरगाहों की कार्यक्षमता

में कमी तथा विभिन्न परिवहन साधनों के बीच अपर्याप्त संपर्क से उत्पादन एवं परिवहन लागत बढ़ती है।

- **कम उत्पादकता एवं अनुसंधान-विकास की कमी:** तकनीकी पिछड़ापन तथा निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर सीमित निवेश उच्च-मूल्य विनिर्माण के विस्तार में बाधा डालता है।

प्रमुख सिफारिशें:

- नीति आयोग ने महत्वपूर्ण प्रारंभिक एवं आधारभूत उत्पादन क्षमताओं के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की सिफारिश की है।
- इसके साथ ही वस्तु एवं सेवा कर तथा सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने, और ऐसी तैयार औद्योगिक विनिर्माण परिसरों की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है जहाँ उद्योगों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ पहले से उपलब्ध हों।
- रिपोर्ट में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण तथा उन्हें पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत करने, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को मजबूत करने और निर्यात बाजारों का विस्तार करने के लिए रणनीतिक मुक्त व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है।

महत्त्व:

- यह रिपोर्ट भारत को निम्न-मूल्य वाले संयोजन कार्य से उच्च-मूल्य वाले विनिर्माण की ओर ले जाने का प्रयास करती है। इसके लिए कच्चे माल और घटकों से लेकर प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास तथा निर्यात तक पूरी उत्पादन-मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
- इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने, निर्यात में वृद्धि करने, आयात पर निर्भरता कम करने तथा आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाने में सहायता मिल सकती है।

निष्कर्ष:

नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत यह मार्गदर्शिका भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण व्यवस्था विकसित करने के लिए एक रणनीतिक ढाँचा प्रदान करती है। प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी उन्नयन तथा उत्पादन की प्रारंभिक अवस्थाओं में मजबूत क्षमताओं के विकास से भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार कर सकता है, उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है और विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है।

सरोगेट एडवरटाइज़िंग (छद्म विज्ञापन)

संदर्भ:

हाल ही में, महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 'विमल इलायची' के विज्ञापन का प्रचार करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नियामक संस्था का आरोप है कि यह विज्ञापन 'विमल पान मसाला' की सरोगेट एडवरटाइज़िंग हो सकता है, जो महाराष्ट्र में प्रतिबंधित उत्पाद है। अभिनेताओं को अपनी भूमिका स्पष्ट करने और संबंधित दस्तावेज़ जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

सरोगेट एडवरटाइज़िंग क्या है?

- सरोगेट एडवरटाइज़िंग एक मार्केटिंग रणनीति है जिसका उपयोग उन उत्पादों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के लिए किया जाता है जिनके विज्ञापन पर कानून द्वारा प्रतिबंध या रोक है, जैसे कि तंबाकू, पान मसाला या शराब।
- कोई कंपनी उसी ब्रांड नाम, लोगो, पैकेजिंग शैली, मशहूर हस्तियों या विज़ुअल पहचान का उपयोग करके किसी अन्य कानूनी रूप से स्वीकार्य उत्पाद का प्रचार कर सकती है, जिससे प्रतिबंधित उत्पाद के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बनी रहती है।
- मुख्य चिंता यह है कि क्या कानूनी रूप से स्वीकार्य दिखने वाले उत्पाद का उपयोग वास्तव में प्रतिबंधित उत्पाद को बढ़ावा देने के साधन के रूप में किया जा रहा है।

महाराष्ट्र FDA का क्या कहना है?

- महाराष्ट्र ने 'फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' की धारा 30(2)(a) के तहत तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्तमान प्रतिबंध 13 जुलाई, 2026 से लागू है।
- FDA के अनुसार, 'विमल इलायची' विज्ञापन की प्रस्तुति, संवाद, उत्पाद का नाम और बाज़ार में जुड़ाव अप्रत्यक्ष रूप से 'विमल पान मसाला' ब्रांड को बढ़ावा दे सकते हैं।

कानून क्या कहता है?

- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019**
  - » धारा 2(28) भ्रामक विज्ञापन को ऐसे विज्ञापन के रूप में परिभाषित करती है जो किसी उत्पाद का गलत वर्णन करता है, उपभोक्ताओं को उसकी प्रकृति या गुणवत्ता के बारे में गुमराह करता है, अनुचित व्यापार व्यवहार को बढ़ावा देता है

या जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है।

  - धारा 21 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने या उनमें बदलाव करने का आदेश देने और प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार देती है।

- **CCPA दिशानिर्देश, 2022**
  - 'भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए प्रचार संबंधी दिशानिर्देश, 2022' विशेष रूप से सरोगेट एडवरटाइज़िंग को मान्यता देते हैं।
  - CCPA पहली बार उल्लंघन करने पर ₹10 लाख तक और बाद के उल्लंघनों के लिए ₹50 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है। प्रचार करने वाले को एक साल तक और बाद के उल्लंघनों के लिए तीन साल तक प्रचार करने से भी रोका जा सकता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम
- **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम:**
  - खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ने धारा 24 लागू की है, जो खाने-पीने की चीज़ों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाती है और धारा 53, जिसके तहत भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने वालों पर ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

- यह मामला एक असली कानूनी उत्पाद और किसी प्रतिबंधित उत्पाद का अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करने के लिए बनाई गई 'ब्रांड-एक्सटेंशन' रणनीति के बीच अंतर करने की बढ़ती रेगुलेटरी चुनौती को उजागर करता है।
- यह मशहूर हस्तियों की ज़िम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है। विज्ञापन का समर्थन करने वालों से उम्मीद की जाती है कि वे संभावित रूप से भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें।

निष्कर्ष:

विमल इलायची विवाद कमर्शियल आज़ादी और जन-स्वास्थ्य नियमों के बीच के टकराव को उजागर करता है। हालांकि कंपनियां कानूनी रूप से मंज़ूरी प्राप्त उत्पादों का विज्ञापन कर सकती हैं, लेकिन रेगुलेटर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे विज्ञापन प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा देने का ज़रिया न बनें। यह मामला भारत के उपभोक्ता-संरक्षण ढांचे के तहत विज्ञापनदाताओं, ब्रांडों और विज्ञापन का समर्थन करने वाली मशहूर हस्तियों की बढ़ती जवाबदेही को भी मज़बूत करता है।

मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) 2026

संदर्भ:

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (Mobile Phone Manufacturing Scheme—MPMS) को ₹62,500 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पाँच वर्षों के लिए लागू होगी। इसका उद्देश्य भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, घरेलू मूल्य संवर्धन को गहरा करना और मोबाइल फोन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

पृष्ठभूमि:

- MPMS, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI-LSEM) योजना का स्थान लेगी, जिसकी अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई थी। जहाँ पिछली PLI व्यवस्था का मुख्य जोर उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने पर था, वहीं MPMS में भारतीय स्वामित्व वाले ब्रांड, स्वदेशी बौद्धिक संपदा (IP), उत्पाद डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा घरेलू सोर्सिंग पर अधिक जोर दिया गया है।
- वर्तमान में भारत मात्रा के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। भारत में उपयोग किए जाने वाले लगभग 99.2% मोबाइल फोन देश में ही निर्मित होते हैं। वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत की सबसे बड़ी निर्यात उत्पाद श्रेणी के रूप में भी उभरे।

प्रमुख उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य है:

- बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन विनिर्माण का विस्तार करना।
- घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) को बढ़ाना।
- घरेलू घटकों और सब-असेंबली की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना।
- भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल फोन ब्रांडों को बढ़ावा देना।
- स्वदेशी बौद्धिक संपदा (IP), उत्पाद डिजाइन और अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहित करना।
- भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में और अधिक एकीकृत करना।

- रोजगार सृजन करना और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना।

दो लक्षित क्षेत्र:

- MPMS के अंतर्गत दो लक्षित क्षेत्र हैं।
    - **लक्षित क्षेत्र 1 (TS1):** यह मोबाइल फोन विनिर्माण पर केंद्रित है और पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक अलग-अलग प्रोत्साहन प्रदान करता है। इन प्रोत्साहनों को पाँच वर्षों की अवधि में धीरे-धीरे कम होने के तरीके से संरचित किया गया है, अर्थात् पूरे पाँच वर्षों में प्रोत्साहन की दर समान नहीं रहेगी।
    - **लक्षित क्षेत्र 2 (TS2):** यह विशेष रूप से भारतीय मोबाइल फोन ब्रांडों को समर्थन प्रदान करता है। पात्र भारतीय ब्रांडों को 5% प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि घरेलू डिजाइन और R&D के लिए अतिरिक्त 3% प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा, गैर-वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

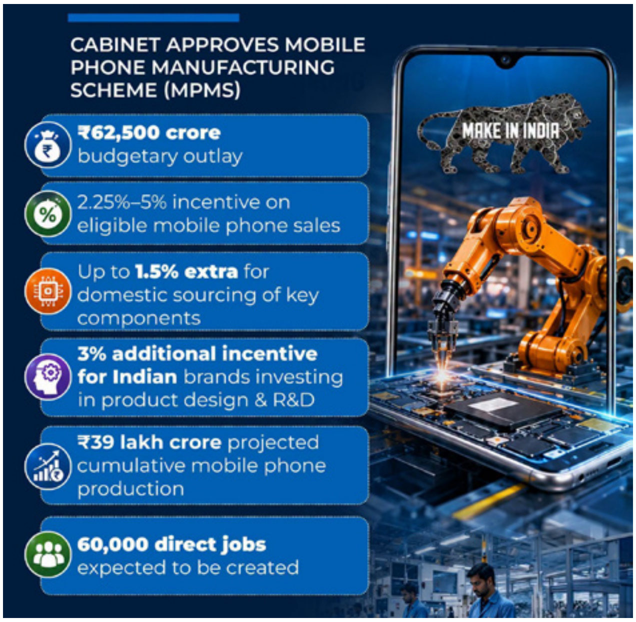
CABINET APPROVES MOBILE PHONE MANUFACTURING SCHEME (MPMS)

₹62,500 crore budgetary outlay

2.25%–5% incentive on eligible mobile phone sales

Up to **1.5% extra** for domestic sourcing of key components

3% additional incentive for Indian brands investing in product design & R&D

₹39 lakh crore projected cumulative mobile phone production

60,000 direct jobs expected to be created

भारतीय ब्रांड और स्वदेशी बौद्धिक संपदा:

- MPMS की एक प्रमुख विशेषता इसका वास्तविक भारतीय स्वामित्व पर जोर देना है। TS2 के अंतर्गत पात्र होने के लिए किसी कंपनी का भारत में पंजीकृत या निगमित होना आवश्यक है। साथ ही, उसके पास भारत में बौद्धिक संपदा और ट्रेडमार्क का स्वामित्व, भारतीय नागरिकों के नियंत्रण में प्रबंधन तथा 51% से अधिक हिस्सेदारी भारतीय नागरिकों के पास होनी चाहिए।
- कंपनी के पास भारत में इन-हाउस R&D और डिजाइन क्षमताएँ भी होनी चाहिए।
- यह केवल भारत में मोबाइल फोन के विनिर्माण से आगे बढ़कर भारतीय तकनीक, ब्रांड और बौद्धिक संपदा के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

घरेलू सोर्सिंग के लिए प्रोत्साहन:

- योजना के तहत प्रमुख घटकों और सब-असेंबली की घरेलू सोर्सिंग के लिए 1.5% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- इस प्रोत्साहन के लिए संबंधित घटकों को किसी वित्तीय वर्ष में आवेदक द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोन इकाइयों के कम-से-कम 25% के लिए स्थानीयकृत किया जाना आवश्यक होगा।
- स्थानीयकरण के दायरे में डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल, बैटरी, एनक्लोजर तथा यूएसबी केबल जैसे घटक शामिल हो सकते हैं।
- इसका उद्देश्य केवल अंतिम असेंबली तक भारत की भूमिका सीमित रखने के बजाय गहरी बैकवर्ड इंटीग्रेशन और घरेलू घटक विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

पात्रता:

- **TS1 के अंतर्गत:** भारत में पंजीकृत मोबाइल फोन निर्माता, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (EMS) प्रदाता भी शामिल हैं, के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में न्यूनतम ₹10,000 करोड़ का कारोबार होना आवश्यक है।
- **TS2 के अंतर्गत:** आवेदक का वित्त वर्ष 2025-26 में न्यूनतम ₹1,000 करोड़ का कारोबार होना चाहिए और उसे भारतीय ब्रांड होने से संबंधित निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा।

महत्त्व:

- MPMS भारत को असेंबली आधारित विनिर्माण से आगे बढ़कर अधिक घरेलू मूल्य संवर्धन वाले विनिर्माण की दिशा में ले जाने में मदद कर सकती है।
- स्थानीयकरण के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन से घरेलू घटक विनिर्माण को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि भारतीय ब्रांडों के लिए समर्पित लक्षित क्षेत्र घरेलू स्तर पर प्रौद्योगिकी, डिजाइन और बौद्धिक संपदा के स्वामित्व को बढ़ावा दे सकता है।
- यह योजना रोजगार को मजबूत करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े भारतीय निर्माताओं और MSMEs के लिए नए अवसरों का विस्तार करने में भी सहायक हो सकती है।

Adobe Stock | #61582624

7 आंतरिक सुरक्षा

पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों का हस्तांतरण: रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

संदर्भ:

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक (Conventional) मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल तकनीकों को प्रयोगशाला और परीक्षण के स्तर से आगे ले जाकर व्यापक औद्योगिक उत्पादन में बदलना तथा भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत करना है। यह पहल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, निजी क्षेत्र की भागीदारी और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

निर्णय के मुख्य बिंदु:

- इस निर्णय के तहत DRDO द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक को पात्र भारतीय रक्षा कंपनियों को तकनीक का हस्तांतरण (ToT) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसका उद्देश्य है:
    - » मिसाइल प्रणालियों के उत्पादन को तेजी से बढ़ाना;
    - » निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण क्षमता का उपयोग करना;
    - » DRDO की अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को औद्योगिक उत्पादन से जोड़ना;
    - » रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करना;
    - » घरेलू रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना
    - » सशस्त्र बलों की परिचालन आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता विकसित करना।
- कंपनियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किया जाएगा तथा आवश्यक तकनीकी एवं गुणवत्ता मानकों का पालन अनिवार्य होगा।

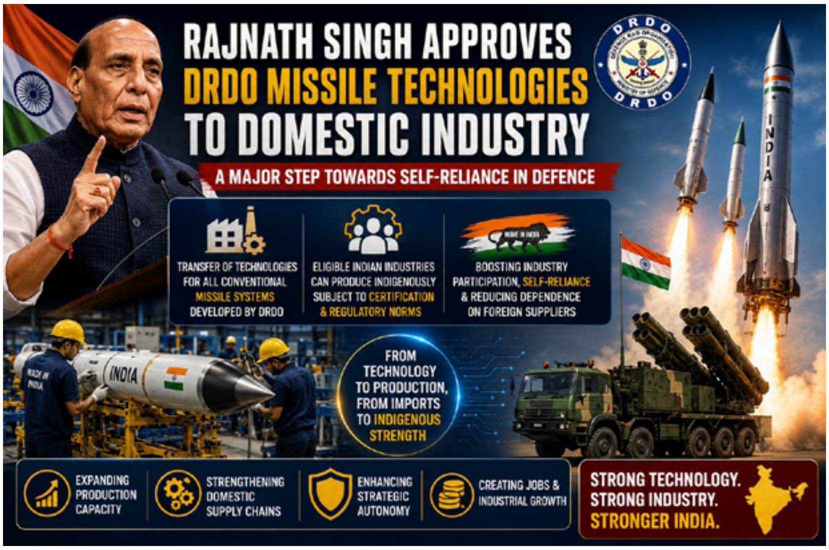
RAJNATH SINGH APPROVES
DRDO MISSILE TECHNOLOGIES
TO DOMESTIC INDUSTRY
A MAJOR STEP TOWARDS SELF-RELIANCE IN DEFENCE
DRDO
TRANSFER OF TECHNOLOGIES FOR ALL CONVENTIONAL MISSILE SYSTEMS DEVELOPED BY DRDO
ELIGIBLE INDIAN INDUSTRIES CAN PRODUCE INDIGENOUSLY SUBJECT TO CERTIFICATION & REGULATORY NORMS
BOOSTING INDUSTRY PARTICIPATION, SELF-RELIANCE & REDUCING DEPENDENCE ON FOREIGN SUPPLIERS
MAKE IN INDIA
INDIA
FROM TECHNOLOGY TO PRODUCTION, FROM IMPORTS TO INDIGENOUS STRENGTH
EXPANDING PRODUCTION CAPACITY
STRENGTHENING DOMESTIC SUPPLY CHAINS
ENHANCING STRATEGIC AUTONOMY
CREATING JOBS & INDUSTRIAL GROWTH
STRONG TECHNOLOGY. STRONG INDUSTRY. STRONGER INDIA.

डीआरडीओ की पारंपरिक मिसाइल प्रणाली:

- डीआरडीओ ने पिछले कुछ दशकों में भारत के लिए विभिन्न प्रकार की पारंपरिक मिसाइल प्रणालियाँ विकसित की हैं। इनमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी-रेडिएशन मिसाइल, एंटी-टैंक मिसाइल तथा वायु रक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं। इस श्रेणी में प्रमुख प्रणालियों के उदाहरण हैं:

  - **अस्त्र (ASTRA):** स्वदेशी हवा-से-हवा में मार करने वाली दृश्य सीमा से परे (BVRAAM) मिसाइल, जिसे लड़ाकू विमानों से शत्रु के हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है।
  - **रुद्रम (RUDRAM):** स्वदेशी एंटी-रेडिएशन मिसाइल, जिसे शत्रु के रडार, संचार एवं अन्य विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों को निष्क्रिय करने के लिए विकसित किया गया है।
  - **नाग (NAG):** एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM), जिसे आधुनिक बख्तरबंद वाहनों एवं टैंकों को सटीक रूप से नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है।
  - **VSHORADS:** वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे कम दूरी पर आने वाले शत्रु के विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य हवाई खतरों से सैनिकों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है।
  - **NASM-SR:** नेवल एंटी-शिप मिसाइल- शार्ट रेंज, जिसे नौसैनिक प्लेटफॉर्म से शत्रु के युद्धपोतों एवं अन्य समुद्री लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है।
- हालाँकि, प्रत्येक प्रणाली के लिए तकनीक हस्तांतरण की वास्तविक प्रक्रिया संबंधित तकनीकी, सुरक्षा और उत्पादन आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- यह पहल रणनीतिक मिसाइल प्रणालियों के लिए नहीं है। उदाहरण के लिए, अग्नि (Agni) और K-सीरीज़ जैसी रणनीतिक मिसाइल प्रणालियाँ इस व्यवस्था से अलग हैं।

पारंपरिक मिसाइल	रणनीतिक मिसाइल
मुख्यतः पारंपरिक युद्धक अभियानों में उपयोग की जाती हैं।	मुख्यतः रणनीतिक प्रतिरोध (Strategic Deterrence) से संबंधित होती हैं।
इनमें हवा-से-हवा, टैंक-रोधी, वायु रक्षा और एंटी-रेडिएशन जैसी मिसाइलें शामिल हैं।	इनमें मुख्यतः परमाणु हथियारों की डिलीवरी एवं परमाणु प्रतिरोध क्षमता से जुड़ी प्रणालियाँ शामिल होती हैं।
इनका व्यापक औद्योगिक उत्पादन और तकनीक हस्तांतरण अपेक्षाकृत अधिक संभव है।	इनकी तकनीक अत्यधिक संवेदनशील एवं कड़े नियंत्रण के अधीन होती है।

तकनीक का हस्तांतरण (ToT) का अर्थ:

- तकनीक हस्तांतरण (Transfer of Technology - ToT) का अर्थ है किसी संस्था द्वारा विकसित तकनीक को दूसरी पात्र संस्था को इस प्रकार उपलब्ध कराना कि वह उस तकनीक के आधार पर उत्पाद का निर्माण और आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाएँ संपन्न कर सके।
- रक्षा क्षेत्र में तकनीक हस्तांतरण (ToT) में केवल किसी हथियार का डिजाइन देना पर्याप्त नहीं होता। इसके अंतर्गत उत्पादन से संबंधित तकनीकी दस्तावेज, निर्माण प्रक्रियाएँ, गुणवत्ता मानक, परीक्षण संबंधी जानकारी तथा आवश्यक तकनीकी सहायता भी शामिल हो सकती है।
- इस व्यवस्था में डीआरडीओ की भूमिका मुख्यतः प्रौद्योगिकी विकास और तकनीकी सहयोग की होगी, जबकि चयनित भारतीय कंपनियाँ तकनीक को औद्योगिक स्तर पर उत्पादन में बदलने की भूमिका निभाएँगी।

निजी क्षेत्र की भूमिका:

- भारत में रक्षा उत्पादन लंबे समय तक मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों पर निर्भर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने निजी उद्योग और स्टार्टअप को रक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर देने पर जोर दिया है। मिसाइल तकनीक के हस्तांतरण से निजी क्षेत्र की भूमिका कई स्तरों पर बढ़ सकती है।
- **उत्पादन क्षमता में वृद्धि:** अधिक कंपनियों के उत्पादन तंत्र में शामिल होने से मिसाइलों की कुल उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है। इससे सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करने में सहायता मिलेगी।
- **प्रतिस्पर्धा और नवाचार:** निजी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से लागत, गुणवत्ता और उत्पादन दक्षता में सुधार की संभावना है। साथ ही, कंपनियों को तकनीकी उन्नयन और नए संस्करण विकसित करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।
- **एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा:** मिसाइल निर्माण में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, प्रणोदन, सॉफ्टवेयर, कंपोजिट सामग्री और सटीक इंजीनियरिंग जैसे अनेक क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। इससे बड़ी रक्षा कंपनियों के साथ-साथ एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए भी अवसर बढ़ सकते हैं।

भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता पर प्रभाव:

- यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की रक्षा संबंधी

प्राथमिकताओं के अनुरूप है। रक्षा आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल विदेशी हथियारों का आयात कम करना नहीं है। वास्तविक आत्मनिर्भरता के लिए देश में अनुसंधान एवं विकास, डिजाइन, परीक्षण, उत्पादन, एकीकरण, रखरखाव, उन्नयन की पूरी क्षमता विकसित होना आवश्यक है।

- डीआरडीओ द्वारा विकसित तकनीकों को भारतीय उद्योग तक पहुँचाने से अनुसंधान संस्थानों और विनिर्माण क्षेत्र के बीच की दूरी कम होगी। इसके संभावित प्रभाव हैं:
  - आयात पर निर्भरता में कमी;
  - घरेलू रक्षा विनिर्माण में वृद्धि;
  - स्वदेशी तकनीकी क्षमता का विस्तार;
  - रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का स्थानीयकरण;
  - रोजगार एवं कौशल विकास;
  - रक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन
  - भविष्य में रक्षा निर्यात की क्षमता में वृद्धि।

रणनीतिक एवं सामरिक महत्व:

- आधुनिक युद्ध में पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। सटीक हमला, हवाई सुरक्षा, एंटी-शिप और एंटी-आर्मर जैसी क्षमताएँ सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण हो गई हैं। ऐसे में घरेलू स्तर पर पर्याप्त मिसाइल उत्पादन क्षमता भारत की सैन्य तैयारी और रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत कर सकती है:
  - **युद्धकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति:** लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में हथियारों और मिसाइलों की लगातार आवश्यकता होती है। घरेलू उत्पादन क्षमता युद्धकाल में तेजी से पुनःपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
  - **आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा:** विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता भू-राजनीतिक तनाव या वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के दौरान समस्या उत्पन्न कर सकती है। घरेलू उत्पादन इस जोखिम को कम कर सकता है।
  - **रक्षा औद्योगिक आधार का विस्तार:** मिसाइल निर्माण के साथ प्रोपल्शन, गाइडेंस, सीकर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर और एडवांस्ड मटीरियल्स जैसे क्षेत्रों में भी तकनीकी क्षमता विकसित होगी।
  - **रक्षा निर्यात की संभावना:** यदि भारतीय उद्योग उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी लागत पर मिसाइल प्रणालियों का उत्पादन करने में सक्षम होता है, तो भविष्य में भारत की रक्षा निर्यात क्षमता को भी बल मिल सकता है।

चुनौतियाँ:

- **तकनीक को अपनाना:** तकनीक प्राप्त करना और उसे सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर उत्पादन में बदलना अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। कंपनियों के पास पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता और विनिर्माण क्षमता होना आवश्यक है।
- **गुणवत्ता और विश्वसनीयता:** मिसाइल प्रणालियाँ अत्यधिक संवेदनशील और जटिल रक्षा प्रणालियाँ हैं। इनमें गुणवत्ता या विश्वसनीयता से जुड़ी छोटी कमी भी गंभीर परिचालन प्रभाव डाल सकती है।
- **महत्वपूर्ण घटकों में आयात निर्भरता:** यदि मिसाइल के महत्वपूर्ण घटक अभी भी विदेशी स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, तो केवल अंतिम असेंबली को स्वदेशी बनाना वास्तविक आत्मनिर्भरता नहीं माना जा सकता।
- **पर्याप्त ऑर्डर की आवश्यकता:** निजी कंपनियों को उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। इसलिए दीर्घकालिक और स्थिर रक्षा खरीद नीति आवश्यक होगी।
- **सुरक्षा और तकनीकी गोपनीयता:** संवेदनशील सैन्य तकनीकों के हस्तांतरण में साइबर सुरक्षा, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और तकनीकी जानकारी के अनधिकृत प्रसार को रोकना महत्वपूर्ण होगा।

आगे की राह:

भारत को इस पहल को केवल तकनीक हस्तांतरण तक सीमित न रखते हुए एक व्यापक रक्षा औद्योगिक रणनीति के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए:

- निजी उद्योग को दीर्घकालिक और स्पष्ट खरीद संबंधी प्रतिबद्धताएँ दिए जाएँ।
- डीआरडीओ और उद्योग के बीच निरंतर तकनीकी सहयोग एवं ज्ञान हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए।
- एमएसएमई और स्टार्टअप्स को रक्षा आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।
- महत्वपूर्ण घटक (Critical Components) के स्वदेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- परीक्षण, प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण की संस्थागत क्षमता बढ़ाई

जाए।

- रक्षा उत्पादन में अनुसंधान एवं नवाचार के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाए।
- स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के निर्यात के लिए वैश्विक गुणवत्ता मानकों और विश्वसनीय आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

निष्कर्ष:

डीआरडीओ की पारंपरिक मिसाइल तकनीकों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने का निर्णय भारत की रक्षा उत्पादन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। इसका महत्व केवल मिसाइलों के उत्पादन को निजी क्षेत्र तक पहुँचाने में नहीं, बल्कि डीआरडीओ की अनुसंधान क्षमता को व्यापक औद्योगिक उत्पादन क्षमता में बदलने में निहित है। यदि तकनीक हस्तांतरण के साथ पर्याप्त उत्पादन, कुशल मानव संसाधन, मजबूत आपूर्ति शृंखला, कठोर गुणवत्ता नियंत्रण और निरंतर नवाचार सुनिश्चित किए जाते हैं, तो यह पहल भारत को रक्षा उपकरणों के बड़े आयातक से एक सक्षम और प्रतिस्पर्धी रक्षा निर्माता एवं निर्यातक बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संक्षिप्त मुद्दे

अग्नि-IV मध्यम दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र (IRBM)

सन्दर्भ:

हाल ही में भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण परिसर (Integrated Test Range- ITR) से सामरिक बल कमान (Strategic Forces Command- SFC) के तत्वावधान में अग्नि-IV मध्यम दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र (Intermediate-Range Ballistic Missile- IRBM) का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण के दौरान प्रक्षेपास्त्र के सभी परिचालन एवं तकनीकी मानकों का सफलतापूर्वक सत्यापन हुआ, जिससे इसकी परिचालन तत्परता की पुनः पुष्टि हुई तथा भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता और अधिक सुदृढ़ हुई।

अग्नि-IV के बारे में:

- अग्नि-IV एक स्वदेशी रूप से विकसित, परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र (IRBM) है, जिसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा किया गया है।
- यह समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम (Integrated Guided Missile Development Programme- IGMDP) के अंतर्गत विकसित अग्नि प्रक्षेपास्त्र श्रृंखला का एक महत्त्वपूर्ण सदस्य है।
- यह भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता (Credible Minimum Deterrence) तथा प्रथम प्रयोग न करने की नीति (No First Use- NFU) पर आधारित परमाणु सिद्धांत का प्रमुख आधार है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- अग्नि-IV दो चरणों वाली (Two-stage), ठोस ईंधन (Solid Fuel) से संचालित तथा परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है।
- इसकी मारक क्षमता 3,500 से 4,000 किलोमीटर तक है।
- इसकी लंबाई लगभग 20 मीटर तथा भार लगभग 17 टन है।
- यह 1,000 किलोग्राम तक का पारंपरिक अथवा परमाणु आयुध वहन करने में सक्षम है।
- इसे सड़क-गतिशील (Road-Mobile) तथा कैनिस्टर-संगत (Canister-Compatible) प्रक्षेपण मंच पर तैनात किया जाता है, जिससे इसकी त्वरित तैनाती, उच्च गतिशीलता एवं अधिक जीवित रहने की क्षमता सुनिश्चित होती है।
- इसमें रिंग लेज़र जाइरोस्कोप आधारित जड़त्वीय नौवहन प्रणाली को सूक्ष्म नौवहन प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे लक्ष्य भेदन की अत्यधिक सटीकता सुनिश्चित होती है।
- इसके अतिरिक्त, इसमें उन्नत पुनःप्रवेश ऊष्मा सुरक्षा कवच (Re-entry Heat Shield) लगाया गया है, जो वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान 3,000° सेल्सियस से अधिक तापमान को सहन करने में सक्षम है तथा आयुध एवं प्रक्षेपास्त्र के इलेक्ट्रॉनिक तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

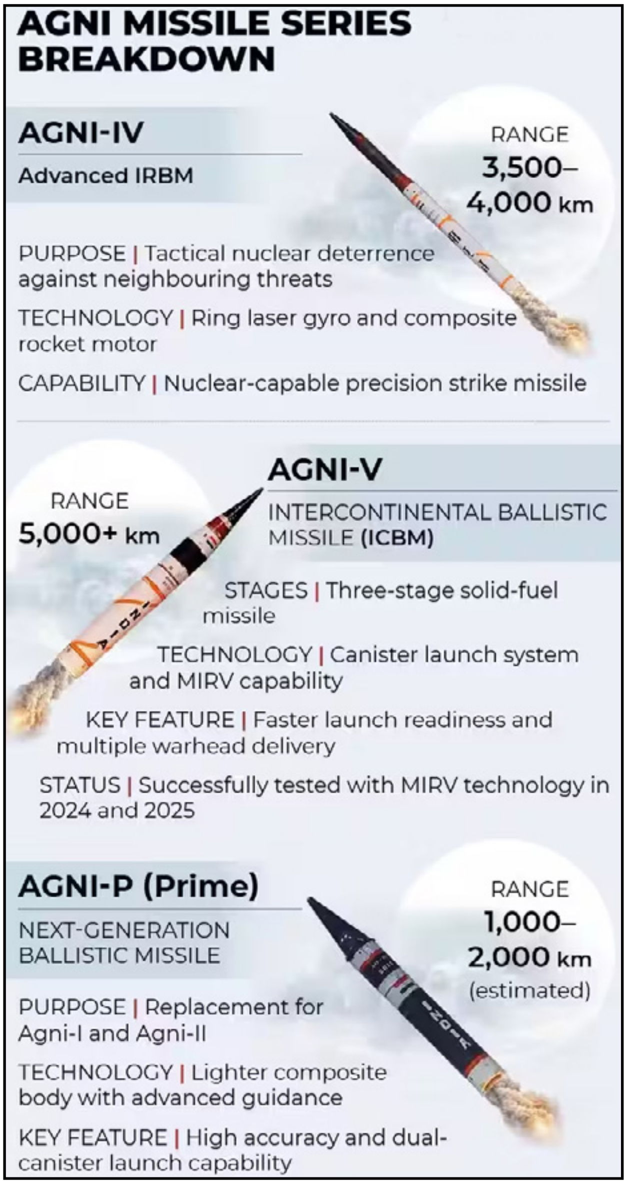

AGNI MISSILE SERIES BREAKDOWN

AGNI-IV

Advanced IRBM

RANGE 3,500–4,000 km

PURPOSE | Tactical nuclear deterrence against neighbouring threats

TECHNOLOGY | Ring laser gyro and composite rocket motor

CAPABILITY | Nuclear-capable precision strike missile

AGNI-V

INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE (ICBM)

RANGE 5,000+ km

STAGES | Three-stage solid-fuel missile

TECHNOLOGY | Canister launch system and MIRV capability

KEY FEATURE | Faster launch readiness and multiple warhead delivery

STATUS | Successfully tested with MIRV technology in 2024 and 2025

AGNI-P (Prime)

NEXT-GENERATION BALLISTIC MISSILE

RANGE 1,000–2,000 km (estimated)

PURPOSE | Replacement for Agni-I and Agni-II

TECHNOLOGY | Lighter composite body with advanced guidance

KEY FEATURE | High accuracy and dual-canister launch capability

महत्त्व:

- अग्नि-IV भारत की लंबी दूरी तक सटीक प्रहार करने की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करती है तथा क्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है।
- इसका ठोस ईंधन आधारित प्रणोदन तंत्र तथा गतिशील प्रक्षेपण मंच त्वरित तैनाती को संभव बनाते हैं। इसके विकास में प्रयुक्त स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता को कम करती हैं तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण को सुदृढ़ बनाती हैं।
- यह भारत के सामरिक त्रिस्तरीय प्रतिरोधक ढाँचे (Strategic Nuclear Triad) को सशक्त बनाते हुए विश्वसनीय द्वितीय प्रहार क्षमता (Second-Strike Capability) को बढ़ाती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और अधिक मजबूत होती है।

अग्नि प्रक्षेपास्त्र श्रृंखला:

- अग्नि प्रक्षेपास्त्र श्रृंखला भारत की परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों का समूह है, जिनकी मारक क्षमता अलग-अलग है:
  - **अग्नि-I:** 700–1,200 किमी (लघु दूरी)
  - **अग्नि-II:** 2,000–3,000 किमी (मध्यम दूरी)
  - **अग्नि-III:** 3,000–3,500 किमी (मध्यम से अधिक दूरी)
  - **अग्नि-IV:** 3,500–4,000 किमी (उन्नत मध्यम दूरी)
  - **अग्नि-V:** 5,000–5,500 किमी अथवा उससे अधिक (दीर्घ दूरी, कैनिस्टर-आधारित)
  - **अग्नि-प्राइम (Agni-P):** 1,000–2,000 किमी (अगली पीढ़ी की, हल्की एवं अत्यधिक गतिशील प्रक्षेपास्त्र)

निष्कर्ष:

अग्नि-IV का सफल परीक्षण भारत की सामरिक प्रतिरोधक संरचना को और अधिक सुदृढ़ करता है तथा उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। भारत के परमाणु सिद्धांत के एक महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में यह प्रक्षेपास्त्र राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त बनाते हुए विश्वसनीय एवं प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता के माध्यम से क्षेत्रीय सामरिक स्थिरता को भी सुदृढ़ करता है।

यार्ड 3037 'श्रुति': भारत का अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए निर्मित अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (NGOPV) यार्ड 3037, जिसका नाम 'श्रुति' रखा गया है, को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता में जलावतरण किया गया। यह जलावतरण समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण को सुदृढ़ करने के भारत के प्रयासों की दिशा में एक और कदम है।

'श्रुति' के बारे में:

- 'श्रुति' चार ऐसे पोतों के निर्माण के कार्यक्रम के अंतर्गत GRSE द्वारा

जलावतरण किया गया दूसरा अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत है। व्यापक अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत कार्यक्रम के अंतर्गत 11 पोतों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से सात का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) और चार का निर्माण GRSE द्वारा किया जा रहा है।

- इन पोतों को बहुउद्देशीय मंच के रूप में तैयार किया गया है, जो समुद्री सुरक्षा तथा सहायता संबंधी दोनों प्रकार के अभियानों को संचालित करने में सक्षम हैं।

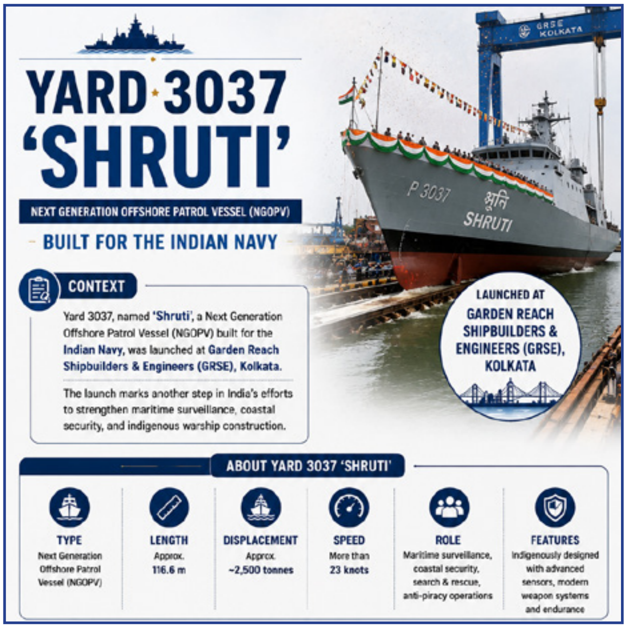

YARD 3037 'SHRUTI'

NEXT GENERATION OFFSHORE PATROL VESSEL (NGOPV)

BUILT FOR THE INDIAN NAVY

CONTEXT

Yard 3037, named **'Shruti'**, a Next Generation Offshore Patrol Vessel (NGOPV) built for the **Indian Navy**, was launched at **Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), Kolkata.**

The launch marks another step in India's efforts to strengthen maritime surveillance, coastal security, and indigenous warship construction.

LAUNCHED AT GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS (GRSE), KOLKATA

ABOUT YARD 3037 'SHRUTI'

TYPE	LENGTH	DISPLACEMENT	SPEED	ROLE	FEATURES
Next Generation Offshore Patrol Vessel (NGOPV)	Approx. 116.6 m	Approx. ~2,500 tonnes	More than 23 knots	Maritime surveillance, coastal security, search & rescue, anti-piracy operations	Indigenously designed with advanced sensors, modern weapon systems and endurance

प्रमुख विशेषताएँ:

- अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत लगभग 113 मीटर लंबे हैं, इनका विस्थापन लगभग 3,000 टन है और ये लगभग 23 नॉट की अधिकतम निर्धारित गति प्राप्त कर सकते हैं। इनकी समुद्र में टिके रहने की क्षमता लगभग 14 नॉट की गति से 8,500 समुद्री मील है, जिससे ये लंबे समय तक समुद्र में अभियान संचालित कर सकते हैं।

संचालन संबंधी महत्त्व:

- 'श्रुति' नौसेना की समुद्री निगरानी, समुद्री डकैती-रोधी अभियान, तटीय सुरक्षा, खोज एवं बचाव, अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा अवैध तस्करी-रोधी अभियानों को संचालित करने की क्षमता को मजबूत करेगा। ऐसे पोत नियमित समुद्री सुरक्षा संबंधी दायित्वों को पूरा कर सकते हैं, जिससे बड़े अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों को उच्च स्तरीय युद्ध अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा।

आत्मनिर्भर भारत:

- अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत कार्यक्रम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोतों के लिए ₹9,781 करोड़ का अनुबंध मार्च 2023 में 'खरीद (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित)' [Buy (Indian-IDDM)] श्रेणी के अंतर्गत किया गया था। इसमें स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है।
- इस कार्यक्रम से पर्याप्त रोजगार सृजित होने तथा भारतीय रक्षा विनिर्माताओं, पोत निर्माण कंपनियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए अवसर उत्पन्न होने की भी अपेक्षा है।

रणनीतिक महत्त्व:

- हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बढ़ते समुद्री हितों के लिए निरंतर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता आवश्यक है। अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत समुद्री मार्गों, अपतटीय बुनियादी ढाँचे और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा में सहायता कर सकते हैं तथा समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, तस्करी और घुसपैठ जैसे गैर-पारंपरिक खतरों से निपट सकते हैं।

निष्कर्ष:

यार्ड 3037 'श्रुति' का जलावतरण भारत की बढ़ती स्वदेशी पोत निर्माण क्षमता और समुद्री सुरक्षा पर उसके बढ़ते ध्यान को दर्शाता है। अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत कार्यक्रम में नौसेना का आधुनिकीकरण, तटीय निगरानी, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और औद्योगिक विकास का समन्वय किया गया है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में एक सक्षम समुद्री शक्ति के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।

तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट 'मंगरोल'

संदर्भ:

21 अगस्त 2026 को भारतीय नौसेना ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), कोच्चि द्वारा निर्मित तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) 'मंगरोल' प्राप्त किया। इसके नौसेना में शामिल होने से उथले और तटीय जलक्षेत्रों में पानी के नीचे मौजूद खतरों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने की भारत की क्षमता मजबूत हुई है।

ASW-SWC क्या है?

- एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट एक विशेष प्रकार का नौसैनिक पोत है, जिसे तटीय और उथले जलक्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने, उनका पीछा करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इन छोटे आकार के युद्धपोतों को अक्सर “पॉकेट वॉरशिप” कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, जहाँ उथले समुद्री क्षेत्र और जटिल जलमग्न परिस्थितियों के कारण बड़े विध्वंसक पोत (Destroyers) और फ्रिगेट्स प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाते हैं।

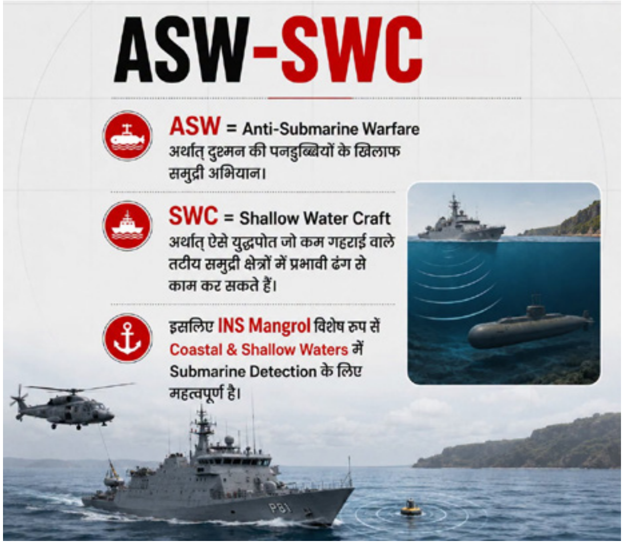
ASW-SWC
ASW = Anti-Submarine Warfare
अर्थात् दुश्मन की पनडुब्बियों के खिलाफ समुद्री अभियान।
SWC = Shallow Water Craft
अर्थात् ऐसे युद्धपोत जो कम गहराई वाले तटीय समुद्री क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं।
इसलिए INS Mangrol विशेष रूप से Coastal & Shallow Waters में Submarine Detection के लिए महत्वपूर्ण है।
P81

मंगरोल की प्रमुख विशेषताएँ:

- मंगरोल, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित माहे-क्लास ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट है, जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
- इसमें वॉटरजेट प्रणोदन प्रणाली (Waterjet Propulsion) का उपयोग किया गया है, जो इसे उथले तटीय जलक्षेत्रों में बेहतर गतिशीलता प्रदान करती है। यह लगभग 25 नॉट की गति प्राप्त कर सकता है और इसकी परिचालन क्षमता लगभग 1,800 समुद्री मील है।
- यह पोत आधुनिक टॉरपीडो, एंटी-सबमरीन रॉकेट, रडार और सोनार प्रणालियों से लैस है, जो पानी के भीतर निगरानी और पनडुब्बियों का पता लगाने में सहायता करती हैं।
- पनडुब्बी रोधी युद्ध के अलावा, यह कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों (Low-Intensity Maritime Operations—LIMO), माइन वारफेयर तथा तटीय सुरक्षा अभियानों में भी भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार यह तटीय क्षेत्रों में एक बहुउद्देशीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

ASW-SWC कार्यक्रम के बारे में:

- भारतीय नौसेना के एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) कार्यक्रम के तहत कुल 16 पोतों के निर्माण की योजना है। इनमें से 8 पोत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) और 8 पोत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं।
- CSL द्वारा निर्मित पोत माहे-क्लास का हिस्सा हैं, जबकि GRSE द्वारा निर्मित पोत b के अंतर्गत आते हैं।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुराने हो चुके नौसैनिक प्लेटफॉर्मों को प्रतिस्थापित करना तथा उथले जलक्षेत्रों में भारतीय नौसेना की विशेष युद्धक क्षमताओं को मजबूत करना है।

रणनीतिक महत्त्व:

- **समुद्री सुरक्षा को मजबूती:** भारत की लंबी तटरेखा और बढ़ते समुद्री हितों को देखते हुए ASW-SWC महत्वपूर्ण हैं। ये पोत भारतीय तटरेखा, नौसैनिक अड्डों और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट सक्रिय पनडुब्बियों की निगरानी और उनसे निपटने के लिए समर्पित क्षमता प्रदान करते हैं।

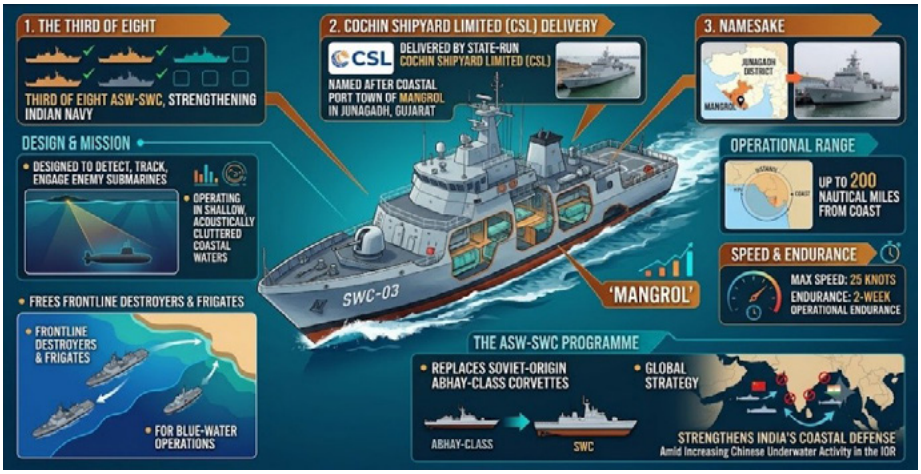
1. THE THIRD OF EIGHT
THIRD OF EIGHT ASW-SWC, STRENGTHENING INDIAN NAVY
DESIGN & MISSION
DESIGNED TO DETECT, TRACK, ENGAGE ENEMY SUBMARINES
OPERATING IN SHALLOW, ACOUSTICALLY CLUTTERED COASTAL WATERS
FREES FRONTLINE DESTROYERS & FRIGATES
FRONTLINE DESTROYERS & FRIGATES
FOR BLUE-WATER OPERATIONS
2. COCHIN SHIPYARD LIMITED (CSL) DELIVERY
CSL
DELIVERED BY STATE-RUN COCHIN SHIPYARD LIMITED (CSL)
NAMED AFTER COASTAL PORT TOWN OF MANGROL IN JUNAGADH, GUJARAT
SWC-03
'MANGROL'
3. NAMESAKE
JUNAGADH DISTRICT
MANGROL
OPERATIONAL RANGE
UP TO 200 NAUTICAL MILES FROM COAST
SPEED & ENDURANCE
MAX SPEED: 25 KNOTS
ENDURANCE: 2-WEEK OPERATIONAL ENDURANCE
THE ASW-SWC PROGRAMME
REPLACES SOVIET-ORIGIN ABHAY-CLASS CORVETTES
ABHAY-CLASS
SWC
GLOBAL STRATEGY
STRENGTHENS INDIA'S COASTAL DEFENSE
Amid Increasing Chinese Underwater Activity in the IOR

- **आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा:** 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित मंगरोल भारतीय शिपयार्डों और घरेलू रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। यह रक्षा उत्पादन में अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सरकार के लक्ष्य को समर्थन देता है।
- **तटीय युद्ध क्षमता में वृद्धि:** वॉटरजेट प्रणोदन प्रणाली इन पोतों को बेहतर गतिशीलता प्रदान करती है और उन्हें उथले तटीय क्षेत्रों में संचालन के लिए उपयुक्त बनाती है। इनका बहुउद्देशीय डिजाइन इन्हें माइन वारफेयर और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों में भी उपयोगी बनाता है।

नामकरण का महत्त्व:

- मंगरोल का नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित तटीय शहर और छोटे बंदरगाह मंगरोल के नाम पर रखा गया है। यह नाम भारतीय नौसेना के पूर्व आईएनएस मंगरोल की विरासत को भी आगे बढ़ाता है। आईएनएस मंगरोल एक भारतीय नौसेना का माइनस्वीपर पोत था, जिसने वर्ष 2004 तक सेवा दी।

निष्कर्ष:

मंगरोल का भारतीय नौसेना को सौंपा जाना भारत के नौसैनिक आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उथले जलक्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ विदेशी प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) कार्यक्रम महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह कार्यक्रम भारत को अधिक आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और सुरक्षित समुद्री शक्ति के रूप में विकसित करने में सहायक होगा।

आईएनएस निपुण: भारत का स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल

संदर्भ:

भारतीय नौसेना 31 अगस्त 2026 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस निपुण को कमीशन करने जा रही है। यह निस्तार श्रेणी का दूसरा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) है।

डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) क्या है?

- डाइविंग सपोर्ट वेसल एक विशेष नौसैनिक पोत है, जिसे जटिल पानी के भीतर के अभियानों में सहायता के लिए बनाया जाता है। यह गोताखोरों, पानी के भीतर चलने वाले वाहनों और बचाव प्रणालियों के लिए एक आधार के रूप में काम करता है और समुद्र में लंबे समय तक कार्य कर सकता है।
- निस्तार श्रेणी के DSV को गहरे समुद्र में डाइविंग और पनडुब्बी बचाव अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल (DSRV) से लैस होने पर, यह संकटग्रस्त पनडुब्बियों से कर्मियों को बचाने और निकालने के लिए मदर शिप के रूप में कार्य कर सकता है।

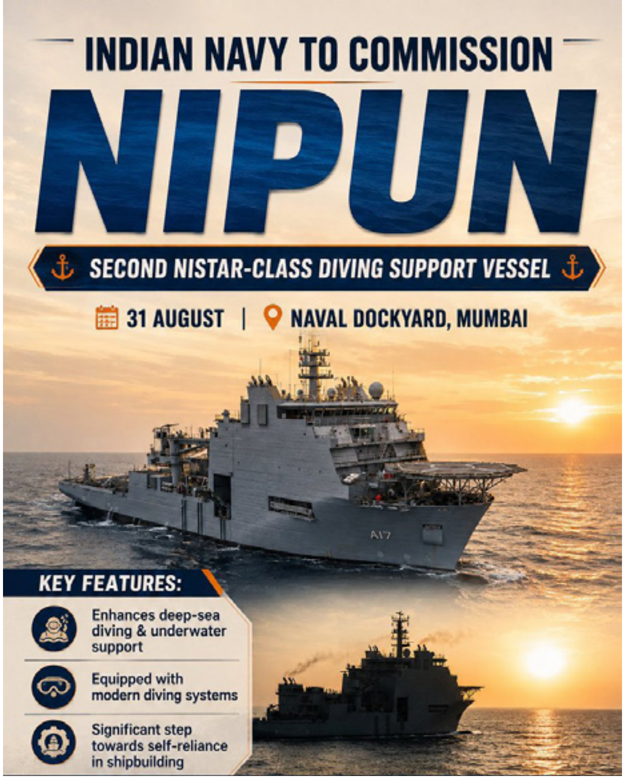
INDIAN NAVY TO COMMISSION
NIPUN
SECOND NISTAR-CLASS DIVING SUPPORT VESSEL
31 AUGUST | NAVAL DOCKYARD, MUMBAI
A17
KEY FEATURES:
Enhances deep-sea diving & underwater support
Equipped with modern diving systems
Significant step towards self-reliance in shipbuilding

स्वदेशी डिजाइन और निर्माण:

- आईएनएस निपुण को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL), विशाखापत्तनम द्वारा इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (IRS) के वर्गीकरण नियमों के अनुसार स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।
- इस पोत में लगभग 75% स्वदेशी सामग्री है, जो विशेष नौसैनिक जहाज निर्माण में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों का समर्थन करती है। इस परियोजना में 120 से अधिक भारतीय MSME विक्रेताओं की भागीदारी रही, जिससे घरेलू औद्योगिक भागीदारी को बढ़ावा मिला।

प्रमुख क्षमताएँ:

- **गहरे समुद्र में डाइविंग:** उन्नत डाइविंग प्रणालियों से लैस और डीप-सी सैचुरेशन डाइविंग में सक्षम।
- **पानी के भीतर हस्तक्षेप:** जटिल अंडरवाटर अभियानों और गोताखोरों की निगरानी में सहायता।
- **ROVs:** रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स पानी के भीतर निरीक्षण, निगरानी और बचाव अभियानों को बेहतर बनाते हैं।
- **पनडुब्बी बचाव:** संकटग्रस्त पनडुब्बियों से कर्मियों को बचाने के लिए DSRV के मदर शिप के रूप में कार्य कर सकता है।
- **साइड डाइविंग स्टेज:** विशेष डाइविंग अभियानों को सक्षम बनाता है।
- **चिकित्सा और सहायता सुविधाएँ:** कठिन अंडरवाटर मिशनों में शामिल कर्मियों को एकीकृत सहायता प्रदान करता है।

आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण के बारे में:

- आईएनएस निस्तार पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल था और इसे जुलाई 2025 में कमीशन किया गया था। इसे भी HSL द्वारा बनाया गया है और यह गहरे समुद्र में डाइविंग तथा पनडुब्बी बचाव अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है।
- निस्तार और निपुण के साथ भारत विशेष अंडरवाटर सहायता बुनियादी ढाँचे को मजबूत कर रहा है और महत्वपूर्ण नौसैनिक अभियानों के लिए विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम कर रहा है।

रणनीतिक महत्व:

- **पनडुब्बी बचाव क्षमता में वृद्धि:** पनडुब्बी दुर्घटनाओं में अत्यधिक गहराई शामिल हो सकती है और इनके लिए तेज, विशेष बचाव प्रणालियों की आवश्यकता होती है। DSV बचाव वाहनों को तैनात करने और अंडरवाटर बचाव अभियानों में सहायता के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
- **समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना:** ये पोत भारत के समुद्री हित क्षेत्रों में अंडरवाटर निगरानी, निरीक्षण, बचाव और रिकवरी करने की क्षमता बढ़ाते हैं।
- **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा:** विशेष पोतों का स्वदेशी निर्माण भारत के रक्षा जहाज निर्माण क्षेत्र की बढ़ती तकनीकी क्षमता को दर्शाता है और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत को समर्थन देता है।
- **ब्लू-वाटर नौसैनिक क्षमता को मजबूत करना:** गहरे समुद्र में सहायता देने वाले पोत नौसेना को तट से दूर जटिल अभियानों को संचालित करने में सक्षम बनाते हैं और भारत की व्यापक समुद्री सुरक्षा तथा ब्लू-वाटर नौसैनिक क्षमताओं में योगदान देते हैं।

निष्कर्ष:

आईएनएस निपुण का कमीशन होना तकनीकी रूप से उन्नत और आत्मनिर्भर भारतीय नौसेना के निर्माण की दिशा में एक और कदम है। इसकी गहरे समुद्र में डाइविंग, अंडरवाटर हस्तक्षेप, रिकवरी और पनडुब्बी बचाव की विशेष क्षमताएँ भारत की समुद्री तैयारियों को बढ़ाने के साथ-साथ स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को भी मजबूत करेंगी।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003
Branch
PRAYAGRAJ
नया बैच प्रारंभ
सामान्य अध्ययन
IAS/PCS
(हिंदी माध्यम)
संपूर्ण सिलेबस कवरेज
अनुभवी फैकल्टी
रणनीतिक दृष्टिकोण
परीक्षा उन्मुख तैयारी
9 STARTING DATE SEPT.
TIME 8:00 AM
MODE ONLINE/OFFLINE
3 DAYS OPEN TO ALL
JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL
Get Free Academic Support
CALL NOW 8853467068

प्रमुख चर्चित स्थल

कुरील द्वीप

जापान द्वारा रुसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इतुरुप यात्रा की आलोचना के कारण रुस ने जापानी राजदूत को तलब किया। इतुरुप उन कुरील द्वीपों में से एक है, जिन पर दोनों देशों के बीच विवाद है।

- कुरील द्वीप समूह लगभग 1,300 किलोमीटर तक फैली ज्वालामुखीय द्वीपों की एक श्रृंखला है, जो जापान के होक्काइडो और रुस के कामचटका प्रायद्वीप के बीच स्थित है। इस द्वीपसमूह में अनेक द्वीप हैं और यहाँ 100 से अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनमें कई सक्रिय हैं। ये द्वीप ओखोत्स्क सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र में स्थित हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में 1945 में, जापान की हार के बाद सोवियत संघ ने कुरील द्वीपों पर कब्ज़ा कर लिया। जापान रुस के उन चार सबसे दक्षिणी द्वीपों पर रुसी संप्रभुता को चुनौती देता है, जिन्हें रुस कुरील द्वीप समूह का हिस्सा मानता है:
  - » इतुरुप (एतोरोफु)
  - » कुनाशिर (कुनाशिरी)
  - » शिकोटान
  - » हाबोमाई द्वीप समूह

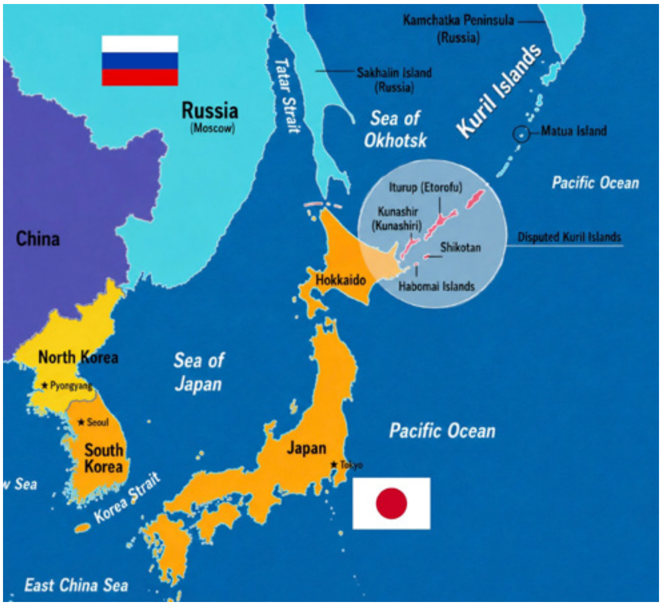
Kamchatka Peninsula (Russia)
Sakhalin Island (Russia)
Tatar Strait
Russia
(Moscow)
Sea of Okhotsk
Kuril Islands
Matua Island
Pacific Ocean
Iturup (Etorofu)
Kunashir (Kunashiri)
Shikotan
Disputed Kuril Islands
Habomai Islands
Hokkaido
China
North Korea
Pyongyang
Sea of Japan
Seoul
South Korea
Japan
Tokyo
Pacific Ocean
Sea
Korea Strait
East China Sea

- जापान इन द्वीपों को सामूहिक रुप से “उत्तरी क्षेत्र” कहता है।
- यह क्षेत्रीय विवाद रुस और जापान के बीच औपचारिक युद्धोत्तर शांति संधि के निष्कर्ष में बाधा बना हुआ है, हालांकि दोनों देशों के बीच समय-समय पर कूटनीतिक वार्ताएँ होती रही हैं।

सामरिक महत्व:

- कुरील द्वीपों का भूराजनीतिक, सैन्य और आर्थिक महत्व बहुत अधिक है।
- ये रुस को ओखोत्स्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच आवागमन का मार्ग प्रदान करते हैं।
- ये द्वीप रुस के प्रशांत बेड़े और क्षेत्रीय रक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- इनकी भौगोलिक स्थिति रुस को महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और समुद्री पहुँच पर नियंत्रण प्रदान करती है।
- इनके आसपास के समुद्री क्षेत्र मत्स्य संसाधनों और अन्य समुद्री प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं।
- ये द्वीप अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखीय और विवर्तनिक क्षेत्र का हिस्सा हैं।

महत्वपूर्ण महासागर और जल निकाय:

- **ओखोत्स्क सागर:** ओखोत्स्क सागर कुरील द्वीप श्रृंखला के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है और इसके अधिकांश भाग को रुस, जापान तथा कुरील द्वीप समूह घेरते हैं।

- **उत्तरी प्रशांत महासागर:** प्रशांत महासागर कुरील द्वीप श्रृंखला के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में कुरील-कामचटका गर्त नामक एक प्रमुख गहरे समुद्री गर्त स्थित है। यह एक सक्रिय अधोगमन क्षेत्र है, जहाँ एक भू-पट्टिका दूसरी भू-पट्टिका के नीचे धँसती है।

प्रमुख जलडमरूमध्य और समुद्री मार्ग:

- द्वीपों के बीच स्थित जलडमरुमध्य ओखोत्स्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच जल के आवागमन को संभव बनाते हैं।
- **बसोल जलडमरूमध्य:** मध्य कुरील क्षेत्र के सबसे गहरे मार्गों में से एक है और जल के आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण है।
- **क्रुज़ेनश्टर्न जलडमरूमध्य:** उत्तर-मध्य कुरील क्षेत्र का एक प्रमुख मार्ग है, जो ओखोत्स्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच जल के आवागमन में सहायता करता है।
- **व्रीज़ जलडमरूमध्य:** इतुरुप और उरुप के बीच स्थित है तथा समुद्री जल के परिसंचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **एकातेरिना जलडमरूमध्य:** दक्षिणी भाग में स्थित एक समुद्री मार्ग है, जो क्षेत्रीय जल के आदान-प्रदान में योगदान देता है।
- **कुरील जलडमरूमध्य:** द्वीप श्रृंखला के उत्तरी छोर की ओर, कामचटका प्रायद्वीप के निकट स्थित है।

लेक ओंटारियो

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अगस्त को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत अमेरिका और कनाडा के बीच साझा लेक ओंटारियो (Lake Ontario) का नाम अमेरिकी संघीय सरकारी उपयोग के लिए "लेक अमेरिका (Lake America)" करने का निर्णय लिया गया।

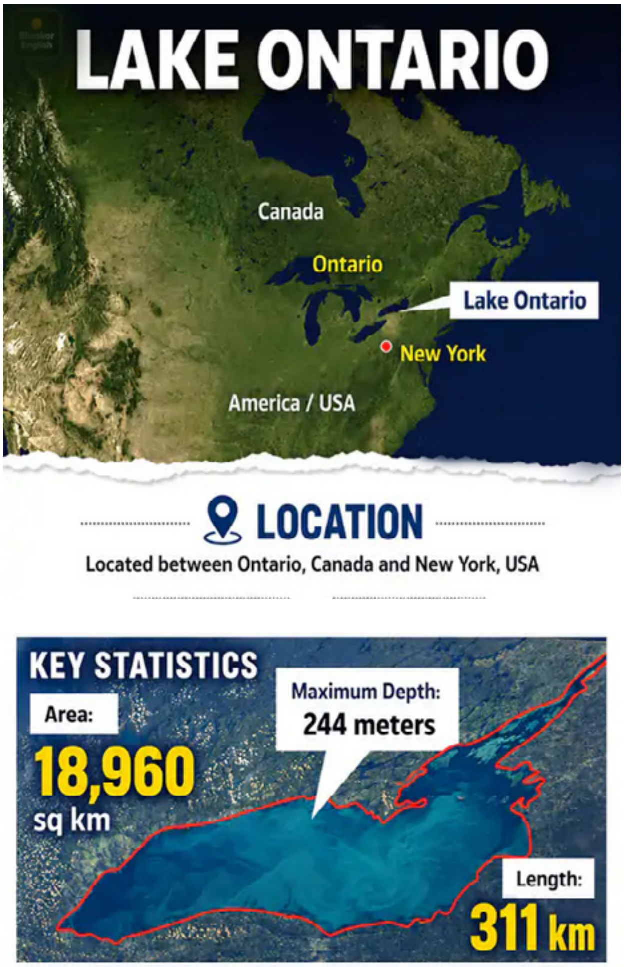
LAKE ONTARIO
Canada
Ontario
Lake Ontario
New York
America / USA
LOCATION
Located between Ontario, Canada and New York, USA
KEY STATISTICS
Area:
18,960 sq km
Maximum Depth:
244 meters
Length:
311 km

लेक ओंटारियो क्या है?

- लेक ओंटारियो उत्तरी अमेरिका की पाँच ग्रेट लेक्स (Great Lakes) में से एक है।
- यह कनाडा के ओंटारियो प्रांत और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के बीच स्थित है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से यह ग्रेट लेक्स में सबसे छोटी झील है।
- इसमें मुख्य रूप से लेक एरी से नियाग्रा नदी के माध्यम से पानी आता है।
- इसका पानी सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर में पहुँचता है।
- यह नौवहन, व्यापार और मीठे पानी की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्रेट लेक्स प्रणाली के बारे में:

- ग्रेट लेक्स आपस में जुड़ी हुई पाँच मीठे पानी की झीलों, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो की एक श्रृंखला है।
- लेक मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका के भीतर स्थित है, जबकि अन्य चार झीलें अमेरिका और कनाडा के बीच साझा हैं।
- ग्रेट लेक्स में सामूहिक रूप से दुनिया के सतही मीठे पानी का

लगभग 20% मौजूद है। ये झीलें पेयजल, कृषि, उद्योग, नौवहन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

डेन्यूब नदी

मध्य और पूर्वी यूरोप में भीषण हीटवेव्स (Heatwaves) और लंबे समय तक चले सूखे (Drought) के कारण डेन्यूब नदी हाल ही में समाचारों में रही। इन परिस्थितियों के कारण नदी का जल स्तर काफी नीचे गिर गया है।

डेन्यूब नदी के बारे में:

- डेन्यूब नदी यूरोप की वोल्गा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2,850 किमी है। यह जर्मनी से निकलकर काला सागर (Black Sea) तक बहती है।
- डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट (Black Forest) क्षेत्र में स्थित डोनाउएशिंगेन (Donaueschingen) में होता है, जहाँ ब्रिगाख (Brigach) और ब्रिग (Breg) नदियाँ मिलती हैं।
- यह नदी सामान्यतः पूर्व दिशा में बहती है और अंत में डेन्यूब डेल्टा (Danube Delta) के माध्यम से काला सागर में मिल जाती है।

भौगोलिक प्रमुख तथ्य:

  - **लंबाई:** लगभग 2,850 किमी
  - **उद्गम:** डोनाउएशिंगेन, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट क्षेत्र में
  - **बहाव की दिशा:** मुख्यतः पूर्व की ओर
  - **मुहाना:** डेन्यूब डेल्टा के माध्यम से काला सागर
  - डेन्यूब डेल्टा मुख्य रूप से रोमानिया और यूक्रेन में स्थित है।
- डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है या उनकी सीमाएँ बनाती है:
  - जर्मनी
  - ऑस्ट्रिया
  - स्लोवाकिया
  - हंगरी
  - क्रोएशिया
  - सर्बिया
  - रोमानिया
  - बुल्गारिया
  - मोल्दोवा
  - यूक्रेन

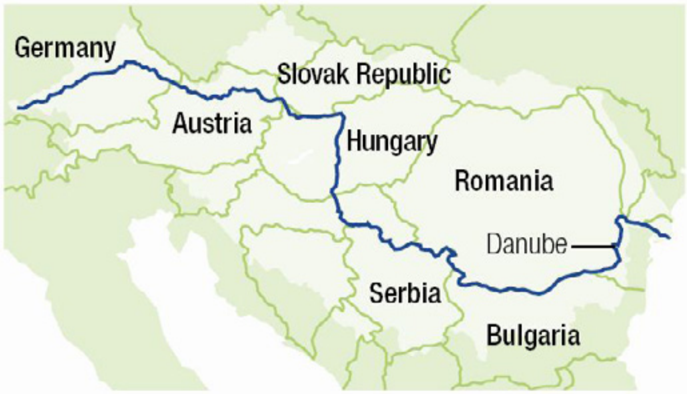

- डेन्यूब नदी चार राष्ट्रीय राजधानियों से होकर गुजरती है या उन्हें स्पर्श करती है:
  - वियना (Vienna) — ऑस्ट्रिया
  - ब्रातिस्लावा (Bratislava) — स्लोवाकिया
  - बुडापेस्ट (Budapest) — हंगरी
  - बेलग्रेड (Belgrade) — सर्बिया
- **प्रमुख सहायक नदियाँ:** डेन्यूब की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल हैं:

  - टिस़्ज़ा (Tisza)
  - सावा (Sava)
  - द्रावा (Drava)
  - इन (Inn)
  - प्रुत (Prut)
  - सिरेट (Siret)
- **महत्त्व:** डेन्यूब नदी यूरोप में कई दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह:
  - परिवहन का प्रमुख मार्ग है।
  - व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - जलविद्युत उत्पादन में उपयोगी है।
  - पेयजल का महत्वपूर्ण स्रोत है।
  - एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारा (Ecological Corridor) है।
- **डेन्यूब डेल्टा:** डेन्यूब डेल्टा एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र (Wetland Ecosystem) है। यह क्षेत्र जैव विविधता (Biodiversity) की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और महत्वपूर्ण है।

नाउरू

प्रशांत महासागर का द्वीपीय राष्ट्र नाउरु ने हाल ही में आधिकारिक रूप से अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाओएरो (Republic of Naoero) कर लिया है।

नाउरू के बारे में:

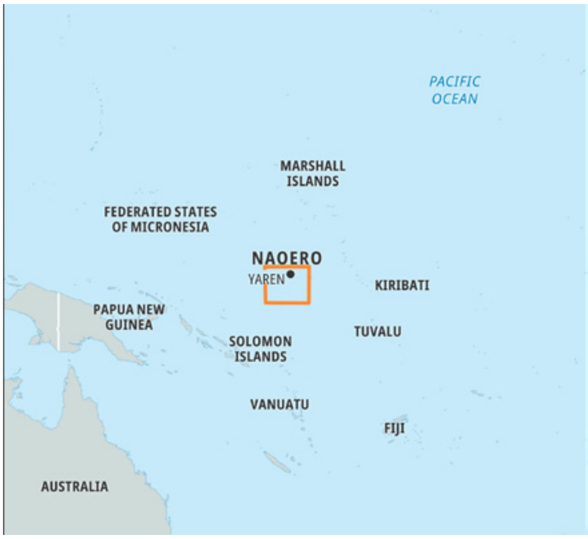
PACIFIC OCEAN
MARSHALL ISLANDS
FEDERATED STATES OF MICRONESIA
NAOERO
YAREN
KIRIBATI
PAPUA NEW GUINEA
SOLOMON ISLANDS
TUVALU
VANUATU
FIJI
AUSTRALIA

- नाउरु प्रशांत महासागर के मध्य भाग में, भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में, ओशिनिया के माइक्रोनेशिया उप-क्षेत्र में और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में स्थित है। यह एक उभरा हुआ प्रवाल एटोल (Raised Coral Atoll) है, जिसकी विशेषता मध्य भाग में फॉस्फेट का पठार और तटीय प्रवाल संरचनाएँ हैं। इसका सबसे ऊँचा स्थान कमांड रिज (Command Ridge) है, जिसकी ऊँचाई लगभग 71 मीटर है। नाउरु की कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है, जबकि यारेन (Yaren) वास्तविक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- देश में कोई प्रमुख नदी या महत्वपूर्ण प्राकृतिक मीठे पानी का स्रोत नहीं है और यह मुख्य रूप से वर्षा तथा समुद्री जल के विलवणीकरण (Desalination) पर निर्भर करता है। ऐतिहासिक रूप से, नाउरु को जर्मनी ने अपने अधिकार में ले लिया था। बाद में इसका प्रशासन अंतरराष्ट्रीय अधिदेशों के तहत किया गया और इसे 1968 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
- नाउरु की अर्थव्यवस्था कभी फॉस्फेट खनन पर अत्यधिक निर्भर थी, जिसके कारण गंभीर पर्यावरणीय क्षरण भी हुआ।
- राजनीतिक रूप से, यह एक एकात्मक संसदीय गणराज्य (Unitary Parliamentary Republic) है, जिसमें 19 सदस्यों वाली एकसदनीय संसद (Unicameral Parliament) है।

पावर पैक्ड न्यूज

हिमाचल प्रदेश की पहली ओजोन-आधारित पेयजल शोधन परियोजना

- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र के बड्डुल थोर में राज्य की पहली ओजोन-आधारित पेयजल शोधन परियोजना का अनावरण किया है। प्रदेश सरकार ने लोगों को शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना के लिए ₹46 करोड़ का बजट आवंटित किया है।
- पारंपरिक क्लोरीन के स्थान पर इस प्लांट में ओजोन गैस (O_3) का उपयोग किया जाएगा। यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के साथ-साथ उसके स्वाद और गंध को बेहतर बनाता है। देहरा में इस सफल शुरुआत के बाद, राज्य सरकार की योजना इसी आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रोजेक्ट्स को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू करने की है।

एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026

- बेल्जियम के वेव्रे स्थित बेल्फियस हॉकी एरिना में खेले गए एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल में स्पेन को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार और कुल चौथी बार (2002, 2006, 2023, 2026) विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। इस जीत के साथ जर्मनी ने पुरुष हॉकी इतिहास में सबसे ज्यादा बार विश्व कप जीतने के पाकिस्तान के रिकॉर्ड (4 खिताब) की बराबरी कर ली है।
- टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। फाइनल मुकाबला बेल्जियम के बेल्फियस हॉकी एरिना में खेला गया। फाइनल मैच का एकमात्र और विजयी गोल जर्मनी के मिशेल स्ट्रुथॉफ (Michel Struthoff) ने 44वें मिनट में दागा। अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक (तीसरा स्थान) जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस टूर्नामेंट में 8वें स्थान पर रही।
- **प्रमुख पुरस्कार:**
  - प्लेयर ऑफ द मैच (Final): क्रिस्टोफर रूर (जर्मनी)
  - बेस्ट प्लेयर और टॉप स्कोरर: टॉमस डोमेने (अर्जेंटीना)
  - बेस्ट गोलकीपर: लुइस कालजादो (स्पेन)

भारत का पहला राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स जीनोमिक्स कार्यक्रम

- गुजरात सरकार ने खेल और विज्ञान को जोड़ते हुए भारत का पहला राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स जीनोमिक्स कार्यक्रम (Sports Genomics Programme) शुरू किया है। इस अनूठी पहल का उद्देश्य खेल विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान (physiology) और पोषण (nutrition) में जीनोमिक्स को शामिल करना है।
- खिलाड़ियों के डीएनए एनालिसिस के जरिए उनकी प्राकृतिक क्षमताओं जैसे- धीरज (endurance), स्पीड और मांसपेशियों की ताकत का पता लगाया जाएगा। इससे जमीनी स्तर पर ही सही टैलेंट को पहचानना आसान होगा। हर खिलाड़ी के जेनेटिक डेटा के आधार पर उनके लिए विशेष डाइट चार्ट और ट्रेनिंग रुटीन तैयार किया जाएगा, जो पारंपरिक तौर-तरीकों से कहीं ज्यादा असरदार होगा।
- यह तकनीक यह भी बताएगी कि किस खिलाड़ी को किस तरह की चोट (जैसे मांसपेशियों में खिंचाव या फ्रैक्चर) का खतरा ज्यादा है, ताकि समय रहते बचाव किया जा सके। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और ओलंपिक खेलों में मेडल जिताने वाले एथलीट तैयार करने में एक बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 और मिशन पोर्टल

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए "उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026" और "यूपी स्टार्टअप मिशन पोर्टल" का आधिकारिक शुभारंभ किया है।
- इस नीति का मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप हब बनाना है। वर्तमान में राज्य में 24,000 से अधिक स्टार्टअप्स और 8 यूनिकॉर्न सक्रिय हैं, जिन्हें इस नीति से और मजबूती मिलेगी।
- **प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन (Financial Incentives):**
  - पात्र स्टार्टअप्स को 2 वर्ष तक ₹20,000 प्रति माह का निर्वाह भत्ता (Sustenance Allowance) दिया जाएगा।
  - आइडिया डेवलपमेंट के लिए ₹10 लाख तक की प्रोटोटाइप ग्रांट का प्रावधान है।
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और ड्रोन जैसे हाई-टेक सेक्टर्स के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ₹100 करोड़ तक की दीर्घकालिक पूंजी दी जाएगी।
  - क्लाउड सर्विसेज के उपयोग के लिए प्रति वर्ष ₹2 लाख तक की रियायत मिलेगी।
- **प्रशासनिक सुधार (Ease of Doing Business):** स्टार्टअप्स के सुगम संचालन के लिए 'यूपी स्टार्टअप मिशन' को और अधिक स्वतंत्र बनाया गया है, जिसकी कमान मुख्य सचिव (Chief Secretary) को सौंपी गई है। इसके अलावा, आईटी पार्क और डेटा सेंटर्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है।

अमरावती में बनेगा भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय

- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में भारत के पहले समर्पित क्वांटम और एआई (Quantum and AI) विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना को मंजूरी दी है। यह परियोजना भारत के डीप-टेक (Deep-tech) इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
- केंद्र सरकार (MeitY) द्वारा 100% वित्तीय सहायता के तहत 5 वर्षों में ₹730.7 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसके लिए अमरावती में 8.5 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) द्वारा स्थापित किया जाएगा। जहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI/ML), सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, चिप डिजाइनिंग और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में UG, PG और PhD कोर्सेज कराए जाएंगे। 5 वर्षों में 8,250 छात्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।
- कैंपस में स्टार्टअप्स और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1.25 लाख वर्ग फुट का क्वांटम रिसर्च, इनोवेशन और इंक्यूबेशन ब्लॉक (QRIIB) बनाया जाएगा। इसकी कक्षाएं सितंबर 2026 से गुंटूर (आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर) में शुरू होंगी।
- यह पहल भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission) और इंडिया एआई मिशन (IndiaAI Mission) को गति देने के साथ-साथ आंध्र प्रदेश को भविष्य की तकनीकों का ग्लोबल हब (Quantum Valley) बनाने में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के 12 वर्ष

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) ने 28 अगस्त 2026 को देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के अपने सफल 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत कुल खातों की संख्या अगस्त 2026 तक 59.09 करोड़ के पार पहुंच गई है।
- कुल खातों में से 55.7% (लगभग 32.92 करोड़) खाते महिलाओं के हैं, जो लैंगिक वित्तीय समानता को दर्शाता है। योजना के 77.8% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इन खातों में कुल जमा राशि ₹3.16 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। प्रति खाता औसत जमा

राशि बढ़कर ₹5,356 हो गई है, जो कि 2015 की तुलना में 3.4 गुना अधिक है। खाताधारकों को अब तक 41.29 करोड़ रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

- हाल ही में आई एक RTI रिपोर्ट के अनुसार, कुल खातों में से लगभग 23-26% खाते वर्तमान में निष्क्रिय (inoperative) हैं, जिनपर सरकार पुनः ध्यान केंद्रित कर रही है। यह योजना 'JAM ट्रिनिटी' (Jan Dhan-Aadhaar-Mobile) का आधार बनी हुई है, जिसने पारदर्शी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को संभव बनाया है।

डीआरडीओ का न्योमा-मुध पैराशूट परीक्षण

- हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने लद्दाख के न्योमा-मुध ड्रॉप जोन में अपनी स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली (MCPS) का पहला सफल परीक्षण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह ड्रॉप जोन दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोनों में से एक है।
- इस ऐतिहासिक परीक्षण के दौरान पैराट्रूपर्स ने समुद्र तल से 22,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई से सुरक्षित छलांग लगाई। इस प्रणाली (MCPS) को डीआरडीओ की आगरा स्थित प्रयोगशाला एडीआरडीई (ADRDE) द्वारा पूरी तरह भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- यह परीक्षण न्योमा के शून्य से नीचे के तापमान और बेहद कम वायुदाब (low air pressure) जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में किया गया, जो इसकी उच्च विश्वसनीयता को साबित करता है।
- न्योमा-मुध ड्रॉप जोन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के बेहद करीब स्थित है। इस सफल परीक्षण से भारतीय सेना की अत्यधिक ऊंचाई वाले (High Altitude) इलाकों में त्वरित सैन्य टुकड़ियों को एयरड्रॉप करने की क्षमता बेहद मजबूत होगी। यह प्रणाली भविष्य के विशेष अभियानों (Special Operations) में भारतीय सशस्त्र बलों को बड़ी रणनीतिक बढ़त दिलाएगी।

वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026

- मुंबई ने पहली बार इंटरनेशनल वर्कप्लेस ग्रुप (IWG) के 'वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026' में जगह बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वैश्विक सूची में शामिल होने वाला मुंबई एकमात्र भारतीय शहर बन गया है। इस इंडेक्स के चौथे संस्करण में मुंबई ने 77 का स्कोर हासिल कर 50वां स्थान प्राप्त किया है, जो इसे लंदन और मियामी जैसे प्रमुख शहरों से भी आगे रखता है।
- इस सूची में बैंकॉक (थाईलैंड) पहले स्थान पर, टोक्यो (जापान) दूसरे और बार्सिलोना (स्पेन) तीसरे स्थान पर है। यह इंडेक्स दुनिया भर के उन शहरों का मूल्यांकन करता है जो 'वर्ककेशन' (काम के साथ यात्रा) करने वाले डिजिटल नोमैड्स और रिमोट प्रोफेशनल्स के लिए सबसे अनुकूल हैं।
- मुंबई को किफायती परिवहन लागत, फ्लेक्सिबल को-वर्किंग स्पेस की बेहतर उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के लिए उच्च अंक मिले हैं। ब्रॉडबैंड स्पीड, स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों और हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में शहर का स्कोर थोड़ा कम रहा है। यह रैंकिंग दर्शाती है कि भारत में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जो वैश्विक पेशेवरों को आकर्षित कर रहा है।

ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट

- अगस्त 2026 में, अमेरिकी सरकार ने ईरान के खिलाफ 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' (Operation Economic Outcast) नाम से एक नया और सख्त वैश्विक प्रतिबंध अभियान शुरू किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) ने इसकी घोषणा की, जिसे उन्होंने ईरान के लिए एक 'इकोनॉमिक डी-डे' (Economic D-Day) कहा है।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ईरान के पूरे आर्थिक नेटवर्क को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से पूरी तरह अलग-थलग करना है, ताकि वह अपनी आय के सभी प्रमुख स्रोतों से वंचित हो जाए। अमेरिका के अनुसार, ईरान इस राजस्व का उपयोग अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रॉक्सी

समूहों की फंडिंग के लिए करता है।

- इस रणनीति के तहत ईरान के पांच नए क्षेत्रों, डिजिटल परिसंपत्तियाँ (Crypto), प्रौद्योगिकी, सोना, विमानन और नौवहन (Shipping) पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका के साथ अब यूरोपीय संघ (EU) भी इस अभियान में शामिल हो गया है।
- इसके अलावा, अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को कड़ी चेतावनी दी है कि ईरान के शैडो बैंकिंग नेटवर्क की मदद करने पर उन्हें अमेरिकी डॉलर प्रणाली से बाहर कर दिया जाएगा। यह कदम वैश्विक भू-राजनीति और तेल बाज़ारों को गहराई से प्रभावित कर रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का पहला महिला कमांडो कोर्स

- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) ने महिलाओं को आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। NSG ने हरियाणा के मानेसर स्थित अपनी प्रशिक्षण अकादमी में देश का पहला महिला कमांडो रूपांतरण पाठ्यक्रम (MCCC) शुरू किया है। इस कोर्स का आधिकारिक आदर्श वाक्य "She Who Dares, Leads" रखा गया है।
- यह 12 सप्ताह का एक बेहद कठिन आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो 24 अगस्त 2026 से 14 नवंबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है। इस पहले बैच में विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की महिला कर्मियों को शामिल किया गया है, जिसमें राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी (RAC) की 25 महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं।
- इस कोर्स के तहत महिला योद्धाओं को अत्याधुनिक हथियारों के संचालन, सटीक निशानेबाजी (मार्क्समैनशिप), बंधक बचाव (होस्टेज रेस्क्यू) और रणनीतिक हस्तक्षेप जैसी उच्च स्तरीय कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जा रही है।
- यह कदम न केवल रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समावेशन (Gender Inclusion) को बढ़ावा देता है, बल्कि देश की 'नारी शक्ति' को सबसे चुनौतीपूर्ण सुरक्षा मोर्चों पर नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाता है। प्रशिक्षण के बाद ये कमांडो अपने मूल बलों में लौटकर 'फोर्स मल्टीप्लायर' के रूप में काम करेंगी।

भारत का पहला मृदा संरचना मानचित्र

- राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो (NBSS&LUP) द्वारा जारी किया गया, यह पहला मृदा संरचना मानचित्र (Soil Texture Map) भारतीय कृषि और भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।
- यह मानचित्र हेक्टेयर के आधार पर मिट्टी की बनावट (मृदा संरचना) की डिजिटल जानकारी प्रदान करता है, जिससे देश भर की मिट्टी की विस्तृत भौतिक अंतर्दृष्टि (Physical Insights) मिलती है। इस डेटा की मदद से किसान अपनी जमीन की मिट्टी के प्रकार के अनुसार सही फसल, खाद और पोषक तत्वों का चयन कर सकेंगे, जिससे लागत कम होगी और पैदावार बढ़ेगी।
- मिट्टी की जल धारण क्षमता (Water Retention) को समझकर सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है, जो पानी की बर्बादी को रोकेगा। यह सरकार को मृदा क्षरण (Soil Erosion) रोकने, बंजर भूमि को सुधारने और राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सटीक नीतियां बनाने में मदद करेगा। यह तकनीकी पहल भारतीय कृषि को अधिक वैज्ञानिक, टिकाऊ और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति

- हाल ही में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के वरिष्ठ नेता मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर को बांग्लादेश का 23वां राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने बांग्लादेश की संसद (जातीय संसद) में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कुल 343 मतों में से 255 वोट हासिल करके शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद को हराया, जिन्हें केवल 88 वोट मिले थे।
- बांग्लादेश के इतिहास में 35 वर्षों (1991 के बाद) में यह पहला मौका था जब राष्ट्रपति पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवारों के बीच सीधा

मुकाबला हुआ। इससे पहले पिछले कुछ दशकों में राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर सर्वसम्मति से या निर्विरोध होता आ रहा था। 78 वर्षीय मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर ने 21 अगस्त 2026 को ढाका के बंगभवन (राष्ट्रपति भवन) के दरबार हॉल में आधिकारिक तौर पर पद की शपथ ली।

- यह चुनाव पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद आयोजित किया गया था। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान हैं, और मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर देश के नए संवैधानिक प्रमुख (राष्ट्रपति) के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र पदक (UN Medal)

- दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMISS) में सेवारत 210 भारतीय शांति सैनिकों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक (UN Medal) से सम्मानित किया गया है। यह पदक समारोह दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में आयोजित किया गया। इस सम्मानित दल में छह महिला शांति सैनिक और सात स्टाफ अधिकारी भी शामिल हैं, जो शांति अभियानों में भारत के बढ़ते महिला नेतृत्व को प्रदर्शित करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने इस मौके पर भारतीय शांति सैनिकों (Blue Helmets) के अभूतपूर्व योगदान की जमकर सराहना की। मुश्किल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हुए इन सैनिकों ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया, बल्कि संकट के समय जीवन रक्षक और चिकित्सा सहायता (Medical Assistance) प्रदान कर मानवता की मिसाल पेश की है।
- वर्तमान में, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सैन्य और पुलिस कर्मियों का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। दक्षिण सूडान (UNMISS) मिशन में भारत के 1,700 से अधिक सैनिक तैनात हैं, जो वहां शांति और स्थिरता बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिबद्धता और सैन्य अनुशासन के प्रति दुनिया के भरोसे को एक बार फिर मजबूत करता है।

सरला पुरस्कार 2026

- प्रख्यात ओडिया कवि, निबंधकार और पूर्व वैज्ञानिक डॉ. आशुतोष परिदा को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित 'सरला पुरस्कार' (47वें संस्करण) से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उन्हें यह सम्मान उनके साल 2024 में प्रकाशित कविता संग्रह 'विश्वास दे पृथ्वी' (Bishwas De Pruthwi) के लिए दिया जा रहा है।
- विजेता को ₹7 लाख का नकद इनाम, एक प्रशस्ति पत्र और एक ताम्र पट्टिका प्रदान की जाएगी। यह सम्मान 25 अक्टूबर 2026 को भुवनेश्वर में एक विशेष समारोह के दौरान दिया जाएगा। सरला पुरस्कार की स्थापना 1980 में ओडिया उद्योगपति डॉ. बंशीधर पंडा और इला पंडा द्वारा की गई थी। इसे IMPaCT (इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट) द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025

- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 18 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं की आधिकारिक घोषणा की। इस बार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर पुरस्कारों की सूची तैयार की गई है।
- खेल में पिछले चार वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इनमें मुख्य नाम तेजस्विन शंकर (एथलेटिक्स), विदित गुजराती और दिव्या देशमुख (शतरंज), और त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद (बैडमिंटन) हैं। इसके अलावा आई. अरुमैनायगम (फुटबॉल) को अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम) से सम्मानित किया गया।
- उत्कृष्ट कोचों के लिए नियमित श्रेणी में परवीर सिंह (एथलेटिक्स), छोटे लाल यादव (मुक्केबाज़ी), और नेहा नंदकुमार चव्हाण (शूटिंग) को

चुना गया। वहीं लाइफटाइम श्रेणी में धर्मेंद्र सिंह यादव (मुक्केबाज़ी) और वीरेंद्र कुमार (कुश्ती) को यह सम्मान मिला।

- वर्ष 2014 के बाद यह पहला मौका है जब देश के सर्वोच्च खेल सम्मान 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार' के लिए किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं किया गया है। खेल विकास के लिए आर्मी पैरालंपिक नोड (APN), पुणे को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 दिया गया।

भारत-अमेरिकी नौसेना का 8वां EOD अभ्यास 2026

- भारत-अमेरिकी नौसेना के विस्फोटक आयुध निपटान (EOD) अभ्यास का 8वां संस्करण 14 अगस्त, 2026 को संपन्न हुआ। यह अभ्यास कोच्चि, भारत में दक्षिणी नौसेना कमान के तहत आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच विस्फोटक आयुध निपटान और समुद्री बचाव अभियानों में अंतर-संचालनीयता (Interoperability) और आपसी तालमेल को बढ़ाना था।
- अभ्यास के दौरान भारतीय और अमेरिकी नौसेना कर्मियों ने IED से निपटने, माइन न्यूट्रलाइजेशन (Mine Neutralisation) और मानवरहित पानी के नीचे की प्रणालियों (Unmanned Underwater Systems) के उपयोग पर विशेष ज्ञान साझा किया। इसके अलावा गोताखोर टीमों ने मलबे की खोज, साल्वेज ऑपरेशन और स्लिदरिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया।
- दोनों मित्र देशों के बीच इस द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। यह अभ्यास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इम्पेटिएंस निम्सपुरजाई

- हाल ही में हिमालयी क्षेत्र के एक नए विशिष्ट पौधे को विश्व प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल "निम्सदाई" पुरजा को सम्मानित करने के उद्देश्य से इम्पेटिएंस निम्सपुरजाई (Impatiens nimspurjae) नाम दिया गया। यह पौधा बाल्सामिनेसी (Balsaminaceae) परिवार से संबंधित है, जिसे सामान्य भाषा में 'गुलमेहंदी' या 'टच-मी-नॉट' परिवार भी कहा जाता है।
- इसके नमूने सबसे पहले नेपाल के म्याग्दी जिले से एकत्र किए गए थे। शोधकर्ताओं द्वारा गहन अध्ययन के बाद इसे एक नई प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई। यह मुख्य रूप से पश्चिमी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में 2,800 से 2,900 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह नम ढलानों और समशीतोष्ण वनों (temperate forests) के किनारों पर उगता है। यह एक वार्षिक जड़ी-बूटी (annual herb) है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक होती है। इसके फूल आकर्षक सफेद, पीले और बैंगनी रंग के मिश्रण वाले होते हैं।
- निर्मल पुरजा ने बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के सबसे तेजी से दुनिया की सभी 14 आठ-हजारी चोटियों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया था। पर्यावरण और पर्वतारोहण में उनके अविश्वसनीय योगदान को याद रखने के लिए इस हिमालयी फूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जो जैव विविधता (biodiversity) और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

तीस्ता बैराज परियोजना के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन

- भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी के बढ़ते रणनीतिक महत्व को देखते हुए तीस्ता बैराज परियोजना (TBP) के पुनरुद्धार और प्रबंधन के लिए 12-सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अध्यक्ष कर रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है।
- यह समिति तीस्ता नदी बेसिन में पानी की उपलब्धता, वर्तमान उपयोग और भविष्य की मांग का आकलन करेगी। इसके साथ ही, बैराज के

बुनियादी ढांचे की स्थिति, नदी में गाद (siltation) की समस्या, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा।

- यह कदम बेहद संवेदनशील है क्योंकि चीन और बांग्लादेश मिलकर तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन (TRCMRP) पर काम कर रहे हैं। यह क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के करीब है। भारत इस समिति के जरिए अपने जल संसाधनों को मजबूत कर इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को सुरक्षित करना चाहता है।

पुलिस एवं अन्य सेवाओं के कर्मियों को वीरता और सेवा पदक

- स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधारात्मक सेवाओं के कुल 1,057 कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदकों से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कर्तव्य के प्रति साहस, समर्पण और उत्कृष्ट सेवा को मान्यता प्रदान करता है।
- 272 पुलिसकर्मियों और 29 अग्निशमन कर्मियों सहित कुल 301 वीरता पदक से कर्मियों को उनके असाधारण साहस के लिए सम्मानित किया गया। इन वीरता पदकों में 197 पदक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, 51 जम्मू-कश्मीर, 12 पूर्वोत्तर तथा 41 अन्य क्षेत्रों में साहसिक कार्य करने वाले कर्मियों को प्रदान किए गए। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है।
- 92 राष्ट्रपति पदक (PSM) उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड वाले कर्मियों को प्रदान किए गए। इनमें 83 पुलिस, 4 अग्निशमन, 3 नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड तथा 2 सुधारात्मक सेवा कर्मी शामिल हैं। जबकि 664 सराहनीय सेवा पदक (MSM) कर्तव्य के प्रति समर्पण और सूझबूझ से की गई उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किए गए। इनमें 606 पुलिस, 28 अग्निशमन, 18 नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड तथा 12 सुधारात्मक सेवा कर्मी शामिल हैं।
- विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक ऐसे कर्मियों को प्रदान किया जाता है, जिनका सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट रहा हो। सराहनीय सेवा पदक (एमएसएम) कर्तव्य के प्रति समर्पण और सूझबूझ से की गई बहुमूल्य सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन

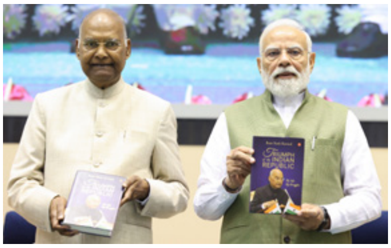

- 12 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की आत्मकथा " भारतीय गणराज्य की विजय: मेरा जीवन, मेरा संघर्ष " ("Triumph of the Indian Republic: My Life, My Struggles ") का विमोचन किया। इस पुस्तक को रुपा पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- यह आत्मकथा श्री कोविंद के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव परौंख से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद (राष्ट्रपति) तक पहुँचने के प्रेरणादायक सफर को दर्शाती है। इसमें उनके बचपन के संघर्षों, राज्यसभा सांसद और बिहार के राज्यपाल के रुप में उनकी सार्वजनिक सेवाओं, और राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कोविड-19 महामारी जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के अनुभवों का विस्तृत विवरण है।
- पुस्तक विमोचन के अवसर पर पीएम मोदी ने इसे भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक बताया, जो यह साबित करती है कि एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी देश के शीर्ष पद पर पहुँच सकता है। यह पुस्तक युवाओं के लिए राष्ट्र-निर्माण और आत्म-विकास की दिशा में एक बड़ा प्रेरणा स्रोत है।

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024-25

- 13 अगस्त 2026 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वर्ष 2024 और 2025 के लिए देश के प्रतिष्ठित

'संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार' प्रदान किए। यह सम्मान भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाली स्वायत्त संस्था द्वारा प्रदर्शन कला (संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला) के क्षेत्र में दिया जाता है।

  - **अकादमी रत्न (फैलोशिप):** यह अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है, जो एक समय में केवल 40 जीवित व्यक्तियों तक सीमित रहता है। इस बार 7 विभूतियों को फैलोशिप दी गई, जिनमें रामलाल बारेथ (कथक), रीता गांगुली और सुधारानी रघुपति जैसे दिग्गज शामिल हैं। इसके तहत ₹3 लाख की नकद राशि दी जाती है।
  - **अकादमी पुरस्कार:** वर्ष 2024 और 2025 के चक्रों को मिलाकर कुल 108 कलाकारों को इस मुख्य पुरस्कार से नवाजा गया। विजेताओं को ₹1 लाख की नकद राशि और ताम्रपत्र दिया गया।
  - **उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार:** उभरते हुए 106 युवा कलाकारों को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिसके तहत ₹25,000 की राशि दी जाती है।
- यह पुरस्कार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कला रुपों को बढ़ावा देने और उन्हें जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

चारागाहों के सामुदायिक पुनर्स्थापन पर भारत का जोर

- मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित UNCCD COP17 में भारत ने चारागाहों के सामुदायिक नेतृत्व और विज्ञान-आधारित पुनर्स्थापन पर जोर दिया। भारत ने पशुपालकों को केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि चारागाहों के संरक्षक (Custodians) के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता बताई।
- चारागाहों में घासभूमि, झाड़ीभूमि, सवाना और खुले वन क्षेत्र शामिल हैं। ये पशुपालकों की आजीविका, जैव विविधता, कार्बन भंडारण, मृदा स्वास्थ्य और जल विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में थार मरुस्थल, कच्छ, हिमालयी चरागाह और मध्य भारतीय सवाना इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
- भारत ने चारागाह पुनर्स्थापन के लिए भूदृश्य प्रबंधन, जलसंभर विकास, टिकाऊ चराई, चारा विकास और आजीविका सहायता को एकीकृत करने की बात कही। साथ ही, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने और समुदायों के भूमि एवं चराई अधिकारों को सुरक्षित करने पर बल दिया गया। राजस्थान के ओरान (पवित्र उपवन) सामुदायिक संरक्षण की ऐसी ही पारंपरिक व्यवस्था का उदाहरण हैं।
- **UNCCD COP17:** COP17 का आयोजन 17–28 अगस्त 2026 को हुआ। इसका विषय "भूमि का पुनर्स्थापन, आशा का पुनर्स्थापन" था। वर्ष 2026 को चारागाहों एवं पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है।

प्रोफेसर दीपक धर को 'डिराक मेडल'

DIRAC MEDAL

- 8 अगस्त, 2026 को इटली के ट्राइस्टे में स्थित अब्दस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स (ICTP) ने साल 2026 के प्रतिष्ठित डिराक मेडल (Dirac Medal) की घोषणा की। इस वर्ष यह सम्मान प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर को दिया गया है। उनके साथ फ्रांस के बर्नार्ड डेरिडा को भी संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- प्रोफेसर दीपक धर को यह पुरस्कार सैद्धांतिक भौतिकी (Theoretical Physics) और विशेषकर सांख्यिकीय भौतिकी (Statistical Physics) में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने 'स्टोकेस्टिक प्रोसेस' और 'फ्रैक्चरल डायनेमिक्स' के क्षेत्र में अभूतपूर्व रिसर्च की है।
- प्रोफेसर धर इससे पहले साल 2022 में बोल्ट्ज़मैन मेडल (Boltzmann Medal) जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। अब डिराक मेडल पाकर उन्होंने वैश्विक पटल पर भारत का नाम दोबारा

रोशन किया है। डिराक मेडल सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। इसकी शुरुआत महान भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक की याद में की गई थी।

11 नए अंतरराष्ट्रीय प्रवेश बंदरगाह ई-वीज़ा (e-Visa) के तहत अधिसूचित

- भारत सरकार ने अगस्त 2026 में विदेशी पर्यटकों के लिए 11 नए अंतरराष्ट्रीय प्रवेश बंदरगाहों (Entry Ports) को ई-वीज़ा (e-Visa) के तहत अधिसूचित किया है। इस बड़े फैसले के बाद अब देश में वैध ई-वीज़ा के जरिए प्रवेश करने वाले कुल अधिकृत चेकपॉइंट्स की संख्या 77 से बढ़कर 88 हो गई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा प्रणाली तक पहुंच को और आसान बनाना है।
- गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जोड़े गए 11 नए प्रवेश बिंदुओं में 9 भूमि बंदरगाह (Land Ports) और 2 हवाई अड्डे (Airports) शामिल हैं:
  - **हवाई अड्डे:** भोपाल (मध्य प्रदेश) और तिरुपति (आंध्र प्रदेश)।
  - **भूमि बंदरगाह:** अटारी (पंजाब), अगरतला (त्रिपुरा), डावकी (मेघालय), मोरेह (मणिपुर), दरंगा (असम) और पश्चिम बंगाल के चार क्षेत्र—गेडे, घोजाडांगा, हरिदासपुर और जयगांव।
- अब विदेशी नागरिक भारत के कुल 37 हवाई अड्डों, 38 समुद्री बंदरगाहों और 13 भूमि बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। यह सुविधा वर्तमान में 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें पर्यटन, व्यवसाय और चिकित्सा सहित 17 उप-श्रेणियां शामिल हैं। वर्तमान में 95% ई-वीज़ा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंज़ूरी दे दी जाती है। भारत आने वाले कुल विदेशियों में से लगभग 78% लोग ई-वीज़ा का ही उपयोग करते हैं।

नए वाहनों की बीमा अवधि में बदलाव

- सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और बिना बीमा वाले वाहनों की संख्या को कम करने के लिए नए वाहनों के लिए अनिवार्य तृतीय-पक्ष (Third-Party) बीमा की अवधि को एक वर्ष बढ़ा दिया है।
- कोर्ट के इस फैसले के बाद अब नई कार के लिए 4 वर्ष और नई बाइक खरीदने वालों को 6 वर्ष की अवधि का बीमा कवर एक साथ लेना होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि कड़े नियमों के बावजूद देश की सड़कों पर करीब 56% वाहन बिना वैध बीमा के उपयोग में हैं। दुर्घटना की स्थिति में बिना बीमा वाले वाहनों के कारण पीड़ितों और उनके परिवारों को समय पर उचित मुआवजा मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
- इसके अलावा कोर्ट ने बिना बीमा वाली गाड़ियों पर लगाम कसने के लिए पेट्रोल पंपों पर "नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल" (बीमा नहीं, तो ईंधन नहीं) जैसी व्यवस्था लागू करने का भी सुझाव दिया है।

कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक 2026

Vikram Sarabhai Medal

- भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक 2026 (COSPAR Vikram Sarabhai Medal) से सम्मानित किया गया है। वे यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक और कुल मिलाकर चौथी भारतीय हैं।
- उनसे पहले यह पदक प्रो. यू.आर. राव, डॉ. के. कस्तूरीरंगन और प्रो. ए.पी. मित्रा को मिल चुका है। यह घोषणा अगस्त में इटली के फ्लोरेंस में आयोजित 46वीं कॉस्पर वैज्ञानिक

सभा में की गई।

- प्रोफेसर सुब्रमण्यम भारतीय ताराभौतिकी संस्थान (IIA) की पूर्व निदेशक रही हैं। उन्हें यह पुरस्कार भारत के पहले समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान मिशन, एस्ट्रोसैट (AstroSat) पर लगे अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (UVIT) के विकास में उनके उल्लेखनीय नेतृत्व और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया गया है। उनके इस शोध ने तारों के समूहों (Star Clusters) और आकाशगंगाओं की संरचना को समझने में वैश्विक स्तर पर मदद की है।

नाओएरो गणराज्य(Republic of Naoero)

- प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) में स्थित दुनिया के सबसे छोटे द्वीप राष्ट्रों में से एक नौरु (Nauru) द्वीप ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर नाओएरो गणराज्य (Republic of Naoero) कर लिया
- नाओएरो गणराज्य के राष्ट्रपति डेविड अदेआंग ने इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि पुराना नाम यूरोपीय औपनिवेशिक प्रभाव की देन था। नया नाम अब स्थानीय नौरु भाषा की सही वर्तनी और वास्तविक उच्चारण के बिल्कुल अनुरुप है। इस सांस्कृतिक बदलाव के तहत कई महत्वपूर्ण तकनीकी और प्रशासनिक परिवर्तन भी किए गए हैं:
- देश का अंतर्राष्ट्रीय थ्री-लेटर कंट्री कोड 'NRU' से बदलकर 'NRO' कर दिया गया है।
- यहां के नागरिकों की राष्ट्रीय पहचान को अब 'नौरुअन' के बजाय 'देई-नाओएरो' (dei-Naoero) कहा जाएगा।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) सहित वैश्विक संगठनों ने इस बदलाव को मान्यता दे दी है। यह कदम वैश्विक मंच पर अपनी सांस्कृतिक संप्रभुता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

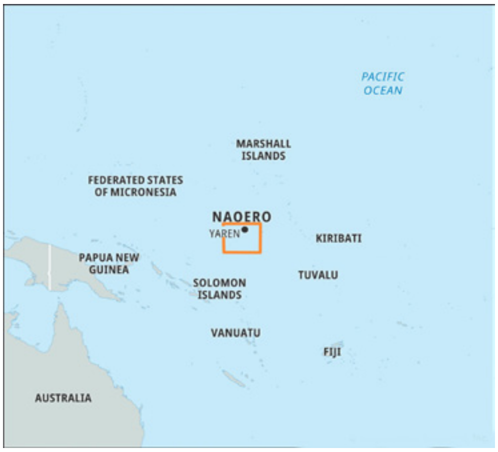

ग्लॉ झील भारत की 101वीं रामसर साइट

- अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ झील (Glaw Lake) को 3 अगस्त 2026 को भारत की 101वीं रामसर साइट घोषित किया गया। यह अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है। यह मीठे पानी की झील अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में कमलांग टाइगर रिज़र्व और वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है।
- यह क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है, जहां पेड़ों की 150 से अधिक प्रजातियां और ऑर्किड की 49 प्रजातियां पाई जाती हैं। स्थानीय मिश्मी (Mishmi) समुदाय के लोग इस झील को बेहद पवित्र मानते हैं। इस नई घोषणा के साथ ही भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों (Wetlands) की कुल संख्या 101 हो गई है। साल 2014 में देश में केवल 26 रामसर साइट्स थीं।
- **रामसर कन्वेंशन:**
  - यह आर्द्रभूमियों (wetlands) के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ग्लॉ झील को यह दर्जा मिलने से इसके वैश्विक संरक्षण और पर्यावरण-पर्यटन (Eco-tourism) को बढ़ावा मिलेगा।

केरल का नाम बदलकर 'केरलम' हुआ

- हाल ही में संसद ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी, जिसके तहत राज्य का आधिकारिक नाम 'केरल' से बदलकर

'केरलम' किया गया। 'केरलम' मलयालम भाषा में राज्य का पारंपरिक नाम है। बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति और केंद्र की अधिसूचना के साथ यह परिवर्तन प्रभावी हो गया।

- केरल विधानसभा ने जून 2024 में सर्वसम्मति से राज्य का नाम 'केरलम' करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2026 में नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद संसद ने विधेयक पारित किया।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
    - अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार देता है।
    - ऐसे विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है।
    - राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा से उसके विचार प्राप्त करते हैं। हालांकि, राज्य की राय संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती।
    - नाम परिवर्तन के लिए संविधान की पहली अनुसूची में आवश्यक संशोधन किया जाता है।
- 'केरलम' नाम को अपनाना राज्य की मलयालम भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक मान्यता देता है। यह भारत में स्थानीय भाषाई और ऐतिहासिक पहचान के अनुरूप राज्यों के नामों में परिवर्तन की प्रवृत्ति का भी उदाहरण है। यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भाषाई पहचान, सांस्कृतिक विरासत और संघीय संवेदनशीलता से जुड़ा महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है।

भारतीय सेना का नया 'एक्सट्रीम वेदर ग्रेड' (XWG) डीजल

- भारतीय सेना ने हाल ही में स्वदेशी तकनीक से निर्मित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड (XWG) डीजल ईंधन का अनावरण किया। यह कदम देश की रक्षा तैयारियों और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को एक बड़ी मजबूती प्रदान करता है।
- यह XWG विशेष डीजल -42°C तक के बेहद कम तापमान में भी तरल (liquid) बना रहता है। लद्दाख, सियाचिन और कारगिल जैसे अत्यधिक ठंडे और ऊंचाई वाले इलाकों में यह वाहनों को आसानी से स्टार्ट करने में मदद करेगा। यह ईंधन पूरी तरह से BS-VI मानकों और IS 1460:2025 की विशिष्टताओं के अनुरुप है। सेना को इसे इस्तेमाल करने के लिए अपने मौजूदा वाहनों के इंजन में कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा।
- इसे भारतीय सेना और देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (जैसे IOCL/BPCL) ने मिलकर तैयार किया है। यह इंजन के 'इडलिंग टाइम' को कम करके ईंधन की बचत करेगा और कार्बन उत्सर्जन भी घटाएगा।
- लॉजिस्टिक्स के मामले में यह सेना के लिए एक गेम-चेंजर है। इससे न केवल विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि दुर्गम सीमावर्ती इलाकों में आपातकालीन अभियानों के दौरान सेना की परिचालन क्षमता (Operational Readiness) कई गुना बढ़ जाएगी।

प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY)

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी दी है। इस योजना का कुल बजट 5,070 करोड़ रुपये तय किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में 5,000 मेगावाट (5 GW) की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक (Floating Solar PV) परियोजनाओं को स्थापित करना है, जिन्हें ऊर्जा भंडारण सिस्टम (ESS) के साथ एकीकृत (integrate) किया जाएगा।
- ग्रिड की स्थिरता के लिए इन परियोजनाओं के साथ कम से कम दो घंटे की बैकअप क्षमता वाले यानी 10,000 मेगावाट-घंटे (10,000 MWh) के बैटरी स्टोरेज सिस्टम जोड़ना अनिवार्य होगा। इन प्रोजेक्ट्स को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच मंजूरी दी जाएगी, जबकि वित्तीय सहायता का वितरण 2032-33 तक चलेगा।
- सरकार पात्र परियोजनाओं को 1 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। साथ ही, प्रति प्रोजेक्ट 50 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी।

- यह योजना जलाशयों और झीलों पर तैरते सोलर पैनलों के जरिए भूमि की बचत करेगी, पानी का वाष्पीकरण रोकेगी और पानी की ठंडक के कारण सोलर पैनलों की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी।

अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन

- 1 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (ASR International Airport) का उद्घाटन किया। यह 2014 में राज्य के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
- इस अत्याधुनिक हवाई अड्डे को GMR ग्रुप द्वारा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत ₹5,640 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। पहले चरण में इसकी सालाना क्षमता 60 लाख (6 मिलियन) यात्रियों को संभालने की है, जिसे भविष्य में 4 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह हवाई अड्डा पूरी तरह AI-बेस्ड सिस्टम, बायोमेट्रिक प्रोसेसिंग और स्मार्ट सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसका टर्मिनल डिजाइन आंध्र प्रदेश की 'चुट्टिलू कॉटेज' और अराकू वैली से प्रेरित है। हवाई अड्डे से व्यावसायिक उड़ानें 17 अगस्त 2026 से शुरू की गईं।

नया रियल-टाइम नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट पोर्टल: NOTTO का डिजिटल सुधार

- हाल ही में राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने अंग प्रत्यारोपण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और समानतापूर्ण बनाने के लिए रियल-टाइम राष्ट्रीय पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
- पोर्टल देशभर में अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे मरीजों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा। अंगों के आवंटन और उनकी स्थिति की रियल-टाइम निगरानी संभव होगी। गंभीर स्थिति वाले मरीजों के लिए 'सुपर अर्जेंट' अनुरोध दर्ज करने की सुविधा होगी।
- देशभर में स्वैप डोनर मैचिंग को सुगम बनाया जाएगा। प्रत्यारोपण के बाद मरीजों के स्वास्थ्य परिणामों का राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड रखा जाएगा। आधार-लिंक्ड अंगदान प्रतिज्ञा की सुविधा से दाता की सहमति को डिजिटल रूप से दर्ज किया जा सकेगा।
- यह पहल विभिन्न अस्पतालों और राज्यों में बिखरे डेटा को एक साझा डिजिटल मंच पर लाकर अंग आवंटन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता बढ़ा सकती है। इससे उपलब्ध अंगों के बेहतर उपयोग तथा मरीजों को समय पर प्रत्यारोपण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
- वर्ष 2025 में भारत में रिकॉर्ड 20,138 अंग प्रत्यारोपण हुए, जो 2013 के 4,990 प्रत्यारोपणों की तुलना में लगभग चार गुना हैं। इसके बावजूद अंगों की मांग और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। रियल-टाइम डिजिटल व्यवस्था तकनीकी सुधार के साथ-साथ निष्पक्ष अंग आवंटन, बेहतर समन्वय और जनविश्वास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

गुजरात की 'पिथोरा पेंटिंग' को मिला GI टैग

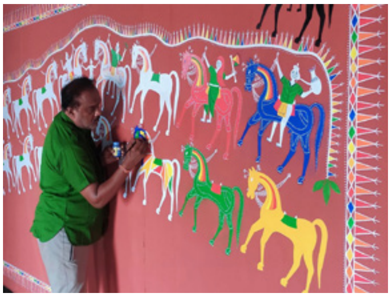

- गुजरात की राठवा जनजाति की सदियों पुरानी पारंपरिक भित्ति चित्रकारी (Wall Painting) शैली, पिथोरा पेंटिंग (Pithora Painting) को भौगोलिक संकेत (GI Tag) प्रदान किया गया है। यह कदम भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत और कला रूपों के संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।
- यह मुख्य रूप से गुजरात के छोटा उदयपुर और पंचमहल जिलों की राठवा (Rathwa) जनजाति द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा भील और भीलाला समुदाय के लोग भी इसे बनाते हैं।
- पिथोरा केवल एक सजावटी कला नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठानिक पेंटिंग है। इसे घर की मुख्य दीवारों पर जनजातीय देवता 'बाबा पिथोरा' (Pithora Dev) को प्रसन्न करने और घर में

सुख-समृद्धि लाने के लिए बनाया जाता है। इन चित्रों में घोड़े को मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति, जीव-जंतु और आदिवासियों के दैनिक जीवन को जीवंत रंगों में दर्शाया जाता है। इस पेंटिंग को बनाने वाले पारंपरिक कलाकारों को 'लखारा' (Lakhara) कहा जाता है।

- जीआई टैग मिलने से इस प्राचीन कला को वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। इससे नकली उत्पादों पर रोक लगेगी, कला की प्रामाणिकता सुरक्षित होगी और स्थानीय आदिवासी कलाकारों को बेहतर रोजगार व आर्थिक लाभ मिलेगा।

मैनुअल स्कैवेंजिंग पर राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण

- केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी कि हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत किए गए नए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में देश में कोई मैनुअल स्कैवेंजर नहीं पाया गया। हालांकि, NAMASTE योजना के तहत 89,915 सीवर एवं सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSWs) का सत्यापन किया गया है।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग में सूखे शौचालयों, सीवर, सेप्टिक टैंक आदि से मानव मल को हाथ से साफ करना, उठाना या ढोना शामिल है। यह अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) तथा अनुच्छेद 21 (गरिमा के साथ जीवन) की भावना के विरुद्ध है। 2013 का कानून मैनुअल स्कैवेंजिंग तथा सीवर/सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई पर प्रतिबंध लगाता है।
- नमस्ते (NAMASTE- National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem) योजना का उद्देश्य स्वच्छता कार्यों का मशीनीकरण, श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सहायता सुनिश्चित करना है। इसके तहत PPE किट, सुरक्षा प्रशिक्षण, आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ERSUs) के उपकरण तथा मशीनीकृत सफाई उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- सर्वेक्षण सकारात्मक संकेत देता है, लेकिन सीवर दुर्घटनाओं और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की चुनौतियाँ बताती हैं कि केवल कानूनी प्रतिबंध पर्याप्त नहीं हैं। सार्वभौमिक मशीनीकरण, प्रभावी पुनर्वास, तकनीकी नवाचार और सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन ही मैनुअल स्कैवेंजिंग के वास्तविक अंत का आधार बन सकते हैं।

राष्ट्रमंडल खेल 2026

- राष्ट्रमंडल खेल 2026 (23वां संस्करण) का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो, स्कॉटलैंड में संपन्न हुआ। इस बार फिनी द यूनिकॉर्न (Finni the Unicorn) शुभंकर (Mascot) था। बजट में कटौती के कारण इस बार केवल 10 मुख्य खेल और 6 पैरा खेल शामिल किए गए थे।
- इसके कारण हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, निशानेबाजी और क्रिकेट जैसे खेल इस बार आयोजन का हिस्सा नहीं थे। इसके बावजूद, भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत पदक तालिका में 39 पदकों (13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य) के साथ चौथे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। उद्घाटन समारोह में स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू भारतीय दल की ध्वजवाहक बनीं।
- भारत के लिए मुक्केबाजी सबसे सफल खेल रहा, जिसमें मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण और 3 रजत सहित कुल 10 पदक जीते। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन (Weightlifting) में अपना लगातार तीसरा राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक बनाई। इसके अलावा जूडो में अस्मिता डे ने ऐतिहासिक पदक जीता।
- खेलों के समापन पर राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज आधिकारिक रूप से भारत को सौंप दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2030 (शताब्दी संस्करण) भारत के अहमदाबाद (गुजरात) में आयोजित किए जाएंगे।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक (EPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
2. EPI 2026 संस्करण में देशों का मूल्यांकन 47 संकेतकों के आधार पर किया गया है, जिन्हें तीन व्यापक नीतिगत उद्देश्यों के अंतर्गत 12 विषयगत श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
3. EPI 2026 रैंकिंग में एस्टोनिया (Estonia) प्रथम स्थान पर रहा, जबकि लाओस (Laos) अंतिम स्थान पर रहा।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

2. पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026 के संदर्भ में भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत ने मूल्यांकन किए गए 177 देशों में 176वाँ स्थान प्राप्त किया।
2. भारत का समग्र (Overall) स्कोर दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय औसत से अधिक था।
3. रिपोर्ट में प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में वृक्ष आवरण के नुकसान को भारत के लिए एक गंभीर चिंता के रूप में रेखांकित किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2, और 3

3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. PM-KISAN एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका पूर्ण वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
2. पात्र किसान परिवारों को आधार-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से प्रतिवर्ष ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है।
3. इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
4. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 2026–27 से 2030–31 तक जारी रखने की स्वीकृति ₹3.15 लाख करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ दी है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 और 4
D: 1, 2, 3 और 4

4. सेउटा (Ceuta) में हाल के प्रवासन (Migration) संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सेउटा (Ceuta) और मेलिला (Melilla) स्पेन के स्वायत्त शहर (Autonomous Cities) हैं, जो अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित हैं।
2. ये यूरोपीय संघ (European Union) की अफ्रीका के साथ एकमात्र स्थलीय सीमाएँ (Land Borders) हैं।
3. प्रवासियों की अचानक बढ़ी हुई संख्या का कारण केवल स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय का वह निर्णय था, जिसने समुद्र मार्ग से आने वाले सभी प्रवासियों को स्पेन में रहने की कानूनी अनुमति प्रदान की।
4. स्पेन ने मोरक्को (Morocco) के साथ मिलकर सीमा नियंत्रण को सुदृढ़ किया तथा प्रवासियों की वापसी को सुगम बनाया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,2 और 4
C: केवल 1,2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4

5. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विधेयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) में संशोधन करता है।
2. दो वर्ष से अधिक विलंब से जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी।
3. एक से दो वर्ष के बीच विलंब से होने वाले पंजीकरण के लिए जिलाधिकारी (DM), उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट (SDM) या कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) द्वारा अनुमोदन की वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी।
4. यह विधेयक सिविल पंजीकरण प्रणाली (CRS) को समाप्त कर उसके स्थान पर न्यायिक पंजीकरण व्यवस्था लागू करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

6. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 तथा इसके हालिया संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम भारत में जन्म एवं मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण के लिए सिविल पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System - CRS) को वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।
2. 2023 के संशोधन ने जन्म प्रमाण-पत्र को आधार, पासपोर्ट, मतदाता सूची, शैक्षणिक अभिलेख तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु एकल दस्तावेज (Single Document) के रूप में उपयोग की अनुमति दी।
3. 2026 के संशोधन विधेयक का एक उद्देश्य जनसांख्यिकीय (Demographic) एवं जीवन-सांख्यिकी (Vital Statistics) की शुद्धता में सुधार करना तथा पहचान-संबंधी धोखाधड़ी (Identity-related Fraud) को रोकना है।
4. संशोधन विधेयक विलंब से होने वाले सभी जन्म एवं मृत्यु पंजीकरणों के लिए न्यायिक स्वीकृति (Judicial Approval) अनिवार्य करता है, चाहे विलंब की अवधि कितनी भी हो।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

7. भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला ढोने की प्रथा) के विरुद्ध कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, जबकि अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग इन दोनों संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है।
2. हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 ने प्रतिबंध के दायरे का विस्तार करते हुए सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को भी शामिल किया।
3. हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन तथा शुष्क शौचालयों के निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम वर्ष 2003 में अधिनियमित किया गया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

8. भारत में नवविकसित स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) वैक्सीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह MA-104 सेल लाइन का उपयोग करके विकसित की गई जीवित-क्षीणीकृत (Live-attenuated) वैक्सीन है।
2. अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस (ASFV) एक जूनोटिक (Zoonotic) रोगजनक है, जो संक्रमित सूअर का मांस खाने वाले मनुष्यों में गंभीर रक्तस्रावी (हेमरेजिक) बुखार उत्पन्न कर सकता है।
3. इसका विकास आईसीएआर-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (ICAR-NIHSAD) द्वारा किया गया है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

9. अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक संक्रामक विषाणुजनित (वायरल) रोग है, जो केवल घरेलू मवेशियों (गाय-बैल) और भेड़ों को प्रभावित करता है।
2. इसका कारक (Causative Agent) Asfarviridae कुल (Family) का एक द्वि-सूत्री डीएनए विषाणु है।
3. भारत में अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) का पहला आधिकारिक प्रकोप वर्ष 2020 में दर्ज किया गया था।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

10. नए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पोर्टल आधार से जुड़ी अंगदान प्रतिज्ञा (Organ Pledge) की सुविधा प्रदान करता है तथा अंग प्रत्यारोपण के बाद रोगी के स्वास्थ्य की स्थिति का रिकॉर्ड भी रखता है।
2. भारत में अंग प्रत्यारोपण मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 तथा उसके संशोधनों के अंतर्गत कानूनी रूप से विनियमित है।
3. इस डिजिटल पोर्टल का विकास राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) द्वारा किया गया है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

11. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A / भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. घरेलू क्रूरता (Domestic Cruelty) से संरक्षण अब भारत में सभी प्रकार के लिव-इन संबंधों (Live-in Relationships) पर स्वतः लागू हो गया है।
2. न्यायालय ने कहा कि विवाह-सदृश (Marriage-like) लिव-इन संबंध में रहने वाली महिला को केवल औपचारिक विवाह के अभाव में घरेलू क्रूरता विरोधी कानूनी संरक्षण से वंचित करना, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
3. न्यायालय ने मनमानी गिरफ्तारियों को रोकने के लिए अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (Arnesh Kumar v. State of Bihar) मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों के कड़ाई से पालन का निर्देश दिया।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

12. तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे नरसिम्हम समिति-II की सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया था।
2. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (Standing Deposit Facility - SDF) एक बिना संपार्श्विक (Collateral-free) वाली व्यवस्था है, जो LAF कॉरिडोर की निचली सीमा (Lower Bound) के रूप में कार्य करती है।
3. रिवर्स रेपो दर सरकारी प्रतिभूतियों (Securities) के बदले बैंकिंग प्रणाली में अल्पकालिक तरलता का प्रवाह (Liquidity Injection) करती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

13. भारत की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक (Statutory) निकाय है।
2. समिति में आठ सदस्य होते हैं तथा केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
3. मतदान के दौरान यदि मतों की संख्या बराबर हो जाए, तो आरबीआई (RBI) के गवर्नर के पास निर्णायक मत (Casting Vote) का अधिकार होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

14. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पुनः शुरू करने के निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. शहरी सहकारी बैंक "एक सदस्य, एक मत (One Member, One Vote)" के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, चाहे किसी सदस्य के पास कितने भी शेयर हों।
2. जो शहरी सहकारी बैंक एक से अधिक राज्यों में कार्य करते हैं, वे बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं।
3. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के बाद RBI को शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) ढाँचा लागू करने तथा उनके शासन (Governance) की निगरानी को सुदृढ़ करने का अधिकार प्राप्त हुआ।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

15. क्लाउडेड लेपर्ड (Clouded Leopard) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह मेघालय का राज्य पशु है।
2. सभी जीवित बिल्ली प्रजातियों में इसकी खोपड़ी (Skull) के आकार की तुलना में ऊपरी कैनाइन (Canine) दाँत सबसे छोटे होते हैं।
3. इसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित (Vulnerable) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

16. कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत ज़ीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Zero-MDR) व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विधेयक भुगतान सेवा प्रदाताओं की सहायता के लिए सभी UPI लेन-देन में Zero-MDR व्यवस्था को सीधे समाप्त कर देता है।
2. यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 को आयकर अधिनियम से अलग करता है, ताकि सरकार भविष्य में इस नीति में बदलाव कर सके।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 2
C: 1 व 2 दोनों
D: कोई नहीं

17. पुनर्गठित गोबरधन (राष्ट्रीय परिपत्र जैव-ऊर्जा योजना) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका संचालन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
2. इसके अंतर्गत नगर गैस वितरण संस्थाओं के लिए अनिवार्य संपीड़ित जैव-गैस दायित्व लागू किया गया है, जो वित्त वर्ष 2026-27 में 3 प्रतिशत से प्रारंभ होगा।
3. इस योजना के अंतर्गत नवीन परियोजनाओं को स्थापित क्षमता के प्रति टन प्रतिदिन ₹2 करोड़ तक की पूंजीगत सहायता प्रदान की जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

18. अग्नि-IV मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह दो चरणों वाली, ठोस ईंधन से संचालित, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
2. इसकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर से 4,000 किलोमीटर के बीच है।
3. यह अपने अंतिम चरण के प्रणोदन के लिए पूरी तरह से द्रव प्रणोदक पर निर्भर करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

19. अग्नि-IV मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए:

1. इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा अभिकल्पित और विकसित किया गया है।
2. इसमें लक्ष्य पर अत्यधिक सटीक प्रहार के लिए वलयाकार लेज़र जाइरोस्कोप आधारित जड़त्वीय नौवहन प्रणाली (RINS) का प्रयोग किया गया है।
3. इसे सड़क-गतिशील या प्रक्षेपण-पात्र के अनुकूल प्रक्षेपण मंचों के माध्यम से तैनात नहीं किया जा सकता।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

20. 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% से अधिक हिस्सा है।
2. सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कुल गैर-जीवाश्म क्षमता के आधे से अधिक का योगदान करती है।
3. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता की गणना में परमाणु ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

21. भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्ष 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य 'पंचामृत (Panchamrit)' प्रतिबद्धताओं का हिस्सा है, जिसकी घोषणा COP26 में की गई थी।
2. भारत ने पेरिस समझौते (Paris Agreement) के तहत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से कुल संचयी विद्युत स्थापित क्षमता का लगभग 50% प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है।
3. भारत ने 40% गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के अपने पेरिस

समझौते के लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा से काफी पहले हासिल कर लिया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

22. राज्य गीत 'तमिल थाई वल्थु' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह माँ तमिल (Mother Tamil) को समर्पित एक प्रार्थना/वंदना गीत है, जो मनोनमनियम सुंदरणार (P. Sundaram Pillai) द्वारा रचित वर्ष 1891 के तमिल साहित्यिक कृति 'मनोनमनियम' से लिया गया है।
2. इसे वर्ष 2021 में तमिलनाडु के आधिकारिक राज्य गीत का दर्जा दिया गया।
3. राष्ट्रगान 'जन गण मन' की तरह, किसी राज्य गीत को भी भारत के संविधान के पाठ से सीधे स्पष्ट और समान रूप से अनिवार्य संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

23. भारत में पहुँच एवं लाभ-साझाकरण (ABS) तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में ABS ढाँचे को कानूनी आधार जैव विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002) से प्राप्त होता है।
2. भारत की ABS व्यवस्था, जैव-सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol on Biosafety) के अनुरूप है।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), ABS के अंतर्गत एकत्रित धनराशि को राज्य जैव विविधता बोर्डों और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों को वितरित करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2, और 3

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 के अंतर्गत प्रस्तावित राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (एनटीसी) के संबंध में हैं:

1. इसे पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में गठित करने का प्रस्ताव है, जिसमें एक अध्यक्ष, दो न्यायिक सदस्य तथा दो तकनीकी सदस्य होंगे।
2. राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के अध्यक्ष का पद केवल वर्तमान या पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही धारण किया जा सकता है।
3. विधेयक में अधिकरण के सदस्यों के लिए पाँच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, की एक समान कार्यावधि निर्धारित की गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

25. भारत में अधिकरणों के संवैधानिक एवं विधिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अधिकरण वर्ष 1950 में अपनाए गए भारतीय संविधान के मूल पाठ का हिस्सा थे।
2. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विशेष मामलों में अधिकरण उच्च न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र का पूर्णतः स्थान ले सकते हैं।
3. रोजर मैथ्यू (2019) सहित विभिन्न निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि अधिकरणों में नियुक्तियों पर कार्यपालिका का प्रभुत्व शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

26. उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण एवं क्षेत्रीय नामकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में विकसित होने वाले एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून (Typhoon) कहा जाता है, यदि उसकी अधिकतम निरंतर पवन गति कम से कम 74 मील प्रति घंटा हो।
2. टाइफून की प्रारंभिक घूर्णन गति कोरिऑलिस बल के कारण उत्पन्न होती है। यही बल इन तूफानी प्रणालियों को भूमध्य रेखा के आसपास 5° की पट्टी के भीतर बनने से रोकता है।
3. ऊँची ऊर्ध्वाधर पवन-कतरन एक परिपक्व टाइफून के ऊर्ध्वाधर विकास और तीव्रता को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक के रूप में कार्य करती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

27. भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग और चंद्र अभियानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत वर्ष 2023 में आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) का हस्ताक्षरकर्ता देश बना।
2. NISAR मिशन NASA और ISRO के बीच संयुक्त पृथ्वी-अवलोकन रडार परियोजना है।
3. आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2030 तक मंगल ग्रह पर मनुष्यों की स्थायी उपस्थिति स्थापित करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

28. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. MSMEs के लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण सभी विनिर्माण इकाइयों के लिए अनिवार्य किया गया है।
2. सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) को MSMEs के बिलों का निपटान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के माध्यम से करना अनिवार्य है।
3. मध्यस्थता के माध्यम से हुए समझौतों तथा मध्यस्थ निर्णयों की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

29. भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, MSMEs भारत के कुल निर्यात में लगभग आधे का योगदान करते हैं।
2. देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में MSME क्षेत्र का योगदान, कुल विनिर्माण उत्पादन में इसके हिस्से से अधिक है।
3. औपचारिक उद्यम (Udyam) प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत MSMEs भारत में रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं और इस मामले में कृषि क्षेत्र से आगे हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

30. भारत की वर्ष 2026 की BRICS अध्यक्षता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत ने वर्ष 2026 में चौथी बार BRICS की अध्यक्षता ग्रहण की।
2. भारत की अध्यक्षता का विषय "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण" है।
3. इंडोनेशिया वर्ष 2025 में BRICS का पूर्ण सदस्य बना, जिससे BRICS के कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

31. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य का नाम बदलने की संसद की शक्ति से संबंधित हैं:

1. किसी राज्य का नाम बदलने संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. विधेयक की सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति को संबंधित राज्य की विधानमंडल की सकारात्मक (बाध्यकारी) सहमति प्राप्त करनी होती है।
3. किसी राज्य का नाम बदलने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

32. निम्नलिखित कथनों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 187 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 2026 के निर्णय के संदर्भ में विचार कीजिए:

1. BNSS ने गंभीर अपराधों के लिए पुलिस हिरासत की अधिकतम कुल अवधि को मूल रूप से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया है।
2. BNSS के तहत पुलिस हिरासत का अनुरोध कुल हिरासत अवधि

के पहले 40 या 60 दिनों के दौरान अलग-अलग चरणों (स्पेल) या खंडों में किया जा सकता है।

3. यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 के तहत पूर्ववर्ती न्यायिक स्थिति से अलग है, जिसमें पुलिस हिरासत को रिमांड के शुरुआती 15 दिनों तक ही सख्ती से सीमित रखा गया था।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

33. हाल ही में पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह MMDR अधिनियम, 1957 में एक नई धारा 9D जोड़ता है, जो राज्य सरकारों को खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर नए कर, उपकर (cess) या शुल्क लगाने से सख्ती से रोकती है।
2. विधेयक स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करता है कि खनिज अधिकारों पर पहले से वसूले गए सभी राज्य करों या शुल्कों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह वापस किया जाए।
3. यह केंद्र सरकार के नियामक अधिकार क्षेत्र का विस्तार करते हुए उसे निर्धारित मानकों के आधार पर "खनिज-युक्त भूमि" की पहचान और विनियमन करने का अधिकार देता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल एक
B: केवल दो
C: सभी तीनो
D: कोई नहीं

34. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो हाल ही में खोजे गए कैस्केड मेंढकों के संबंध में हैं:

1. कैस्केड मेंढक Amolops वंश से संबंधित होते हैं और सामान्यतः तेज़ बहाव वाली वन धाराओं तथा चट्टानी जलप्रपातों के अनुकूलित होते हैं।
2. अम्माची का कैस्केड मेंढक (Amolops ammachi) त्रिपुरा की जाम्पुई पहाड़ियों में खोजा गया था और इसका नाम केरल की एक समाजसेवी के सम्मान में रखा गया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 2
C: 1 व 2 दोनों
D: कोई नहीं

35. भारत की आरक्षण व्यवस्था में "क्रीमी लेयर" के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. क्रीमी लेयर की अवधारणा को पहली बार औपचारिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक इंद्रा साहनी वाद (1992) में प्रस्तुत और लागू किया गया था।
2. अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में किसी समुदाय को शामिल करने या हटाने का अधिकार संसद के पास है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 2
C: 1 व 2 दोनों
D: कोई नहीं

36. राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम्) और इससे संबंधित राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कविता 'वंदे मातरम्' के पूरे पाठ को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था।
2. राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 ने प्रारंभ में केवल राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को संरक्षण प्रदान किया था, लेकिन बाद में किए गए विधायी संशोधनों के माध्यम से राष्ट्रीय गीत को भी वैधानिक कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया।
3. राष्ट्रगान के विपरीत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत ऐसा कोई स्पष्ट मौलिक कर्तव्य नहीं है, जिसमें राष्ट्रीय गीत का उल्लेख किया गया हो।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

37. अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (NGOPV) 'श्रुति' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा निर्मित और लॉन्च किया गया है।
2. 'श्रुति' नाम भारत की प्राचीन सभ्यतागत विरासत से लिया गया है और यह चारों वेदों को संदर्भित करता है।
3. NGOPV बेड़े का निर्माण विशेष रूप से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों को सौंपा गया है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

38. खाद्य सुरक्षा और मानक (FSS) अधिनियम, 2006 तथा महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) जैसे राज्य नियामकों द्वारा हाल ही में तंबाकू युक्त उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंध के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को जनस्वास्थ्य के हित में किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का स्पष्ट अधिकार देता है।
2. FSS अधिनियम के तहत राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी किया गया ऐसा कोई भी प्रतिबंध आदेश प्रारंभिक अधिसूचना के समय स्थायी बनाया जा सकता है।
3. केंद्रीय नियम चांदी के वर्क (चांदी-वर्ख) या इलायची (इलायची) जैसे मानक खाद्य पदार्थों/योजकों को पूरी तरह से जांच से छूट देते हैं, यदि उन पर किसी पान मसाला कंपनी की ब्रांडिंग का भी उपयोग किया गया हो।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

39. "सरोगेट विज्ञापन (Surrogate Advertising)" और भारत में सेलिब्रिटी द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों से संबंधित कानूनी ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरोगेट विज्ञापन का अर्थ है किसी प्रतिबंधित उत्पाद या सेवा का प्रचार इस प्रकार करना कि उसे किसी अनुमत उत्पाद या सेवा के विज्ञापन के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
2. वर्तमान उपभोक्ता संरक्षण मानदंडों के तहत, ब्रांड एंडोर्सर (जिसमें सेलिब्रिटी भी शामिल हैं) को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है और जिन विज्ञापनों में वे दिखाई देते हैं, उनमें किए गए दावों के संबंध में उन्हें उचित सावधानी बरतना आवश्यक है।
3. खाद्य पदार्थों के सरोगेट विज्ञापनों के संबंध में नोटिस जारी करने या कार्रवाई करने का अधिकार केवल केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास है और इससे राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) पूरी तरह बाहर हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

40. मखाना (Euryale ferox) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक जलीय फसल है, जिसकी खेती मुख्य रूप से गहरे समुद्री गर्तों और तेज़ बहाव वाली नदियों में की जाती है।
2. भारत विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश है, जिसमें बिहार का वैश्विक उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान है।
3. राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना मखाना की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

41. दिल्ली में H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामलों में वृद्धि की निगरानी और रिपोर्टिंग का नेतृत्व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) द्वारा किया जाता है। NCDC और रोग वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. NCDC विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
2. महामारी (Epidemic) का अर्थ किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की आबादी में सामान्य अपेक्षा से अधिक रोग के मामलों में अचानक वृद्धि होना है।
3. H1N1 के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नैदानिक वर्गीकरण दिशा-निर्देशों के अनुसार, श्रेणी A (Category A) के मरीजों, जिनमें हल्का बुखार और खाँसी होती है, को तत्काल अस्पताल में आइसोलेशन और अनिवार्य रूप से Oseltamivir दवा दिए जाने की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

42. कुरील द्वीपसमूह (Kuril Islands) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये ज्वालामुखीय द्वीपों की एक श्रृंखला बनाते हैं, जो जापान सागर (Sea of Japan) को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करती है।
2. इस द्वीपसमूह में कुरील-कमचटका गर्त (Kuril-Kamchatka

Trench) स्थित है, जो एक प्रमुख सक्रिय सबडक्शन क्षेत्र है।

3. जापान द्वारा सामूहिक रूप से "उत्तरी क्षेत्र" कहे जाने वाले चार विवादित द्वीप इस श्रृंखला के सबसे उत्तरी छोर पर, कमचटका प्रायद्वीप के पास स्थित हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

43. कुरील द्वीपसमूह क्षेत्र से जुड़े प्रमुख समुद्री मार्गों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सी जलसंधियाँ (Straits) ओखोत्स्क सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच जल के आदान-प्रदान को सुगम बनाती हैं?

1. बुसोल जलसंधि (Bussol' Strait)
2. त्सुशिमा जलसंधि (Tsushima Strait)
3. क्रुज़ेनश्टर्न जलसंधि (Kruzenshtern Strait)
4. व्रीज़ जलसंधि (Vries Strait)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4

44. निम्नलिखित कथनों पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और हाल के संस्थागत सुधार उपायों के संदर्भ में विचार कीजिए:

1. NTA एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है, जिसकी स्थापना संसद के एक विशिष्ट अधिनियम के तहत उच्च-दांव वाली राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए की गई है।
2. के.राधाकृष्णन समिति का गठन NTA की संरचनात्मक कमजोरियों, डेटा सुरक्षा और प्रणालीगत सुधारों की समीक्षा करने के लिए किया गया था।
3. नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय कार्यबल का गठन सार्वजनिक परीक्षाओं में उन्नत तकनीक, सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना और छेड़छाड़-रोधी लॉजिस्टिक्स को एकीकृत करने के लिए किया गया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

45. भारत में बहुविवाह (Polygamy) के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82 कुछ वैधानिक अपवादों के अधीन द्विविवाह (Bigamy) के लिए दंड का प्रावधान करती है।
2. सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह को सीधे तौर पर असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
3. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के आँकड़ों के अनुसार, एक से अधिक विवाह की प्रथा केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित है और भारत के अन्य धार्मिक समूहों में इसका कोई अस्तित्व नहीं है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

46. भारत में व्यक्तिगत कानूनों (Personal Laws) और समानता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों तथा न्यायिक विमर्श के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है।
2. अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पूर्ण (Absolute) है।
3. विवाह और तलाक भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 (Entry 5) के अंतर्गत आते हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

47. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसने दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लिया और मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया।
2. यह बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी रोजगार में 5% आरक्षण का प्रावधान करता है।
3. यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (UNCRPD) के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

48. भारत में मृत्युदंड (Death Sentence) देने की विधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला दिया है कि फाँसी देकर मृत्युदंड देना असंवैधानिक है और इसे तुरंत घातक इंजेक्शन (Lethal Injection) द्वारा मृत्युदंड देने की व्यवस्था से बदल दिया जाना चाहिए।
2. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अंतर्गत, मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को तब तक गर्दन से फाँसी दी जाती है, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: 1 व 2 दोनों

D: कोई नहीं

49. भारत में क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. क्षेत्रीय परिषदें भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय हैं।
2. केंद्रीय गृह मंत्री सभी पाँच क्षेत्रीय परिषदों के सामान्य अध्यक्ष (Common Chairman) होते हैं।
3. क्षेत्रीय परिषदों की सिफारिशें और विचार-विमर्श सदस्य राज्यों तथा केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

50. नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 से संबंधित नागरिकता नियमों में हालिया संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अब जिला कलेक्टरों (District Collectors) को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B के तहत नागरिकता के पंजीकरण (Registration) या देशीयकरण/प्राकृतिककरण (Naturalization) के लिए प्राप्त आवेदनों की जाँच, समीक्षा और निपटारा करने का अधिकार दिया गया है।
2. यह विकेंद्रीकृत जिला-स्तरीय आवेदन प्रक्रिया पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिना किसी क्षेत्रीय अपवाद के समान रूप से लागू होती है।
3. धारा 6B के तहत नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए निर्दिष्ट उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लागू होता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर

1	C	11	C	21	B	31	A	41	B
2	C	12	A	22	A	32	C	42	B
3	C	13	B	23	C	33	B	43	B
4	D	14	D	24	B	34	C	44	C
5	C	15	B	25	B	35	C	45	A
6	C	16	B	26	A	36	C	46	B
7	A	17	C	27	A	37	A	47	B
8	B	18	A	28	C	38	A	48	B
9	C	19	A	29	A	39	A	49	B
10	D	20	A	30	D	40	C	50	B

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

UDAAN
A journey to success

BIGGER DREAMS TOGETHER!

A small referral can create a big future!

Invite Your Friends to UDAAN

Help more bright minds take the first step towards a bigger future.

5 DAYS REFERRALS

Complete your 5 referrals in just **5 days!**

- **UPSC** Current Affairs App (for every participant)
- **PYQs** Linked with Current Affairs
- **UPSC** Preparation Roadmap
- **1-to-1** Mentor Guidance Session
- + Official UDAAN Participant Certificate

EXAM DATE
20 SEPTEMBER 2026
(OFFLINE)

REFERRAL DEADLINE
5 DAYS
START TODAY!

More Aspirants → More Opportunities → A Stronger UDAAN Community

Let's build the next generation of changemakers!

SAME DREAM. A BIGGER IMPACT.

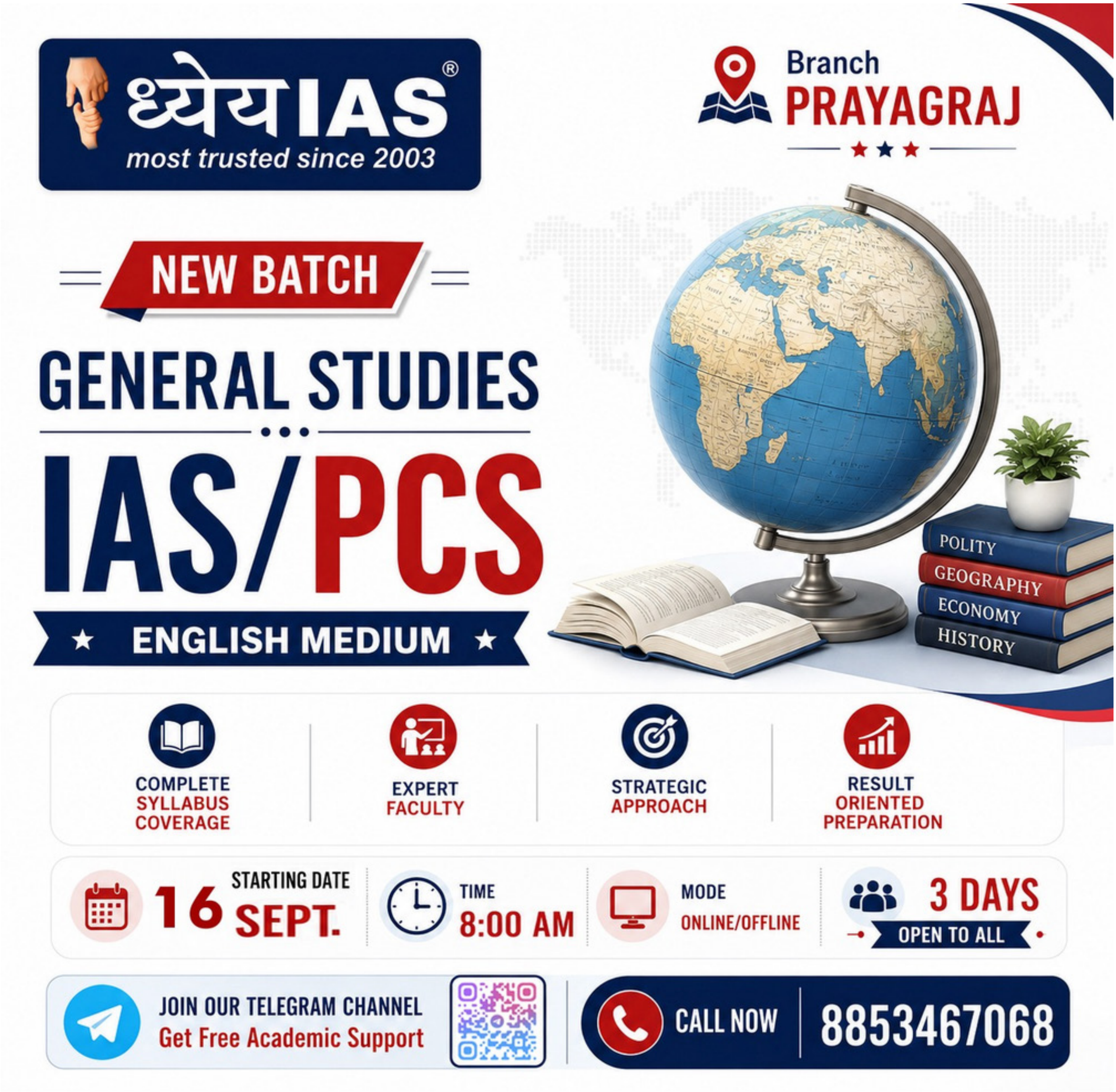

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Branch
PRAYAGRAJ

NEW BATCH

GENERAL STUDIES

IAS/PCS

★ ENGLISH MEDIUM ★

COMPLETE SYLLABUS COVERAGE

EXPERT FACULTY

STRATEGIC APPROACH

RESULT ORIENTED PREPARATION

16 SEPT.
STARTING DATE

TIME
8:00 AM

MODE
ONLINE/OFFLINE

3 DAYS
OPEN TO ALL

JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL
Get Free Academic Support

CALL NOW 8853467068

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Branch
Gomti Nagar

NEW BATCH
UPSC (IAS)

28 SEPT 2026

Morning Batch - 08:30 AM
Evening Batch - 05:30 PM

Subject: General Science

Raghvendra Sir

Mode: Online/Offline

CALL: 7570009003